प्रकाशक :
यूनिक ट्रेडर्स,
चौड़ा रास्ता,
जयपुर

प्रथम संस्करण :
1986

मूल्य : 40/-

मुद्रक :
एलोरा प्रिन्टर्स,
जयपुर–302 003

प्राक्कथन

प्राय: सभी धर्मों में खैरात या पुण्यार्थ को किसी न किसी रूप में प्रोत्साहन दिया गया है। धार्मिक एवं पुण्यार्थ संस्था का प्रादुर्भाव मानवीयता अर्थात् दया एवं परोपकारिता की भावनाओं का परिणाम है। व्यक्तिगत सन्तोष की प्रेरक धार्मिक एवं पुण्यार्थ की भावनाएं जरूरतमन्दों को राहत के साथ जन कल्याण को प्रोत्साहन देती रही हैं। यही कारण है कि यह संस्था विभिन्न विधियों में अपना विशिष्ट स्थान रखती है।

इंगलैण्ड में धार्मिक न्यास, पुण्यार्थ न्यास का ही अंग है तथा लोक न्यास का पर्यायवाची है। अंग्रेजी विधि में विधिक अर्थ में खैरात को परिभाषित करने का सर्वप्रथम प्रयास 1601 के एलिजाबेथ परिनियम द्वारा किया गया।

भारत में न्यास की अवधारणा बहुत प्राचीन रही है। हिन्दु धार्मिक एवं पुण्यार्थ (खैराती) कार्यों को दो श्रेणियों में विभक्त किया गया है—इष्ट एवं पूर्त। इष्ट से तात्पर्य वैदिक यज्ञ एवं संस्कार तथा उनके सम्बन्ध में भेंट से है। पूर्त से अभिप्राय उन अन्य पवित्र एवं पुण्यार्थ कार्यों से है जो वैदिक यज्ञों से सम्बन्धित नहीं होते। इष्ट का अभिप्राय पवित्र संस्कारों से है जबकि पूर्त में कुओं, बगीचों एवं धर्मशालाओं आदि का निर्माण सम्मिलित है।

राजस्थान में धार्मिक एवं पुण्यार्थ संस्थाएं रियासतों के शासकों द्वारा पोषित एवं संरक्षित थी। राजस्थान के वर्तमान स्वरूप के गठन के साथ इन संस्थाओं के पोषण एवं संरक्षण हेतु देवस्थान विभाग के नाम से एक अलग विभाग की स्थापना की गई तथा इनके बेहतर प्रशासन हेतु सन् 1959 में राजस्थान लोक न्यास अधिनियम पारित किया गया जो बम्बई लोक न्यास अधिनियम 1950 पर आधारित है। यह अधिनियम राज्य में धार्मिक एवं पुण्यार्थ संस्थाओं के बेहतर विनियमन एवं प्रशासन की दिशा में कहां तक सफल हो सका है इसका एकमत उत्तर देना कठिन है। किन्तु अधिनियम की प्रभावी क्रियान्विती की दिशा में विभाग को जुर्माना करने, कार्यवाही को रोकने की आज्ञा देने एवं प्रापक नियुक्त करने की शक्ति से आवेष्ठित करने जैसे विषयों पर पुनर्विचार किया जाना चाहिये। राजस्थान में स्थित मन्दिरों का सर्वेक्षण एवं उनका इतिहास लिपिबद्ध किया जाना चाहिये जिससे कि संस्कृति की इस थाती को सुरक्षित रखा जा सके।

राजस्थान लोक न्यास अधिनियम 1959 के इस प्रकार के हिन्दी संस्करण का अभाव एक लम्बे समय से महसूस किया जा रहा था। प्रस्तुत संस्करण में अधिनियम एवं नियमों का मौलिक रूपान्तर भी दिया गया है। एकरूपता की दृष्टि से पुस्तक में प्रयुक्त विधि के हिन्दी शब्द भारत सरकार के विधि, न्याय एवं कम्पनी कार्य मंत्रालय, विधि विभाग द्वारा प्रकाशित हिन्दी शब्दावली पर आधारित है।

लेखक श्री बलवन्तसिंह मेहता, विशेषाधिकारी मुख्यालय, देवस्थान विभाग, उदयपुर के सहयोग के लिए हार्दिक आभार व्यक्त करता है।

सामग्री के संकलन में श्री गंगासिंह उदावत कार्यालय अधीक्षक एवं अन्य कर्मचारियों का तत्परतापूर्वक सहयोग प्रशंसनीय एवं स्मरणीय है। लेखक उनके प्रति आभार व्यक्त किए बिना नहीं रह सकता।

पांडूलिपि तैयार करने में पुत्र सुनिल कुमार, बी. कॉम. एल एल. बी. (ऑनर्स) एवं श्री जयप्रकाश के सहयोग की लेखक सराहना करता है।

लेखक यूनिक ट्रेडर्स के प्रति अपनी हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापित करता है कि जिनके सहयोग एवं सुझावों से इस ग्रन्थ का प्रकाशन सुलभ हो सका।

श्रीमती कमला देवी, धर्म पत्नी का अमूल्य सहयोग रहा अतः यह ग्रन्थ उसी को समर्पित।

सहायक प्रोफेसर
सुखाड़िया विश्वविद्यालय,
उदयपुर (राजस्थान)

—आर. एल. जैन

राजस्थान लोक न्यास अधिनियम 1959

विषय सूची

भाग I

भाग II

भाग III

राजस्थान लोक न्यास अधिनियम, 1959

परिचयात्मक

प्राचीन समय में भूमि एक ही व्यक्ति द्वारा अन्य के उपयोग के लिए स्थायी रूप से धारित थी। साधुओं के समाज ने जिनको धार्मिक आदेशों के अनुसार पूर्ण निर्धनता की अवस्था में रहना होता था इस युक्ति को अपनाया कि भूमि पोर-समाज को समर्पित कर दी जाय जिससे कि उसका उपयोग सन्यासियों के लिए हो। मन्दिरों, धर्मशालाओं, बगीचों, मठों, कुओं आदि के निर्माण के पीछे इसी प्रकार की परोपकार की भावना रही है किन्तु कालान्तर में इन संस्थाओं के कुप्रबन्ध से सम्पत्ति का दुरुपयोग होने लगा। अत: न्यास सम्पत्ति के दुरुपयोग को रोकने एवं बेहतर प्रबन्ध के लिए विधि की आवश्यकता हुई। आधुनिक अर्थ से न्यास मध्ययुग की देन है तथा विधिशास्त्र में साम्य की एक व्यापक एवं महत्त्वपूर्ण शाखा के रूप में विकसित हुई है।

सामन्ड के अनुसार एक न्यास दोहरे स्वामित्व का कौतुकपूर्ण किन्तु महत्त्व-पूर्ण उदाहरण है। न्यास सम्पत्ति वह है जिसके एक ही समय में दो स्वामी होते हैं। दोनों के बीच इस प्रकार के सम्बन्ध होते हैं कि उनमें से पहला अपने स्वामित्व का दूसरे के हित के लिए प्रयोग करने हेतु बाध्य होता है। पहला न्यासी कहलाता है तथा उसका स्वामित्व न्यास का स्वामित्व होता है, तथा पश्चातवर्ती हितग्राही स्वामित्व कहलाता है। न्यासी न्यास सम्पत्ति का उपयोग अपने लाभार्थ नहीं कर सकता, इसीलिए उसका स्वामित्व तात्विक स्वामित्व न होकर बाह्य रूप का स्वामित्व होता है। वास्तविक स्वामित्व के बनिस्पत सांकेतिक स्वामित्व होता है। वह केवल एक अभिकर्त्ता होता है जिस पर अन्य व्यक्ति की सम्पत्ति के प्रशासन करने का कर्त्तव्य विधि द्वारा अधिरोपित किया जाता है। फिर भी विधिक दृष्टि से वह केवल अभिकर्त्ता न होकर एक स्वामी माना जाता है। यह वह व्यक्ति है जिस पर किसी अन्य की सम्पत्ति का काल्पनिक स्वामित्व उस सीमा तक माना जाता है कि सांकेतिक स्वामी से निहित अधिकार एवं शक्तियां वास्तविक स्वामी की ओर से उसके द्वारा प्रयुक्त की जाएंगी। न्यासी एवं हितग्राही के बीच विधि न्यास सम्पत्ति का स्वामी हितग्राही को मानती है न कि न्यासी को। न्यासी हितग्राही के अधिकारों से विभूषित होता है तथा समूचे जगत के साथ व्यवहार करने में हितग्राही का प्रतिनिधित्व करने में सक्षम होता है।

न्यास का उद्गम संविदा के रूप में हुआ जिसका विशेषत: साम्या (Equity) के अन्तर्गत प्रवर्तन किया जाता था जिसके द्वारा स्वामी के सिवाय किसी व्यक्ति के लाभ हेतु सम्पत्ति के स्वामित्व से संलग्न बाध्यता को अस्तित्व में लाया जाता था। न्यास के सृजन हेतु तकनीकी शब्दों की अपेक्षा नहीं होती। मौलिकत: यह प्रश्न संविदा के पक्षकारों के आशय का प्रश्न होता है[1] तथा हितग्राही संविदा के अन्तर्गत अजनबी होते हुए भी न्यासी के विरुद्ध वाद संस्थित कर सकता है।

आधुनिक एवं सीमित अर्थ में न्यास सम्पत्ति के सम्बन्ध में किसी व्यक्ति में रखा गया एक विश्वास है जिस सम्पत्ति पर उसका अधिपत्य है या जिस पर वह अन्य व्यक्ति के लाभार्थ अथवा प्रयोजन हेतु प्रयोग करने की सीमा तक शक्ति का प्रयोग कर सकता है। राजनीतिक लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु निर्मित न्यास इसलिए अविधिमान्य नहीं है कि वे अवैध हैं क्योंकि विधि में तो विधि सम्मत माध्यमों द्वारा परिवर्तन लाया जा सकता है किन्तु न्यायालय के पास निर्णय करने का कोई साधन नहीं होता कि क्या विधि में ऐसा प्रस्तावित परिवर्तन लोकहित में होगा या नहीं। अत: यह नहीं कहा जा सकता कि इस प्रयोजन हेतु दिया गया दान पुण्यार्थ दान होता है। विधान मण्डल के उद्देश्य का प्रभावित प्रयोजन राजनीतिक होता है तथा किसी विशेष राजनीतिक दल की विचारधारा को अग्रसर करने हेतु सृजित न्यास चाहे उसका प्रयोजन शैक्षणिक केन्द्र की स्थापना हो अथवा कोई प्रौढ़ शिक्षण योजना की कार्यान्विती हो, पुण्यार्थ न्यास नहीं होता है।[2]

यद्यपि भारत एक धर्म निरपेक्ष जनतन्त्रात्मक गणराज्य है किन्तु फिर भी इस तथ्य से इन्कार नहीं किया जा सकता कि यह विविध धर्मों का देश है, जो धर्म निरपेक्षता की ओर उन्मुख है। यह धर्मों का राष्ट्रमण्डल है। धर्म एक वैयक्तिक आत्मा, व्यवहार एवं विश्वास का विषय है। यह व्यक्ति और सृष्टा के बीच का विषय है। अत: राज्य एवं नागरिकों के बीच वृथा परस्पर नागरिकों के बीच संघर्ष का हेतु नहीं हो सकता। भारत में स्वतन्त्रता से पूर्व सरकार द्वारा न्यास एवं पुण्यार्थ संस्थाओं की ओर बहुत कम ध्यान दिया गया। यद्यपि न्यासों को विनियमित करने की दिशा में कुछ केन्द्रीय एवं प्रान्तीय अधिनियम बनाए गए किन्तु मुख्यत: सरकार धार्मिक न्यासों के प्रति उदासीन रही। अंग्रेज सरकार की नीति अहस्तक्षेप की थी। उसका उद्देश्य स्वयं के लाभ के लिए शासन करना था। स्वतन्त्रता के पश्चात संविधान निर्माताओं ने इस दिशा में संविधान में महत्त्वपूर्ण उपबन्ध किए। धार्मिक विविधता को ध्यान में रखते

---

1. ए. आई. आर. 1957 कल. 293
2. हेल्सबरी: लॉज आफ इंगलैण्ड पृ. 87-88

हुए धार्मिक स्वतन्त्रता को मूल अधिकारों में स्थान दिया गया[1] तथा सामाजिक न्याय प्राप्त करने की दिशा में विधायिनी शक्तियों का विभाजन करते समय न्यास एवं पुण्यार्थ संस्थाओं के विषय को समवर्ती सूची में स्थान दिया गया जिससे कि राज्य एवं केन्द्र दोनों ही इस महत्त्वपूर्ण विषय पर विधि निर्माण द्वारा जन-कल्याण को प्रोत्साहन दे सकें।[2]

भारतीय विधि में न्यास एवं धार्मिक तथा पुण्यार्थ संस्थाएं :
भारतीय संविधान 1950 : धार्मिक स्वतन्त्रता का अधिकार

अनुच्छेद-25—धर्माचरण एवं प्रचार की स्वतन्त्रता

यह अनुच्छेद हर व्यक्ति को लोक-व्यवस्था, स्वास्थ्य, सदाचार एवं मूल अधिकारों से सम्बन्धित अन्य उपबन्धों के अधीन, अन्तःकरण की स्वतन्त्रता तथा धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण करने एवं प्रचार करने की स्वतन्त्रता प्रत्याभूत करता है तथापि धार्मिक आचरणों से सम्बद्ध किसी आर्थिक, वित्तीय, राजनैतिक अथवा अन्य लौकिक-क्रियाओं को विनियमित अथवा निबन्धित करने के लिए [अनुच्छेद 25 (2) (क)] अथवा सामाजिक कल्याण और सुधार करने के लिए अथवा सार्वजनिक प्रकृति की किसी हिन्दू धार्मिक संस्था को हिन्दुओं के समस्त वर्गों तथा विभागों के लिए खोलने के लिए [अनुच्छेद 25 (2) (ख)] राज्य द्वारा विधि बनाने पर कोई रुकावट नहीं होगी। प्रथम स्पष्टीकरण के अनुसार कृपाण धारण करना और इसे लेकर चलना सिक्ख धर्म के मानने का अंग माना गया है। इसी प्रकार द्वितीय स्पष्टीकरण के अनुसार हिन्दु धर्म में सिक्ख, जैन अथवा बौद्ध धर्म मानने वाले भी शामिल हैं और हिन्दु-संस्थानों से तात्पर्य भी तद्नुसार है।

धर्म एक विश्वास की बात है। धर्म का आधार विश्वासों एवं सिद्धान्तों की ऐसी प्रणाली से है जिसे उस धर्म के अनुयायी अपनी आध्यात्मिक भलाई का साधन मानते हैं। धर्म अपने अनुयायियों के लिए न केवल नैतिक नियम ही उपबंधित करता है बल्कि यह ऐसे कर्मकाण्डों, धार्मिक अनुष्ठानों, समारोहों एवं पूजा के तरीके भी निर्धारित करता है, जिन्हें कि उस धर्म का एक अभिन्न अंग माना जाता है। यह निर्णय करना न्यायालय का काम है कि किसी धर्म के सिद्धान्तों अथवा मतों के आधार पर क्या कोई आचरण, जिसके लिए संरक्षण मांगा जा रहा है, उस धर्म का आवश्यक एवं अभिन्न अंग है।[3] मन्दिरो में

---

1. अनुच्छेद 25–30
2. अनूसूची VII सूची III समवर्ती सूची-प्रविष्टी 10 एवं 28
3. कामिश्नर, हिन्दु रिलीजियस एन्डोमेन्टस व. लक्ष्मीचन्द्र स्वामियार; ए. आई. आर. 1954 स. न्या. 282

अर्चकों की नियुक्ति की रीति एक लौकिक मामला है धार्मिक आचरण नहीं।[1] अतः यदि कोई विधि अर्चकों की नियुक्ति के वंशानुगत सिद्धान्त को समाप्त करती है और यह निर्धारण करती है कि केवल उन्हीं व्यक्तियों की नियुक्ति अर्चकों के रूप में होनी चाहिए जो समुचित रूप से योग्य हो, तो ऐसी विधि अवैध नहीं मानी जा सकती। किसी मुसलमान द्वारा गाय का बलिदान उसके धार्मिक विश्वास को प्रकट करने के लिए आवश्यक नहीं है।[2] किसी हिन्दु द्वारा अपनी प्रथम पत्नी के जीवित रहते हुए दूसरा विवाह करना हिन्दु धर्म का अभिन्न अंग नहीं है किन्तु श्राद्ध करना एवं पिन्ड दान देना हिन्दु धर्म और हिन्दु धार्मिक आचरण का अभिन्न अंग है।[3]

अनुच्छेद 25 (2) (क) धार्मिक आचरण से सम्बद्ध लौकिक कृत्यों के विनियमन के लिए राज्य को शक्ति प्रदान करता है। धार्मिक क्रिया का विनियमन नहीं किया जा सकता। धार्मिक क्रिया वह है जो किसी धर्म का आवश्यक और अभिन्न अंग है जैसे देवमूर्ति को चोट लगाना, प्रतिदिन पवित्र ग्रन्थों का पाठ करना या पवित्र अग्नि में आहुतियां डालना।

अनुच्छेद 25 (2) (ख) के अन्तर्गत, समाज सुधार के लिए राज्य द्वारा कदम उठाये जा सकते हैं। धर्म स्वातंत्र्य में हस्तक्षेप के आधार पर ऐसे कार्य शून्य नहीं होंगे। हिन्दुओं में बहु विवाह प्रथा पर रोक लगाना समाज सुधार का अंग है। यह अनुच्छेद हिन्दुओं में से अस्पृश्यता के उन्मूलन करने के लिए राज्य को सक्षम बनाता है। राज्य सार्वजनिक हिन्दु धार्मिक संस्थानों को हिन्दुओं के समस्त वर्गों के लिए खोल सकता है। सार्वजनिक संस्थान का तात्पर्य न केवल उन मन्दिरों से है, जो सम्पूर्ण जनता को समर्पित किए गए हैं, वरन् वे भी जो जनता के किसी वर्ग के लाभ के लिए स्थापित किए गए हैं तथा इस खण्ड की सीमा में साम्प्रदायिक मन्दिर में आते हैं।[4]

अनुच्छेद 26—धार्मिक कार्यों के प्रबन्ध की स्वतन्त्रता

अनुच्छेद 26 यह प्रावहित करता है कि लोक-व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक धार्मिक सम्प्रदाय अथवा उसके किसी वर्ग को यह अधिकार है कि वह—

(क) धार्मिक एवं सहायतार्थ संस्थाओं की स्थापना और उनका पोशण कर सकता है;

---

1. ई. आर. जे. स्वामी व. तमिलनाडु ए. आई. आर. 1972 स. न्या. 1586
2. एम. एच. कुरेशी व. बिहार राज्य ए. आई. आर. 1958 स. न्या. 731
3. आर. एम. के. सिंह व. स्टेट ए. आई. आर. 1976 पट. 198
4. एम. पी. जैन–भारतीय संवैधानिक विधि 1981, 2.345

(ख) अपने धार्मिक मामलों का स्वयं प्रबन्ध कर सकता है,

(ग) चल एवं अचल सम्पत्ति का अर्जन एवं उसका स्वामित्व ग्रहण कर सकता है तथा

(घ) ऐसी सम्पत्ति का विधि के अनुसार प्रशासन कर सकता है।

इस प्रकार इस अनुच्छेद द्वारा सामूहिक धार्मिक स्वतन्त्रता की गारन्टी दी गई है। धार्मिक सम्प्रदाय का तात्पर्य एक ऐसे धार्मिक पंथ से है जिसका अपना एक विश्वास व आस्था है, अपना संगठन है और जो एक विशेष नाम से पुकारा जाता है। जैसे माधवाचार्य के अनुयायी, जैनियों का श्वेताम्बर पंथ, दाऊद वोहरा, सिक्ख सम्प्रदाय आदि।

अनुच्छेद 26 (क) के अनुसार जब किसी धार्मिक सम्प्रदाय द्वारा किसी संस्था की स्थापना की जाती है तो उसे उसका पोषण करने का अधिकार भी प्राप्त हो जाता है तथा किसी संस्था को पोषण करने के अधिकार में उस संस्था को प्रकाशित करने का अधिकार भी सम्मिलित है। यदि किसी सम्प्रदाय ने किसी संस्था की स्थापना नहीं की है तो वह उस संस्था का पोषण करने का अधिकार भी नहीं मांग सकता।[1]

अनुच्छेद 26 (ख) की परिधि में विशुद्ध लौकिक कार्य नहीं आते जैसे सम्प्रदाय की सम्पत्ति का नियन्त्रण। किसी समुदाय द्वारा अपने किसी सदस्य को धार्मिक कारणों से समुदाय से बहिष्कृत करना सामाजिक सुधार का कार्य नहीं माना जा सकता अतः धार्मिक कारणों से सम्प्रदाय से बहिस्करण को निषिद्ध करने वाली कोई विधि अनुच्छेद 26 (ख) के प्रतिकूल है। किन्तु धार्मिक कारणों के अतिरिक्त किसी अन्य आधार पर किए गए जाति-बहिष्करण को निषिद्ध करना समाज सुधार माना जा सकता है तथा ऐसी विधि अनुच्छेद 25 (2) (ख) के अन्तर्गत उचित हो सकती है।[2]

बल, कपट अथवा प्रलोभन के कारण किए जाने वाले धर्म-परिवर्तन को निषिद्ध करने वाली कोई विधि अवैध नहीं मानी जा सकती। अनुच्छेद 25 (1) दूसरे व्यक्तियों को अपने धर्म में सम्मिलित करने का अधिकार प्रदान नहीं करता वरन् यह अपने धर्म के सिद्धान्तों को बतलाकर धर्म का प्रचार और प्रसार करने का अधिकार प्रदान करता है। इसका अभिप्राय यह है कि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को अपने स्वयं के धर्म में परिवर्तित करने के मूल अधिकार का दावा नहीं कर सकता।

---

1. अजीज बाशा व. इण्डिया ए. आई. आर 1968 स. न्या. 662
2. सेफुद्दीन साहेब व. बम्बई राज्य ए. आई. आर. 1952 स. न्या. 1638

अनुच्छेद 26 (ख) एवं 26 (घ) धार्मिक सम्प्रदाय द्वारा क्रमशः अपने धार्मिक कार्यों के प्रबन्ध एवं अपनी सम्पत्ति के प्रबन्ध के बारे में है। पहला अधिकार तो मूल अधिकार है जिसे निरस्त नहीं किया जा सकता न विनियमित (केवल स्वास्थ्य आदि के कारणों को छोड़कर) ही किया जा सकता है क्योंकि धर्म की बातें पूर्णतः विधि की सीमा से बाहर हैं किन्तु दूसरे अधिकार के बारे में ऐसा नहीं है। सम्पत्ति के अधिकार का उपभोग विधि के अनुसार ही किया जा सकता है।[1]

यद्यपि धार्मिक-संस्थानों से सम्बद्ध सम्पत्ति के प्रबन्ध का कार्य राज्य द्वारा विनियमित किया जा सकता है तथापि इसके साथ शर्त यह है कि सम्पत्ति के प्रबन्ध का अधिकार सदैव ही सम्बन्धित धार्मिक-सम्प्रदाय में निहित रहेगा और वही विधि के अनुसार सम्पत्ति का प्रबन्ध करेगा। किसी सम्प्रदाय की सम्पत्ति के प्रशासन को राज्य विनियमित तो कर सकता है परन्तु वह प्रशासन करने के सम्प्रदाय के अधिकार को उससे लेकर किसी दूसरे में निहित नहीं कर सकता। मुस्लिम वक्फ अधिनियम का यह उपबन्ध कि हर सदस्य मुसलमान होगा, वैध है।[2] इसी प्रकार किसी हिन्दु मन्दिर के प्रशासन को ऐसी समिति में निहित करना जिसके सब सदस्य हिन्दु हैं, अनुच्छेद 26 (घ) का अतिलंघन नहीं है।[3]

अनुच्छेद 26 (ग) द्वारा प्रदत्त धार्मिक सम्प्रदाय द्वारा संपत्ति के अर्जन एवं धारण का अधिकार पूर्ण व असीमित नहीं है। अतः कृषि सुधार से सम्बन्धित विधि धार्मिक सम्प्रदायों द्वारा धारित भूमि को भी प्रभावित कर सकती है। ऐसी विधि धर्म के साथ कोई हस्तक्षेप नहीं करती।[4]

किसी मन्दिर की सम्पत्ति का प्रबन्ध अनुच्छेद 25 (1) के अधीन धार्मिक विषय नहीं होकर लौकिक विषय है तथा इस पर अनुच्छेद 25 (1), 26 (क) एवं 26 (ख) द्वारा प्रदत्त अधिकारों से बिना टकराये अनुच्छेद 26 (क) के अधीन नियन्त्रण स्थापित किया जा सकता है। तद्नुसार निम्नलिखित व्यवस्था करने वाले उपबन्ध वैध ठहराये गए हैं—

(1) लोक धार्मिक अथवा दातव्य विन्यासों का अनिवार्य पंजीकरण[5]

---

1. लक्ष्मीन्द्र का वाद ए. आई. आर. 1954 सं. न्या. 282
2. बशीर अहमद व पश्चिमी बंगाल राज्य ए. आई. आर. 1976 कल. 142
3. गोविन्दलालजी तिलकायत व. राजस्थान राज्य ए. आई. आर. 1963 स. न्या. 1638
   राजस्थान व. सम्भनलाल ए आई. आर. 1975 स. न्या. 706
4. नरेन्द्र प्रसादजी आनन्द प्रसाद जी गुजरात राज्य ए. आई. आर. 1974 स. न्या. 2098
5. रतीलाल व. बम्बई राज्य ए. आई. आर. 1954 स.न्या. 388

(2) विन्यास का नियमित लेखा रखने एवं उसका लेखा परीक्षण कराने के लिए न्यासी पर कर्त्तव्यारोपण[1]

(3) प्रतिभूतियों का निर्धारण जिनमें विन्यास की बचत पूंजी लगाई जाये।[2]

अनुच्छेद 27-किसी धर्म के संप्रवर्तन के लिए कोई कराधान नहीं :

इस अनुच्छेद में यह उपबन्ध किया गया है कि किसी भी व्यक्ति को कोई ऐसा कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा जिसका आगम (Proceeds) किसी विशेष धर्म अथवा धार्मिक सम्प्रदाय की उन्नति, अनुरक्षण अथवा पोषण में खर्च हेतु विशेष रूप से विनियुक्त कर दिये गए हों। किन्तु किसी सेवा के लिए किसी शुल्क का लगाया जाना यह उपबन्ध वर्जित नहीं करता। उदाहरणार्थ किसी धार्मिक मेले के यात्रियों पर उनके स्वास्थ्य, क्षेत्र एवं कल्याण हेतु शुल्क लगाना अवैध नहीं है।[3] इसी प्रकार धार्मिक विन्यासों के प्रबन्ध पर सरकारी निरीक्षण स्थापित करने की व्यवस्था पर होने वाले व्यय की पूर्ति हेतु विन्यासों से शुल्क लिया जा सकता है।[4]

भगवान जगन्नाथ के मन्दिर के जल कुण्डों के पुनरुद्धार करने के लिए राज्य धन का अनुदान अनुच्छेद 27 का उल्लंघन नहीं है क्योंकि सामान्य जनता स्नान करने एवं पानी पीने के लिए इन कुण्डों को उपयोग करती है।[5] भगवान महावीर की 2500वीं निर्माण (Salvation) पुण्य तिथि के महोत्सव पर सांस्कृतिक कार्य-क्रम के आयोजन को भारत सरकार द्वारा समर्थन दिया जाना अनुच्छेद 27 का उल्लंघन नहीं कहा जा सकता।[6] साम्प्रदायिक दंगों के परिणामस्वरूप नष्ट किए गए हिन्दुओं एवं मुसलमानों के पूजा स्थलों को दंगा पूर्व की स्थिति में लाने के लिए सरकार द्वारा धन व्यय करना अवैध नहीं माना जा सकता।[7]

अनुच्छेद 28 शैक्षणिक-संस्थानों में धार्मिक उपदेशों पर प्रतिबन्ध :

अनुच्छेद 28 (1) के अनुसार सम्पूर्ण रूप से राज्य-निधि द्वारा पोषित किसी शैक्षणिक संस्थान में किसी भी प्रकार की कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। अनुच्छेद 28 (2) के अनुसार यह प्रतिबन्ध ऐसी शिक्षा-संस्था पर लागू नहीं होता जो यद्यपि राज्य द्वारा प्रशासित तो होती है किन्तु जो किसी ऐसे उपस्थित अथवा

---

1. रतीलाल व. बम्बई राज्य ए. आइ. आर. 1954 स. न्या. 388
2. वही
3. रामचन्द्र व. पश्चिमी बंगाल राज्य ए. आई. आर. 1954 स. न्या. 164
4. लक्ष्मीन्द्र का वाद, रति लाल का वाद
5. वीर किशोर व. राज्य ए. आई. आर. 1975 उड़ीसा 8
6. सुरेशचन्द्र व. भारत ए. आई. आर. 1975 दिल्ली 168
7. कं. रघुनाथ व. केरल राज्य ए. आई. आर. 1974 केरल 48

न्यास के अधीन स्थापित की गई है जिसके अनुसार धार्मिक शिक्षा देना आवश्यक है। अनुच्छेद 28 (3) के अनुसार राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षा संस्थाओं में स्वैच्छिक आधार पर धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। पंजाब सरकार द्वारा गुरूनानक विश्वविद्यालय की स्थापना अनुच्छेद 28 (1) के अधीन अवैध नहीं है।[1]

अनुच्छेद 29 एवं 30 सांस्कृतिक, धार्मिक एवं भाषायी अल्प संख्याओं को कुछ सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकारों की प्रत्याभूति करते हैं।

भारतीय दण्ड संहिता 1860

भारतीय दण्ड संहिता 1860 के अन्तर्गत न्यास भंग को आपराधिक कृत्य माना गया है एवं दण्ड की व्यवस्था की गई है।[2]

विशिष्ट अनुतोष अधिनियम 1877

इस अधिनियम में न्यास एवं न्यासी को परिभाषित किया गया है तथा न्यासी को हितग्राही के हितार्थ सम्पत्ति पर कब्जा प्राप्त करने हेतु वाद संस्थित करने का अधिकार प्रदान किया गया है।[3]

भारतीय न्यास अधिनियम 1882

इस अधिनियम में न्यास तथा अन्य सदृश्य निबन्धनों (Expressions) को निम्न प्रकार से परिभाषित किया गया है—

न्यास सम्पत्ति के स्वामित्व से सम्बद्ध एक आभार अथवा दायित्व या अधिबन्धन है, जो स्वामी द्वारा किए गए तथा स्वीकृत, या किसी अन्य तथा स्वामी के लाभ के लिए, उसके द्वारा घोषित तथा स्वीकृत किए गए विश्वास (Confidence) से उत्पन्न होता है।

जो व्यक्ति विश्वास करता है या उसे घोषित करता है उसे *न्यास का कर्ता* (Author or Settler) कहा जाता है, जो व्यक्ति इस विश्वास को स्वीकार करता है उसे न्यासी (Trustee) कहा जाता है तथा जिस व्यक्ति के लाभ के लिए विश्वास को स्वीकार किया *जाता है उसे 'हितग्राही' (Beneficiary) कहा जाता है।*

न्यास की उपरोक्त परिभाषा पर्याप्त नहीं है क्योंकि इसमें केवल निजी न्यास का वर्णन है। इसके क्षेत्र में सार्वजनिक तथा पूर्व-न्यास नहीं आते हैं। इसमें विश्वासाश्रित (Fiduciary) सम्बन्ध के सभी मामले भी नहीं आते हैं।

इस अधिनियम की धारा 1 अभिव्यक्तत: यह उपबन्ध करती है कि इस

---

1. डी. ए. वी. कालेज व. पंजाब राज्य ए. आई. आर. 1971 स. न्या. 1737
2. धारा 405, 406
3. धारा 2

अधिनियम के अन्तर्विष्ट कोई बात लोक अथवा व्यक्तिगत धार्मिक या पूर्त विन्यास पर लागू नहीं होगी। परन्तु चूंकि अधिनियम में दिए गए सिद्धान्त आंग्ल विधि के नियमों तथा सामान्य सिद्धान्तों पर आधारित हैं, अतः इन सिद्धान्तों को लागू किया जा सकता है। ऐसे विषय जिनके लिए कोई उपबन्ध नहीं किया गया है और यदि वह न्यायालय के नियमों तथा कार्य-प्रणाली से असंगत नहीं हैं तो भारत के न्यायालय आंग्ल विधि के सिद्धान्तों तथा नियमों को लागू करते हैं।[1] धारा 6 में समाहित निजी न्यासों के सृजन हेतु अनिवार्यताएं समान रूप से लोक न्यासों के सृजन में भी लागू होंगी।

सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम 1882

शाश्वतता के विरुद्ध नियम (धारा 14), पूर्विक हित की निष्फलता पर अन्तरण प्रभावी होना (धारा 16) एवं संचयन के विरुद्ध नियम (धारा 17) निजी व्यक्तियों के पक्ष में दान एवं वसीयत के मामलों मे प्रभावी होते हैं किन्तु अधिनियम की धारा 18 के उपबन्ध द्वारा धार्मिक एवं पुण्यार्थ विन्यासों को इनसे मुक्त कर दिया गया है। धारा 18 इस प्रकार है—

धारा 14, 16 और 17 के निर्बन्ध ऐसे सम्पत्ति-अन्तरण की दशा में लागू नहीं होंगे जो लोक के फायदे के लिए धर्म, ज्ञान, वाणिज्य, स्वास्थ्य, क्षेत्र को या मानव जाति के लिए फायदाप्रद किसी अन्य उद्देश्य को अग्रसर करने के लिये किया गया हो।

पुण्यार्थ विन्यास अधिनियम 1890

इस अधिनियम की धारा 2 में पुण्यार्थ प्रयोजन को परिभाषित किया गया है, जो निम्न प्रकार से है :—

पूर्त या पुण्यार्थ प्रयोजन के अन्तर्गत निर्धनों को अनुतोष शिक्षा तथा चिकित्सा सम्बन्धी अनुतोष एवं किसी अन्य सामान्य जनोपयोगिता उद्देश्य की समुन्नति के प्रयोजन सम्मिलित हैं किन्तु अनन्य रूप से धार्मिक शिक्षण अथवा उपासना से सम्बन्धित उद्देश्य सम्मिलित नहीं होते हैं।

व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908

धारा 92 लोक पुण्यार्थ—पूर्त या धार्मिक प्रकृति के उद्देश्यों के लिए सृजित किसी अभिच्युत या आन्विक लोक न्यास के कथित भंग की दशा में एडवोकेट जनरल अथवा दो या दो से अधिक व्यक्ति जिनका न्यास में हित हो, एडवोकेट जनरल

---

1. फूलचन्द लक्ष्मीचन्द जैन व. हुकम चन्द गुलाबचन्द जैन ए. आई. आर. 1960 बम्ब. 43

की लिखित सम्पत्ति प्राप्त करके न्यास के प्रवर्तन हेतु न्यायालय में आवेदन कर सकते हैं।

आय कर अधिनियम 1961

आय कर प्रत्येक प्रकार की आय पर लिया जाने वाला कर है जब तक कि अधिनियम के अन्तर्गत वह आय कर-मुक्त घोषित नहीं की गई है।

धार्मिक एवं पुण्यार्थ न्यास की आय की कर-मुक्तता केवल सरकार की आय को हीं प्रभावित नहीं करती अपितु समुदाय की सामान्य सुरक्षा को भी प्रभावित करती है। बहुत से लोग इन न्यासों के माध्यम से अपने कर-दायित्व को घटा लेते हैं। इसी दृष्टिकोण से इस अधिनियम की धारा 2 (15), 11, 12, 12ए, 13, 160-165 एवं 236ए में विशद् उपबन्ध किए गए हैं। कराधान की दृष्टि से एक न्यास में कोई भी अन्य विधिक दायित्व जैसे मुस्लिम वक्फ अथवा हिन्दु विन्यास सम्मिलित होते हैं।

सर्वमान्य नियम यह है कि विधि किसी भी ऐसे प्रयोजन को पुण्यार्थ प्रयोजन नहीं मानती जो कि सार्वजनिक प्रकृति का नहीं है अर्थात् किसी प्रयोजन का पुण्यार्थ प्रकृति का होने के लिए यह आवश्यक है कि वह समुदाय या उसके किसी वर्ग के हित के लिए हो न कि निजी व्यक्तियों के हित के लिए। निजी पुण्यार्थ न्यास जैसी कोई वस्तु नही हो सकती। अधिनियम के कुछ उपबन्धों के अधीन रहते हुए एक लोक धार्मिक या पुण्यार्थ न्यास अथवा संस्था की आय पूर्णतया कर मुक्त है यदि कुछ विहित शर्तें पूरी कर ली जाती हैं।

धारा 2 (15)--पुण्यार्थ प्रयोजन

पुण्यार्थ प्रयोजन मे निर्धनों को राहत, शिक्षा-चिकित्सा राहत एवं जनोपयोगी अन्य किसी उद्देश्य की समुन्नति किन्तु लाभ हेतु चलाई जाने वाली कोई गतिविधि नहीं, सम्मिलित हैं।

धारा 11, 12, 12ए एवं 13 के अन्तर्गत पुण्यार्थ एवं धार्मिक न्यासों के बीच अन्तर को स्पष्ट करते हुए आय-कर से मुक्ति की शर्तों की व्यवस्था की गई है। धार्मिक प्रयोजन से तात्पर्य है एक धर्म विशेष के पुण्यार्थ सहायता एवं उसकी समुन्नति हेतु किए गए न्यास के कार्य। अतः एक धार्मिक न्यास निजी न्यास भी हो सकता है और लोक न्यास भी। लेकिन अधिनियम की धारा 11 केवल लोक न्यास को ही छूट प्रदान करती है। आय-कर से छूट मिलने के लिए इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि अमुक लोक धार्मिक न्यास ने अपना कार्य-क्षेत्र सार्वजनिक रखा है अथवा वह एक विशिष्ट धार्मिक समुदाय तक ही सीमित है।[1]

---

1. योगीराज चेरिटी ट्रस्ट व. आयकर आयुक्त (1976) 103 आई. टी. आर.777 (सा. न्या.)

लिए कर में छूट

धारा 11 एवं 12 (धारा 12-ए एवं 13 के साथ पठित) के अनुसार न्यास की निम्नलिखित आय आय-कर से मुक्त है—

(1) पुण्यार्थ एवं धार्मिक न्यास को प्राप्त की ऐसी सम्पत्ति से प्राप्त आय जो पुण्यार्थ एवं धार्मिक कृत्यों के लिए न्यास के पास है।

(2) पुण्यार्थ एवं धार्मिक न्यासों की स्वैच्छिक चन्दों द्वारा प्राप्त आय।

सम्पत्ति से प्राप्त आय

धारा 60 से 63 के अधीन रहते हुए किसी पुण्यार्थ अथवा धार्मिक न्यास की हुई इस प्रकार की आय कर मुक्त है यदि वह निम्नलिखित शर्तों को पूरा करती है—

(i) जिस सम्पत्ति से आय प्राप्त होती है वह न्यास की होनी चाहिये।

(ii) ऐसी आय का कम से कम 75 प्रतिशत या तो उसी वर्ष में जिसमें वह प्राप्त की जाती है अथवा अगले वर्ष में उन्हीं पुण्यार्थ अथवा धार्मिक प्रयोजनों पर व्यय की जाय। शेष 25% संचित किया जा सकता है इसका पालन नहीं किया जाने पर वह उस व्यक्ति विशेष की आय मानी जाएगी जो उसे न्यास के लिए प्राप्त करता है और उस पर आय-कर लगेगा।

(iii) यदि उपरोक्त आय का कम से कम 75% धार्मिक अथवा पुण्यार्थ उद्देश्यों के लिए खर्च न किया जाए तो इस राशि का जो भी भाग व्यय नहीं किया जाता उसे अधिक से अधिक 10 वर्ष तक संचित करके रखा जा सकता है तथा संचित राशि का निम्नलिखित में से किसी में भी निवेश किया जाना चाहिये—

(क) सरकारी अथवा अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां

(ख) डाक-घर बचत बैंक खाता

(ग) अनुसूचित बैंक अथवा सरकारी बैंक

(घ) उद्योगों को दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाला मान्यता प्राप्त वित्त निगम

(ङ) यूनिट ट्रस्ट आफ इण्डिया के यूनिट

(च) सरकारी कम्पनी में विनियोग या जमा

(छ) अचल सम्पत्ति में विनियोग जिसमें मशीनें एवं प्लान्ट सम्मिलित नहीं हैं।

स्वैच्छिक चन्दों से हुई आय

धारा 12 के अन्तर्गत न्यास को स्वैच्छिक रूप से प्राप्त चन्दे न्यास की आय मानी जाती है और यह भी उसी प्रकार कर मुक्त होती है जैसे न्यास की अपनी सम्पत्ति से प्राप्त आय। किन्तु ऐसे चन्दे आय कर से तभी मुक्त होंगे जब कि एक तो उनका उपयोग उन्हीं कार्यों के लिए किया जाए जिनके लिए वे लिए जाते हैं दूसरे यदि वे संचित किए जाएं तो वे सभी शर्तें (निवेश आदि की) पूरी की जाएं।

कर मुक्ति की शर्तें

सार्वजनिक पुण्यार्थ अथवा धार्मिक न्यासों को आय-कर से छूट तभी प्राप्त होगी जबकि वे निम्नलिखित शर्तें पूरी करें—

(1) न्यास की आय प्राप्त करने वाले व्यक्ति ने आय-कर आयुक्त के यहां न्यास के पंजीकरण हेतु न्यास की स्थापना के एक वर्ष के भीतर आवेदन कर दिया है। आय-कर आयुक्त यदि चाहे तो पंजीकरण हेतु आवेदन-पत्र इस अवधि के बाद भी स्वीकार कर सकता है।

(2) यदि न्यास की कुल आय गत वर्ष में 25000 रु. से अधिक हो जाती है तो न्यास के लेखों की परीक्षा एक चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा की जानी चाहिये।

धारा 13 में यह उपबन्ध किया गया है कि धारा 11 एवं 12 के अन्तर्गत उपलब्ध कर-मुक्ति को कुछ परिस्थितियों में वापस लिया जा सकता है।

धारा 80-जी के अनुसार कम्पनी अथवा गैर-कम्पनी करदाता द्वारा मान्यता प्राप्त कोषों तथा पुण्यार्थ संस्थाओं को दिए जाने वाले दानों पर निर्धारित दर से कर में छूट दी जाती है।

धारा 160-165 प्रतिनिधि करदाता के सम्बन्ध में हैं। एक लोक न्यास का न्यासी अथवा प्रबन्धक कर-दायित्व के प्रयोजन से कर दाता होगा तथा कर के भुगतान के लिए उत्तरदायी होगा।

धारा 60 से 63 के अन्तर्गत कर-वंचन को रोकने के लिए व्यवस्था की गई है। जो करदाता इन उपबन्धों के अतिलंघन में अन्य व्यक्तियों को सम्पत्ति एवं आय का अन्तरण कर देते हैं तो ऐसे अतिलंघन की दशा में अन्तरित आय उनकी स्वयं की आय मानी जाएगी एवं उस पर कर वसूल किया जाएगा।

धारा 236-ए के अन्तर्गत पुण्यार्थ संस्था द्वारा किसी कम्पनी में साधारण अंशों पर प्राप्त लाभांश पर आय-कर में राहत की व्यवस्था की गई है।

मर्यादा अधिनियम 1963

धारा 10 के अनुसार धार्मिक एवं पुण्यार्थ लोक न्यास के अभिव्यक्त न्यासी या उसके वैध उत्तराधिकारी अथवा समनुदेशित के विरुद्ध न्यास सम्पत्ति अथवा उसकी आय या लेखे हेतु वाद संस्थित करने की अवधि की कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है।

यथा शक्य समीप का सिद्धान्त (Doctrine of Cypres) एवं न्यास

आंग्ल विधि में विकसित यथाशक्य समीप का सिद्धान्त भारत में धार्मिक एवं पुण्यार्थ लोक न्यासों पर लागू होता है निजी अथवा प्राइवेट न्यासों पर लागू नहीं होता।

लार्ड साइमन्ड के अनुसार क्या एक न्यास पुण्यार्थ न्यास है इसकी जांच, नियन्त्रण तथा सुधार न्यायालय की सक्षमता मे निहित है। राजा ही पुण्यार्थ का अभिरक्षक होता है तथा उसमें हस्तक्षेप करना एवं न्यायालय को सूचित करना राजा के अटर्नी जनरल का कर्त्तव्य होता है। इसी प्रकार (पुण्यार्थ न्यास के निष्पादन हेतु योजना बनाने में न्यायालय की सहायता करना उसका कर्त्तव्य है।[1]

यदि कोई विशेष प्रयोजन जिसके लिए लोक न्यास सृजित किया गया था, विफल होता है अथवा कुछ परिस्थितियों वश न्यास का पूर्ण अथवा आंशिक रूप से निष्पादन नहीं किया जा सकता है अथवा न्यास कर्त्ता द्वारा विनिर्दिष्ट प्रयोजन को पूरा करने के बाद भी कुछ शेष रहता है तो न्यायालय न्यास को विफल नहीं होने देगा तथा यथाशक्य समीप के सिद्धान्त के अनुसार उसका निष्पादन करेगा।[2]

यदि पुण्यार्थ न्यास प्रारम्भ से ही असंभव है अथवा असाधनीय है तो यथाशक्य समीप का सिद्धान्त लागू होगा तथा न्यायालय मूल न्यास से मिलते-जुलते अन्य निकटतम पुण्यार्थ प्रयोजनों पर लागू करेगी।[3]

इस सम्बन्ध में यहां लेख है कि यथाशक्य समीप (Cypres) के सिद्धान्त को सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 92 (3) में, 1976 के संशोधन अधिनियम 104 द्वारा भारतीय संसद ने विधिक मान्यता भी प्रदान कर दी है। अतः अब यह विधिक नियम भी है।

---

1. नेशनल एन्टीविविसेक्शन सोसाइटी व. आई.आर.सी. (1948) ए.सी. 31 पृ.62
2. रतिलाल व. बम्बई राज्य ए. आई. आर. 1954 स. न्या. 388
3. मुद्दालियर व. मुद्दालियर ए. आई. आर. 1970 स. न्या. 1839

मुस्लिम विधि के अन्तर्गत खैरात का अधिक विस्तृत अर्थ है। इसमें सम्बन्धियों तथा वंशजों को दिए गए दान भी सम्मिलित होते हैं। मस्जिद तथा उसमें नमाज पढ़ने के लिए इमाम के प्राविधान, आय से निर्धनों को खैरात के अन्तिम उद्देश्य सहित प्रतिवर्ष हज, हज के यात्रियों की आर्थिक सहायता, कालेज तथा अध्यापकों का प्रावधान, सार्वजनिक एवं व्यक्तिगत स्थानों पर कुरान की पढ़ाई के लिए हाफिज का वेतन, सामान्य उपयोगिता के कार्य जैसे पुल, जल-संक्रम तथा सरायों का निर्माण, मोहर्रम में ताजियों की स्थापना चौथे खलीफा अली या किसी अन्य मान्य सन्त का जन्म-दिवस मनाना, यात्रियों को मक्का में भोजन कराना, खनका के लिए ढोल पीटने वाले की नियुक्ति करना इत्यादि ऐसे उद्देश्य हैं जिन्हें खैराती उद्देश्य माना गया है।

राजस्थान लोक न्यास अधिनियम 1959

(1959 का अधिनियम सं. 42)

(भारत के राष्ट्रपति द्वारा 22 अक्टूबर 1959 को स्वीकृती प्राप्त)

अधिनियम का उद्देश्य

राजस्थान राजपत्र भाग IV-ए दि. 21.6.1958 में प्रकाशित इस अधिनियम का उद्देश्य राजस्थान राज्य में धार्मिक एवं पुण्यार्थ दोनों ही प्रकार के हिन्दु लोक न्यासों को विनियमित करने तथा उनके प्रशासन हेतु वेहतर उपवन्ध करना है। अधिनियम में परिभाषित हिन्दु लोक न्यास से सामान्यतः हिन्दुओं के लिए लोक न्यास अभिप्रेत हैं जिसमें बौद्ध सिक्ख, एवं जैन या उनका कोई वर्ग समाविष्ट है।

इस अधिनियम में हिन्दु लोक न्यासों के लिए निम्नलिखित के सम्बन्ध में उपवन्ध अन्तर्विष्ट हैं:

1. एक देवस्थान आयुक्त, सहायक देवस्थान आयुक्त, निरीक्षकों एवं अन्य कर्मचारी वृन्द की नियुक्ति।

2. एक राज्य व्यापी सलाहकार बोर्ड तथा क्षेत्रीय सलाहकार समितियों की स्थापना।

3. धर्मादा के अतिरिक्त सभी हिन्दु लोक न्यासों, का अनिवार्य पंजीकरण।

4. न्यास का लेखा रखना एवं उसका अंकेक्षण।

अधिनियम में बोर्ड, समितियों, आयुक्त एवं सहायक आयुक्तों द्वारा प्रयोग की जाने वाली विनिर्दिष्ट शक्तियों को निश्चित किया गया है।

वम्बई, मध्यप्रदेश एवं विहार राज्यों में इसके समरूप अधिनियम विद्यमान हैं।

अधिनियम का उद्देश्य राज्य में लोक, धार्मिक एवं पुण्यार्थ न्यासों का नियमन करने तथा उनके प्रशासन हेतु वेहतर उपवन्ध करना है :[1]

---

1. सर्वेन्ट्स आफ इण्डिया सोसाइटी व. चेरिटी कमिश्नर, वम्बई ए. आई. आर. 1962 वम्बई 12

न्यायाधीश महाजन के अनुसार विधि का यह सुनिश्चित नियम है कि एक विधान के आन्वयन में उसके उद्देश्य एवं कारणों को निदेशित नहीं किया जा सकता।[1]

किसी अधिनियम की नीति एवं प्रयोगगत उसके लम्बे शीर्षक एवं उद्देशिका से जाना जा सकता है।[2] उद्देशिका एक नीति कथन है तथा उनका मार्गदर्शन कर सकती है जिनको उपबन्धों को लागू करने की शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हैं।[3]

एक विधान की उद्देशिका में किए गए कथनों की शुद्धता को पक्षकार विवाद का विषय नहीं बना सकता।[4]

विधि का यह आधारभूत सिद्धान्त है कि किसी भी विधान का भूतलक्षी प्रवर्तन नहीं होगा जब तक कि उस अधिनियम के निबंधनों में स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त नही किया जाय किन्तु यदि उसकी भाषा स्पष्ट रूप से भूतलक्षी है तो उसका वैसा ही निर्वचन किया जाएगा चाहे उसके परिणाम अनुचित एवं कठोर हों।[5]

किसी व्यक्ति का प्रक्रिया के किसी क्रम में निहित अधिकार नहीं होता। उसे तत्समय विहित रीति से अभियोजन या बचाव मात्र का अधिकार है। यदि किसी अधिनियम द्वारा प्रक्रिया के क्रम में परिवर्तन कर दिया जाता है तो उसे परिवर्तित रीति का अनुसरण करने के सिवाय अन्य कोई अधिकार नहीं होता। दूसरे शब्दों में प्रक्रिया की विधि में परिवर्तन भूतलक्षी प्रवर्तित होता है।[6]

---

1. सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया ब. उनके कर्मकार ए.आई. आर. 1960 स. न्या. 12
   कोचीन ब. मद्रास राज्य ए. आई. आर. स. न्या. 1080
2. इन री केरला एज्युकेशन बिल ए. आई. आर. 1957 स. न्या. 156
3. इन्द्रसिंह ब. राजस्थान राज्य ए. आई. आर. 1957 स. न्या. 510
4. वही
5. रतिलाल गांधी ब. बम्बई राज्य ए. आई. आर. 1954 स. न्या. 388
6. आनन्द गोपाल शिलौरे ब. बम्बई राज्य ए. आई. आर. 1958 स. न्या. 915

अध्याय 1

प्रारम्भिक

धारा 1—संक्षिप्त शीर्षक, विस्तार एवं प्रारम्भ

1. यह अधिनियम राजस्थान लोक न्यास अधिनियम 1959 कहलाएगा।

2. यह सम्पूर्ण राजस्थान राज्य पर लागू होगा।

3. इस अधिनियम के अध्याय 1, 2, 3 एवं 4 तुरन्त लागू होंगे।

4. इस अधिनियम के अध्याय 5, 6, 7, 8, 9 एवं 10 ऐसी तारीख से लागू होंगे तथा उसी तारीख से लोक न्यासों के ऐसे वर्ग या वर्गों पर लागू होंगे जो राज्य सरकार राज-पत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे एवं इस प्रकार लागू किए जाने के प्रयोजनार्थ राज्य सरकार राज्य के ऐसे लोक न्यासों का उनकी आय या उनकी कुल सम्पत्तियों के मूल्य के आधार पर या अन्य वित्तीय घटकों के आधार पर वर्गीकरण कर सकेगी।

5. उप धारा 4 के अधीन किसी भी अधिसूचना के प्रकाशन के पूर्व उससे प्रभावित होने वाले संभावित व्यक्तियों के सूचनार्थ राजपत्र में उसका एक प्रारूप प्रकाशित किया जाएगा तथा उसके द्वारा एक सूचना प्रकाशित की जाएगी जिसमें वह तारीख विनिर्दिष्ट होगी जिसको या जिसके पश्चात् उस प्रारूप पर विचार किया जाएगा तथा जिसके पूर्व किसी भी प्रकार की आपत्तियां या सुझाव ग्रहण किये जा सकेंगे।

6. इस अधिनियम का अध्याय 11 उस तारीख से लागू होगा जो राज्य सरकार राजपत्र में विशेष अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे तथा राज्य सरकार विभिन्न नगरों एवं कस्बों की जन संख्या को ध्यान में रखते हुए अध्याय 11 को लागू करने हेतु विभिन्न तारीखें नियत कर सकेगी।

7. इस अधिनियम के अध्याय 12 एवं 13 प्रत्येक अन्य अध्यायों के उपबन्धों के सम्बन्ध में उस तारीख से लागू होंगे जिस तारीख से अन्य ऐसा अध्याय लागू हो।

धारा 1 : बम्बई लोक न्यास अधिनियम 1950

धारा 1 : मध्य प्रदेश लोक न्यास अधिनियम 1951

विस्तार : उप-धारा 2 अधिकथित करती है कि यह अधिनियम सम्पूर्ण राजस्थान पर लागू होगा। राजस्थान साधारण खण्ड अधिनियम 1955 में परिनिश्चित राजस्थान राज्य का आशय निम्न प्रकार है—

1. 1 नवम्बर 1956 की पूर्व अवधि के सम्बन्ध में पूर्व संगठित राजस्थान राज्य एवं

2. उक्त दिन पर या उक्त दिन से अवधि के सम्बन्ध में राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 10 द्वारा गठित नया राजस्थान राज्य किन्तु फोरमर राजस्थान राज्य सम्मिलित नहीं होगा।

राजस्थान राज्य निम्नलिखित राज्य क्षेत्रों के रूप में है :

(अ) कोटा डिवीजन के सिरोंज उप-खण्ड के सिवाय वर्तमान राजस्थान राज्य के राज्य क्षेत्र

(ब) वर्तमान अजमेर राज्य के राज्य क्षेत्र

(स) वर्तमान बम्बई राज्य में बनास काठां जिले का आबू रोड़ तालूका तथा

(द) वर्तमान मध्य भारत राज्य में मन्दसौर जिले की भरतपुर तहसील का सुनेल टप्पा।

राज्य सरकार ने राज-पत्र भाग-4 सी. दिनांक 28-6-1962 में प्रकाशित अधिसूचना सं. एफ. 3 (एफ) (11) रा/क/59 दि. 28-6-1962 द्वारा निर्दिष्ट किया है कि अध्याय 5,6,7,8 एवं 9 के उपबन्ध 1 जुलाई 1962 से लागू होंगे तथा उसी तिथि से सम्पूर्ण राजस्थान राज्य में ऐसे समस्त लोक न्यासों पर लागू होंगे जिनकी सभी स्रोतों से होने वाली सकल वार्षिक आय 3000 रु. से कम नहीं है या जिनकी आस्तियों का कुल मूल्य 30,000 रु. से कम नहीं है।[1]

किन्तु 1 सितम्बर 1982 से आय एवं आस्तियों के मूल्य का यह प्रतिबन्ध समाप्त कर दिया गया है अर्थात् अध्याय 8 एवं 9 के उपबन्ध 1 सितम्बर 1982 से समस्त लोक न्यासों पर लागू होंगे चाहे उनकी आय अथवा आस्तियों का मूल्य कुछ भी हो।[2]

अध्याय 10 के उपबन्ध 1 जुलाई 1962 से प्रभावशील हो गए हैं।[3] अध्याय 10 के उपबन्ध कुछ विशेष प्रकार के लोक न्यासों पर लागू होंगे जो इस प्रकार हैं :

(क) जो न्यास राज्य सरकार में निहित है या

(ख) जिस न्यास का संचालन राज्य सरकार के व्यय से होता है या

(ग) जिस न्यास का प्रबन्ध सीधे राज्य सरकार द्वारा किया जाता है, अथवा

(घ) जो न्यास कोर्ट आफ वार्ड्स के अधीक्षण में है अथवा

(ङ) जिन न्यासों की सकल वार्षिक आय 10.000 रु. से अधिक है।

---

1. अधिसूचना संख्या एफ 3 (एफ) (11) रा/क/59 दि. 28 जून 1962
2. अधिसूचना संख्या एफ (33) रा/ग्र I/79 दि. 3 सितम्बर, 1982
3. अधिसूचना संख्या एफ 3 (एफ) (11) रा/क/59 दि. 28 जून, 1962

जहां एक लोक न्यास आंध्र प्रदेश के हैदराबाद में स्थिति है और वहां मन्दिर की कुछ सम्पत्ति भी है यद्यपि अधिक आय देने वाली विन्यासित सम्पत्ति राज्य के बाहर मध्य प्रदेश में स्थित है फिर भी हैदराबाद विन्यास विनियम उस न्यास पर लागू होगा क्योंकि वह न्यास आंध्र प्रदेश राज्य में स्थिति है तथा इस तथ्य से कि कुछ विन्यासित सम्पत्तियां आन्ध्र प्रदेश में स्थिति नहीं हैं, कोई अन्तर नहीं पड़ेगा। फिर यह तथ्य कि वह न्यास मध्य प्रदेश न्यास अधिनियम 1951 के अधीन पंजीकृत है, उस न्यास पर आन्ध्र प्रदेश के विनियम की प्रभावशीलता का अपवर्जन नहीं कर सकता क्योंकि वह न्यास निःसन्देह उस क्षेत्र में स्थित है जहां वह विनियम प्रभावशील है।[1]

प्रारम्भ—अध्याय 1,2,3 तथा 4 तुरन्त लागू हो गए हैं जिनमें निम्न के लिए व्यवस्था की गई है:

(अ) अध्याय 1—नाम, अधिनियम का विस्तार तथा परिभाषाएं

(ब) अध्याय 2—कुछ लोक न्यासों की वैधता

(स) अध्याय 3—देवस्थान विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की नियुक्ति

(द) अध्याय 4—राज्य स्तर पर सलाहकार बोर्ड तथा क्षेत्रीय सलाहकार समितियों का गठन।

उक्त चारों अध्यायों के प्रावधान 22 अक्टूबर 1959 से ही लागू हो गए हैं।

धारा 2—परिभाषाएं

इस अधिनियम में जब तक विषय या सन्दर्भ द्वारा अन्यथा अपेक्षित न हो :

1. "सहायक आयुक्त" से धारा 8 के अधीन नियुक्त "सहायक देवस्थान आयुक्त" अभिप्रेत है तथा उसमें राज्य सरकार के ऐसे अन्य पदाधिकारी भी सम्मिलित होंगे जो राज्य सरकार द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ किसी विनिर्दिष्ट क्षेत्र के लिए सहायक आयुक्त के रूप में अधिसूचित किये जायें।

2. "बोर्ड" से धारा"11 के अधीन लोक न्यासों हेतु स्थापित "राज्य सलाहकार बोर्ड" अभिप्रेत है।

3. "पुण्यार्थ विन्यास" से ऐसी समस्त सम्पत्ति अभिप्रेत है जो किसी समुदाय या उसके किसी वर्ग के लिए उपयोगी उद्देश्यों यथा विश्राम गृहों, पाठशालाओं, विद्यालयों, महाविद्यालयों, गरीबों के भरण पोषण हेतु गृहों और शिक्षा, चिकित्सा सुविधा तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य हेतु संस्थाओं अथवा इसी प्रकार के अन्य उद्देश्यों की अभिवृद्धि के लिए संस्थाएं जिनमें कि सम्बन्धित संस्थाएं भी सम्मिलित हैं, को बनाए रखने हेतु अथवा उनकी सहायतार्थ उस समुदाय या उसके किसी वर्ग के

---

1. ए.आई.आर. 1963 स.न्या.853

लाभार्थ दी गई हो अथवा समर्पित की गई हो अथवा जो कि उस समुदाय या उसके किसी वर्ग द्वारा अपने अधिकार के रूप में प्रयुक्त हो।

4. "आयुक्त" से धारा 7 के अधीन नियुक्त देवस्थान आयुक्त अभिप्रेत है।

5. "समिति" से धारा 13 के अधीन लोक न्यासों के लिए स्थापित एक क्षेत्रीय सलाहकार समिति अभिप्रेत है।

6. "न्यायालय" से जिला न्यायालय अभिप्रेत है।

7. "आनुवंशिक न्यासी" से किसी लोक न्यास का न्यासी जिसके कि पद का उत्तराधिकार आनुवंशिक अधिकार द्वारा न्यासगर्भित होता है या प्रथा द्वारा विनियमित होता है अथवा संस्थापक द्वारा विशिष्टतया प्रावहित किया जाता है, अभिप्रेत है।

8. "मठ" से किसी धर्म की उन्नति हेतु कोई ऐसी संस्था अभिप्रेत है जिसका कि अध्यक्ष ऐसा व्यक्ति हो जो शिष्यों के एक वर्ग के लिए आध्यात्मिक सेवा करने अथवा उनको धार्मिक उपदेश प्रदान करने में अपने आपको निरत रखना अपना कर्त्तव्य समझे अथवा जो ऐसे वर्ग के प्रधान पद का कार्य करता हो अथवा ऐसा करने का अधिकार रखता हो तथा इसमें ऐसे धार्मिक पूजा या उपदेश के स्थान भी सम्मिलित हैं जो कि उस संस्था से सम्बद्ध हैं।

9. "हित रखने वाला व्यक्ति" अथवा किसी लोक न्यास में हित रखने वाला व्यक्ति चाहे वह किसी अन्य नाम से जाना जाय, में निम्नलिखित होंगे—

(क) किसी मन्दिर के सम्बन्ध में ऐसा कोई व्यक्ति जो कि ऐसी उपस्थिति के लिए अभ्यस्त हो अथवा तत्सम्बन्धी उपहारों को वितरण करने में अंश लेने का अधिकारी हो अथवा अंश लेने का अभ्यस्त हो,

(ख) किसी मठ के सम्बन्ध में मठ का कोई शिष्य अथवा उस धार्मिक सम्प्रदाय जिसका कि मठ हो, से सम्बन्धित कोई व्यक्ति;

(ग) राजस्थान सोसाइटीज रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1958 के अधीन अथवा राज्य के किसी भी भाग में प्रभावशील तत्समान किसी भी अन्य विधि के अधीन पंजीकृत अथवा पंजीकृत समझी गई संस्था के सम्बन्ध में ऐसी संस्था का कोई सदस्य तथा,

(घ) किसी अन्य लोक न्यास के सम्बन्ध में कोई भी हिताधिकारी।

10. "लोक प्रतिभूतियों" से—

(क) केन्द्रीय सरकार अथवा किसी राज्य सरकार की प्रतिभूतियां

(ख) रेलवे या सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थानों के स्कंधो, ऋण पत्रों या अंशों जिन पर ब्याज या लाभांश की गारंटी केन्द्रीय अथवा किसी राज्य सरकार द्वारा दी गई है।

(ग) कोई प्रतिभूति जिसको राज्य सरकार के स्पष्ट आदेश द्वारा इस सम्बन्ध में प्राधिकृत किया गया है, अभिप्रेत है।

11. "लोक न्यास" से एक अभिव्यक्त अथवा आन्वयिक (प्रलक्षित) न्यास अभिप्रेत है जो या तो लोक धार्मिक अथवा पुण्यार्थ प्रयोजन के लिए है अथवा दोनों के लिए है तथा इसमें कोई भी मन्दिर, मठ, धर्मादा या अन्य कोई धार्मिक या पुण्यार्थ विन्यास अथवा संस्था एवं धार्मिक या पुण्यार्थ या दोनों प्रयोजन हेतु निर्मित कोई सोसाइटी सम्मिलित है ।

12. "रजिस्टर" से धारा 16 की उपधारा 2 के अधीन रखा गया रजिस्टर अभिप्रेत हैं ।

13. *"धार्मिक विन्यास" या "विन्यास (धमस्व)"* से वह समस्त सम्पत्ति अभिप्रेत है जो किसी धार्मिक संस्था की है या उसके सहायतार्थ की गई या दान की गई है या उससे सम्बद्ध कोई सेवा या पुण्यार्थ प्रयोजन हेतु दी गई है या दान की गई है तथा इसमें धार्मिक संस्था के अहाते में आने वाली भूमि उसमें प्रतिष्ठापित मूर्तियां (idols) यदि कोई हों एवं किसी धार्मिक उत्सव या धार्मिक अनुष्ठान (observance) जो चाहे उस धार्मिक सस्था से सम्वन्धित हों या न हों, सम्मिलित है किन्तु इसमें न्यासी या आनुवंशिक न्यासी या ऐसी संस्था के कार्यवाहक न्यासी या किसी अन्य नियोजित व्यक्ति को व्यक्तिगत भेंट स्वरुप दी गई सम्पत्ति सम्मिलित नहीं है ।

उक्त परिभाषा वहुत व्यापक है । लगभग सभी प्रकार के दान या चढावा विन्यास की परिभाषा में आ गया है यहां तक कि खास उत्सव आदि पर जो विशेष चढावा आदि आता है वह भी सम्मिलित है, किन्तु किसी न्यासी या आनुवंशिक न्यासी अथवा कार्यवाहक न्यासी या किसी सेवक या कर्मचारी को वैयक्तिक रूप से दान की गई सम्पत्ति उसकी स्वयं की सम्पत्ति कहलाएगी, उसे विन्यास में सम्मिलित नहीं माना जाएगा ।

उदाहरणार्थ किसी खास त्यौहार के दिन मन्दिर के महाराज को घर पर भोजन कराके दी गई दक्षिणा या भेंट विन्यास में सम्मिलित नहीं होगी, किन्तु किसी त्यौहार को मन्दिर में आया विशेष चढावा जिसे उस समय लेने वाला वही महाराज हो, विन्यास की परिभाषा में आ जाएगा ।

14. *"धार्मिक संस्था" या "संस्था"* से किसी धर्म या आस्था (Persuasion) के संप्रवर्तन हेतु कोई संस्था अभिप्रेत है तथा इसमें मन्दिर, मठ तथा कोई धार्मिक प्रतिष्ठान या धार्मिक उपासना या धार्मिक उपदेश का कोई स्थान, चाहे वह ऐसी संस्था से सम्वन्धित है अथवा नहीं, भी सम्मिलित है ।

15. "विनिर्दिष्ट विन्यास" से एक धार्मिक संस्था मे किसी विनिर्दिष्ट सेवा अथवा पुण्यार्थ हेतु दान की गई कोई सम्पत्ति या धनराशि अभिप्रेत है ।

इस परिभाषा में दान की वे रकमें आ जाएंगी जो हवन, यज्ञ आदि कराने हेतु एक मुश्त सम्पत्ति या नकद के रूप में दी जाती हैं ।

16. "मन्दिर" से किसी भी नाम से विदित एक ऐसा स्थान अभिप्रेत है जिसका उपयोग सार्वजनिक धार्मिक पूजा के स्थान के रूप में होता रहा हो तथा जो किसी समुदाय या उसके किसी वर्ग को समर्पित या उसके लाभ के लिए सार्वजनिक धार्मिक पूजा गृह के रूप में अधिकारपूर्वक प्रयोग किया जा रहा हो।

17. "न्यासी" से एक व्यक्ति जिसमें या तो अकेले ही या अन्य व्यक्तियों के साथ न्यास सम्पत्ति निहित है, अभिप्रेत है तथा इसमें प्रबन्धक सम्मिलित है।

18. 'कार्यवाहक न्यासी' से कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो तत्समय या तो अकेला ही या किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों के साथ मिलकर किसी लोक न्यास की न्यास सम्पत्ति का प्रबन्ध करता है तथा इसमें लोक न्यास का प्रबन्धक एवं निम्नलिखित भी सम्मिलित हैं—

(अ) एक मठ के सम्बन्ध में ऐसे मठ का अध्यक्ष तथा

(ब) किसी ऐसे लोक न्यास के सम्बन्ध में जो कि अपना प्रधान कार्यालय उसकी सम्पत्ति अथवा कार्य का प्रधान स्थान राजस्थान राज्य के बाहर रखता हो, के प्रबन्ध एवं उस राज्य में लोक न्यास के प्रशासन का प्रभारी।

19. ऐसे शब्द एवं अभिव्यक्तियां जिनका कि इस अधिनियम में प्रयोग किया गया है किन्तु जिनकी परिभाषा इस अधिनियम में नहीं की गई हैं, उनके वही अर्थ होंगे जो भारतीय न्यास अधिनियम 1882 में उनके लिए क्रमशः बताये गए हैं।

परिभाषाएं : व्याख्या

बोर्ड धारा 2 (2)

'बोर्ड' से इस अधिनियम की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा गठित 'राजस्थान लोक न्यास बोर्ड' अभिप्रेत है। राजस्थान लोक न्यास नियम 1962 के अन्तर्गत नियम 4 में बोर्ड के गठन का उल्लेख किया गया है। नियम 5 बोर्ड के कार्यों एवं नियम 6 उसके सदस्यों को अनुज्ञेय यात्रा-भत्तों आदि के सम्बन्ध में है। नियम 13 में बोर्ड के सदस्यों की निर्योग्यताएं तथा नियम 14 में न्यास के पंजीकरण सम्बन्धी व्यवस्थाएं की गई हैं।

पुण्यार्थ (खैराती) विन्यास (धर्मस्व)—धारा 2 (3) :

(Charitable Endowment)

विन्यास या धर्मस्व प्रारम्भिक अर्थ में किसी संस्था या व्यक्ति के लिए भूमि

या धनराशि के रूप में किया गया शाश्वत प्रावधान है। सामान्य अर्थ में यह किसी व्यक्ति या संस्था को दिया हुआ धन है। विभिन्न प्रकार के खैराती एवं धार्मिक विन्यासों में मन्दिर एवं मठ बनवाना, तालाब, कुओं एवं धर्मशालाओं का निर्माण, सरायें तथा भिखारियों के पोषण हेतु भोजनालय एवं विश्रामगृह सम्मिलित होते हैं।[1]

विन्यास धार्मिक या खैराती प्रयोजनों हेतु किया गया सम्पत्ति का समर्पण है जिसके विषय वस्तु तथा उद्देश्य दोनों ही सुनिश्चित हैं या निश्चित किए जा सकते हैं।[2] भारत में मन्दिरों या देवालयों की अपार सम्पदा तथा विशाल विन्यास है।[3] धार्मिक विन्यास उदारता का सूचक है, जबकि खैराती विन्यास परोपकार की भावना का। एक चिकित्सालय के सहायतार्थ या एक विश्वविद्यालय स्थापित करने हेतु किया गया विन्यास खैराती विन्यास होता है।

लोक प्रयोजनार्थ किसी बाग का समर्पण वैदिक काल से ही पुण्यार्थ कार्य माना गया है। बाग में स्थित किसी मूर्ति की छत्री, मूर्ति, कुआ साधुओं के उपयोग हेतु धर्मशाला एवं उसका रसोईघर जिनका दीर्घकाल से जन हितार्थ उपयोग होता रहा है, लोक न्यास की एकीकृत सम्पत्ति है ऐसी सम्पत्ति का उपयोग करने वाले जो उसका स्वरूप यथावत बनाए रखते हैं वे ऐसे न्यास की सम्पत्ति में हित रखते हैं।

धार्मिक महत्व की वस्तु के लिए यह आवश्यक नहीं है कि उसकी पूजा की जाय। बिना पूजा के भी उसका धार्मिक महत्व होता है। धार्मिक महत्व का अर्थ विस्तृत है। एक व्यक्ति बिना पूजा किए भी उस स्थान के प्रति श्रद्धा रखता है। जबकि दूसरा पूजा के द्वारा श्रद्धा व्यक्त करता है।[4]

हिन्दु विधि से विन्यास की अवधारणा अंग्रेजी विधि के न्यास से भिन्न है।[5] केवल विलेख के निष्पादन से वैध विन्यास का सृजन नहीं हो जाता।

आयुक्त—धारा 2(4)

आयुक्त से राजस्थान राज्य के लिए देवस्थान आयुक्त अभिप्रेत है। धारा 7 में आयुक्त के पद पर नियुक्ति के बारे में उल्लेख किया गया है।

---

1. हिन्दु रिलिजियस एण्डोमेन्टस कमीशन रिपोर्ट 1960 पृ. 31
2. ए. आइ. आर. 1938 पी. सी. 195
3. ए. आई. आर. 1925 पी. सी. 139
4. मांगीलाल व श्रीमती दुर्गा देवी आर.एल. डब्ल्यु. 1968 पृ. 347
5. ए. आई. आर. 1963 स. न्या. 985

समिति—धारा 2(5)
(Committee)

'समिति' से क्षेत्रीय सलाहकार समिति अभिप्रेत है। समिति की स्थापना एवं गठन के बारे में धारा 13 एवं तदधीन नियमों में उल्लेख किया गया है। समिति के गठन एव उसके सदस्यों को अनुज्ञेय यात्रा-भत्ता आदि का उल्लेख क्रमशः नियम 7 एवं 8 में किया गया है। नियम 9 समिति के सदस्यों को स्थल पर ही जांच या निरीक्षण करने की शक्तियां प्रदान करता है। नियम 11 में बैठकों एवं अन्य कार्यों के संचालन सम्बन्धी प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है। नियम 13 एव 14 में क्रमशः सदस्यों को हटाये जाने या उनके द्वारा त्यागपत्र देने के बारे में प्रावधान किए गए हैं तथा नियम 15 में कर्मचारी वर्ग के बारे में व्यवस्था की गई है।

न्यायालय—धारा 2 (6)

न्यायालय से राजस्थान राज्य में जिला न्यायालय अभिप्रेत है।

धारा 2 (4) : बम्बई लोक न्यास अधिनियम 1950

धारा 2 (1) : मध्य प्रदेश लोक न्यास अधिनियम 1951

आनुवंशिक न्यासी—धारा 2 (7)
(Hereditary Trustee)

धारा 65 में आनुवंशिक न्यासों के अधिकारों का उपबन्ध किया गया है। नियम 38 आनुवंशिक न्यासियों को देय भत्तों के बारे में है। न्यायालय द्वारा वादी को किसी न्यास के सुचारु एवं अच्छे प्रशासन हेतु आनुवंशिक न्यासियों से परामर्श करने हेतु निदेश देना अनुचित है।[1]

नाथद्वारा मन्दिर के प्रधान पुरोहित (तिलकायत) का पद आनुवंशिक है। तिलकायत का सबसे बड़ा पुत्र उसके पिता का उत्तराधिकारी होता है। पुत्रियां उत्तराधिकारी नहीं होतीं। वल्लभाचार्य सम्प्रदाय में प्रधान पुरोहित विवाह कर सकता है। उसकी पत्नी एवं बच्चे मन्दिर के निकट ही अलग भवन में उसके साथ रहते हैं।

---

1. बापालाल गोधाभाई कोठारी व. चेरिटी कमिश्नर, गुजरात 1965 गुज. ला. रि. 825

आनुवंशिक न्यासी का प्रबन्ध का अधिकार सम्पत्ति का अधिकार माना गया है।[1]

मठ धारा 2 (8) :

मेकडोनेल के संस्कृत शब्द-कोष के अनुसार मठ का अर्थ एक तपस्वी, योगी या वैरागी सम्प्रदाय के शिष्य के आश्रम (कुटी) से है। संकीर्ण अर्थ में मठ एक तपस्वी जिसे यति या संन्यासी भी कहते हैं, का निवास स्थान है। सामान्य अर्थ में यह एक योगी का निवास है तथा विधिक अर्थ में यह एक वैरागी संस्थान है जिसकी स्थापना यतियों अथवा योगियों के प्रयोगार्थ एवं लाभार्थ की जाती है जो सामान्यतः संस्थान के प्रधान के शिष्य होते हैं।[2] यह विशेष रूप से धर्म सम्प्रदाय की प्रत्येक पद्धति या दर्शन के अध्ययन, अभ्यास एवं प्रसार के लिए नियत ब्रह्म-ज्ञान का एक केन्द्र होता है जहां योग्य उपदेशकों को प्रशिक्षण दिया जाता है, उन्हें उस ज्ञान से समृद्ध बनाया जाता है तथा बाद में देश-विदेश में भ्रमण कर ब्रह्म-ज्ञान का प्रसार करते हैं।[3]

डा. बी. के. मुकर्जी ने मठ की परिभाषा निम्न प्रकार की है—

सामान्य भाषा में मठ योगी का निवास स्थान होता है। विधिक अर्थ में यह तपस्वी योगी की संस्था होती है जिसका प्रधान एक श्रेष्ठ तपस्वी योगी होता है तथा ये एक सम्प्रदाय विशेष के तपस्वी योगियों के उपयोग एवं लाभार्थ स्थापित की जाती हैं। ये तपस्वी योगी प्रधान तपस्वी योगी के शिष्य अथवा शिष्य-साथी होते हैं।[4]

भारत में मठो का संक्षिप्त इतिहास

वैदिक हिन्दु धर्म के अनुसार जीवन वास्तविक एवं सकारात्मक तथ्य है तथा जीवन को चार भागों में बांटा गया है जिन्हें आश्रम कहा जाता है जैसे ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं संन्यास। पंडित नेहरू के अनुसार यह विभाजन आर्यों की श्रेष्ठ विश्लेषणात्मक मस्तिष्क की उपज है जो दो विरोधात्मक प्रवृत्तियों को दर्शाती है, प्रथम जीवन को उसकी पूर्णता के रूप में स्वीकार करना एवं द्वितीय उसे अस्वीकार करना (डिस्कवरी आफ इंडिया पृ. 61)। कालान्तर में जब वैदिक दर्शन का प्रभाव कम हो गया तथा यह केवल कर्मकाण्डों अथवा औपचारिकताओं तक ही सीमित हो गई तो बौद्ध धर्म का प्रसार हुआ। प्रारम्भ में बौद्ध भिक्षु भ्रमण ही करते थे। किन्तु जब इनकी संख्या में वृद्धि हुई तो उनको शरण या निवास का प्रश्न उत्पन्न हुआ और इस प्रकार विहार एवं संघाराम अस्तित्व में आए। संघाराम शब्द से संघ के निवास का बोध होता है अर्थात् धार्मिक एकत्रीकरण। इन विहारों एवं संघाराम को शीघ्र ही निगमित जीवन एवं विधिक व्यक्तित्व का स्तर प्राप्त हो गया किन्तु जब बौद्ध धर्म का 6ठी सदी के आसपास पतन हुआ तो जगद्-गुरु आदि शंकराचार्य ने हिन्दु धर्म का पुनरुत्थान किया तथा हिन्दु धर्म में नया प्राण फूंका। उन्होंने अद्वैत मत की स्थापना की अपने मत के प्रचार हेतु उन्होंने बौद्ध विहार एवं संघाराम के समान मठ स्थापित किए तथा इस विशाल उप महा-

---

1. हिन्दु रिलिजियस एण्ड एन्डोमेन्ट्स कमीशन रिपोर्ट 1962 पृ. 199
2. वही पृ. 14
3. ए. आई. आर. 1952 मद्रा. 613
4. टैगोर लेक्चर्स आन हिन्दु ला आफ रिलिजियस एण्ड चेरिटेबल ट्रस्ट अध्याय VII पृष्ठ 250।

द्वीप के चारों कोनों में चार मठों (ज्ञान के केन्द्र) पुरी में गोवर्धन मठ, उत्तर में बद्रीनाथ में ज्योति मठ, पश्चिम में द्वारका में शारदा मठ तथा दक्षिण में मैसूर में श्रृंगेरी मठ, की स्थापना की । इन मठों में प्रत्येक में अपने प्रधान शिष्यों, पद्मपाद, हस्तामलक, सुरेश्वर एवं भोटक को नियुक्त किया । वे स्वयं सर्वज्ञान पीठ, कांची के प्रधान बने जो अभी कुम्भ कोनम में है ।

शंकराचार्य के पश्चात् रामानुजाचार्य ने भी मठ स्थापित किए तथा विशिष्ठाद्वैत मत का प्रवर्तन किया, कहा जाता है कि रामानुजाचार्य ने देश में सात सौ मठ स्थापित किये किन्तु आज केवल चार मठ अस्तित्व में हैं । एक अन्य सन्त जिन्होंने मठ स्थापित किए स्वामी रामानन्द हुये, इनको रामानुजाचार्य का शिष्य माना जाता है, किन्तु यह सत्य नहीं है । रामानन्द ने भी बनारस में कई मठ स्थापित किये जिन्हें रामट मठ कहा जाता है । रामट मठ की यह विशेषता है कि उसमें कोई जाति-भेद-भाव नहीं है, तथा शूद्र भी जा सकते हैं तथा वे राम की भगवान के रूप में पूजा करते हैं तथा अपने को राम का दास मानते हैं ।

एक दूसरे सन्त माधवाचार्य हुए जिन्होंने माधव पंथ का प्रवर्तन किया । उन्होंने शंकराचार्य के अद्वैत एवं रामानुजाचार्य के विशिष्ठाद्वैत के विरुद्ध द्वैत मत का प्रवर्तन किया । इस मत के अनुसार आत्मा एवं परमात्मा दोनों का भिन्न अस्तित्व है ।

इसी प्रकार निम्बाकाचार्य एवं वल्लभाचार्य ने भी अपने मठ स्थापित किये । नाथद्वारा वल्लभ सम्प्रदाय का प्रसिद्ध मंदिर है । वल्लभ सम्प्रदाय की एक मुख्य विशेषता यह है कि वह वर्तमान जीवन के आनन्द में विश्वास करता है तथा ब्रह्मचर्य या संन्यासी जीवन की कठोर साधना में विश्वास नहीं करता है । चैतन्य महाप्रभु ने बंगाल, उड़ीसा तथा वर्धवान में भी कई मठ स्थापित किए ।

यह ध्यान देने योग्य बात है कि मठ प्रणाली केवल हिन्दुओं में ब्राह्मणों तक ही सीमित नहीं थी शूद्रों ने भी इसका अनुसरण किया । टिनेवेली, त्रिचुनापल्ली, तंजोर एवं अन्यत्र स्थानों पर मठ स्थापित किए गए । शूद्र संन्यासी परदेसी कहलाता है, यदि वह किसी अभिनाम से सम्बन्धित है तो वह ताम्बीरक कहलाता है तथा अभिनाम का प्रधान पंडारा सन्नधि'' कहलाता है ।[1] मठ प्रणाली बाद में जैन, कबीर पंथी तथा नानक पंथी द्वारा भी अपनाई गई ।

मठ एवं डिबटर हिन्दु धार्मिक विन्यासों की दो सुप्रसिद्ध संस्थाएं हैं । डिबटर (Debuter) संस्था का प्रधान दिति अथवा मूर्ति होता है जब कि मठ का प्रधान मठाधिपति या अध्यक्ष होता है । डिबटर में सम्पत्ति का समर्पण मूर्ति को किया जाता है जो एक विधिक व्यक्ति होता है जबकि मठ में सम्पत्ति का समर्पण स्वयं संस्था को धार्मिक व्यक्तियों के लाभार्थ किया जाता है ।[2] मठ में उत्तराधिकार उस

1. गियाना एस. पंडारा व. कंडा स्वामी 10 मद्रा. 375
2. सत्यचरण सरकार व. महन्त रुद्रानण्द गिरि ए. आई. आर. 1953 कल. 716

मठ प्रथा व रिवाज के अनुसार उसी परिवार में न्यागमित होता है जबकि डिवटर शेवाती (Shebaiti) अधिकार उत्तराधिकार की सामान्य विधि के अनुसार। शेवाती के उत्तराधिकारियों पर न्यागमित (Devolve) होते हैं। मठ की प्रधानता या महत्ता किसी एक व्यक्ति में निहित होती है जबकि शेवाती एक से अधिक संख्या में हो सकते हैं। महन्त का पद अन्य संक्रामण (Alienate) नहीं किया जा सकता, न ही इसका विभाजन हो सकता है जबकि शैवाती अधिकार आंशिक रूप से अन्य संक्रामित एवं विभाजनीय होते हैं।[1] मन्दिर का उद्देश्य मूर्ति की पूजा तथा धार्मिक उत्सवों की शाश्वतता बनाए रखना है जबकि मठ का मुख्य उद्देश्य ऐसी योग्य सन्तों की शृंखला द्वारा आध्यात्मिक ज्ञान का प्रसारण है जो धार्मिक शिक्षा द्वारा उस मठ के मत को सुदृढ करते हों[2] मन्दिर में मूर्ति आवश्यक नहीं है किन्तु किसी मठ में मूर्ति की विद्यमानता से वह मन्दिर में परिणित नहीं हो जाता[3]। किसी मठ में दीक्षित होने के साथ उस व्यक्ति का गृहस्थ जीवन से सम्बन्ध विच्छेद हो जाता है। वह गृहस्थ परिवार की सम्पत्ति का उत्तराधिकारी नहीं रहता तथा मठ की सम्पत्ति में उत्तराधिकार मठ के परिवार के क्रम से प्राप्त करता है। इसके विपरीत शैवात एक साधारण व्यक्ति होता है जिसका अपना सामान्य परिवार होता है तथा वह सामान्य विधि के अन्तर्गत पारिवारिक सम्पत्ति में उत्तराधिकार प्राप्त करता है।[4] मठ का पद उस मठ विशेष की परम्परा के अनुसार न्यायमित होता है।[5]

उत्तराधिकार की दृष्टि से मठों को तीन श्रेणियो में विभाजित किया जा सकता है—

(1) मोरूसी मठ (आनुवंशिक); (2) पंचायती मठ (चयन) एवं (3) हाकिमी मठ (शाही फरमान)। मोरूसी मठ में महन्त का पद का उत्तराधिकारी अन्तिम महन्त का शिष्य होना है, पंचायती मठ में उत्तराधिकारी का चुनाव उस मठ के संन्यासियों द्वारा किया जाता है व हाकिमी मठ के उत्तराधिकारी की नियुक्ति राज्य द्वारा अथवा मठ के संस्थापक परिवार द्वारा की जाती है। मोरूसी मठ में अन्तिम महन्त का चेला उत्तराधिकारी होता है एवं उसके अभाव में गुरु भाई उत्तराधिकारी होता है। महन्त का पद इस अर्थ में आनुवंशिक (Hereditary) नहीं है कि वर्तमान महन्त की मृत्यु पर उसका चेला स्वतः ही उत्तराधिकारी बन जाता है किन्तु वह केवल नियुक्ति के द्वारा ही उत्तराधिकार प्राप्त करता है।[6] अन्तिम महन्त अपने

---

1. तुलसीराम व. राम प्रसन्ना ए.आई.आर. 1956 उड़ीसा 41
2. मध्य प्रदेश राज्य व. कमलापुरी ए.आई. आर, 1963 एम.पी. 183
3. वही
4. परमानन्द व. निहालचंद ए.आई.आर. 1938 पी.सी. 195
5. सीतलदास व. सन्तराम ए.आई.आर. 1954 स. न्या. 606
6. वही, पृथ्वीनाथ व वर्खनाथ ए.आई.आर. 1956 स. न्या. 192

जीवन काल में अथवा वसीयत द्वारा भी उत्तराधिकारी नियुक्त कर सकता है। जब किसी महन्त द्वारा उसका उत्तराधिकारी मनोनीत किया जाता है तो उसकी नियुक्ति की पुष्टि महन्त की मृत्यु पर होने वाले संन्यासियों एवं अनुयायियों के सम्मेलन में की जाती है जिसे "भण्डारा" कहते हैं[1] एक महन्त अपनी निजी सम्पत्ति भी रख सकता है।[2] किन्तु महन्त की ऐसी निजी सम्पत्ति का उत्तराधिकारी भी इसका चेला होगा न कि उसके गृहस्थ परिवार के सदस्य[3]।

मूर्ति के समान यह भी विधिक व्यक्ति होते हैं तथा सम्पूर्ण सम्पदा उनमें निहित होती है।[4]

महन्त मठ का प्रधान अथवा अध्यक्ष होता है वह संस्था एवं सम्पत्ति का प्रबन्धक अथवा अभिरक्षक (Custodian) होता है यद्यपि सम्पत्ति संस्था में निहित होती है किन्तु संस्था की ओर से उसके प्रबन्ध में रखी जाती है। वह आध्यात्मिक समुदाय का प्रधान होता है तथा अपने पद के कारण उसे धार्मिक गुरू के कर्त्तव्यों का निर्वहन (Perform) करना होता है। यह उसका कर्त्तव्य है कि वह धार्मिक सिद्धान्तों का प्रचार एवं प्रसार करे जिनको उसने अंगीकार किया है।[5] एक मठ का महन्त सामान्यतः संन्यासी होता है जिसने सांसारिक कर्त्तव्यों को त्याग दिया है, उसका परिवार से किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध नहीं होता तथा सिद्धांतिक रूप से उसके किसी प्रकार की सम्पत्ति का स्वामित्व नहीं ग्रहण करने का संकल्प होता है।[6] यथार्थ (Defacto) महन्त को भी मठ की सम्पत्ति के लिए अथवा उसके विरुद्ध वाद करने का अधिकार होता है।[7] यदि एक महन्त स्वयं मठ के हितों के विरुद्ध कार्य करता है तो उसके विरुद्ध किसी अजनबी को भी वाद लाने का अधिकार है।[8] मठ सामान्यतः सार्वजनिक होते हैं।

सामान्यतः मठ का महन्त एक संन्यासी होता है जिसने संसार को त्याग दिया है। उसका न तो विवाह होता है और न कोई परिवार। वह किसी सम्पत्ति का स्वामित्व ग्रहण नहीं करता यह उसका संकल्प होता है। मठ की सम्पत्ति पर महन्त का अधिकार होता है तथा संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (एफ) के खण्ड 5 के साथ पढने पर उसके अधिकारों पर लगाए गए सभी अनुचित प्रतिबन्ध शून्य

---

1. सतनामसिंह ब. भगवान सिंह ए.आई.आर. 1938 पी.सी. 216
2. परमानन्द ब. निहालचंद ए.आई.आर. 1938 पी.सी. 195
3. वही
4. सारंगदेव ब. रामास्वामी ए.आई.आर. 1966 स. न्या. 1603
5. कमिश्नर हिन्दु रिली. एन्डोमेन्ट मद्रास ब. श्री लक्ष्मीचन्द्र तीर्थ स्वामि ए.आई. आर. 1954 स. न्या. 282
6. सुधीन्द्र तीर्थ स्वामी ब. कमि. एच.आर. एण्ड सी.ई. मैसूर ए.आई.आर. 1963 स. न्या. 966
7. सारंगदेव ब. रामास्वामी ए.आई.आर. 1966 स.न्या. 603
8. विश्वनाथ ब. राधावल्लभ जी. ए.आई.आर. 1967 स. न्या. 1044

होते हैं।[1] यद्यपि सम्पत्ति का प्रबन्ध लौकिक कार्य होता है किन्तु लौकिक एवं धार्मिक कार्य एक दूसरे से अभिन्न रूप से ऐसे मिलते हैं कि उन्हें अलग नहीं किया जा सकता। सम्पत्ति एवं आय स्वयं महन्त एवं उसके शिष्यों के पूर्ण नियन्त्रण में होने पर उनमें भेद नहीं करता।[2] महन्त को मठ की बचत को प्रयोग करने की निर्वाध शक्तियां होती हैं। केवल उस पर यही प्रतिबन्ध होता है कि वह व्यक्तिगत रूप से ऐसे निजी कार्यों में उसका प्रयोग नहीं करे जो उसके पद की गरिमा के अनुकूल नहीं है।[3] अपरिहार्य आवश्यकता के सिवाय किसी मठ का प्रधान मठ की सम्पत्ति में उसके जीवनकाल के परे कोई हित का सृजन नहीं कर सकता।[4] वह एक प्रलक्षित न्यासी होता है तथा उसका पद एक प्रबन्धक या सम्पत्ति के अभिरक्षक का होता है।[5]

धारा 2 (9) : बम्बई लोक न्यास अधिनियम 1950

धारा 2 (9) : मध्य प्रदेश लोक न्यास अधिनियम 1951

हित रखने वाले व्यक्ति–धारा 2 (9)

न्यास में हित रखने वाला व्यक्ति किसे कहा जाय, यह प्रत्येक दशा में न्यास की प्रकृति पर निर्भर करता है।[6] हित रखने वाले व्यक्ति में न्यासी सम्मिलित नहीं होता।[7] हित से अभिप्राय किसी न्यास विशेष में स्पष्ट हित से है। ऐसा हित वास्तविक, सारयुक्त तथा विद्यमान हित होना चाहिये न कि केवल दूरवर्ती, काल्पनिक या आकस्मिक। किन्तु इस सम्भावना से कि किसी अन्य स्थान का हिन्दु उस मंदिर में दर्शन या उपासना करने का इच्छुक हो सकता है, उसे न्यास में हित प्राप्त नहीं हो जाता जिससे कि वह वाद प्रस्तुत करने का हकदार हो जाय।[8] मंदिर में उपासना करने की भावी सम्भावना एक व्यक्ति को न्यास में हित नहीं प्रदान करती।[9]

धारा 2 (10) : बम्बई लोक न्यास अधिनियम 1950

लोक प्रतिभूतियां–धारा 2 (10)

लोक प्रतिभूतियों में सरकारी प्रतिभूतियां, सरकार द्वारा प्रत्याभूत प्रतिभूतियां, स्थानीय प्राधिकारी (Local Authority) की प्रतिभूतियां तथा राज्य सरकार द्वारा अधिकृत प्रतिभूतियां सम्मिलित हैं।

धारा 2 (12) : बम्बई लोक न्यास अधिनियम 1950

---

1. ए.आई.आर. 1963 स.न्या. 966
2. ,, ,, ,, 1952 मद्रा. 613
3. ,, ,, ,, 1954 स. न्या. 282
4. ,, ,, ,, 1922 पी.सी. 123
5. ,, ,, ,, 1924 बम्बई 193
6. ,, ,, ,, 1928 इलाहबाद 758
7. 64 बम्बई एल.आर. 235
8. ए.आई.आर. 1934 लाहोर 949
9. ,, ,, ,, 1930 लाहोर 1

लोक न्यास-धारा 2 (11)

अन्डरहिल के अनुसार न्यास या तो अभिव्यक्त होते हैं या आन्वयिक अथवा विवक्षित। अभिव्यक्त न्यास किसी लिखित या घोषणा द्वारा स्पष्ट शब्दों में सृजित किए जाते हैं। अभिव्यक्त न्यास द्वारा स्पष्ट भाषा में सम्पत्ति किसी व्यक्ति में निहित हो जाती है जो इस तथ्य का प्रमाण होता है कि विधिक एवं हितकारी स्वामित्व भिन्न न्यायिक शीर्षक द्वारा ग्रहण किया गया है। अभिव्यक्त न्यास निष्पादित या निष्पादनीय दोनों प्रकार के हो सकते हैं। निष्पादित न्यास वह है जिसमें न्यास की एक ही अन्तिम लिखत होती है जबकि निष्पादनीय न्यास में एक और लिखत की आवश्यकता होती है जो अन्तिम होती है, उदाहरणार्थ क और ख के विवाह पर उनमें यह करार होता है कि कुछ सम्पत्ति का उनके तथा उनके बच्चों के लाभार्थ न्यास बनाया जाएगा, ऐसी दशा में एक वैध न्यास का सृजन हो जाता है किन्तु प्रथम लिखत में अभिव्यक्त सामान्य आशय की पालना हेतु एक और लिखत की आवश्यकता होती है अतः ऐसा न्यास निष्पादनीय न्यास कहलाता है।

स्नेल के अनुसार आन्वयिक न्यास एवं अभिव्यक्त अथवा विवक्षित न्यास में अन्तर है। आन्वयिक न्यास न्याय एवं सद्भावना की पूर्ति करने के लक्ष्य से साम्या द्वारा उद्भूत होता है। जब एक अजनबी न्यास की जानकारी के साथ न्यास सम्पत्ति ग्रहण करता है अथवा एक न्यासी न्यास सम्पत्ति से लाभ उठाता है अथवा अन्य व्यक्ति ऐसा लाभ प्राप्त करते हैं तो वह आन्वयिक न्यास की स्थिति होती है। विक्रय के संविदा के अन्तर्गत विक्रय के पूर्ण होने तक क्रेता के लिए सम्पत्ति का आन्वयिक न्यासी माना जाता है। इसी प्रकार एक बंधक दार जिसने अपनी विक्रय की शक्ति के अन्तर्गत विक्रय किया है तो वह पाश्चिक बंधकों (Subsequent mortgages) के लिए तथा बंधक कर्त्ता के लिए उसके मूल धन, ब्याज व लागत की राशि से आधिक्य की क्रय राशि के लिए आन्वयिक न्यासी होता है। भारतीय न्यास अधिनियम 1882 की धारा 86–94 में आन्वयिक न्यास की व्याख्या की गई है।

लोक न्यास की अनिवार्यताएं

न्यास की परिभाषा इस अधिनियम में नहीं दी गई है अतः हमें भारतीय न्यास अधिनियम को देखना होगा।[1] एक धार्मिक एवं पुण्यार्थ न्यास की वही अनिवार्यताएं हैं जो कि एक सामान्य न्यास की होती हैं। भारतीय न्यास अधिनियम की धारा 3 के अनुसार एक वैध न्यास के गठन हेतु चार अनिवार्यताएं होती हैं अर्थात (1) न्यास का कर्ता (2) हितग्राही जिनके लिए न्यास का सृजन

1. राजस्थान लोक न्यास अधिनियम 1959 धारा 2 (19) भारतीय न्यास अधिनियम 1882 धारा 3

किया जाना है, (3) सम्पत्ति की विषय वस्तु अर्थात् न्यास सम्पत्ति एवं (4) न्यास का प्रयोजन। विधिक भाषा में इनको तीन निश्चितताएं कहा गया है—(1) उद्देश्य की निश्चितता (2) सम्पत्ति की निश्चितता तथा (3) हितग्राहियों की निश्चितता। भारतीय न्यास अधिनियम के अन्तर्गत यथावश्यक परिवर्तन सहित ये सभी शर्तें लोक न्यास के लिए भी आवश्यक होती हैं। न्यास सृजित करने का आशय शब्दों अथवा कार्यों द्वारा समुचित निश्चितता के साथ दर्शाया जाना चाहिये।[1] यह आवश्यक नहीं है कि न्यास कर्ता का आशय प्रकट करने के लिए लिखित दस्तावेज हो। हिन्दुओं में मौखिक न्यास बहुत प्रचलित है जो वैध होते हैं इसलिए न्यास कर्ता का आशय मौखिक साक्ष्य से प्रमाणित किया जा सकता है। न्यास अथवा न्यासी शब्दों का प्रयोग न्यास के सृजन में आवश्यक नहीं है क्योंकि नाम हमेशा निर्णायक नहीं होता।[2] यदि एक न्यास कर्ता ने न्यास से कई पुण्यार्थ प्रयोजन प्रकट किये हैं एवं उनमें से किसी का भी चुनाव अथवा प्रमुखता का निर्णय करना न्यासी पर छोड़ा गया है तो न्यासी किसी भी प्रयोजन में न्यास के धन को लगा सकता है तथा ऐसा न्यास अनिश्चितता के आधार पर विफल नहीं होगा। न्यास का उद्देश्य विधि सम्मत होना चाहिये अर्थात विधि द्वारा वर्जित नहीं किया गया हो।

व्यक्तियों अथवा समुदायों में धर्म एक विश्वास का विषय है। यह आस्तिकवादी ही हो यह आवश्यक नहीं है क्योंकि भारत में अन्य सुप्रसिद्ध धर्म जैसे बौद्ध धर्म, जैन धर्म ऐसे धर्म हैं जो ईश्वर अथवा किसी सर्वश्रेष्ठ हेतु के अस्तित्व में विश्वास नहीं करते।[3]

वास्तव में पुण्यार्थ भी धर्म का ही अंग है क्योंकि दोनों का ही उद्देश्य धार्मिक धरिष्ठता प्राप्त करना है। पुण्यार्थ की अवधारणा एलिजाबेथ के परिनियम (34) में मिलती है यद्यपि यह परिनियम 1888 में निरस्त कर दिया गया किन्तु इसकी प्रवेशिका को क्रियाशील रखा गया। इस प्रवेशिका में पुण्यार्थ प्रयोजनों की प्रगणना की गई है। इसके अतिरिक्त इस विषय पर दूसरी महत्वपूर्ण सामग्री आयकर आयुक्त व-पेमसल 1891 ए. सी. 531 का सुप्रसिद्ध निर्णय है जिसमें लार्ड मेकनारन ने खैरात को चार मुख्य श्रेणियों में विभाजित किया है—(1) निर्धनों को राहत के लिए न्यास (2) शिक्षा की उन्नति के लिए न्यास (3) धर्म की उन्नति के लिए न्यास एवं (4) समुदाय के हितार्थ प्रयोजनों हेतु जो उपरोक्त में नहीं आते हों।

---

1. छोटाभाई व. ज्ञानचन्द्र ए. आई. आर. 1935 पी. सी. 97
2. एम. दसरथ रमानी रेड्डी व. डी. सुब्बाराव ए. आई. आर. 1957 स. न्या. 797
3. रतिलाल पानाचन्द गांधी व. बम्बई राज्य ए. आई. आर. 1954 स. न्या. 388

भारत में निम्नलिखित मुख्य अधिनियमों में पुण्यार्थ प्रयोजन को परिभाषित किया गया है—

(1) सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम धारा 18

(2) भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 धारा 118

(3) पुण्यार्थ विन्यास अधिनियम 1890 धारा 2

(4) आयकर अधिनियम 1961 धारा 2 (15)

(5) सम्पदा शुल्क अधिनियम 1953 धारा 2 (17)

(6) उपहार कर अधिनियम 1958 धारा 2 (वी) (ए)

(7) बम्बई लोक न्यास अधिनियम 1950 धारा 9

पुण्यार्थ परोपकारिता का परिणाम होता है जबकि धार्मिक विन्यास दया का। धार्मिक प्रयोजन निजी भी हो सकता है किन्तु पुण्यार्थ प्रयोजन कभी भी निजी नहीं होता। यह हमेशा सार्वजनिक होता है। दया एवं परोपकारिता दोनों का सह-अस्तित्व हो सकता है।

उद्देश्य की दृष्टि से न्यास को दो श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता है—(1) लोक अथवा सार्वजनिक न्यास एवं (2) निजी न्यास। निजी न्यास का उद्देश्य निश्चित सीमित व्यक्तियों के हितार्थ होता है जबकि लोक न्यास का उद्देश्य अनिश्चित व्यक्तियों के हितार्थ होता है अर्थात् व्यक्तियों जिन्हें हितग्राही कहा जाता है, की संख्या की सीमा नहीं होती यद्यपि लोक न्यास का प्रयोजन धार्मिक एवं खैराती अथवा पुण्यार्थ अथवा पूर्व होता है किन्तु इसका अर्थ यह नहीं है कि वे ही न्यास लोक न्यास की श्रेणी में आते हैं जिनके उद्देश्य खण्ड में सम्पूर्ण जनता की भलाई सम्मिलित हो। यदि किसी धार्मिक एवं पुण्यार्थ न्यास का सृजन किसी सम्प्रदाय द्वारा, वर्ग या सोसायटी विशेष के लिए किया गया है तो ऐसा न्यास भी लोक न्यास होगा।[1]

ऐक लोक न्यास का सृजन निम्नलिखित रूप में किया जा सकता है—

1. भारतीय कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 25 के अधीन एक सीमित दायित्व वाली कम्पनी के रूप में।[2]
2. सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1860 के अधीन एक रजिस्टर्ड सोसायटी के रूप में।[3]
3. एक मुसलमान द्वारा वकफ के रूप में।[4]

---

1. ओपनहेम व. रोवेको सिक्योरिटीज ट्रस्ट कं. लि. (1951) ए.सी. 297
2. आयकर आयुक्त व. इन्डियन चेम्बर आफ कामर्स (1971) 81 आई.ए.आर. 147 कल.
3. आयकर आयुक्त व. राधास्वामी सतसंग ए.आई.आर. 1954 इला. 291
4. उर्स : हजरत पीर मौहम्मद शाह साहिव रोजा कमिटी व. आयकर आयुक्त (1967) 3.आई.टी.आर. 490 स. न्या.

4. हिन्दु द्वारा विन्यास के रूप में ।[1]
5. एक न्यास के रूप में ।[2]

एक लोक न्यास की परिभाषा में धार्मिक या पुण्यार्थ या दोनों प्रयोजन हेतु निर्मित सोसाइटी सम्मिलित होती है ।[3] लोक धार्मिक या पुण्यार्थ का प्रयोजन लोक न्यास के समान नहीं होता है ।[4] लोक न्यास की परिभाषा में एक मंदिर सम्मिलित होता है ।[5] यह निश्चित करने के लिए कि क्या एक न्यास विशेष लोक न्यास की परिभाषा में आता है, हमें यह देखना होता है कि क्या लाभकारी हित के अनिश्चित एवं परिवर्तनशील निकाय में निहित है तथा क्या ऐसा स्थायी प्रकृति का है ।[6] लोक न्यास की निश्चित परिभाषा देना असम्भव है । लोक प्रयोजन को सिद्ध करने में, प्रत्येक मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों का ध्यानपूर्वक परीक्षण अपेक्षित होता है ।[7] एक न्यास लोक न्यास होता है जब वह जन हितार्थ हो या जनता के किसी वर्ग या श्रेणी जो व्यक्तियों का अनिश्चित एवं परिवर्तनशील निकाय है, के हितार्थ हो ।[8]

किसी सम्प्रदाय विशेष के सदस्यों के पोषण या योजनार्थ या उनको आश्रय देने हेतु निर्धारित सम्पत्ति लोक न्यास नहीं बन जाती वह निजी स्वामित्व की सम्पत्ति के अनुरूप है ।[9] एक महन्त की निजी सम्पत्ति हो सकती है ।[10]

यदि एक न्यास विलेख में न्यासकर्त्ता केवल यह कथन कि उसने अपने मकान में देवता को प्रतिष्ठित किया है तथा वह उनकी नियमित उपासना कर रही थी तथा यदि केवल ऐसे परिवार की उपासना हेतु ही न्यास का सृजन किया गया है तो निःसन्देह यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि ऐसा विन्यास पूर्णतया निजी प्रकृति का है जिसमें जनता का कोई हित नहीं है ।[11]

किसी वसीयत में वसीयतकर्त्ता का यह कथन कि जब तक वह जीवित है सम्पत्ति का वह स्वामी रहेगा एवं उसकी मृत्यु के बाद शिवाला तथा ठाकुर द्वारा,

---

1. बिहार राज्य ब. चारूसिला दासी ए.आई.आर. 1995 स. न्या. 1002
2. आयकर आयुक्त ब. प्रमोद जैन ट्रस्ट (1971) 81 आई.टी.आर. 604 (दिल्ली)
3. सर्वेन्टस आफ इण्डियन सोसाइटी ब. चेरिटी कमिश्नर, बम्बई ए. आई. आर. बम्बई 12
4. ए.आई.आर, 1965 गुज. 181
5. रामलाल कालूराम मिश्रा ब. चेरिटी कमिश्नर, बम्बई 1961 नागला. ज. 337
6. ए.आई.आर. जे एण्ड के 42
7. ए.आई.आर. 1956 सन्या 294
8. सोमवन्ती ब. पंजाब राज्य ए.आई.आर. 1963 स. न्या. 161
9. ए.आई.आर. 1947 कल. 148
10. ,, ,, ,, 1922 पीसी 325
11. ,, ,, ,, 1963 सन्या 1022 धार्मिक न्यास बिहार राज्य ब. पाल्ट लाल ए.आई.आर. 1972 सन्या. 57

जिनका निर्माण उसने किया है तथा जिनको परलोक में उसकी आत्मा की शान्ति के लिए समर्पित किया है, के सिवाय उसकी सम्पत्ति समान अंश में उसके उत्तराधिकारी प्राप्त करेंगे। शिवाला तथा ठाकुर द्वारे की उपासना में होने वाला व्यय उनके साथ अनुलग्न मकान एवं दुकानों की आय में से दिया जाय तथा शेष आय शिवाला एवं ठाकुर द्वारे की मरम्मत में लगाई जाय एवं इसके बाद भी यदि शेष रहे तो पुण्यार्थ प्रयोजनों में व्यय की जाय न कि उनके व्ययों में। ऐसा लोक प्रकृति का न्यास है न कि परिवार के व्यक्तिगत सदस्यों के लाभ के लिए।[1]

न्यासी के अभाव में कोई न्यास विफल नहीं होता और यदि न्यास के प्रभावी होने से पूर्व न्यासी स्वीकार करने से इन्कार करता है तो आधिपत्य रखने वाला व्यक्ति प्रलक्षित न्यासी हो जाता है।[2]

न्यास या न्यासी शब्द आशय निश्चय करने में कुछ सीमा तक सहायक होते हैं किन्तु मात्र ऐसे शब्दों का प्रयोग किसी मामले में निर्णायक नहीं हो जाता।[3] इन प्रश्नों का उत्तर कि क्या सम्पत्ति पर निजी हक के समाप्त होने का आशय प्रकट होता था या उस सम्पत्ति को पूर्ण रूप से पुण्यार्थ प्रयोजन हेतु अन्तरण किया जाना आशयित था, केवल शब्दों के प्रयोग से इस प्रकार का आशय नहीं मालूम किया जा सकता। बौद्धिक विलेख से ही सच्चे आशय को जाना जा सकता है। इस प्रश्न का निश्चय करने के लिए कि क्या एक विन्यास सार्वजनिक विन्यास या निजी विन्यास है, यह मुख्य विन्दु निश्चय किया जाना चाहिये कि क्या संस्थापक का यह आशय था कि पूजा स्थल पर पूजा करने का अधिकार विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को है अथवा सामान्य जनता को अथवा उसके किसी विनिर्दिष्ट वर्ग को। इस सिद्धान्त के अनुसार जब पारिवारिक मूर्ति की पूजा लिए सम्पत्ति समर्पित की जाती है तो वह निजी विन्यास होता है कि लोक विन्यास। क्योंकि इस परिवार के सदस्य ही उस देवता की पूजा करने का हक रख सकते हैं और ऐसा समूह एक सुनिश्चित समूह है। किन्तु यदि हितग्राही किसी परिवार के सदस्य अथवा विनिर्दिष्ट व्यक्ति नहीं हैं तो वह विन्यास लोक विन्यास माना जाता है जिसका आशय पूजा करने वालों के सामान्य निकाय के लाभ के लिए है।[4] किसी लोक न्यास के मामले में लाभकारी हित अनिश्चित एवं परिवर्तनशील निकास में निहित होता है तथा वह न्यास स्थायी प्रकृति का होता है यह वात कि अनिश्चित अथवा परिवर्तनशील निकाय जनता का केवल एक विशेष वर्ग या जाति है, न्यास को उसको सार्वजनिक

---

1. ए.आई.आर 1935 इला. 139
2. ,, ,, 1971 उड़ीसा 132
3. एम. दशरथरमानी रेड्डी व. डी. सुब्बाराव ए.आई.आर. 1957 स. न्या. 797
4. ए. आई. आर. 1959 स. न्या. 1002

प्रकृति से अपवर्जित नहीं कर देती।[1] ऐसे सभी मामलों में सिद्ध भार उस व्यक्ति पर होता है जो यह अभिकथन करता है कि वह संस्था लोक न्यास है।

शब्दों के उच्चारण से किसी न्यास का सृजन किया जा सकता है फिर भी यह प्रदर्शित किया जाना आवश्यक है कि सम्पत्ति द्वारा उस न्यास के बारे में अभिव्यक्त घोषणा की गई थी अथवा भाषा अथवा अभिव्यक्तियों का साक्ष्य नहीं है अथवा यदि कोई भाषा का साक्ष्य नहीं है जिससे कि न्यायालय अनुमान कर सके कि न्यास की घोषणा की गई थी कि या न्यास का सृजन किया गया था तब कार्य अथवा व्यवहार को साक्ष्य होना चाहिये तथा वह साक्ष्य स्पष्ट साक्ष्य होना चाहिये कि स्वयं को या अन्य किसी व्यक्ति को सम्पत्ति का स्वामी किसी अन्य के लिए सम्पत्ति का न्यासी बनाने का आशय समुचित निश्चय के साथ शब्दों अथवा कार्यों द्वारा इंगित किया जाना चाहिये। किसी धनराशि को केवल बहियों में जमा करना न्यास के सृजन हेतु पर्याप्त नहीं होता।[3] केवल दूसरों की ओर से सम्पत्ति धारण करने से न्यास नहीं बन जाता है। न्यास सृजन स्पष्ट शब्दों में होना चाहिये तथा आवश्यक औपचारिकताएं पूरी की जानी चाहियें।[4]

धारा 2 (13) : बम्बई लोक न्यास अधिनियम 1950

धारा 2 (4) : मध्य प्रदेश लोक न्यास अधिनियम 1951

रजिस्टर-धारा 2 (12)

रजिस्टर से वे पुस्तकें अभिप्रेत हैं जो राजस्थान लोक न्यास नियम 1962 के नियम 16 के साथ पठित इस अधिनियम की धारा 16 (2) के अधीन रखी जाती हैं।

धारा 2 (5) मध्य प्रदेश लोक न्यास अधिनियम 1951

धार्मिक विन्यास-धारा 2 (13)

विन्यास में किसी संस्था या व्यक्ति के लिए किसी भूमि या धनराशि में एक शाश्वत प्रावधान का सृजन अन्तर्ग्रस्त है। यह विभिन्न हिंदु धार्मिक विन्यासों की धार्मिक अथवा पुण्यार्थ प्रयोजनों हेतु सम्पत्ति का समर्पण है। मंदिर एवं मठ दो मुख्य प्रकार की संस्थाएं हैं।

धार्मिक विन्यास दो प्रकार के होते हैं – लोक विन्यास एवं निजी विन्यास। लोक विन्यास में सम्पत्ति का समर्पण जनता के उपयोग अथवा लाभ के लिए होता

---

1. ए.आई.आर. 1957 स. न्या. 133
2. ए.आई आर 1928 बम्ब. ला रि. 97
3. सूनीराम व. अलगू नचियार कोइल ए.आई.आर. 1938 पी.सी. 259
4. महाराजा भगवत सिंह व. राजस्थान राज्य आर.एल.डब्ल्यु. 1977 पृ. 19
   मदन गोपाल व. राजा प्रतापसिंह आई.एल.आर. (1969) 14 राज. 444

है, किन्तु जब सम्पत्ति पारिवारिक देवता की पूजा के लिए पृथक् से रखी जाती है तथा जिसमें जनता हित नहीं रखती तो ऐसा विन्यास निजी विन्यास कहलाता है।

एक पुण्यार्थ विन्यास परोपकारिता का परिणाम है जबकि धार्मिक विन्यास दया का परिणाम होता है। दोनों ही दया एवं परोपकारिता का सह-अस्तित्वों हो सकता है किन्तु सभी पुण्यार्थ विन्यास धार्मिक विन्यास नहीं होते।

मन्दिर-धारा 2 (16)

इस अधिनियम में दी गई मन्दिर की परिभाषा बम्बई लोक न्यास 1958 में दी गई मन्दिर की परिभाषा के समान है। मन्दिर की परिभाषा में निम्नलिखित विन्दुओं पर बल दिया गया है—

(i) मन्दिर लोक धार्मिक उपासना का स्थल है।

(ii) यह हिन्दु समुदाय के प्रयोगार्थ समर्पित किया जाना चाहिये।

(iii) ऐसे स्थान का नाम मन्दिर ही हो यह आवश्वक नहीं है यदि कोई अन्य नाम भी है तो भी वह मन्दिर ही समझा जायेगा।

कोई स्थल मन्दिर कहलाने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि उसमें मूर्ति हो। जहां उपासना (पूजा) की जाती है किन्तु मूर्ति नहीं है वे स्थान भी मन्दिर कहलाएंगे।

डा. बी. के. मुकर्जी के अनुसार मन्दिर में मूर्ति का विद्यमान होना आवश्यक है क्योंकि मन्दिर मूर्ति का निवास स्थल है[1] किन्तु सर्वोच्च न्यायालय[2] ने मन्दिर की परिभाषा के लिए दो आवश्यक तत्व बताए हैं—(1) यह एक लोक धार्मिक उपासना का स्थल है एवं (2) यह हिन्दु समुदाय अथवा उसके किसी वर्ग को धार्मिक पूजा के रूप में समर्पित होता है जो उसके हितार्थ अथवा अधिकार के रूप में प्रयोग किया जाता है। प्रस्तुत अधिनियम की परिभाषा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दी गई परिभाषा के अनुरूप है। किन्तु मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम 1951 में दी गई परिभाषा के अनुसार मन्दिर में मूर्ति की विद्यमानता आवश्यक है क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय के रामावतार व. विक्रय कर अधिकारी[3] एवं रामवक्श व. राजस्थान राज्य[4] के निर्णय पर आधारित है जिसमें कहा गया है कि मन्दिर की किसी विधिक परिभाषा के अभाव में इस शब्द को प्रचलित अर्थ में निर्वचन किया जाना चाहिये।

जब किसी व्यक्ति या परिवार को मन्दिर अनुदान किया गया है तथा उस परिवार ने मन्दिर को परिवार की सम्पत्ति माना है एवं उसके विभिन्न लाभों, चाहे

---

1. टेगोर लॉ लेक्चर्स ऑव हिन्दु ला ऑफ रिलिजियस एण्ड चेरिटेबल ट्रस्ट्स पृ.117
2. पी. एफ. सदावर्ती व. कमिश्नर. एच. आर. एण्ड सी. ई., ए. आई. आर. 1965 स. न्या. 510
3. ए. आई. आर.. 1961 स न्या. 1325
4. ,, ,, ,, 1963 ,, ,, 351

वे भेंट या किराये के रूप में हों, तो इस आधार पर उस परिवार को मन्दिर की निजी सम्पत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता कि उसमें हिन्दुओं को पूजा करने हेतु प्रवेश करने की स्वतन्त्रता दी गई है अथवा उस देवता ने उस क्षेत्र में बहुत प्रसिद्धि प्राप्त करली है अथवा वहां लोग वार्षिक मेला लगाते हैं। ये प्रमाण उस मन्दिर को लोक मन्दिर की संज्ञा देने हेतु पर्याप्त नहीं होते।[1] यह हिन्दु भावना के अनुरूप है कि किसी को मन्दिर में पूजा करने से वंचित नहीं किया जाय चाहे वह निजी मन्दिर ही क्यों न हो।

वैदिक युग में मन्दिर नहीं थे क्योंकि उपासना का गृह-स्वरूप था। हिन्दु मंदिर बौद्ध युग की देन है। गुप्त युग में मंदिरों का बहुत विकास हुआ, दक्षिण भारत में सर्वाधिक मन्दिर बने। महाबलिपुरम के मन्दिर सबसे प्रसिद्ध मन्दिर हैं जो पल्लव राजवन्श द्वारा बनाये गए थे उसके बाद मन्दिरों के निर्माण में निरन्तर वृद्धि होती गई।

मूर्तियां दो प्रकार की होती हैं—स्वयंभू एवं प्रतिष्ठा। स्वयंभू स्वयं अवतरित होती हैं जबकि प्रतिष्ठा की स्थापना प्राण प्रतिष्ठा द्वारा की जाती है। फिर मूर्तियां लेप्या अर्थात धातु या मिट्टी की बनी हुई एवं दूसरी लेख्या अर्थात चित्रित की हुई होती हैं।

मूर्ति की स्थापना तथा उसको सम्पत्ति के समर्पण के साथ न्यास अथवा विधिक अर्थ में धार्मिक विन्यास अस्तित्व में आता है जिसे डिवटर कहा जाता है। हिन्दु मूर्ति विधिक व्यक्ति होती है।[2] मूर्ति के नाम से तथा उसके विरुद्ध वाद प्रस्तुत किया जा सकता है। शैबायत, प्रबन्धक अथवा धर्म कर्म में मूर्ति का अभिरक्षण, एवं उसकी पूजा निहित होती है तथा उसको मूर्ति की सेवा एवं उसको सम्पत्ति के लाभ एवं संरक्षण का अधिकार होता है।

केवल मूर्ति की स्थापना से धार्मिक न्यास जिसे डिवटर कहा जाता है, का सृजन नहीं हो जाता। डिवटर के सृजन हेतु मूर्ति को सम्पत्ति का स्थायी समर्पण आवश्यक है। चूंकि मूर्ति एक निर्जीव व्यक्ति होती है अतः मूर्ति की ओर से सम्पत्ति को धारण करने एवं उसकी व्यवस्था तथा उपयोग करने हेतु किसी मानवीय अभिकर्त्ता का होना आवश्यक है। यह मानवीय अभिकर्त्ता शैबायत कहलाता है। अतः डिवटर के लिए तीन आवश्यक तत्व–मूर्ति, सम्पत्ति का स्थायी एवं पूर्ण समर्पण तथा शैबायत का होना आवश्यक है। समर्पण के सम्बन्ध में दो औपचारिकताएं क्रमशः संकल्प एवं उत्सर्ग एवं प्रतिष्ठा की जाती है। संकल्प से तात्पर्य कर्त्ता द्वारा सम्पत्ति के समर्पण से आशय की औपचारिक घोषणा से है। उत्सर्ग से अभिप्राय सम्पत्ति के स्वामित्व का औपचारिक त्याग से है। संकल्प से उद्देश्य लक्षित होता है। मन्दिर के समर्पण में प्रतिष्ठा उत्सर्ग का स्थान लेती है।[3]

1. ए.आई.आर. 1940 पी. सी. 7
2. देवकीनन्दन ब. मुरलीधर ए. आई. आर. 1957 उ. न्या. 133
3. वही

शैवायत शब्द शैवा से बना है जिसका अर्थ होता है सेवा एवं जो व्यक्ति मूर्ति की सेवा करता है वह शैवायत कहलाता है। वह व्यक्ति मूर्ति की सेवा के लिए अन्तिमत: उत्तरदायी होता है। डा. बी. के. मुकर्जी के अनुसार शैवायत मूर्ति का मानवीय सेवक और उसका प्रबन्धक तथा विधिक प्रतिनिधि होता है। तमिल एवं तेलगु जिलों में शैवायत को धर्मकर्त्ता एवं तंजोर तथा मालाबार जिलों में पंचायतदार कहा जाता है। शैवायत एवं पुजारी अथवा अर्चक में अन्तर है। पुजारी अथवा अर्चक शैवायत के कर्मचारी होते हैं। एक अर्चक न्यासी भी हो सकता है किन्तु प्रबन्ध के अधिकार न्यासी को भी होते हैं अर्चक को नहीं होते। डा. मुकर्जी के अनुसार शैवायत की अवधारणा में पद, सम्पत्ति कर्तव्य एवं व्यक्तिगत हित मिले हुए होते हैं।

शैवायत की नियुक्ति कर्ता द्वारा की जा सकती है यदि कर्ता किसी अन्य व्यक्ति को शैवायत नियुक्त नहीं करता तो शैवायत स्वयं उसमें निहित होती है तथा उसके मरणोपरांन्त उसके उत्तराधिकारी में न्यागमित होती है।[1] सन्तों की समाधि अथवा मकबरा को मन्दिर नहीं माना जा सकता चाहे उनमें पूजा होती हो।[2]

धारा 2 (17) बम्बई लोक न्यास अधिनियम 1950

न्यासी धारा 2 (17)

इस अधिनियम में दी गई न्यासी की परिभाषा बम्बई लोक न्यास अधिनियम 1950 में दी गई परिभाषा के समानान्तर है।

न्यासी वह व्यक्ति होता है जिसमें या तो अकेले ही या अन्य व्यक्तियों के साथ सम्पत्ति निहित होती है। यदि सम्पत्ति निहित नहीं होती तो वह व्यक्ति न्यासी नहीं कहला सकता। सम्पत्ति का निहित होना अभिव्यक्त अथवा प्रलक्षित हो सकता है। यह स्थायी नहीं होकर अस्थायी भी हो सकता है। भारत में न्यासी सम्पत्ति का स्वामी नहीं होता। सम्पत्ति केवल प्रशासन एवं प्रबन्ध हेतु न्यासी में निहित होती है। न्यासी न्यास का प्रतिनिधित्व करते हैं। जब न्यासी कार्य करता है तो न्यास कार्य करता है। निहित होने का अर्थ किसी विनिर्दिष्ट प्रयोजन हेतु निहित होना है जिसका तात्पर्य यह है कि स्वामित्व का अन्तरण नहीं हुआ है।[3] शैवायत विधिक अर्थ में न्यासी नहीं होता किन्तु सामान्य अर्थ मे वह न्यासी के रूप में उत्तरदायी होता है।

विधि न्यासी पर न्यास के स्पष्ट एवं सही-सही लेखे रखने का कर्त्तव्य अधिरोपित करती है वह लेखों के लिए उत्तरदायी होता है। न्यायालय न्यासी की

---

1. प्रमथानाथ व. प्रद्युम्न कुमार ए. आई. आर. 1925 पी. सी. 139 राजकली कुंवर व. रामरतन पान्डे ए. आई. आर. 1955 स० न्या० 493
2. सरस्वति अमल व. रामगोपाल अमल ए. आई. आर. 1953 स० न्या० 491
3. फ्रूट्स एण्ड वेजीटेबल मर्चेन्ट्स एसो. व. दिल्ली इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट ए. आई.आर. 1957 स. न्या. 344

सद्भावना एवं ईमानदारी को ध्यान में रखते हुए उस की निरक्षरता के लिए रियायत दे सकता है। यदि न्यायालय को यह प्रतीत हो कि न्यासी ने न्यास भंग किया है जिसके लिए वह व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी है किन्तु यदि उसने ईमानदारी एवं उचित ढंग से कार्य किया है। एक न्यासी अपने सह-न्यासी की प्राप्तियों, कार्यों एवं दोषों के लिए उत्तरदायी नहीं होता। एक न्यासी स्वयं न्यास की सम्पत्ति नहीं खरीद सकता न ही वह अपनी सम्पत्ति न्यास को बेच सकता है। एक न्यासी को निजी सम्पत्ति न्यास की सम्पत्ति के साथ नहीं मिलानी चाहिए। यदि वह ऐसा करता है तो अपने ऊपर भारी सिद्ध भार लेता है कि न्यास से भिन्न कोई विशिष्ट सम्पत्ति उसकी निजी सम्पत्ति है।[1]

विशेषतः कम आय वाले मन्दिरों का पुजारीपन तथा न्यासीपन एक ही व्यक्ति में निहित हो सकता है।[2]

न्यास परिवार में न्यागत नहीं होते अतः उत्तराधिकारियों को यह स्वतन्त्रता है कि वे न्यास के न्यागमन की फिर से व्यवस्था करे। इसका कारण यह है कि हिन्दु विधि के अन्तर्गत उत्तराधिकार के सामान्य नियम न्यासीपन पर, जो कि एक सम्पत्ति नहीं है, लागू नहीं होते हैं। परिणामस्वरूप संस्थापक का उत्तराधिकारी या नामनिर्देशिती चाहे वह संस्थापक की विधवा हो, न्यासी के पद पर अन्य को नामांकित करने के लिए समर्थ होगी।[3]

एक व्यक्ति उत्तराधिकारी के साथ न्यासी भी हो सकता है। जहां किसी सम्पत्ति विशेष की सम्पूर्ण आय किसी मूर्ति अथवा धार्मिक पुण्यार्थ संस्था को प्रदान कर दी गई है तो वह पूर्ण समर्पण है एवं यह नहीं कहा जा सकता कि मूर्ति या धार्मिक अथवा पुण्यार्थ संस्था के पक्ष में केवल सम्पत्ति पर प्रभार का सृजन किया गया है। न्यासी न्यास सम्पत्ति का किसी भी रूप मे अन्तरण नही कर सकता।[4]

धारा 2 (18) : बम्बई लोक न्यास अधिनियम 1950

धारा 2 (7) : मध्य प्रदेश लोक न्यास अधिनियम 1951

कार्यवाहक न्यासी-धारा 2 (18)

परिभाषा से स्पष्ट है कि कार्यवाहक न्यासी वह व्यक्ति होता है जो या तो अकेले ही अथवा अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों के साथ न्यास सम्पत्ति का प्रशासन करता है

---

1. ए. आई. आर. 1960 स. न्या. 100
2. वेंकटारमन व. एल. ए. थानगप्पा ए. आई. आर. 1972 मद्रा. 119
3. जयराम नेडी व. तिरुवधी 1972 एम. एल जे. 162
4. पंचायत श्री दिगम्बर जैन मन्दिर पार्श्वनाथजी व. श्री विष्णु प्रसाद आर. एल. डब्ल्यु. 1982 पृ. 243

तथा इसमें प्रबन्धक, मठ का प्रधान तथा राजस्थान के वाहर स्थित न्यास सम्पत्ति का प्रभारी भी सम्मिलित है। न्यासी एवं कार्यवाहक न्यासी में वहुत अन्तर है। एक व्यक्ति कार्यवाहक न्यासी हो सकता है किन्तु न्यासी नहीं हो सकता। परिभापा से स्पष्ट है कि कार्यवाहक न्यासी में न्यास सम्पत्ति निहित नहीं होती, वह केवल सम्पत्ति का प्रशासन करता है। महन्त सही अर्थ में न्यासी नहीं होता क्योंकि एक मठ के मामले मे सम्पत्ति संस्था में निहित होती है न कि महन्त में। एक न्यासी कार्यवाहक न्यासी हो सकता है किन्तु परिभाषा के अनुसार यह आवश्यक नहीं है कि एक कार्यवाहक न्यासी, न्यासी हो। प्रशासन से तात्पर्य सम्पत्ति के प्रभावी अधीक्षण एवं नियन्त्रण से है।

अध्याय 2

कतिपय लोक न्यासों की वैधता

धारा 3—संदिग्धता के आधार पर लोक न्यास शून्य नहीं :

किसी विधि, रिवाज अथवा प्रथा के होते हुए भी कोई लोक न्यास केवल इसी आधार पर शून्य नहीं होगा कि उन व्यक्तियों या उद्देश्यों, जिनके लाभार्थ उस न्यास का सृजन किया गया है, वे अनिश्चित हैं या निश्चित नहीं किए जा सकते हैं।

स्पष्टीकरण—कोई लोक न्यास जो ऐसे उद्देश्यों जैसे धार्मिक या पुण्यार्थ कार्यों के लिए सृजित किया गया है तो वह केवल इस आधार पर शून्य नहीं समझा जाएगा कि वे प्रयोजन जिसके लिए उसका सृजन किया गया है, अनिश्चित हैं या निश्चित नहीं किए जा सकते हैं।

इस आधार के अनुसार कोई न्यास संदिग्धता या अनिश्चितता के कारण शून्य नहीं होता है। ऐसे न्यास का भी पश्चातवर्ती धाराओं के अधीन न्यायालय द्वारा निष्पादन किया जाता है। पुण्यार्थ प्रयोजनों हेतु सृजित न्यास अवैध नहीं होता है यदि उसके विनिर्दिष्ट पुण्यार्थ उद्देश्यों का लाभ प्रदान करना न्यासी की इच्छा पर छोड़ दिया गया है।[1]

धारा 10 : बम्बई लोक न्यास अधिनियम 1950

धारा 4—लोक न्यास इस आधार पर शून्य नहीं कि वह गैर-खैराती अथवा गैर-धार्मिक प्रयोजनों के लिए शून्य है।

कोई भी लोक न्यास जिसके कुछ उद्देश्य खैराती अथवा धार्मिक हैं तथा कुछ नहीं हैं तो ऐसा न्यास खैराती या धार्मिक प्रयोजन के सम्बन्ध में केवल इस आधार पर शून्य नहीं समझा जाएगा कि वह गैर-खैराती या गैर-धार्मिक प्रयोजन के सम्बन्ध में शून्य है।

व्याख्या—उपरोक्त प्रबन्ध से यह स्पष्ट है कि एक लोक न्यास का प्रयोजन खैराती अथवा धार्मिक होता है किन्तु यदि ऐसा कोई लोक न्यास सृजित किया गया है कि जिसके कुछ उद्देश्य खैराती या धार्मिक हैं किन्तु कुछ नहीं हैं तो वह केवल इसी आधार पर शून्य नहीं समझा जाएगा कि उसके कुछ प्रयोजन गैर-खैराती या

---

1. ए. आई. आर. 1956 कल. 160

गैर-धार्मिक हैं अर्थात् खैराती या धार्मिक प्रयोजनों के सम्बन्ध में वह वैध होगा और प्रवर्तित होगा। इससे यह स्पष्ट है कि गैर-खैराती या गैर-धार्मिक प्रयोजन हेतु ऐसा लोक न्यास शून्य होता है तथा उसका ऐसे प्रयोजनों हेतु प्रवर्तन नहीं किया जा सकता है।

खैराती विधि का सुनिश्चित सिद्धान्त यह है कि कोई प्रयोजन खैराती नहीं होता जब तक कि वह लोक लाभ को निर्दिष्ट नहीं हो। लोक लाभ का तत्त्व विधिक खैरात की आवश्यक शर्त है। एक निजी एवं लोक न्यास में मुख्य अन्तर यह है कि पूर्ववर्ती में लाभ के हकदार अभिनिश्चित व्यक्ति होते हैं जो एक निश्चित समय में अभिनिश्चित किए जा सकते हैं किन्तु पश्चात्वर्ती में लाभकारी हित व्यक्तियों के अनिश्चित तथा परिवर्तनशील निकाय में निहित होता है। जो या तो सम्पूर्ण जनता या जनता का बड़ा समुदाय हो। स्वयं के परिवार के सदस्यों की शिक्षा हेतु सृजित न्यास को लोक न्यास नहीं कहा जा सकता।[1]

धारा 11 बम्बई लोक न्यास अधिनियम 1950

धारा 5—बाध्यता के अभाव में लोक न्यास शून्य नहीं :

किसी धार्मिक या पुण्यार्थ प्रयोजन हेतु एक लोक न्यास के रूप में सम्पत्ति का कोई भी व्ययन केवल इसी आधार पर शून्य नहीं समझा जाएगा कि ऐसे व्ययन के साथ ऐसी कोई बाध्यता संलग्न नहीं है जिसके द्वारा उस व्यक्ति से, जिसके पक्ष में व्ययन किया गया है, उसे धार्मिक या पुण्यार्थ उद्देश्य हेतु धारण करने की अपेक्षा की गई हो।[2]

धारा 12 : बम्बई लोक न्यास अधिनियम 1950

धारा 6—विनिर्दिष्ट उद्देश्य की विफलता या सोसाइटी आदि के समाप्त हो जाने के कारण लोक न्यास शून्य नहीं :—

यदि कोई लोक न्यास किसी पुण्यार्थ या धार्मिक प्रवृत्ति के किसी विनिर्दिष्ट उद्देश्य अथवा पुण्यार्थ या धार्मिक प्रयोजन के लिए निर्मित किसी संस्था या संस्थान के लाभार्थ सृजित किया गया हो तो ऐसा न्यास इस बात के होते हुए भी किसी सामान्य पुण्यार्थ या धार्मिक प्रयोजन के लिए न्यास सम्पत्ति का विनियोग किए जाने का कोई अभिप्राय नहीं था, केवल निम्न कारणों से अवैध नहीं समझा जाएगा—

(क) कि विनिर्दिष्ट उद्देश्य जिसके लिए न्यास का सृजन किया गया था, का पालन असम्भव या असाधनीय हो गया है अथवा

(ख) कि वह सोसाइटी या संस्था अस्तित्व में नहीं है अथवा उसका अस्तित्व ही समाप्त हो गया है।

---

1. शिक्षा के लिए न्यास व. चन्द्रभान वोर 1972 महा. ला. स. 164
2. रेशम राय व. मुस-मैनी देवी ए. आई. आर. 1972 पट. 476

व्याख्या—इस धारा में यह उपबन्ध किया गया है कि कोई न्यास किसी विनिर्दिष्ट उद्देश्य की विफलता या सोसाइटी आदि का अस्तित्व समाप्त हो जाने के कारण शून्य नहीं हो जाएगा किन्तु न्यायालय उसका निष्पादन करेगा जैसा कि पश्चातवर्ती धाराओं में उपबन्धित है।

यह बात कि किसी वसीयत के अन्तर्गत निष्पादन ट्रस्ट का प्रशासन चलाने में विफल हो गए हैं, न्यास को अप्रवर्तनशील नहीं बना देगी क्योंकि एक न्यास, न्यास का प्रशासन चलाने वाले व्यक्ति के अभाव में विफल नहीं हो जाता है। कोई न्यास इस बात से प्रभावित नहीं होता कि न्यास के संस्थापक द्वारा नामांकित न्यासी न्यासी का कार्य करने एवं न्यास का प्रशासन चलाने से इन्कार कर देता है या मृत्यु अधिकार त्याग अथवा अयोग्यता या अन्य कारण से न्यास का निर्वहन करने हेतु असमर्थ हो जाता है। यह सिद्धान्त साम्यता पर आधारित है क्योंकि साम्यता किसी न्यासी के अभाव में न्यास को विफल हो जाने की कभी अनुमति नहीं देती। जनहित में यह आवश्यक है कि न्यास को जीवित रखने हेतु कोई उसका प्रशासन चलाए।[1]

धारा 13 : बम्बई लोक न्यास अधिनियम 1950

---

1. वादीवेलु मुद्दालियर ब. कुपुस्वामी मुद्दालियार 1972 (1) एम. एल. जे. 265

अध्याय 3

अधिकारियों एवं कर्मचारियों की नियुक्ति

धारा 7—देवस्थान आयुक्त

1. राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा एक अधिकारी नियुक्त करेगी जिसको देवस्थान आयुक्त कहा जाएगा और जो इस अधिनियम द्वारा या इसके उपबन्धों के अधीन या तत्समय प्रवर्तित किसी अन्य विधि के अधीन उस पर अधिरोपित कर्त्तव्यों एवं कृत्यों के अतिरिक्त राज्य सरकार के सामान्य एवं विशेष आदेशों के अधीन रहते हुए प्रशासन पर अधीक्षण रखेगा तथा सम्पूर्ण राज्य में जहां तक यह अधिनियम विस्तारित है, इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करेगा।

2. राजस्थान राज्य के देवस्थान आयुक्त के नाम से आयुक्त एक सकल निगम होगा और शाश्वत उत्तराधिकार एवं एक सामान्य मुद्रा रखेगा तथा अपने निगमित नाम से उसके द्वारा या उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जा सकेगी।

व्याख्या—यह धारा देवस्थान आयुक्त की नियुक्ति के सम्बन्ध में है। देवस्थान आयुक्त को विधिक व्यक्ति की संज्ञा दी गई हैं अर्थात् वह प्राकृतिक व्यक्ति के समान अधिकार रखता है। वह सम्पत्ति प्राप्त कर सकता है उसे धारण कर सकता है तथा उसका व्ययन कर सकता है। उसके द्वारा या उसके विरुद्ध न्यायालय में वाद लाया जा सकता है। यही नहीं आयुक्त का पद शाश्वत उत्तराधिकार का पद बनाया गया है तथा उसकी एक सामान्य मुद्रा (सील) रखी गई है। आयुक्त पर राजस्थान लोक न्यास अधिनियम 1959 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों को समस्त राज्य में कार्यान्वित करने का दायित्व भी अधिरोपित किया गया है।

धारा 3 : बम्बई लोक न्यास अधिनियम 1950

धारा 8—सहायक देवस्थान आयुक्त

राज्य सरकार इसी प्रकार—

(i) इतनी संख्या में जितनी वह समय-समय पर आवश्यक समझे, सहायक देवस्थान आयुक्तों की नियुक्ति कर सकेगी तथा

(ii) ऐसे क्षेत्र की स्थानीय सीमाएं परिनिश्चित करेगी जिनमें कि इस प्रकार से नियुक्त किया गया प्रत्येक सहायक आयुक्त अपनी अधि-

कारिता रखेगा तथा इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा या अधीन उसको प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करेगा।

व्याख्या—राज्य सरकार द्वारा सहायक आयुक्तों की नियुक्ति राज पत्र में अधिसूचना द्वारा की जाएगी जैसा कि शब्द "इसी प्रकार" इंगित करते हैं। इसके पूर्व की धारा 7 (1) में देवस्थान आयुक्त की नियुक्ति का ढंग बताया गया है अत: ये सहायक आयुक्त की नियुक्ति के लिए भी धारा 7 (1) का अनुसरण किया जाएगा। प्रारम्भ में जयपुर, जोधपुर एवं उदयपुर खण्ड के लिए तीन सहायक आयुक्त नियुक्त किए गए थे किन्तु अब इनकी संख्या बढ़ाकर सात कर दी गई है जिनके मुख्यालय एवं कार्य-क्षेत्र आगे दिए गए हैं।

धारा 3 ए : बम्बई लोक न्यास अधिनियम 1950

धारा 9—अधीनस्थ अधिकारी एवं कर्मचारी

इस अधिनियम के उपबन्धों का निष्पादन करने में आयुक्त एवं सहायक आयुक्तों को सहायता प्रदान करने हेतु राज्य सरकार निरीक्षकों तथा अन्य अधीनस्थ कर्मचारियों की ऐसे पदनाम के साथ नियुक्ति कर सकेगी तथा उनके लिए इस अधिनियम या तदधीन निर्मित नियमों अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन ऐसी शक्तियां, कर्तव्य एवं कृत्य, जैसा आवश्यक समझे समनुदेशित (assign) कर सकेगी।

परन्तु शर्त यह है कि राज्य सरकार सामान्य अथवा विशेष आदेश द्वारा एवं ऐसी शर्तों, जैसी वह अधिरोपित करना उचित समझे, के अधीन, आदेश में विनिर्दिष्ट ऐसे अधीनस्थ अधिकारियों एवं कर्मचारियों को, जो ऐसे आदेश में उल्लिखित हों, नियुक्त करने की शक्ति आयुक्त एवं सहायक आयुक्तों को प्रदान कर सकेगी।

धारा 10—आयुक्त एवं अन्य अधिकारी सरकार के लोक सेवक होना :

इस अधिनियम के अधीन नियुक्त आयुक्त, सहायक आयुक्त, निरीक्षक एवं अन्य अधीनस्थ अधिकारी एवं कर्मचारी राज्य सरकार के सेवक होंगे तथा अपना वेतन एवं भत्ते राज्य की समेकित निधि (Consolidated fund) से आहरित (Draw) करेंगे। ऐसे अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सेवा शर्तें वही होंगी जो राज्य सरकार द्वारा अवधारित (Determine) की जाए।

व्याख्या—इस धारा के अनुसार आयुक्त एवं अन्य अधिकारी राज्य सरकार के लोक सेवक होंगे। भारतीय दण्ड संहिता की धारा 21 में लोक सेवक को परिभाषित किया गया है।

नियम 3 में यह क्रमबद्ध किया गया है कि इस अधिनियम के अन्तर्गत नियुक्त किए गए सभी कर्मचारियों की सेवा शर्तें राजस्थान सेवा नियमों के द्वारा विनियमित एवं शासित होंगी।

धारा 6 ए : बम्बई लोक न्यास अधिनियम 1950

———

अध्याय 4

बोर्ड एवं समितियों की स्थापना एवं उनके कृत्य

धारा 11—सलाहकार बोर्ड की स्थापना एवं गठन :

1. राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा उन क्षेत्रों के लिए जिन पर तत्समय यह अधिनियम लागू होता है, एक सलाहकार बोर्ड की स्थापना करेगी जो राजस्थान लोक न्यास बोर्ड कहा जायगा एवं वह प्रत्येक हित का प्रतिनिधित्व करने वाले इतनी संख्या के सदस्यों से मिलकर बनेगा जैसा विहित किये जाएं ।

2. बोर्ड के समस्त सदस्य राज्य सरकार द्वारा राज पत्र में अधिसूचना द्वारा नियुक्त किए जाएंगे तथा वे, जैसा अन्यथा उपबंधित है उसके सिवाय, ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से पांच वर्ष की अवधि पर्यन्त अपने पद पर बने रहेंगे।

3. राज्य सरकार बोर्ड के सदस्यों में से किसी एक को उसका सभापति नियुक्त करेगी ।

4. यदि बोर्ड का कोई सदस्य मृत्यु, त्यागपत्र हटाये जाने या अन्य किसी कारण से अपनी पूरी पदावधि तक पद धारण करने में असमर्थ हो जाय तो इस प्रकार हुए रिक्त स्थान को अन्य व्यक्ति की नियुक्ति करके भरा जा सकेगा तथा इस प्रकार नियुक्त किया गया व्यक्ति ऐसे रिक्त स्थान पर उस शेष अवधि तक ही कार्य करेगा जिस तक वह व्यक्ति, जिसके स्थान पर अन्य व्यक्ति नियुक्त किया गया है, उस पद पर कार्य करता रहता ।

5. सभापति सहित बोर्ड के सदस्यों को बोर्ड की बैठकों में उपस्थित होने के लिए तथा विहित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन रहते हुए बोर्ड से सम्बन्धित किन्हीं मामलों में किसी प्रकार की यात्रा करने के लिए यात्रा-भत्ता एवं अन्य भत्ते उन दरों से जो राज्य सरकार नियत करे, दिए जाएंगे ।

व्याख्या—राज्य सरकार को सम्पूर्ण राज्य के लिए एक राजस्थान लोक न्यास बोर्ड के गठन करने की शक्ति प्रदान की गई है । ऐसे बोर्ड में प्रत्येक वर्गाव-

लम्बियों के प्रतिनिधि होंगे। कुल सदस्यों की संख्या निर्धारित करने का अधिकार भी राज्य सरकार को दिया गया है। बोर्ड के समस्त सदस्यों की पदावधि (कार्यकाल) पांच वर्ष रखी गई है। नियुक्त सदस्यों में से राज्य सरकार एक सदस्य को सभापति नियुक्त करेगी। पदावधि की समाप्ति से पूर्व किसी सदस्य का कतिपय कारणों से स्थान रिक्त होने की दशा में शेष अवधि के लिए ही दूसरा सदस्य नियुक्त किया जाएगा। सदस्यों को बैठकों आदि में उपस्थित होने के लिए नियमों द्वारा नियत दर से यात्रा भत्ता दिया जाएगा।

राज्य सरकार ने इस सम्बन्ध में राजस्थान लोक न्यास नियम 1962 के अधीन नियम 4 में सलाहकार बोर्ड के सदस्यों की संख्या इक्कीस नियत की है जिसमें विभिन्न धर्मावलम्बियों के प्रतिनिधि हैं।[1] नियम 5 में बोर्ड के कार्यों व नियम 6 में सभापति व अन्य सदस्यों के यात्रा भत्ता नियम व दरें दी गई हैं। नियम 10 में बोर्ड के कार्य संचालन का तरीका तथा प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। नियम 12 में बोर्ड के सदस्यों की अयोग्यताओं का वर्णन किया गया है। बोर्ड के सदस्यों को हटाने के सम्बन्ध में नियम 13 में व्यवस्था की गई है।

राज्य सरकार द्वारा गठित सलाहकार बोर्ड की संरचना इस प्रकार है—

1.	हिन्दु		19
	(क) जैन	4	
	(ख) सिख	1	
	(ग) अन्य हिन्दु	14	
2.	ईसाई		1
3.	जोरोस्ट्र		1
			21

हिन्दु संस्था अथवा हिन्दु की व्याख्या करने में लोक मान्य बाल गंगाधर तिलक द्वारा सुझाई गई परख अपनाई जानी चाहिये—वेदों को आदर के साथ स्वीकार करना, इस तथ्य को स्वीकार करना कि मुक्ति के साधन एवं मार्ग अनेक हैं तथा इस तथ्य को समझना कि पूजनीय देवताओं की संख्या अनेक है, ये ही वास्तव में हिन्दु धर्म की पहचान के चिन्ह हैं।[2] किन्तु इस विषय में संविधान के अनुच्छेद 25 के खन्ड (2) के साथ दी गई व्याख्या 2 को और अधिक व्यापक अर्थ

1. अधिसूचना सं. एफ. 3 एच. (19) रेवे/क/60 दि. जून 30, 1962।
2. शास्त्री यज्ञ पुरुषदासजी व. मूलदास सुन्दरदास वैश्य ए. आई. आर. 1966 स. न्या. 1119।

दिया गया है । इस व्याख्या द्वारा सिख, जैन एवं बौद्ध धार्मिक संस्थाओं को भी हिन्दु संस्थाओं में सम्मिलित किया गया है जबकि जैन और बौद्ध धर्मों के अनुयायी वेदों को स्वीकार नहीं करते और इस प्रकार तिलक की परिभाषा से बाहर हैं ।

यद्यपि इस धारा द्वारा बोर्ड की कार्यावधि पांच वर्ष निर्धारित की गई है, किन्तु समय पर बोर्ड का गठन नहीं हो पाता । पिछले बोर्ड का गठन दिसम्बर 1978 में किया गया था जिसकी कार्यावधि 1983 में समाप्त हो चुकी है किन्तु नए बोर्ड का गठन नहीं हुआ है । इसके कारण प्रशासकीय विलम्ब हो सकता है किन्तु विधान मण्डल का यह आशय कदापि नहीं हो सकता कि अधिनियम की प्रभावी क्रियान्विती नहीं हो । अतः यह उचित है कि इस धारा में संशोधन किया जाय जिसके अनुसार नए बोर्ड के गठन होने तक पूर्व में गठित बोर्ड कार्यावधि समाप्त हो जाने के बाद भी कार्य करता रहे ।

धारा 12—बोर्ड के कृत्य (Functions)

1. बोर्ड—

(अ) आयुक्त द्वारा इस अधिनियम के अन्तर्गत उसके कृत्यों के निर्वहन के सम्बन्ध में राज्य सरकार को अपनी राय देगा ।

(ब) इस अधिनियम में तथा तद्धीन निर्मित नियमों की कार्यान्विती में अनुभव की गई कठिनाईयों की ओर राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करेगा तथा उनमें संशोधन हेतु सुझाव देगा ।

(स) ऐसे विषयों पर विचार करेगा जो राज्य सरकार द्वारा बोर्ड को निदर्शित (Referred) किए जाएं तथा

(द) ऐसे अन्य कार्यों का निर्वहन करेगा जो विदित किए जायें ।

2. यदि कोई सहायक आयुक्त, अध्याय 6 एवं 7 के अन्तर्गत उसको प्रदत्त शक्तियों में से किन्हीं भी शक्तियों का प्रयोग किए जाने के सम्बन्ध में धारा 14 के अधीन निर्मित समिति द्वारा दी गई राय से असहमत हो, तो वह मामले को बोर्ड के पास प्रेषित करेगा ।

3. उक्त उपधारा 2 के अधीन निर्देशित किसी मामले में सहायक आयुक्त बोर्ड के निर्णयानुसार कार्यवाही करेगा ।

4. राज्य सरकार उक्त उपधारा 1 के खण्ड (अ) अथवा (ब) के अधीन बोर्ड से प्राप्त सम्पत्तियों पर विचार के पश्चात् जैसा उचित समझे, कार्यवाही कर सकेगी एवं विशेष रूप से आयुक्त को उसकी शक्तियों में से किन्हीं का भी उसके द्वारा प्रयोग किए जाने के सम्बन्ध में इस अधिनियम एवं तद्धीन नियमों से संगत (consistent) जैसा उचित समझे निर्देश जारी कर सकेगी ।

धारा-13 क्षेत्रीय सलाहकार समितियां

1. राज्य सरकार राज पत्र में अधिसूचना द्वारा सहायक आयुक्त की अधिकारिता क्षेत्र के भीतर क्षेत्र के लिये एक क्षेत्रीय सलाहकार समिति स्थापित करेगी जो प्रत्येक हित प्रतिनिधित्व करने वाले इतनी संख्या के सदस्यों से मिल कर बनेगी, जो विहित किए जायें।

2. इस समिति के समस्त सदस्य राज्य सरकार द्वारा राज पत्र में अधिसूचना द्वारा नियुक्त किये जायेंगे तथा वे, जैसा अन्यथा उपबंधित है, उसके सिवाय ऐसी अधिसूचना की प्रकाशन की तारीख से पांच वर्ष की अवधि पर्यन्त अपने पद पर बने रहेंगे।

3. राज्य सरकार समिति के सदस्यों में से किसी एक सदस्य को उसका सभापति नियुक्त करेगी।

4. यदि समिति का कोई सदस्य मृत्यु, त्याग पत्र, हटाये गये या अन्य किसी कारण से अपनी पूरी पदावधि तक पद धारण करने में असमर्थ हो जाय तो इस प्रकार हुए रिक्त स्थान दो अन्य व्यक्ति की नियुक्ति करके भरा जा सकेगा तथा इस प्रकार नियुक्त किया गया व्यक्ति ऐसे रिक्त स्थान पर उस शेष अवधि तक ही कार्य करेगा जिस तक वह व्यक्ति, जिसके स्थान पर अन्य व्यक्ति नियुक्त किया गया है, उस पद पर कार्य करता रहता।

5. सभापति सहित समिति के सदस्यों को समिति की बैठकों में उपस्थित होने के लिये तथा विहित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन रहते हुए समिति से सम्बन्धित किन्हीं मामलों में किसी प्रकार की यात्रा करने के लिये यात्रा भत्ता एवं अन्य भत्ते उन दरों से जो राज्य सरकार नियत करे, दिये जायेंगे।

व्याख्या—धारा 8 के अन्तर्गत नियुक्त सहायक आयुक्तों के अधिकारिता क्षेत्रों के लिये राज्य सरकार ने प्रथम क्षेत्रीय सलाहकार समितियों का गठन किया है, जो इस प्रकार है—

(1) 11 अगस्त 1962 को उदयपुर क्षेत्रीय सलाहकार समिति

(2) 17 अगस्त 1962 को जोधपुर क्षेत्रीय सलाहकार समिति

(3) 28 अगस्त 1962 को जयपुर क्षेत्रीय सलाहकार समिति

व्याख्या—अधिनियम की धारा 8 के अन्तर्गत नियुक्त प्रत्येक सहायक आयुक्त के अधिकारिता क्षेत्र के लिए राज्य सरकार ने राज पत्र में अधिसूचना द्वारा एक सलाहकार समिति का गठन करने का प्रावधान किया है। समिति के सदस्यों की संख्या भी राज्य सरकार निर्धारित करेगी। सदस्यों की कार्यावधि राज पत्र में प्रकाशित अधिसूचना की तारीख से 5 वर्ष की होगा। नियुक्त सदस्यों में से राज्य सरकार किसी एक को अध्यक्ष नियुक्त करेगी। बोर्ड के सदस्यों के पद रिक्त होने के समान ही समिति के सदस्यों के पद रिक्त होने पर शेष अवधि के लिये ही अन्य

व्यक्ति नियुक्त किया जायेगा। बोर्ड के सदस्यों की भांति अध्यक्ष व अन्य सदस्यों का यात्रा भत्ता व अन्य भत्ते मिल सकेंगे इसके लिये नियमों में व्यवस्था की गई है।

क्षेत्रीय सलाहकार समिति के लिये सदस्यों की संख्या जो विभिन्न धर्मावलम्बियों में से नामजद किये जायेंगे, का निर्धारण राजस्थान लोक न्यास नियम 1962 के नियम 7 में किया गया है। कुल 21 सदस्यों की संख्या निर्धारित की गई है इन सदस्यों व अध्यक्ष के यात्रा भत्ता आदि के लिये नियम 8 में व्यवस्था की गई है। कार्यों के बारे में नियम 9 में प्रावधान किया गया है। समिति के सदस्यों को हटाने के संबंध में नियम 13 में व्यवस्था की गई है। ऐसी समितियों के लिये कर्मचारी वर्ग की नियुक्ति आदि की व्यवस्था नियम 15 मे की गई है। क्षेत्रीय सलाहकार समितियों की कार्यावधि समाप्त हो जाने के बाद भी उनका समय पर गठन नहीं हो पाता अतः इस धारा में संशोधन किया जाना चाहिये जिसके अनुसार पूर्व गठित समिति कार्यावधि समाप्त होने के पश्चात् भी नई समिति के गठन होने तक कार्य करती रहे।

धारा 14—समितियों के कृत्य

1. प्रत्येक समिति जिस क्षेत्र के लिए वह स्थापित की गई है उस क्षेत्र के सहायक आयुक्त को अध्याय 6 एवं 7 के मामलों के सम्बन्ध में सलाह देगी तथा धारा 12 की उपधारा 2 एवं 3 में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, कोई भी सहायक आयुक्त ऐसे मामलों में राय प्राप्त किए बिना या ऐसी राय के विपरीत अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं करेगा।

2. प्रत्येक समिति अन्य ऐसे कृत्यों का जो विहित किये जायें, निर्वहन करेगी।

व्याख्या—उक्त समिति व सहायक आयुक्त के मतभेद के मामले को राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास बोर्ड के विचारार्थ एवं निर्देशनार्थ प्रस्तुत किया जायेगा एवं बोर्ड की सम्मति के अनुसार प्राप्त निर्देशों के अधीन सहायक-आयुक्त अमल करेगा।

राजस्थान लोक न्यास अधिनियम के अध्याय 6 व 7 में सहायक आयुक्त जो कार्य करेगा उन पर ऐसी प्रादेशिक सलाहकार समिति अपनी राय देगी, उसी के अनुसार कतिपय बातों के अलावा सहायक आयुक्त कार्यवाही करेगा।

धारा 15—बोर्ड एवं समितियों की कार्यवाहियों आदि का संचालन

1. बोर्ड या समिति की कार्यवाही का संचालन करने की रीति, उसके लिए अपेक्षित कर्मचारी तथा उसकी सेवा शर्तें एवं उनके सदस्यों का हटाया जाना राज्य सरकार द्वारा निर्मित नियमों के द्वारा नियत किया जाएगा।

2. बोर्ड या समिति का कोई सदस्य बोर्ड या समिति के समक्ष प्रस्तुत किसी ऐसे विषय पर चर्चा या मतदान में भाग नहीं लेगा यदि वह विषय किसी

विशेष धर्म से सम्बन्धित लोक न्यास के बारे में है तथा वह सदस्य उस धर्म का अनुयायी नहीं है।

व्याख्या—इस धारा में बोर्ड एवं क्षेत्रीय समिति द्वारा कार्यवाही के संचालन की प्रक्रिया का उपबन्ध किया गया है।

सलाहकार बोर्ड—नियम 10 में सलाहकार बोर्ड द्वारा बैठकों एवं अन्य कार्यवाहियों के संचालन करने में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया की व्यवस्था करता है।

क्षेत्रीय समिति--नियम 11 क्षेत्रीय समिति द्वारा बैठकों यवं अन्य कार्यवाहियों के संचालन करने में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया की व्यवस्था करता है।

बोर्ड एवं क्षेत्रीय समिति—नियम 15 में सलाहकार बोर्ड एवं क्षेत्रीय सलाहकार समिति के लिए सचिव एवं कर्मचारी वर्ग के अन्य सदस्यों की नियुक्ति की व्यवस्था की गई है। इसमें उक्त निकायों के आवर्ती एवं अनावर्ती व्ययों के पूरा करने की रीति का भी उल्लेख किया गया है। राज्य सरकार ने उप-सचिव, राजस्व विभाग को राजस्थान लोक न्यास बोर्ड का पदेन-सचिव नियुक्त किया है।[1]

बोर्ड एवं क्षेत्रीय समिति के सदस्य—नियम 12 के कोई व्यक्ति सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए निरर्हित होगा यदि वह–

(क) 21 वर्ष से कम आयु का है, या

(ख) नैतिक अधमता के किसी अपराध में आपराधिक न्यायालय द्वारा सुपुर्द किया गया है, या

(ग) विकृत चित्त का है एवं किसी सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित किया गया है या

(घ) अनुन्मोचित दिवालिया है या

(ङ) दुर्व्यवहार का दोषी है

(च) दुर्व्यवहार का दोषी है या

(छ) उस धर्म या आस्था का जिसका वह बोर्ड या समिति में प्रतिनिधित्व करता है, अनुयायी नहीं रहता।

(ज) निरक्षर है या

(झ) अन्यथा अयोग्य है।

बोर्ड एवं क्षेत्रीय समिति के सभापति एवं सदस्य—नियम 13 राज्य सरकार को शक्तियां प्रदान करता है एवं उन परिस्थितियों को प्रमाणित करता है जब बोर्ड या क्षेत्रीय सलाहकार समिति के सभापति या सदस्य हटाये जा सकते हैं। राज्य सरकार द्वारा पद से हटाने के पूर्व सम्बद्ध व्यक्ति को 'कारण बताओ' का अवसर देना आवश्यक है। राज्य सरकार का विनिश्चय अन्तिम होगा।

---

1. अधिसूचना स. एफ 3 (एच) (19) रेवे/स/60 दिनांक 13-6-82

त्याग पत्र—नियम 14 में यह व्यवस्था है कि अध्यक्ष या कोई सदस्य लिखित रूप में अपने पद का त्याग कर सकते हैं, त्याग पत्र राज्य सरकार को सम्वोधित किया जाएगा। इस नियम के परन्तुक के अनुसार त्याग पत्र के बाद भी वह अपने पद पर बना रहेगा जब तक कि उसके उत्तराधिकारी की नियुक्ति राज पत्र में अधिसूचित नहीं की जाती।

इस धारा की उपधारा 2 विशेष महत्त्व की है। इसमें यह व्यवस्था की गई है कि यदि किसी विशेष धर्म से सम्बन्धित लोक न्यास के विषय में कोई विचार-विमर्श अथवा मतदान बोर्ड या समिति में चल रहा हो तो बोर्ड या समिति का कोई ऐसा सदस्य जो उस धर्म का मानने वाला नहीं है, तो वह ऐसे विचार-विमर्श या मतदान में भाग नहीं ले सकेगा। इससे स्पष्ट है कि सामान्य प्रकृति के विषयों पर विचार-विमर्श अथवा मतदान में बोर्ड या समिति के सभी सदस्य भाग ले सकेंगे किन्तु विशेष धर्म या मत से सम्बन्धित न्यास पर विचार-विमर्श अथवा मतदान में केवल उस धर्म अथवा मत के मानने वाले सदस्य ही भाग ले सकेंगे।

———

अध्याय 5

लोक न्यासों का पंजीकरण

धारा 16—पंजीकरण का प्रभारी अधिकारी

1. सहायक आयुक्त ऐसे समस्त लोक न्यासों, जिनके मुख्यालय या जिनके कार्य के मुख्य स्थान जैसे कि वे धारा 17 की उपधारा 1 के अन्तर्गत प्रस्तुत आवेदन में घोषित किए गए हैं, उसकी अधिकारिता क्षेत्र की स्थानीय सीमाओं के भीतर स्थित हैं, के पंजीकरण का प्रभारी अधिकारी होगा।

2. सहायक आयुक्त लोक न्यासों का एक रजिस्टर तथा अन्य ऐसी पुस्तकें एवं रजिस्टर ऐसे प्रपत्र में, जो विहित किए जाएं, रखेगा।

व्याख्या—सहायक आयुक्त द्वारा रखे जाने वाले रजिस्टर एवं पुस्तकों का विवरण नियम 16 में दिया गया है। उक्त उपधारा (1) में अधिकारिता के सिद्धान्त निर्धारित किए गए हैं। अधिकारिता दोनों में से किसी एक तथ्य पर निर्भर है—(i) जहां पर लोक न्यास का मुख्यालय स्थित है अथवा (ii) जहां पर न्यास के कार्य का मुख्य स्थान स्थित है। किन्तु मुख्यालय तथा कार्य का मुख्य स्थान अधिनियम में परिभाषित नहीं किया गया है। अतः इनका सामान्य अर्थ किया जाना चाहिये। अतः एक न्यास का पंजीकरण वहां किया जाएगा जहां पर या तो न्यास का मुख्यालय स्थित है या फिर उस न्यास के कार्य का मुख्य स्थान वहां पर है। यदि उस न्यास का मुख्यालय या कार्य का स्थान दोनों ही राजस्थान में स्थित नहीं है तो उस न्यास के राजस्थान में पंजीकरण की अपेक्षा नहीं है भले ही उस न्यास की सम्पत्ति चाहे छोटी हो या बड़ी राजस्थान में स्थित हो। पंजीकरण अधिकारी की अधिकारिता हेतु सम्पत्ति का स्थित होना महत्त्वपूर्ण नहीं है किन्तु न्यास के मुख्यालय अथवा कार्य के मुख्य स्थान का स्थित होना महत्त्वपूर्ण है। जिस राज्य में न्यास स्थित है उसी राज्य की विधि उस न्यास पर लागू होगी भले ही उस न्यास की सम्पत्ति उस राज्य के बाहर स्थित हो।[1] किसी मठ, जिसके अधीन अन्य मठ हैं, पे न्यास की स्थिति निर्धारित करने में उस मुख्य मठ की स्थिति देखी जाएगी और उसी

---

1. अनन्त प्रसाद व. आन्ध्रप्रदेश राज्य ए. आई. आर. 1963 स. न्या. 853

के अनुसार अधिनियम लागू होगा।[1] अधिनियम को लागू करने के लिए दो अनिवार्यताएं पूरी करना आवश्यक है—(1) धार्मिक न्यास अथवा संस्था उसी राज्य में स्थित हो तथा (2) उस न्यास की सम्पत्ति का भाग उस राज्य में स्थित हो।[2]

धारा 17—लोक न्यासों का पंजीकरण

1. किसी लोक न्यास पर इस धारा के लागू होने की तारीख से तीन माह के भीतर या किसी लोक न्यास के सृजन की तारीख से, जो भी पश्चात् हो, उसका कार्यवाहक न्यासी अधिकारिता रखने वाले सहायक आयुक्त को ऐसे लोक न्यास के पंजीकरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करेगा।

2. सहायक आयुक्त कारणों को लेखबद्ध करने पर पंजीकरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की उपधारा 1 में विहित अवधि, 2 वर्ष से अधिक नहीं, बढ़ा सकेगा।

3. प्रत्येक ऐसा आवेदन पत्र शुल्क, यदि कोई हो, किन्तु जो 5 रु. से अधिक होगा, के साथ प्रस्तुत किया जाएगा तथा उसका उपयोग ऐसे प्रयोजन हेतु होगा जो विहित किया जाए।

4. आवेदन पत्र ऐसे प्रारूप में होगा जो विहित किया जाए तथा उसमें निम्नलिखित विवरण होंगे अर्थात्—

(i) उस लोक न्यास का उद्गम (जहां तक ज्ञात हो) उसी प्रकार एवं उद्देश्य तथा पदनाम जिसके द्वारा वह पुकारा जाता है या पुकारा जाएगा;

(ii) स्थान का नाम जहां इस लोक न्यास का मुख्यालय स्थित है;

(iii) कार्यवाहक न्यासियों तथा प्रबन्धक के नाम एवं पते;

(iv) न्यासी के पद के उत्तराधिकार की रीति;

(v) चल एवं अचल न्यास सम्पत्ति की सूची तथा ऐसा वर्णन एवं विवरण जो उसकी पहिचान के लिए पर्याप्त हो;

(vi) चल एवं अचल सम्पत्ति का लगभग मूल्य;

(vii) चल एवं अचल सम्पत्ति या किसी अन्य स्रोत से प्राप्त सकल औसत वार्षिक आय, यदि कोई हो, जो आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की तारीख से तत्काल पूर्व 3 वर्ष के भीतर वास्तविक सकल वार्षिक आय पर आधारित हो अथवा न्यास के सृजन में व्यतीत अवधि की, जो कोई भी अवधि कम हो तथा लोक न्यास की दशा में नव निर्मित सभी ऐसे स्रोतों से अनुमानित सकल वार्षिक आय;

---

1. चेरिटी कमिश्नर, बम्बई व. सांगेरी मठ ए. आई. आर. 1963 स. न्या. 566 महाराज कुमार उमेदश्वरी कुंअर व. बिहार राज्य 1960 स. न्या. ?
2. बिहार राज्य व. चारूशिला दासी ए. आई. आर. 1959 स. न्या. 1002

(viii) ऐसे लोक न्यास के सम्बन्ध में औसत वार्षिक व्यय की राशि जो खण्ड (viii) के अन्तर्गत विवरणों से सम्बन्धित अवधि के भीतर अनुमानित की गई है तथा नवनिर्मित लोक न्यास की दशा में ऐसे लोक न्यास का अनुमानित वार्षिक व्यय;

(ix) पता जिस पर कार्यवाहक न्यासी या प्रबन्धक को लोक न्यास के सम्बन्ध में कोई संवाद भेजा जा सके;

(x) ऐसे अन्य विवरण जो विहित किए जाएं।

किन्तु शर्त यह है कि निर्मित नियमों में यह विहित किया जा सकेगा कि किसी भी या सभी लोक न्यासों के मामले में इतने मूल्य एवं ऐसे प्रकार की न्यास सम्पत्ति जो उसमें विनिर्दिष्ट की जाए, के विवरण देना आवश्यक नहीं होगा।

5. उपधारा (1) के अन्तर्गत दिया गया प्रत्येक आवेदन पत्र सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 (1908 का केन्द्रीय अधिनियम v) में वाद पत्रों के हस्ताक्षर करने एवं सत्यापित करने हेतु अधिकथित रीति के अनुसार हस्ताक्षरित एवं सत्यापित होगा। इसके साथ न्यास के विलेख (यदि ऐसा विलेख निष्पादित किया गया है तथा विद्यमान है) की एक प्रति संलग्न की जाएगी तथा यदि न्यास सम्पत्ति में अधिकार अभिलेख में प्रविष्ट अचल सम्पत्ति सम्मिलित है तो ऐसे अधिकार अभिलेख में ऐसी सम्पत्ति के सम्बन्ध में सुसंगत प्रविष्टियों की एक प्रति भी संलग्न की जाएगी।

6. कोई भी सहायक आयुक्त किसी ऐसे लोक न्यास के पंजीकरण हेतु किए गए आवेदन पत्र पर आगे कार्यवाही नहीं करेगा यदि उस लोक न्यास के सम्बन्ध में पंजीकरण हेतु अन्य किसी सहायक आयुक्त के समक्ष आवेदन-पत्र किया जा चुका है तथा जिस सहायक आयुक्त के समक्ष ऐसा प्रथम आवेदन पत्र दिया गया है। वह निर्णय करेगा कि उस लोक न्यास के पंजीकरण हेतु कौनसा सहायक आयुक्त अधिकारिता रखता है।

7. उस सहायक आयुक्त जिसके समक्ष उपधारा 6 के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है, द्वारा उपधारा 6 के अन्तर्गत दिए गए आदेश के विरुद्ध 60 दिन के भीतर आयुक्त को अपील की जा सकेगी तथा ऐसी अपील के निर्णय उपधारा 6 के अधीन सहायक आयुक्त का आदेश अन्तिम होगा।

व्याख्या—इस धारा में लोक न्यास के पंजीकरण की व्यवस्था की गई है। बम्बई लोक न्यास की तत्समान धारा उच्च न्यायालय में विचारार्थ प्रस्तुत हुई। यह अभिनिर्धारण किया गया कि इस धारा के उपबन्ध संविधान के अनुच्छेद 25 एवं 26 के विपरीत नहीं हैं और न ही वे राज्य विधान मण्डल की सक्षमता से परे हैं।[1] सर्वोच्च न्यायालय ने भी इसकी पुष्टि की।[2]

---

1. रतिलाल पानाचन्द गांधी व. बम्बई राज्य ए. आई. आर. 1953 बम्ब. 242
2. वही, ए. आई. आर. 1954 स. न्या. 388

धारा 17(3) संविधान शुल्क एवं कर में अन्तर किया गया है। कर सामान्य राजस्व के प्रयोजनार्थ बनाया जाता है जो एकत्रित करने पर राज्य की सार्वजनिक आय का अंग होता है। इसके विपरीत शुल्क व्यक्ति द्वारा प्राप्त किए जाने वाले विशेष लाभ या विशेषाधिकार के लिए भुगतान है। प्रश्नाधीन शुल्क एक प्रकार का अंशदान है जो राजस्थान सरकार द्वारा देवस्थान विभाग के माध्यम से लोक न्यासों को की गई सेवाओं में होने वाले व्ययों की पूर्ति के लिए है। नियम 18 के अन्तर्गत समेकित निधि में राशि का जमा कराना पर्याप्त प्रमाण नहीं है कि इस प्रकार का उद्ग्रहण (levy) धारा 17 (3) के अन्तर्गत कर है। चूंकि शुल्क द्वारा प्राप्त आय देवस्थान विभाग पर किए जाने वाले व्ययों से कई गुना कम है अतः यह शुल्क होगा एवं धारा 17(3) अवैध नहीं है।[1]

जिस उद्देश्य के लिए 'केसरी एवं मराठा' न्यास की स्थापना की गई थी वह केवल उन गतिविधियों को जारी रखना था जिनके लिए लोकमान्य तिलक ने दो समाचार पत्र प्रारम्भ किए थे। न्यास विलेख के अनुसार ये गतिविधियां राजनीतिक शिक्षा के प्रसार के लिए थीं तथा उसके द्वारा लोगों को उनके राजनीतिक अधिकारों के प्रति जागरूक करना लोकमान्य के इन समाचार पत्रों का उद्देश्य था। राजनीतिक उद्देश्य की प्राप्ति हेतु प्रचार एक राजनीतिक प्रयोजन है उसे पुण्यार्थ प्रयोजन नहीं कहा जा सकता किन्तु यह सामान्य जन उपयोगिता के किसी अन्य उद्देश्य की उन्नति के लिए है, अतः न्यास का पंजीकरण अपेक्षित था।[2]

न्यास के पंजीकरण हेतु आवेदन प्रारूप संख्या 6 में होगा तथा नियम 16 के साथ पठित धारा 17(4) में वर्णित विवरण अन्तर्विष्ट होंगे। यह हस्ताक्षरित एवं सत्यापित होगा जैसाकि सिविल प्रक्रिया संहिता में वाद-पत्रों के हस्ताक्षर करने एवं सत्यापन करने हेतु अधिकथित किया गया है तथा उस पर नियम 18 के अनुसार पंजीकरण शुल्क का भुगतान किया जाएगा। पंजीकरण प्रमाण पत्र नियम 19 में प्रदत्त प्रारूप में जारी किया जाएगा।

प्रारम्भ में न्यास विलेख के निष्पादन में मकान सम्पत्ति का एक भाग सम्मिलित नहीं था किन्तु बाद में समझौता डिक्री द्वारा सम्पूर्ण मकान न्यास की विषय वस्तु बना दिया गया। यद्यपि समझौता डिक्री पंजीकरण रजिस्ट्रेशन अधिनियम के अन्तर्गत आवश्यक नहीं होता किन्तु न्यास अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत पंजीकरण कराना आवश्यक है।[3]

---

1. राजस्थान राज्य व. सज्जनलाल पूंजावत ए. आई. आर. 1935 स. न्या. 706
2. लक्ष्मन बलवन्त भोपतकर व. चेरिटी कमिश्नर, बम्बई ए. आई. आर. 1962 स. न्या. 1589
3. सतीशकुमार बनर्जी व. श्रीमती कान्चन देवी 1969 पट. ला.जर. 583

एक निगम न्यासी का कार्य कर सकता है यदि उसके संगम ज्ञापन का उद्देश्य खण्ड अनुमति देता है तथा ऐसे निगम का बम्बई लोक न्यास अधिनियम के अन्तर्गत पंजीयन अनिवार्य है।[1]

अचल सम्पत्ति के सम्बन्ध में गैर-वसीयती विलेख द्वारा घोषित न्यास का पंजीकरण अनिवार्य है। संविदे के रूप में प्रवर्तनीय करार के पंजीकरण की आवश्यकता नहीं होती। अचल सम्पत्ति के विक्रय हेतु सृजित न्यास का पंजीकरण आवश्यक है जिससे कि न्यासी स्पष्ट हक अन्तरण कर सके।[2]

एक न्यासी न्यासी का पद स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं होता किन्तु यदि वह न्यासी बनना स्वीकार करता है तो सम्पूर्ण न्यास सम्पदा के लिए उत्तरदायी होता है न कि उसके किसी भाग के लिए।[3]

जिस राज्य में न्यास स्थित है उस राज्य की न्यास विधि न्यास पर लागू होगी चाहे उस न्यास सम्पत्ति का कोई भी छोटा या बड़ा भाग उस राज्य से बाहर स्थित हो। ऐसे न्यास का राजस्थान में पंजीकरण आवश्यक नहीं है।[4]

धारा 18–पंजीकरण हेतु जांच

1. धारा 17 के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्राप्त होने पर या किसी लोक न्यास में हित रखने वाले किसी व्यक्ति द्वारा कोई आवेदन पत्र प्रस्तुत करने पर अथवा स्वप्रेरणा से सहायक आयुक्त निम्नलिखित प्रयोजनार्थ विहित रीति से जांच करेगा—

(i) कि क्या कोई न्यास वास्तव में अस्तित्व में है या क्या ऐसा न्यास लोक न्यास है ?

(ii) कि क्या कोई सम्पत्ति ऐसे न्यास की सम्पत्ति है ?

(iii) कि क्या न्यास की सम्पूर्ण विषय-वस्तु या उसका कोई सारपूर्ण भाग उसकी अधिकारिता के भीतर स्थित है ?

(iv) ऐसे न्यास के कार्यशील न्यासियों एवं प्रबन्धक के नाम एवं पते

(v) ऐसे न्यास के न्यासी के पद के उत्तराधिकार की रीति

(vi) ऐसे न्यास का उद्गम, प्रवृत्ति एवं उद्देश्य

(vii) ऐसे न्यास की सकल औसत वार्षिक आय एवं व्यय की राशि एवं

(viii) धारा 17 की उपधारा 4 के अधीन प्रस्तुत किए गए किन्हीं अन्य विवरणों की सत्यता अथवा असत्यता।

---

1. अखिल देशस्थ ऋगवेदी ब्राह्मनिन मध्यवारी मंडल व. जोराष्ट्र चेरिटी कमिश्नर, महाराष्ट्र स्टेट 74 बम्ब. ला. रि. 337
2. बनारसीलाल राजगोरहिया व. सैण्ट्रल बैंक आफ इण्डिया 76 सी डब्ल्यू एन 807
3. पी. मानावाला चेट्टी व. पी. रामानुगम चेट्टी 1971 (1) एम एल जे 127
4. बनवारीलाल व. भगवती प्रसाद 1975 डब्ल्यू. एन. एन. (यू सी.) 257

2. सहायक आयुक्त उपधारा 1 के अन्तर्गत की जाने वाली जांच की सार्वजनिक सूचना विहित रीति से देगा तथा उस न्यास में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों से ऐसे न्यास के सम्बन्ध में 60 दिन के भीतर आपत्तियां यदि कोई हों, आमन्त्रित करेगा ।

व्याख्या—नियम 20 में एक लोक न्यास के पंजीकरण हेतु जांच की प्रक्रिया को अभिकथित किया गया है । जांच के लिए सार्वजनिक सूचना प्रारूप 7 में होगी तथा नियम 21 में अधिकथित रीति से दी जाएगी । अतिरिक्त जांच की प्रक्रिया नियम 23 में दी गई है । एक व्यक्ति, जो इस धारा के अन्तर्गत कार्यवाहियों में पक्षकार नहीं है, द्वारा उस सम्पत्ति जो दान दी गई थी एवं न्यास सम्पत्ति बन गई थी, के विभाजन एवं अलग अधिपत्य के लिए प्रस्तुत किया वाद धारा 73 द्वारा वर्जित नहीं है ।[1]

धारा 19 : बम्बई लोक न्यास अधिनियम 1950

धारा 5 : मध्य प्रदेश लोक न्यास अधिनियम 1951

धारा 19—सहायक आयुक्त का निष्कर्ष

धारा 18 के उपबन्धों के अन्तर्गत की जाने वाली जांच के पूरा होने पर सहायक आयुक्त उक्त धारा में उल्लिखित विषयों के सम्बन्ध में कारण सहित अपना निष्कर्ष लेख बद्ध करेगा ।

धारा 20—अपील

कोई भी कार्यवाहक न्यासी या लोक न्यास या कोई भी सम्पत्ति जो न्यास की सम्पत्ति होना पाई जाय, में हित रखने वाला व्यक्ति धारा 19 के अन्तर्गत सहायक आयुक्त के निष्कर्ष से असन्तुष्ट होने पर सहायक आयुक्त के सूचना पट्ट पर उसके प्रकाशन की तारीख से 2 माह के भीतर ऐसे निष्कर्ष के निरस्त या रूपांतरित करने हेतु आयुक्त के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकेगा ।

व्याख्या—धारा 19 के अन्तर्गत सहायक आयुक्त द्वारा दिये गए आदेश के विरुद्ध आयुक्त के समक्ष अपील होती है । यह धारा 19 के अन्तर्गत दिए गए निष्कर्ष के सहायक आयुक्त के सूचना पट्ट पर प्रकाशित होने की तारीख से 2 माह के भीतर प्रस्तुत की जा सकती है । एक आवेदन अपील नहीं है जब हटाने की शक्ति नहीं दी गई है । यह अभिनिर्धारित करके कि एक आवेदन में अपील सम्मिलित होती है, विधान मण्डल द्वारा प्रयुक्त शब्दों के अर्थ को विकृत करना उचित नहीं होगा । न्यायालय को विधान मंडल द्वारा प्रयुक्त शब्दों को उसी रूप में ग्रहण करना चाहिए तथा उनको विकृत करने का प्रयास नहीं करना चाहिये ।[2]

---

1. श्री आदिनाथ तीर्थंकर जैन मन्दिर व. शान्तप्पा दादा मदनायक ए. आई. आर. 1967 बम्ब. 86
2. चेरिटी कमिश्नर, बम्बई व. चन्द्रकान्त हरनामदास 1964 गुज. ला. रि. 95

धारा 21—रजिस्टर में प्रविष्टियां

1. सहायक आयुक्त धारा 19 के अन्तर्गत उसके द्वारा अभिलिखत निष्कर्षों के अनुसार अथवा यदि धारा 20 के अन्तर्गत अपील की गई है तो ऐसी अपील पर आयुक्त द्वारा दिए गए विनिश्चय के अनुसार रजिस्टर में प्रविष्टियां कराएगा तथा रजिस्टर में की गई प्रविष्टियों का अपने कार्यालय के सूचना पट्ट पर तथा ऐसे नगर, कस्बे या गांव में जहां कि लोक न्यास का मुख्यालय या कार्य का मुख्य स्थान है, सहज दृश्य स्थान पर प्रकाशन कराएगा।

2. इस प्रकार की गई प्रविष्टियां इस अधिनियम के अन्य उपबन्धों के अधीन रहते हुए तथा इस अधिनियम के किसी उपबन्ध या तद्धीन निर्मित किसी नियम में किये गये किसी परिवर्तन के अधीन रहते हुए अन्तिम एवं निश्चायक होंगी।

व्याख्या—धारा 17 के अन्तर्गत प्राप्त पंजीकरण हेतु आवेदनों की धारा 18 के उपबन्धों को दृष्टिगत रखते हुए जांच के पश्चात सहायक आयुक्त धारा 19 के अन्तर्गत अपना निर्णय देगा। यदि आयुक्त को अपील की गई हो तो उनके द्वारा दिये गये निर्णय एवं सहायक आयुक्त द्वारा धारा 19 के अन्तर्गत दिए गए निर्णय की विहित रजिस्टर में प्रविष्टि करवाएगा। प्रविष्ठियों की एक प्रति अपने कार्यालय के सूचना-पट्ट पर भी लगवाएगा तथा न्यास के मुख्य स्थान पर भी सहज दृश्य स्थान पर उसकी एक प्रति लगाई जायेगी।

धारा 22—धारा 21 के अन्तर्गत की गई प्रविष्टियों के विरुद्ध सिविल वाद :

1. कोई भी कार्य एक न्यासी या लोक न्यास या उसकी किसी सम्पत्ति में हित रखने वाला व्यक्ति धारा 21 के अन्तर्गत की गई किसी प्रविष्टि से असन्तुष्ट होने पर धारा 21 की उपधारा (1) के अन्तर्गत सहायक आयुक्त के कार्यालय सूचना पट्ट पर प्रविष्टि को निरस्त या रूपान्तरित कराने के लिए सिविल न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर सकेगा।

2. ऐसे प्रत्येक वाद में सिविल न्यायालय सहायक आयुक्त के मार्फत राज्य सरकार को सूचना देगा तथा राज्य सरकार यदि ऐसा चाहे, तो वाद का एक पक्षकार बना ली जाएगी।

3. वाद के अन्तिम विनिश्चय पर सहायक आयुक्त यदि आवश्यक हुआ तो रजिस्टर में की गई प्रविष्ठियों को ऐसे विनिश्चय के अनुसार शुद्ध करेगा।

धारा 23—संशोधन

1. यदि रजिस्टर में की गई प्रविष्टियों में कोई परिवर्तन होता है तो कार्य-वाहक न्यासी ऐसे परिवर्तन की तारीख से 90 दिन के भीतर ऐसे परिवर्तन की

रिपोर्ट निहित प्रपत्र में एवं तरीके से सहायक आयुक्त को करेगा अथवा यदि ऐसे लोक न्यास के प्रशासन के हित में ऐसी प्रविष्टियों में कोई परिवर्तन वांछनीय है तो कार्यवाहक न्यासी विहित प्रपत्र में एवं विहित तरीके से ऐसे परिवर्तन या प्रस्तावित परिवर्तन की रिपोर्ट सहायक आयुक्त को कर सकेगा।

2. सहायक आयुक्त रजिस्टर में की गई प्रविष्टियों की शुद्धता के सत्यापन के प्रयोजन हेतु या यह निश्चित करने के लिए कि रजिस्टर में अभिलिखित विवरणों में कोई परिवर्तन हुआ है या नहीं, जांच कर सकेगा।

3. उपधारा (1) के अन्तर्गत रिपोर्ट प्राप्त होने पर अथवा उपधारा (2) के अन्तर्गत ऐसी जांच जैसी वह आवश्यक समझे, करने के पश्चात् यदि सहायक आयुक्त इस बात से संतुष्ट है कि विशिष्ट लोक न्यास के सम्बन्ध में रजिस्टर में अभिलिखित प्रविष्टियों में से किसी में कोई परिवर्तन हो गया है अथवा परिवर्तन करना आवश्यक है तो वह अपना निर्णय कारण सहित लेखबद्ध करेगा तथा धारा 29 के उपबन्ध ऐसे निष्कर्ष पर उसी प्रकार लागू होंगे जैसे कि वे धारा 19 के अन्तर्गत निष्कर्षों पर लागू होते हैं।

4. सहायक आयुक्त उपधारा (3) के अन्तर्गत अभिलिखित निष्कर्ष के अनुसार अथवा यदि उसकी कोई अपील की गई है तो ऐसी अपील में आयुक्त द्वारा किए गए विनिश्चय के अनुसार रजिस्टर की प्रविष्टियों में संशोधन कराएगा तथा धारा 21 एवं 22 के उपबन्ध ऐसी संशोधित प्रविष्टियों पर उसी प्रकार लागू होंगे जैसे कि वे मूल प्रविष्टियों पर लागू होते हैं।

व्याख्या—नियम 22 में प्रारूप एवं रीति दी गई है जिसमें कोई कार्यवाहक न्यासी प्रविष्टियों में हुए परिवर्तन या प्रस्तावित परिवर्तन की रिपोर्ट करेगा। इसके लिए विहित प्रारूप संख्या 8 है। उक्त रिपोर्ट के प्राप्त होने पर सहायक आयुक्त प्रारूप संख्या 4 में रजिस्टर में परिवर्तन लेखबद्ध करेगा।

धारा 24—सहायक आयुक्त द्वारा आगे जांच :

धारा 21 अथवा 23 के अन्तर्गत प्रविष्टियों या संशोधित प्रविष्टियों के रजिस्टर में दर्ज करने के बाद किसी भी समय यदि सहायक आयुक्त को यह प्रतीत हो कि धारा 18 या धारा 23 की उपधारा (2) के अन्तर्गत किसी लोक न्यास से सम्बन्धित कोई बात जांच करने से रह गई है तो सहायक आयुक्त विहित रीति से आगे और जांच कर सकेगा तथा अपने निष्कर्ष लेखबद्ध करेगा एवं अपने द्वारा किए गए विनिश्चय के अनुसार रजिस्टर में प्रविष्टियां कर सकेगा या पूर्व में की गई प्रविष्टियों में संशोधन कर सकेगा तथा धारा 19, 20, 21, 22 एवं 23 के उपबन्ध इस धारा के अन्तर्गत जांच के पश्चात् निष्कर्षों को लेखबद्ध करने एवं रजिस्टर में प्रविष्टियां करने या पूर्व में की गई प्रविष्टियों में संशोधन करने में यथासम्भव लागू होंगे।

व्याख्या—इस धारा में अतिरिक्त जांच की व्यवस्था की गई है। नियम 23 में यह व्यवस्था की गई है कि अतिरिक्त जांच उसी रीति से की जा सकेगी जिस रीति में प्रथम जांच की जाती है। प्रविष्टियों में संशोधन किया जा सकता है।

धारा 25—न्यास सम्पत्ति के सम्बन्ध में समस्त सहायक आयुक्तों को सूचना भेजना :

1. यदि किसी लोक न्यास की सम्पत्ति का कोई भाग एक से अधिक सहायक आयुक्त की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर स्थित है तो उस न्यास का पंजीकरण प्रभारी सहायक आयुक्त उस न्यास के सम्बन्ध मे रजिस्टर मे अभिलिखित प्रविष्टियों या संशोधित प्रविष्टियों की एक प्रति प्रत्येक ऐसे सहायक आयुक्त, जिसकी अधिकारिता के भीतर उस न्यास सम्पत्ति का कोई भाग स्थित है, को भेजेगा।

2. उपधारा (1) के अन्तर्गत प्रविष्टियों या संशोधित प्रविष्टियों की प्रति प्राप्त करने पर वह सहायक आयुक्त इस प्रयोजन हेतु विहित पुस्तक में उनके विवरण दर्ज कराएगा।

व्याख्या—इस धारा में न्यास सम्पत्ति के बारे में समस्त सहायक आयुक्तों को सूचना भेजने की अपेक्षा की गई है। नियम 24 में यह उपबन्ध किया गया है कि जिस पुस्तक में प्रविष्टियों के विवरण दर्ज किए जाते हैं, वह पुस्तक प्रारूप संख्या 5 में रखी जाएगी।

धारा 26—न्यायालय द्वारा संबद्ध सहायक आयुक्त को विनिश्चय की प्रति भेजना

किसी लोक न्यास के सम्बन्ध में किसी प्रश्न का विनिश्चय करने वाला सक्षम अधिकारिता का कोई भी न्यायालय जो इस अधिनियम के या उसके अधीन उपबन्धों द्वारा अभिव्यक्त या विवक्षित रूप से विनिश्चय करने से नहीं रोक दिया गया हो, ऐसे विनिश्चय की एक प्रति अधिकारिता रखने वाले सहायक आयुक्त के पास प्रेषित करेगा तथा वह सहायक आयुक्त ऐसे विनिश्चय के अनुसार ऐसे लोक न्यास के सम्बन्ध में रजिस्टर में प्रविष्टि या उसमें संशोधन कराएगा। इस प्रकार किए गए संशोधनों में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा जब तक कि ऐसा विनिश्चय अपील या पुनर्विलोकन में सक्षम न्यायालय द्वारा नही बदला जाता। ऐसे परिवर्तनों के अधीन किए गए संशोधन अन्तिम एवं निश्चायक होंगे।

धारा 27—वसीयत द्वारा लोक न्यास :

वसीयत द्वारा सृजित लोक न्यास के मामले में ऐसी वसीयत का निष्पादक वसीयत का प्रोबेट स्वीकार होने की तारीख से एक माह के भीतर या वसीयतकर्ता की मृत्यु की तारीख से 6 माह के भीतर जो भी तारीख पहले हो, न्यास के पंजी-

करण हेतु धारा 17 में उपबन्धित रीति से आवेदन करेगा तथा इस अध्याय के उपबन्ध ऐसे पंजीकरण पर लागू होंगे।

व्याख्या—वसीयत (will) द्वारा भी लोक न्यास का सृजन किया जा सकता है। ऐसे न्यासों का पंजीकरण कराना भी अनिवार्य है। वसीयत लिखे जाने की दशा में वसीयत का प्रोवेट मंजूर होने की तारीख से एक माह की अवधि के भीतर या वसीयत कर्त्ता की मृत्यु की तारीख से 6 माह के भीतर जो भी तारीख पहले हो, ऐसे न्यास के पंजीकरण हेतु इसी अधिनियम की धारा 17 में बताई गई रीति से आवेदन प्रस्तुत करना होगा।

वसीयत के द्वारा दिया गया दान वसीयतकर्त्ता की मृत्यु पर तत्काल प्रभावी होगा तथा वसीयतकर्त्ता की विधवा द्वारा पश्चातवर्ती दत्तक से प्रभावित नहीं होगा।[1]

धारा 28—कतिपय मामलों में सहायक आयुक्त को सूचना देना :

यदि किसी सिविल न्यायालय या राजस्व अधिकारी के समक्ष चल रही किसी कार्यवाही में किसी लोक न्यास का सृजन करने के अभिप्राय से कोई ऐसा विलेख प्रस्तुत किया जाता है या ऐसे न्यायालय या अधिकारी के समक्ष किसी प्रश्न का विनिश्चय रजिस्टर की प्रविष्टि को प्रभावित करने वाला है तो ऐसा न्यायालय या अधिकारी ऐसी कार्यवाही की सूचना सम्बद्ध अधिकारिता के सहायक आयुक्त को देगा तथा यदि वह सहायक आयुक्त उस सम्बन्ध मे आवेदन करता है तो उसे ऐसी कार्यवाही में पक्षकार बना लिया जाएगा।

धारा 29—अपंजीकृत न्यास द्वारा किए जाने वाले वादों का वर्णन :

1. किसी भी न्यायालय में ऐसे लोक न्यास, जिनका इस अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकरण आवश्यक है किन्तु पंजीकरण नहीं किया गया है, की ओर से किसी अधिकार के प्रवर्तन हेतु किया जाने वाला कोई वाद न तो सुना जाएगा न ही विनिश्चय किया जाएगा।

2. उपधारा (1) के उपबन्ध ऐसे लोक न्यास की ओर से अधिकार के प्रवर्तन हेतु किए गए प्रतिसादन के दावे अथवा अन्य कार्यवाही पर लागू होंगे।

व्याख्या—इस धारा द्वारा एक महत्वपूर्ण व्यवस्था की गई है। यदि एक लोक न्यास पंजीकृत नहीं है तो उसकी ओर से किसी अधिकार के प्रवर्तन हेतु किया गया कोई वाद न्यायालय द्वारा न तो सुना जाएगा न ही उसका विनिश्चय किया जाएगा। अतः लोक न्यास का पंजीकरण कराना अनिवार्य है किन्तु यह बात विशेष ध्यान देने की है कि सभी लोक न्यासों का पंजीकरण अनिवार्य नहीं है। राज्य सरकार

---

1. वाडीवेलु मुदालियर व. कुपुस्वामी मुदालियर 1972(1) एम एल जे 265

की अधिसूचना दि. 28-6-62 के अनुसार ऐसे लोक न्यास जिनकी वार्षिक आय 3,000 रु. या जिनकी सम्पत्तियां 3,000 रु. से कम नहीं हैं उन्हीं के लिए पंजीकरण अनिवार्य है और तभी उन्हें यह अधिकार उपलब्ध हो सकता है।

किन्तु उक्त उपबन्ध न्यायालय को ऐसा वाद ग्रहण करने पर प्रतिबन्ध नहीं लगाता। विशम्भरदयाल ब. रामचरन में यह अभिनिर्धारित किया गया कि ऐसे वाद ग्रहण करने पर विचारण न्यायालय उन्हें खारिज़ नहीं करेगा किन्तु जब तक उस न्यास का पंजीकरण नहीं हो जाता तब तक ऐसे न्यास की ओर से प्रस्तुत वाद की सुनवाई नहीं करेगा न ही उसका विनिश्चय करेगा। यदि विचारण न्यायालय यह अभि निर्धारित करता है कि 28-6-62 की अधिसूचना उस न्यास पर लागू होती है तब उसकी सुनवाई एवं विनिश्चय पंजीकरण के बाद ही करेगा।[1]

आय अथवा सम्पत्ति के मूल्यांकन की दृष्टि से लोक न्यास के बारे में उठाये गए विवाद का विनिश्चय सिविल न्यायालय द्वारा किया जा सकता है।[2]

---

1. आर. एल. डब्ल्यु. 1980 पृ. 53
2. जगन्नाथ व. सत्यनारायण एवं अन्य 1972 आर. एल. डब्ल्यु. 491

अध्याय 6

न्यास सम्पत्ति का प्रबन्ध

धारा 30—लोक न्यास के धन का विनियोजन :

1 यदि किसी लोक न्यास की कोई सम्पत्ति धनराशि के रूप में है और ऐसी धनराशि तत्काल या किसी शीघ्र तिथि पर उस न्यास के काम में नहीं लगाई जा सकती है तो उसका कार्यवाहक न्यासी, न्यास के विलेख में प्रतिकूल निदेश, यदि कोई हो, के होते हुए भी उस धनराशि को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 में यथा परिभाषित किसी अनुसूचित बैंक में अथवा डाकघर में बचत खाते अथवा राजस्थान सहकारी समिति अधिनियम 1953 के अधीन पंजीकृत सहकारी बैंक में जमा कराने अथवा लोक प्रतिभूतियों में विनियोजन करने के लिए बाध्य होगा।

किन्तु शर्त यह है कि ऐसी धन राशि का विनियोजन भारत में स्थित अचल सम्पत्ति के प्रथम बंधक में भी तीन वर्ष की अवधि तक के लिए किया जा सकता है यदि वह सम्पत्ति पट्टा-धृत नहीं है तथा उसका मूल्य बन्धक राशि के आधे से अधिक है।

परन्तु यह शर्त और भी कि आयुक्त साधारण या विशेष आदेश द्वारा किसी लोक न्यास के कार्यवाहक न्यासी या ऐसे वर्ग के न्यास को ऐसी धनराशि किसी अन्य नीति से विनियोजित करने की अनुमति दे सकेगा।

2. इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व न्यास विलेख में अन्तर्विष्ट निदेश के अनुसार किए गए किसी विनियोजन या जमा पर उपधारा (1) की किसी बात का प्रभाव नहीं पड़ेगा।

किन्तु शर्त यह है कि इस अधिनियम के प्रारम्भ होने पर या तत्पश्चात ऐसे विनियोजन या जमा से प्राप्त या अर्जित कोई व्याज या लाभांश अथवा उक्त विनियोजन या जमा के परिपक्व होने पर वसूल की गई राशि उपधारा (1) में विहित रीति से प्रयुक्त या विनियोजित की जाएगी।

व्याख्या—इस धारा के उपबन्ध अन्तःकरण की स्वतन्त्रता में हस्तक्षेप नहीं करते और नवे संविधान के अनुच्छेद 25 के अन्तर्गत अवैध हैं।[1] ये उपबन्ध संवि-

1. सज्जनलाल व. राजस्थान राज्य 1966 आर. एल. डब्ल्यु 593.

धान के अनुच्छेद 25 एवं 26 का उल्लघंन नहीं करते इसलिए विधान मण्डल की सक्षमता से परे नहीं हैं।[1] सर्वोच्च न्यायालय ने भी इसकी पुष्टि की है।[2]

यह विधि का सुनिश्चित सिद्धान्त है कि न्यास के प्रभारी न्यासियों को ऐसा रुपया जिसकी तत्काल आवश्यकता नहीं होती, अपने पास नहीं रखना चाहिये। न्यास को प्रत्येक विधि में अनुमोदित प्रतिभूतियों की सूची दी जाती है जिनमें कि न्यास के धन का विनियोजन किया जा सकता है। इस आपत्ति पर कि अनुसूचित बैंक में रुपया जमा कराना जैन धर्म पर एक प्रकार का अधिक्रमण है क्योंकि बैंक उस रुपये का ऐसे प्रयोजन में उपयोग कर सकती है जो कि जैन धर्म में निषिद्ध है, यह अभिनिर्धारित किया गया कि प्रोद्धरित जैन धर्म शास्त्रों में यह लिखा है कि कोई विनियोजन सीधा ऐसे प्रयोजन में नहीं किया जाएगा जो कि निषिद्ध है किन्तु इससे यह नहीं माना जा सकता कि जैन धर्म में बैंक में रुपया जमा कराना निषिद्ध है।[3] यह सत्य है कि श्वेताम्बर मन्दिर मार्गी धर्म शास्त्र निषिद्ध प्रयोजनों हेतु व्यय करना निषेध करते हैं किन्तु रुपये को बैंक में जमा कराना जैन धर्म पर अधिक्रमण नहीं होता।[4]

एक न्यास विलेख में न्यास कर्ता द्वारा यह निदेश कि न्यासी न्यास निधि से न्यासकर्ता को ऋण देंगे। लोक न्यास की सामान्य विधि के सिद्धान्तों के अन्तर्गत शून्य है।[5] विधि का यह सामान्य एवं सुनिश्चित सिद्धान्त है कि न्यास सम्पत्ति के प्रभारी न्यासियों को नकद रुपया जिसकी तत्काल खर्चों के लिए आवश्यकता नहीं होती, अपने पास रखने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिये।[6]

धारा 35 : बम्बई लोक न्यास अधिनियम 1950

धारा 13 : मध्य प्रदेश लोक न्यास अधिनियम 1951

धारा 31—कतिपय अन्तरणों हेतु पूर्व स्वीकृति प्राप्त करना :

1. न्यास विलेख में दिए गए किन्हीं निर्देशनों अथवा इस अधिनियम या किसी अन्य विधि के अन्तर्गत किसी न्यायालय द्वारा दिए गए किसी निर्देश के अधीन रहते हुए—

(क) किसी लोक न्यास की किसी भी चल या अचल सम्पत्ति जो पांच हजार रुपये से अधिक मूल्य की हो, का विक्रय, विनिमय या दान तथा

---

1. रतिलाल पानाचन्द गांधी व. बम्बई राज्य ए. आई. आर. 1953 बम्बई. 242
2. वही, ए. आई. आर. 1954 स. न्या. 388
3. रतिलाल पानाचन्द गांधी व. बम्बई राज्य ए. आई. आर. 1953 बम्बई 242
4. वही।
5. आयकर आयुक्त व. जमन्तिलाल ए. आई. आर. 1968 स न्या. 189
6. रतिलाल पानाचन्द गांधी व. बम्बई राज्य ए. आई आर. 1954 स. न्या. 388

(ख) किसी लोक न्यास की कृषि भूमि के मामले में पांच वर्ष की अवधि से अधिक के लिए तथा गैर-काश्त भूमि या भवन के मामले में तीन वर्ष की अवधि से अधिक के लिए कोई पट्टा सहायक आयुक्त की बिना पूर्व स्वीकृति के मान्य नहीं होगा।

2. उपधारा (1) के अन्तर्गत सहायक आयुक्त की स्वीकृति के लिए आवेदन पत्र निहित रीति तथा प्रपत्र में दिया जाएगा।

3. यदि उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट किसी सौदे के सम्बन्ध में स्वीकृति हेतु नियमानुसार किए गए आवेदन पत्र पर सहायक आयुक्त आवेदन पत्र की प्राप्ति से दो माह के भीतर अन्तिम आदेश पारित नहीं करता है तो यह मान लिया जाएगा कि उस सौदे के सम्बन्ध में उसने स्वीकृति प्रदान कर दी है बशर्ते की आवेदन पत्र में सौदे का पूर्ण विवरण उचित प्रकार से दिया गया है।

4. सहायक आयुक्त उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट किसी सौदे के सम्बन्ध में स्वीकृति प्रदान करने से तब तक इन्कार नहीं करेगा जब तक कि उसके मत में वैसे सौदे की लोक न्यास के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना न हो तथा स्वीकृति प्रदान करने से इन्कार करने का कोई आदेश तब तक पारित नहीं किया जाएगा जब तक कि ऐसे लोक न्यास के कार्यवाहक न्यासी को सुनवाई का यथोचित अवसर नहीं दिया गया है।

व्याख्या—धारा 31 के उपबन्ध अन्तःकरण की स्वतन्त्रता तथा जैन धर्म को स्वतन्त्र रूप से मानने, उसकी साधना करने तथा प्रचारित करने के अधिकार में हस्तक्षेप नहीं करते इसलिए ये अवैध नहीं हैं।[1] बम्बई उच्च न्यायालय के संप्रेक्षण के अनुसार ये उपबन्ध संविधान के अनुच्छेद 25 एवं 26 का उल्लंघन नहीं करते इसलिए राज्य विधान मण्डल की सक्षमता से परे नहीं हैं।[2] अपील में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस विचार का समर्थन किया गया था।[3] इस आपत्ति पर कि पांच हजार रुपये से अधिक मूल्य की चल एवं अचल सम्पत्ति का विक्रय, विनिमय या दान तथा पांच वर्ष से अधिक की अवधि के प्रतिबन्ध जैन धर्म में हस्तक्षेप हैं, न्यायमूर्ति श्री भंडारी ने संप्रेक्षण किया कि यह आपत्ति सही नहीं थी क्योंकि बम्बई अधिनियम की धारा 36 में इस उपबन्ध का उद्देश्य न्यास सम्पत्ति का संरक्षण करना है[4] न्यास सम्पत्तियों के अन्तरण हेतु स्वीकृति के लिए आवेदन में दी जाने वाली सूचना नियम 26 में दी गई है। आवेदन प्रपत्र संख्या 9 में होगा।

---

1. सज्जन लाल व. राजस्थान राज्य 1966 आर. एल. डब्ल्यू 593
2. रतिलाल पानाचन्द गांधी व. बम्बई राज्य ए. आई. आर. 1953 बम्बई 242
3. वही. ए. आई. आर. 1954 बम्बई 388
4. सुरजमल सिंघवी व. राजस्थान राज्य 1966 आर. एल. डब्ल्यू. 566

राजस्थान लोक न्यास अधिनियम की धारा 31(1) (क) में विक्रय शब्द का विशद् अर्थ में प्रयोग किया गया है जिसमें वे सभी कदम लिए जाते हैं जो एक वैध विक्रय के पूर्व आवश्यक हैं। इसलिए विक्रय विलेख के पंजीकरण के पूर्व यदि सक्षम प्राधिकारी से वैध स्वीकृति प्राप्त करली गई है तो यह नहीं कहा जा सकता कि विक्रय में किसी औपचारिकता का अभाव है।[1]

धारा 36 : बम्बई लोक न्यास अधिनियम 1950

धारा 14 : मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम 1951

---

1. नरसिंगदास व. मु. अमर कुंवर ए. आई. आर. 1967 राज. 1047 (तपी)

अध्याय 7

लेखा, अंकेक्षण (आडिट) तथा बजट (आय-व्ययक)

धारा 32—लेखादि रखना :

इस अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत किसी लोक न्यास का कार्यवाहक न्यासी या प्रबन्धक न्यास की समस्त चल तथा अचल सम्पत्तियों का नियमित लेखा-रखेगा। ऐसे लेखों का प्रारूप और उनमें दिये जाने वाले विवरण ऐसे होंगे जो विहित किये जायें अथवा जहां तक वे विहित नहीं किये गये हों, तो ऐसे होंगे जो सहायक आयुक्त द्वारा अनुमोदित किए जाएं।

व्याख्या—इस अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत न्यासों के कार्यवाहक न्यासी अथवा प्रबन्धकों को विहित प्रपत्र में चल व अचल सम्पत्ति के लेखे आदि रखने होंगे इन लेखों को रखने के लिए राजस्थान लोक न्यास नियम 1962 के नियम 26 के अनुसार प्रपत्र 10 एवं 11 में चल एवं अचल सम्पत्ति के बारे मे रखे जाने की व्यवस्था की गई है।

यद्यपि लेखादि रखने सम्बन्धित उक्त प्रावधान पंजीकृत लोक न्यास के बारे में ही किया गया है किन्तु न्यासी अथवा प्रबन्धक का लेखा रखने का कर्त्तव्य न्यास की सामान्य विधि के अन्तर्गत भी अधिरोपित किया गया है। भारतीय न्यास अधिनियम 1882 की धारा 19 के अनुसार न्यासी लेखा रखने, हिसाब देने एवं हिसाब का प्रमाणन करने के तिहरे कर्त्तव्य से बाध्य है।[1] यह धारा नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त पर आधारित है।[2] यह सिद्धान्त भूतपूर्व न्यासी पर भी लागू होता है।[3]

धारा 32 : बम्बई लोक न्यास अधिनियम 1950

धारा 15 : मध्य प्रदेश लोक न्यास अधिनियम 1951

---

1. नारायन व. गोपाल ए. आई. आर. 1960 स. न्या. 100
2. शेख अब्दुल कयूम व. मुल्ला अली भाई ए. आई. आर. 1963 स. न्या. 309
3. वी. एल. एन. एस. टेम्पल व. पट्टाभिरामि ए. आई. आर. 1967 स. न्या. 781

धारा 33—लेखों का सन्तुलन एवं अंकेक्षण :

1. धारा 32 के अधीन रखे गए लेखों का प्रतिवर्ष 31 मार्च को अथवा ऐसे अन्य दिन जो सहायक आयुक्त द्वारा नियत किया जाए, शेष निकाला जाएगा।

2. लेखों का अंकेक्षण प्रतिवर्ष ऐसी रीति से जो विहित की जाय तथा ऐसे व्यक्ति द्वारा जो चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स अधिनियम 1949 (केन्द्रीय अधिनियम 38, सन् 1949) के अर्थ में चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स हैं अथवा किसी ऐसी फर्म द्वारा जिसके समस्त भागीदार भारत में व्यवसाय करने वाले चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स हैं, अथवा ऐसे व्यक्तियों द्वारा जो इस सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किए जाएं, किया जाएगा।

3. उपधारा (2) के अन्तर्गत कार्य करने वाला प्रत्येक अंकेक्षक, प्रत्येक कार्यवाहक न्यासी अथवा प्रबन्धक के आधिपत्य में या नियन्त्रणाधीन लेखों तथा समस्त पुस्तकों, प्रमाणकों, अन्य प्रलेखों एवं अभिलेखों को देख सकेगा। ऐसा कार्यवाहक न्यासी या प्रबन्धक ऐसे अंकेक्षण के लिए ऐसे परीक्षण के निमित्त समस्त सुविधाओं की व्यवस्था करेगा।

4. उप-धारा 2 में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी सहायक आयुक्त किसी भी लोक न्यास के लेखों का विशेष अंकेक्षण किए जाने का, जब भी उसकी राय में ऐसा विशेष अंकेक्षण आवश्यक हो, निदेश दे सकेगा तथा उपधारा (2) एवं (3) के उपबन्ध जहां तक वे लागू होने योग्य हों, ऐसे विशेष अंकेक्षण पर लागू होंगे।

5. सहायक आयुक्त ऐसे विशेष अंकेक्षण के लिए ऐसा शुल्क जो विहित किया जाए, चुकाने का निदेश दे सकेगा तथा कार्यवाहक न्यासी या प्रबन्धक न्यास सम्पत्ति में से ऐसे शुल्क का भुगतान करने का दायी होगा।

व्याख्या—धारा 33 में लेखे रखने, उनके वार्षिक खातों का सन्तुलन करने अर्थात् शेष निकालने, अंकेक्षण करने आदि के लिए उपबन्ध किया गया है। प्रपत्र 10 एवं 11 में रखे गए लेखों का अंकेक्षण विहित रीति से चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स द्वारा कराया जाएगा। यह अंकेक्षण राज्य सरकार द्वारा अधिकृत व्यक्तियों द्वारा भी कराया जा सकता है। अंकेक्षण के दौरान न्यासी अथवा प्रबन्धक अंकेक्षण हेतु सभी आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था करेगा। सहायक आयुक्त यदि आवश्यक समझे तो किसी लोक न्यास का विशेष अंकेक्षण कराने का भी आदेश दे सकता है एवं ऐसी दशा में विशेष अंकेक्षण के लिए विहित शुल्क चुकाने हेतु कार्यवाहक न्यासी अथवा प्रबन्धक को निदेश दे सकेगा। राजस्थान लोक न्यास नियम 1962 के नियम 27 में लेखों के वार्षिक अंकेक्षण की रीति, नियम 28 में अंकेक्षण का समय एवं रिपोर्ट, नियम 29 में अंकेक्षण के प्रयोजनार्थ शक्ति तथा नियम 30 में

विशेष अंकेक्षण एवं शुल्क के बारे में उल्लेख किया गया है। सहायक आयुक्त प्रपत्र 12 में अंकेक्षण रिपोर्ट का रजिस्टर भी रखेगा।

धारा 33 : बम्बई लोक न्यास अधिनियम 1950

धारा 16 : मध्य प्रदेश लोक न्यास अधिनियम 1951

धारा 34-चिट्ठा तैयार करना तथा अनियमितताओं के विषय में प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में अंकेक्षक का कर्त्तव्य :

1. किसी लोक न्यास के लेखों का धारा 33 के उपबन्धों के अधीन अंकेक्षण करने वाले प्रत्येक अंकेक्षक का यह कर्त्तव्य होगा कि वह लेखों का चिट्ठा तथा आय-व्यय का लेखा तैयार करे और उनकी एक प्रति उस सहायक आयुक्त को प्रेषित करे जिसकी अधिकारिता में लोक-न्यास का पंजीकरण किया गया है।

2. अंकेक्षक अपनी रिपोर्ट में अनियमितताओं, अवैध या अनुचित व्यय अथवा लोक न्यास को प्राप्त धन या अन्य सम्पत्ति को वसूल करने में विफलता या भूल अथवा उस न्यास के धन या अन्य सम्पत्ति की हानि या बर्बादी विषयक समस्त मामलों का उल्लेख करेगा और यह बतायेगा कि क्या ऐसे व्यय, विफलता, भूल, हानि या बर्बादी न्यासी या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा विश्वासघात या दुरुपयोग या किसी अन्य दुराचार के परिणाम स्वरूप हुई थी।

व्याख्या—इस धारा के उपबन्ध संविधान के अनुच्छेद 25 एवं 26 का उल्लंघन नहीं करते हैं, न ही वे विधानमण्डल की सक्षमता से परे हैं।[1] इस विचार की सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी पुष्टि की गई है।[2]

धारा 34 : बम्बई लोक न्यास अधिनियम 1950

धारा 17 : मध्य प्रदेश लोक न्यास अधिनियम 1951

धारा 35—बजट :

प्रत्येक लोक न्यास जिसकी कुल वार्षिक आय तीन हजार छः सौ रुपये से अधिक है का कार्यवाहक न्यासी प्रतिवर्ष, ऐसी तारीख से पूर्व और ऐसे प्रारूप में जो विहित किये जायें, आगामी वर्ष के दौरान न्यास की सम्पत्ति की सम्भावित प्राप्तियों और संवितरणों को दिखाते हुए एक बजट सहायक आयुक्त को प्रस्तुत करेगा।

व्याख्या—राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास नियम, 1962 के नियम 31 में प्रतिवर्ष 31 दिसम्बर से पूर्व ही प्रपत्र संख्या 13 एवं 14 में बजट तैयार करने की व्यवस्था की गई है।

धारा 18 : मध्य प्रदेश लोक न्यास अधिनियम 1951

---

1. रतिलाल गांधी व. बम्बई राज्य ए. आई. आर. 1953 बम्बई 242
2. वही, ए. आई. आर. 1954 स.न्या. 388

धारा 36—निरीक्षण तथा प्रतिलिपियां :

1. किसी लोक न्यास का बजट, चिट्ठा, आय व्यय का लेखा तथा अंकेक्षण रिपोर्ट, यदि कोई हो, सहायक आयुक्त के कार्यालय में किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो ऐसे लोक न्यास में हित रखता हो, तो ऐसे शुल्क का भुगतान करने पर जो विहित किया जाए, निरीक्षण के लिये उपलब्ध होंगे।

2. ऐसी शर्तों के अधीन तथा ऐसे शुल्कों का भुगतान करने पर जो विहित किये जायें, सहायक आयुक्त किसी लोक न्यास में हित रखने वाले किसी व्यक्ति द्वारा आवेदन पत्र दिये जाने पर ऐसे व्यक्ति को ऐसे समस्त प्रलेखों या उनमें से किसी को जो ऐसे निरीक्षण के लिए उपलब्ध होते हैं, प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदान कर सकेगा।

सामान्यत: प्रमाणित प्रतिलिपियां वे होती हैं जिन पर विभागीय मुद्रा एवं यह अंकन होता है कि उनकी उचित प्रति की गई है तथा मिलान (Compare) किया गया है चाहे उस अंकन पर हस्ताक्षर करने वाले के हस्ताक्षर अपठनीय हों।[1] दस्तावेज की प्रमाणित प्रतिलिपियां साक्ष्य में अनुज्ञेय होती हैं उन्हें गवाह द्वारा प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं होती।[2]

धारा 37 : बम्बई लोक न्यास अधिनियम 1950

धारा 19 & 20 : मध्य प्रदेश लोक न्यास अधिनियम 1951

---

1. सुरजनारायण व. झब्बुलाल ए. आई. आर. 1944 इला. 114
2. एस. रामप्पा व. एम. बोजप्पा ए. आई. आर. 1963 स. न्या. 163

अध्याय 8

लोक न्यासों के सम्बन्ध में अधिकारियों की शक्तियां

धारा 37—आयुक्त का पुण्यार्थ विन्यासों (धर्मस्य) का कोषाध्यक्ष होना :

चेरिटेबल एन्डोमेन्ट्स एक्ट, 1890 (सेन्ट्रल एक्ट 6 आफ 1890) में अन्तर्विष्ट किसी प्रतिकूल उपबन्ध के होते हुए भी आयुक्त राजस्थान राज्य के पुण्यार्थ विन्यासों का, उक्त अधिनियम के उपबन्धों के अधीन नियुक्त किया हुआ कोषाध्यक्ष समझा जाएगा तथा इस अधिनियम के लागू होने की तारीख के पूर्व कोषाध्यक्ष में निहित सम्पत्ति पुण्यार्थ (विन्यासों) को कोषाध्यक्ष के रूप में आयुक्त में निहित समझी जायेगी, तथा उक्त अधिनियम के उपबन्ध पुण्यार्थ-विन्यासों के कोषाध्यक्ष के रूप में नियुक्त आयुक्त पर लागू होंगे।

धारा 38—निदेशनों के लिए आवेदन :

1. यदि सहायक आयुक्त किसी लोक न्यास में हित रखने वाले किसी व्यक्ति द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत करने पर और अन्यथा निम्नलिखित के बारे में जांच करने के पश्चात् जिसे वह आवश्यक समझे संतुष्ट हो जाय—

(क) कि लोक न्यास का मूल उद्देश्य विफल हो गया है अथवा

(ख) कि न्यास सम्पत्ति का समुचित रूप से प्रबन्ध या व्यवस्था नहीं हो रही है अथवा

(ग) कि लोक न्यास की व्यवस्था हेतु न्यायालय का निदेश आवश्यक है—

तो वह कार्यवाहक न्यासी को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात् ऐसे कार्यवाहक न्यासी को अथवा किसी अन्य न्यासी या व्यक्ति को, जिसका कि न्यास में हित हो, यह निदेश दे सकेगा कि वह ऐसे समय के भीतर जो तीस दिन से अधिक नहीं होगा तथा सहायक आयुक्त द्वारा निदिष्ट किया जाए, निदेशनों के लिए न्यायालय में आवेदन पत्र प्रस्तुत करे।

2. यदि इस प्रकार निदेशित कार्यवाहक न्यासी या कोई अन्य न्यासी या व्यक्ति जिसका न्यास में हित हो अपेक्षित आवेदन प्रस्तुत करने में विफल रहे या किसी लोक न्यास का कोई न्यासी नहीं हो अथवा किसी अन्य कारण वश सहायक आयुक्त ऐसा करना उचित समझे तो वह स्वयं न्यायालय को इस प्रयोजनार्थ आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकेगा ।

व्याख्या—इस धारा के उपबन्ध संविधान के अनुच्छेद 25 एवं 26 के विपरीत नहीं हैं ।[1] आयुक्त को उचित निदेश देने के प्रयोजन से न्यायालय को न्यास के विलेख में उल्लिखित न्यास का आधार एवं इतिहास देखने का अधिकार है ।[2]

धारा 39—धारा 38 के अन्तर्गत आवेदन करने से इन्कारी के विरुद्ध आयुक्त को आवेदन पत्र

1. जब सहायक आयुक्त धारा 38 की उपधारा (1) के अन्तर्गत किसी आवेदन पत्र को अस्वीकार कर देता है या उक्त धारा की उपधारा (2) के अधीन वह सहायक आयुक्त स्वयं न्यायालय में आवेदन पत्र प्रस्तुत करने से विफल रहता है या ऐसा आवेदन पत्र न्यायालय में प्रस्तुत करने से इन्कार कर देता है तो आयुक्त ऐसी अस्वीकृति, विफलता या इन्कारी से 90 दिन के भीतर उसका आवेदन पत्र प्रस्तुत होने पर अथवा ऐसे तथ्यों पर जो अन्यथा उसकी जानकारी में आए तथा कार्यवाहक न्यासी को सुनवाई का उचित अवसर प्रदान करने के पश्चात् सहायक आयुक्त के आदेश को, यदि कोई हो निरस्त कर सकेगा एवं सहायक आयुक्त से अपेक्षा कर सकेगा कि निदेशन प्राप्त करने हेतु वह स्वयं न्यायालय में आवेदन पत्र प्रस्तुत करे ।

2. उपधारा (1) के अन्तर्गत आयुक्त के आदेशों के अधीन रहते हुए धारा 38 के अन्तर्गत सहायक आयुक्त द्वारा पारित समस्त आदेश अन्तिम होंगे ।

व्याख्या—धारा 38 में यह उपबन्ध किया गया है कि यदि लोक न्यास का मूल उद्देश्य ही विफल हो जाता है या उसकी सम्पत्ति की व्यवस्था उचित रूप से नहीं हो रही हो या न्यास की व्यवस्था हेतु न्यायालय का निदेश आवश्यक हो तो ऐसी परिस्थिति में सहायक आयुक्त को यह शक्ति प्रदान की गई है कि वह कार्यवाहक न्यासी या अन्य हितधारी व्यक्ति को ऐसे आदेश दे सकेगा कि ऐसे समय के भीतर जो 30 दिन से ज्यादा नहीं होगा न्यायालय में आवश्यक निदेशन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करे । किन्तु ऐसे निदेशित व्यक्ति यदि निर्धारित समय में न्यायालय में आवेदन पत्र प्रस्तुत करने से विफल रहे या कोई न्यासी ही नहीं हो या अन्य किसी कारणवश सहायक आयुक्त यदि ऐसा करना उचित समझे तो वह स्वयं भी न्यायालय में आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकता है ।

---

1. ए. आई. आर. 1954 स. न्या. 388
2. बापूलाल गोधाभाई कोठारी व. चेरिटी कमिश्नर गुजरात राज्य 1966 गुज. ला. रि. 825

उक्त धारा में धारा 38 के अन्तर्गत सहायक आयुक्त की विफलता या इन्कारी के विरुद्ध कार्यवाहक न्यासी आयुक्त को आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकता है।

धारा 40—धारा 38 अथवा धारा 39 के अधीन आवेदन पर न्यायालय की शक्तियां :

1. धारा 38 अथवा धारा 39 के अन्तर्गत या अनुसरण में दिए गए आवेदन पत्र की प्राप्ति पर न्यायालय उस मामले में ऐसी जांच जैसी वह आवश्यक समझे करेगा अथवा करवाएगा।

2. उपधारा (1) के अन्तर्गत शक्तियों का प्रयोग करते हुए न्यायालय को अन्य शक्तियों के अतिरिक्त निम्नलिखित के लिए आदेश देने की शक्ति होगी—

(क) किसी न्यासी को हटाने के लिए

(ख) नया न्यासी नियुक्त करने के लिए

(ग) यह घोषणा करने की कि न्यास सम्पत्ति का या उसमें अन्तर्विष्ट हित का कौनसा भाग न्यास के किसी विशेष उद्देश्य के लिए आवंटित किया जाएगा

(घ) प्रन्यास सम्पत्ति के प्रबन्ध की योजना तैयार करने के लिए

(ङ) यह निर्देश देने के लिए कि ऐसे लोक न्यास जिसका मूल उद्देश्य विफल हो गया है की निधियां उस उद्देश्य जिसके लिए न्यास का सृजन किया गया था, का सम्यक् ध्यान रखते हुए किस प्रकार खर्च की जाएंगी।

(च) ऐसे अन्य निर्देश जारी करने के लिए जो कि उस मामले में आवश्यक प्रतीत हों।

3. उपधारा (2) के अधीन न्यायालय द्वारा दिया गया कोई भी आदेश उस न्यायालय द्वारा दी गई डिग्री समझी जाएगी तथा उसके विरुद्ध अपील उच्च न्यायालय में की जा सकेगी।

व्याख्या—इस धारा के उपबन्ध संविधान के अनुच्छेद 25 एवं 26 का उल्लंघन नहीं करते न ही वे राज्य विधान मण्डल की सक्षमता से परे हैं।[1]

धारा 41—नए कार्यवाहक न्यासी की नियुक्ति के लिए आवेदन

1. यदि किसी लोक न्यास का वर्तमान कार्यवाहक न्यासी—

(क) स्वत्व त्याग देता है या मर जाता है

(ख) आयुक्त या सहायक आयुक्त या राज्य सरकार द्वारा इस निमित प्राधिकृत अन्य अधिकारी की बिना अनुमति भारत से लगातार 6 महीने की अवधि तक अनुपस्थित रहता है या विदेश में बसने के उद्देश्य से भारत छोड़ देता है।

---

1. रतिलाल पानाचन्द गांधी ब. बम्बई राज्य ए.आई.आर. 1956 स. न्या. 388

(ग) दिवालिया घोषित कर दिया जाता है,

(घ) न्यास से मुक्त किए जाने की इच्छा प्रकट करता है

(ङ) न्यासी के रूप में कार्य करने से इन्कार कर देता है

(च) न्यास में कार्य करने के लिए अयोग्य हो जाता है या शरीर से असमर्थ हो जाता है अथवा ऐसा पद स्वीकार कर लेता है जो न्यास से असंगत हो अथवा

(छ) न्यास की व्यवस्था करने के लिए उपलब्ध नहीं हो तो ऐसा कार्यवाहक न्यासी या कोई भी व्यक्ति जिसका लोक न्यास मे हित हो यथा स्थिति अधिकारिता रखने वाले सहायक आयुक्त को आवेदन कर सकेगा कि नवीन कार्यवाहक न्यासी की नियुक्ति के लिए न्यायालय में आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाय।

2. सहायक आयुक्त ऐसी जांच जिसे वह आवश्यक समझे करने के बाद तथा यदि कार्यवाहक न्यासी द्वारा स्वयं आवेदन किया गया हो उसको सुनवाई का उचित अवसर देने के पश्चात् ऐसे कार्यवाहक न्यासी या किसी अन्य न्यासी अथवा न्यास में हित रखने वाले व्यक्ति को निदेश देगा कि वह नवीन कार्यवाहक न्यासी की नियुक्ति के लिए न्यायालय में आवेदन पत्र प्रस्तुत करे और यदि इस प्रकार निदेशित व्यक्ति ऐसा आवेदन पत्र प्रस्तुत करने में विफल रहे या अन्य किसी कारण वश सहायक आयुक्त ऐसा करना उचित समझे तो, पर स्वयं आवेदन पत्र प्रस्तुत करेगा।

धारा 42—धारा 41 के अधीन आदेशों के विरुद्ध आयुक्त को आवेदन :

1. यदि सहायक आयुक्त धारा 41 की उपधारा (1) के अधीन किसी आवेदन पत्र को अस्वीकार कर देता है अथवा उक्त धारा की उपधारा (2) के अधीन स्वयं न्यायालय को आवेदन पत्र प्रस्तुत करने में विफल रहता है या करने से इन्कार कर देता है तो आयुक्त ऐसी अस्वीकृति, विफलता या इन्कारी से 90 दिन के भीतर उसको प्रस्तुत किए गए आवेदन पत्र पर अथवा ऐसे तथ्यों पर जो अन्यथा उसकी जानकारी में आए तथा कार्यवाहक न्यासी को सुनवाई का उचित अवसर प्रदान करने के पश्चात् सहायक आयुक्त के आदेश को यदि कोई हो, निरस्त कर सकेगा तथा उससे, एक नए कार्यवाहक न्यासी की नियुक्ति हेतु स्वयं न्यायालय में आवेदन करने की अपेक्षा करेगा।

2. उपधारा (1) के अधीन आयुक्त के आदेशों के अधीन रहते हुए, धारा 41 के अधीन सहायक आयुक्त द्वारा पारित समस्त आदेश अन्तिम होंगे।

धारा 43—धारा 41 अथवा धारा 42 के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत किये जाने पर न्यायालय की शक्तियां :

1. धारा 41 अथवा धारा 42 के अधीन या उसके अनुसरण में दिए गए आवेदन पत्र की प्राप्ति पर न्यायालय ऐसी जांच जिसे वह आवश्यक समझे, करेगा

या करवाएगा तथा ऐसे व्यक्ति को जिसे वह योग्य समझे नया कार्यवाहक न्यासी नियुक्त कर सकेगा एवं ऐसी नियुक्ति करते समय न्यायालय निम्नलिखित को ध्यान में रखेगा—

(क) न्यास के कर्त्ता की इच्छाएं,

(ख) ऐसे व्यक्ति, यदि कोई हो, जो नया न्यासी नियुक्त करने के लिए सशक्त हो, की इच्छाएं

(ग) ऐसा प्रश्न कि क्या नियुक्ति से न्यास के निष्पादन कार्य को प्रोत्साहन मिलेगा या बाधा पहुंचेगी

(घ) जनता या उसके किसी वर्ग, जो न्यास में हित रखता हो, का हित तथा

(ङ) न्यास की रूढ़ी एवं प्रथा

2. उपधारा (1) के अधीन न्यायालय का आदेश न्यायालय की डिक्री समझी जाएगी तथा उसके विरुद्ध उच्च न्यायालय को अपील की जा सकेगी।

धारा 44–केन्द्रीय अधिनियम संख्या 5 सन् 1908 की धारा 92 एवं 93 का लागू न होना :

1. दीवानी प्रक्रिया संहिता 1908 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 5 सन् 1908) में उल्लिखित किसी बात के होते हुए भी उक्त संहिता की धारा 92 तथा 93 के प्रावधान लोक न्यासों पर लागू नहीं होंगे।

2. यदि किसी लोक न्यास पर इस अधिनियम के लागू होने की तारीख को संक्षम अधिकारिता वाले किसी दीवानी न्यायालय के समक्ष ऐसे न्यास के बारे में कोई वैध कार्यवाही विचाराधीन हो जिसमें कि एडवोकेट जनरल या उसकी शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिलाधीश पक्षकार है तो उन कार्यवाहियों में एडवोकेट जनरल अथवा जिलाधीश यथास्थिति, के स्थान पर देवस्थान आयुक्त प्रतिस्थापित हुआ समझा जाएगा तथा ऐसी कार्यवाहियों का निपटारा उक्त न्यायालय द्वारा किया जाएगा।

3. किसी विलेख, योजना, सक्षम अधिकारिता वाले किसी दीवानी न्यायालय का आदेश या डिक्री, जो उक्त तारीख से पहले या बाद में बनाई या पारित की गई हो, में एडवोकेट जनरल के किसी निदेश का अर्थ देवस्थान आयुक्त लगाया जाएगा।

धारा 52 : बम्बई लोक न्यास अधिनियम 1950

धारा 45—सहायक आयुक्त द्वारा जांच :

यदि किसी मामले में सहायक आयुक्त द्वारा इस अधिनियम के अन्तर्गत कोई जांच की जानी हो तो वह या तो स्वयं जांच कर सकेगा या मामले को जांच करने तथा रिपोर्ट देने के लिए किसी राजस्व अधिकारी, जो सहायक कलेक्टर के पद से

नीचे स्तर का न हो या ऐसे अन्य अधिकारी के पास जिसे राज्य सरकार द्वारा इस प्रयोजनार्थ प्राधिकृत किया जाए, के पास प्रेषित कर सकेगा ।

किसी विवादित भूमि पर निर्माण कार्य हेतु स्थगन आदेश जारी करना सहायक आयुक्त की अधिकारिता से परे है तथा मामला दीवानी प्रकृति का है जो सिविल न्यायालय द्वारा विचारण योग्य है ।[1]

[राज्य पर यह दायित्व है कि वह यह देखे कि न्यासकर्त्ता की इच्छा के अनुसार न्यास सम्पत्ति का उपयोग किया जा रहा है अथवा नहीं । प्राचीन समय में इस दायित्व का निर्वहण राजा द्वारा किया जाता था । इस उद्देश्य से यह उचित होगा कि न्यास की भूमि पर अवैध निर्माण कार्य रोका जाय । तदनुसार अधिनियम में संशोधन किया जाना चाहिये एवं आयुक्त को ऐसी परिस्थितियों में सहायक आयुक्त के आवेदन पर 'रोकने के आदेश' (Stay order) देने की शक्ति प्रदान की जानी चाहिये ।]

धारा 46 – आयुक्त आदि लोक सेवक होना :

इस अधिनियम के अन्तर्गत नियुक्त आयुक्त, सहायक आयुक्त, निरीक्षक तथा अन्य अधीनस्थ अधिकारी एवं कर्मचारी भारतीय दण्ड संहिता 1860 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 45 सन् 1860) की धारा 21 के अर्थाधीन लोक सेवक समझे जाएंगे ।

---

1. मोहनराज व. सहायक आयुक्त, देवस्थान, पाली 1980 डब्ल्यू. एल. एन. (यू.सी.) 253

अध्याय 9

लोक न्यासों पर नियन्त्रण

धारा 47—विवरण पत्र एवं कथन :

1. प्रत्येक पंजीकृत लोक न्यास का कार्यवाहक न्यासी अधिकारिता रखने वाले सहायक आयुक्त के पास ऐसे (नक्शे) विवरण पत्र तथा कथन प्रस्तुत करेगा जो विहित किए जाएं।

2. आयुक्त अथवा सहायक आयुक्त किसी लोक न्यास के कार्यवाहक न्यासी या अन्य न्यासी से अथवा उस लोक न्यास से सम्बन्धित किसी व्यक्ति से उप धारा (1) में विहित सूचना के साथ-साथ कोई भी विवरण पत्र कथन या रिपोर्ट मांग सकेगा।

व्याख्या—राजस्थान लोक न्यास नियम 1962 के नियम 33 में उक्त धारा के अधीन आवश्यक विवरण एवं कथन की व्यवस्था की गई है जिनमें प्रत्येक विवरण एवं कथन को प्रस्तुत करने की तारीख भी विहित की गई है।

कथन (statement) में मौखिक एवं लिखित दोनों ही प्रकार के कथन सम्मिलित होते हैं।[1]

धारा 21 : मध्य प्रदेश लोक न्यास अधिनियम 1950

धारा 48—प्रवेश तथा निरीक्षण की शक्तियां :

आयुक्त, प्रत्येक सहायक आयुक्त एवं निरीक्षक तथा ऐसे अन्य अधिकारियों तथा व्यक्तियों जो इस निमित राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किए जाएं, को—

(क) एक लोक न्यास की किसी भी सम्पत्ति में प्रवेश तथा उसका निरीक्षण करने अथवा उसमें प्रवेश तथा निरीक्षण करवाने की शक्ति होगी।

(ख) न्यासी की किसी लोक न्यास की किसी कार्यवाही से अथवा उसके आधिपत्य में या नियन्त्रणाधीन किसी पुस्तक या लेखे से कोई उद्धरण मंगवाने या उसका निरीक्षण करने की शक्ति होगी।

---

1. साहू व. उत्तर प्रदेश राज्य ए. आई. आर. 1966 स. न्या. 40
गुजरात राज्य व. आचार्य श्री देवेन्द्र प्रसाद जी ए. आई. आर. 1969 स. न्या. 373

परन्तु शर्त यह है कि लोक न्यास की किसी भी सम्पत्ति में प्रवेश करने वाला अधिकारी, प्रवेश करने की उचित सूचना न्यासी को देगा तथा न्यास के धार्मिक आचारों एवं प्रथाओं का उचित ध्यान रखेगा।

व्याख्या—बम्बई उच्च न्यायालय के इस विनिश्चय को कि इस धारा के उपबन्ध संविधान के अनुच्छेद 25 एवं 26 का उल्लंघन नहीं करते हैं तथा वे राज्य विधान मण्डल की सक्षमता से परे नहीं हैं, पुष्टि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की गई है।[1]

धारा 49—स्पष्टीकरण मांगने की शक्ति :

1. यदि धारा 34 के अधीन अंकेक्षक द्वारा प्रस्तुत की गई अंकेक्षण रिपोर्ट की पालना करने पर अथवा धारा 48 के अधीन किए गए निरीक्षण पर सहायक आयुक्त की यह राय हो अथवा आयुक्त उसे यह सूचना दे कि आयुक्त की यह राय है कि लोक न्यास के प्रशासन में सारवान दोष है तो सहायक आयुक्त कार्यवाहक प्रन्यासी को, ऐसी अवधि के भीतर जैसी वह ठीक समझे, स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का आदेश दे सकेगा।

2. यदि अंकेक्षक द्वारा प्रेषित अंकेक्षण रिपोर्ट तथा निरीक्षण के परिणाम स्वरूप कार्यवाहक न्यासी द्वारा प्रस्तुत किए गए लेखे और स्पष्टीकरण यदि कोई हो, पर विचार करने पर सहायक आयुक्त विहित रीति से जांच करने तथा सम्बन्धित व्यक्तियों को अवसर देने के पश्चात् सन्तुष्ट हो जाता है कि न्यासी या कोई अन्य व्यक्ति घोर उपेक्षा या विश्वासघात, दुरुपयोग या दुराचार का दोषी है जिससे लोक न्यास को हानि हुई है तो वह—

(क) लोक न्यास को हुई ऐसी हानि की रकम तय करेगा।

(ख) यह तय करेगा कि क्या ऐसी हानि किसी व्यक्ति के विश्वासघात, दुरुपयोग या दुराचार के कारण हुई है।

(ग) यह निश्चित करेगा कि क्या न्यासी या कोई अन्य व्यक्ति ऐसी हानि के लिए उत्तरदायी है तथा

(घ) वह रकम निश्चित करेगा जो न्यासी या कोई अन्य व्यक्ति ऐसी हानि के लिए लोक न्यास की क्षतिपूर्ति करने हेतु उत्तरदायी है।

3. उपधारा (2) के खण्ड (घ) के अनुसार किसी न्यासी या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा चुकाने हेतु निश्चित की गई रकम (जिसको कि आगे अधिभारित राशि कहा गया है) धारा 50 के उपबन्धों के अन्तर्गत न्यायालय के किसी आदेश के अधीन अधिभारित राशि, न्यासी या उस व्यक्ति द्वारा ऐसी अवधि के भीतर जो सहायक आयुक्त नियत करे, चुकाई जाएगी।

---

1. रतिलाल पानाचन्द गांधी व. बम्बई राज्य ए. आई. आर. 1954 स. न्या 388

धारा 50—न्यायालय को आवेदन

1. धारा 49 के अन्तर्गत सहायक आयुक्त के निर्णय से व्यथित कोई भी व्यक्ति, निर्णय की तारीख से 90 दिन के भीतर ऐसे निर्णय को निरस्त कराने के लिए न्यायालय को आवेदन कर सकेगा।

2. न्यायालय ऐसी साक्ष्य लेने के पश्चात्, जो वह उचित समझे निर्णय को पुष्ट, परिवर्तित अथवा रूपान्तरित (Modify) कर सकेगा अथवा अधि-भार राशि (surcharged amount) को माफ कर सकेगा तथा परिव्ययों (costs) के सम्बन्ध में ऐसे आदेश दे सकेगा जिन्हें वह परिस्थितियों के अनुसार उचित समझे।

3. आवेदन पत्र का उपधारा (2) के अन्तर्गत निपटारा होने तक न्यायालय पर्याप्त कारणों के आधार पर प्रतिभूति सम्बन्धी शर्तों सहित अधिभार राशि की वसूली की कार्यवाहियों को ऐसी शर्तो पर, यदि कोई हो, जिन्हें वह उचित समझे रोक सकेगा।

4 उपधारा (2) के अन्तर्गत न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध इस प्रकार अपील हो सकेगी कि मानो ऐसा निर्णय, ऐसी डिक्री है जिसकी साधारणतः अपील होती है।

धारा 51—न्यासियों के बोर्ड में रिक्ति :

1. जब कोई लोक न्यास न्यासियों के बोर्ड के प्रबन्ध के अधीन हो तो कार्य-वाहक न्यासी बोर्ड में कोई रिक्ति होने पर, ऐसी रिक्ति से 20 दिन के भीतर उसकी सूचना सहायक आयुक्त को देगा तथा वह (कार्यवाहक न्यासी) उस रिक्ति को कितने समय में और किस रीति से भरने का विचार रखता है, इसके सम्बन्ध में भी सहा-यक आयुक्त को सूचित करेगा।

2. यदि कार्यवाहक न्यासी कोई ऐसी सूचना देने में अथवा स्वयं द्वारा विनिर्दिष्ट समय के भीतर रिक्त स्थान को भरने में विफल रहता है तो सहायक आयुक्त लिखित आदेश देकर रिक्त स्थान को भरेगा और लोक न्यास में हित रखने वाला कोई व्यक्ति जो सहायक आयुक्त के आदेश से व्यथित हो, ऐसे आदेश की तारीख से 30 दिन के भीतर न्यायालय को सहायक आयुक्त के आदेश को निरस्त करने के लिए आवेदन पत्र दे सकेगा।

व्याख्या—इस धारा को गम्भीर चुनौती दी गई। यह अभिनिर्धारित किया गया कि यह धारा न्यासियों के बोर्ड पर रिक्त स्थान को भरने का कर्तव्य अधिरो-पित करती है तथा जब कि रिक्त स्थान नहीं भरा जाता है तब से केवल सहायक आयुक्त को रिक्त स्थान भरना होता है। तब सहायक आयुक्त का आदेश न्यायालय के पुनर्विलोकन के अधीन होता है। इसलिए न्यासियों के बोर्ड के अधीन लोक न्यास के प्रबन्ध में रिक्त स्थान को भरने हेतु इस प्रक्रिया का अनुसरण करने में मूल अधि-कारों का हनन नहीं होता है। इस धारा की व्यवस्था सहायक आयुक्त द्वारा न्यासियों के बोर्ड पर निगरानी रखने के लिए की गई है जिससे कि रिक्त स्थान शीघ्रता से भरे जा सके। सहायक आयुक्त द्वारा मनमाने ढंग से शक्ति का प्रयोग करने के विरुद्ध यह पर्याप्त सुरक्षा है तथा ये उपबन्ध संविधान के अनुच्छेद 25 एवं 26 के अधिकारातीत नहीं हैं।[1]

---

1. सूरजमल सिंघवी ब. राजस्थान राज्य 1966 आर.एल. डब्ल्यु, 566 (ख.पी.)

अध्याय 10

कतिपय लोक न्यास के संबंध में विशेष उपबन्ध

धारा 52—अध्याय का लागू होना :

1. इस अध्याय में अन्तर्विष्ट उपबन्ध ऐसे प्रत्येक लोक न्यास पर लागू होंगे—

(क) जो राज्य सरकार में निहित है, या

(ख) जिसका संधारण राज्य सरकार के खर्चे से होता है, या

(ग) जिसका प्रबन्ध सीधे राज्य सरकार द्वारा किया जाता है, या

(घ) जो कोर्ट ऑफ वार्डस् के अधीक्षण में है, अथवा

(ङ) जिसकी सकल वार्षिक आय 10,000 (दस हजार) रुपये या अधिक है।

2. राज्य सरकार, इस अध्याय के प्रारम्भ होने के यथा शीघ्र पश्चात्, राज पत्र में उन लोक न्यासों की सूची प्रकाशित करेगी, जिन पर यह अध्याय लागू होता है और तत्सदृश अधिसूचना द्वारा तथा तत्समान रीति से ऐसी सूची में परिवर्धन या परिवर्तन कर सकेगी।

व्याख्या—अध्याय 10 के उपबन्धों के सम्बन्ध में महत्त्वपूर्ण बिन्दु न्यायालय के समक्ष विचारार्थ यह उपस्थित हुआ कि न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत करने के सिवाय स्वयं सहायक आयुक्त या आयुक्त को आदेश पारित करने की शक्ति नहीं प्रदान की गई है। यह संप्रेक्षण किया गया कि न्यायालय ही उसके समक्ष किसी मामले में अपना मानस बनाने के पश्चात् आदेश पारित करता है। न्यायालय पक्षकारों के मूल अधिकारों के सम्बन्ध में विधि के अनुसार आदेश पारित करने हेतु बाध्य होता है।[1]

निःसन्देह धर्मशास्त्रों के अनुसार धार्मिक सम्पत्ति का संरक्षण करना पवित्र कार्य है जो व्यक्ति की आध्यात्मिक उन्नति में सहायक है। ये सभी पाठ केवल इस पर बल देते हैं कि धार्मिक संस्था की सम्पत्ति का संरक्षण करना व्यक्ति का कर्त्तव्य है किन्तु इसका कहीं उल्लेख नहीं है कि देश की विधि का पालन नहीं किया जाय।

---

1. सूरजमल सिंघवी व० राजस्थान राज्य 1966 आर. एल. डब्ल्यु. 566 (नर्वो)

ऐसा धर्म का भी व्यादेश नहीं है। सम्पत्ति के संरक्षण के मामले में एक धार्मिक न्यास की सम्पत्ति के प्रबन्ध के धर्म निरपेक्ष के पहलू का देश की विधि के अनुसार पालन किया जाना चाहिये। जैन धर्म का यह व्यादेश नहीं है कि सम्पत्ति के धर्म निरपेक्ष प्रबन्ध विधि से ऊपर है यद्यपि जैन धर्म के अनुसार भी एक वर्ग द्वारा सम्पत्ति का धर्म निरपेक्ष प्रबन्ध विधि के अनुसार किया जाना चाहिये।[1] जहां प्रबन्ध राज्य के पास है तो वह मामला धारा 52 (1) क या (ग) के अन्तर्गत आ जाता है। यह संविधान के अनुच्छेद 26 का उल्लंघन नहीं है।[2]

राज्य सरकार ने मन्दिर एवं संस्थाओं को निम्नलिखित चार श्रेणियों में विभक्त किया है:

1. प्रत्यक्ष प्रभार के मन्दिर व संस्थान
2. आत्मनिर्भर मन्दिर व संस्थान
3. सुपुर्दगी के मन्दिर व संस्थान
4. कोर्ट आफ वार्डस के मन्दिर व संस्थान

राज्य सरकार द्वारा राज पत्र में अधिसूचना द्वारा इन मन्दिरों व संस्थानों की सूची प्रकाशित की गई है जो आगे दी गई है।

धारा 53 - लोक न्यासों का प्रबन्ध जिन पर यह अध्याय लागू होता है :

1. उस तारीख से जो राज्य सरकार द्वारा इस प्रयोजनार्थ नियत की जाए, ऐसे लोक न्यास जिन पर यह अध्याय लागू होता है, का प्रबन्ध इस अधिनियम के किसी उपबन्ध में अथवा किसी विधि, रिवाज अथवा प्रथा में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए, भी एक प्रबन्ध समिति में निहित होगा, जिसका गठन राज्य सरकार द्वारा एतद्पश्चात दी गई रीति से किया जाएगा तथा राज्य सरकार इस धारा के प्रयोजनार्थ भिन्न-भिन्न लोक न्यासों के लिए भिन्न-भिन्न तारीखें नियत कर सकेगी।

2. किसी लोक न्यास के सम्बन्ध में उपधारा (1) के अधीन नियत तारीख पर या उसके पूर्व राज्य सरकार, धारा 54 में उल्लिखित उपबन्धों के अधीन रहते हुए, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा उक्त लोक न्यास के लिए प्रबन्ध समिति का गठन ऐसे नाम से करेगी जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए तथा ऐसी समिति को उक्त लोक न्यास एवं उसके विन्यास का कार्यवाहक न्यासी समझा जाएगा।

किन्तु शर्त यह है कि एक ही धर्म या धार्मिक विश्वास के प्रतिनिधि कई लोक न्यासों के न्यासियों एवं उनमें हित रखने वाले व्यक्तियों की संयुक्त प्रार्थना पर राज्य सरकार उन सब न्यासों के लिए एक प्रबन्ध समिति का गठन कर सकेगी, यदि विन्यास एक ही नगर, कस्बे या बस्ती में स्थित हो।

---

1. मूरजमल सिघंवी ब. राजस्थान राज्य 1966 आर. एल. डब्ल्यु. 566 (ख पी)
2. वही

3. उपधारा (2) के अन्तर्गत गठित प्रत्येक प्रबन्ध समिति शाश्वत उत्तराधिकार तथा सामान्य मुद्रा रखने वाली एक निगम निकाय होगी एवं उसे ऐसी शर्तों तथा प्रतिबन्धों के अधीन जो विहित किए जाएं, सम्पत्ति अवाप्त करने, धारण करने तथा उसका व्ययन करने की शक्ति होगी एवं उपधारा (2) के अन्तर्गत अधिसूचना में प्रकाशित नाम से वाद संस्थित कर सकेगी तथा उसी नाम से उसके विरुद्ध वाद संस्थित किया जा सकेगा।

4. प्रबन्ध समिति में एक सभापति एवं सम संख्या में अधिक से अधिक दस तथा कम से कम दो, जैसा कि राज्य सरकार निश्चित करे, सदस्य होंगे।

5. प्रबन्ध समिति के सभापति तथा सदस्यों को राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा

(क) एक ही धर्म या धार्मिक विश्वास का प्रतिनिधित्व करने वाले तथा एक समान ध्येय रखने वाले लोक न्यासों के न्यासियों में से तथा

(ख) ऐसे लोक न्यासों या धन के विन्यासों में हित रखने वाले व्यक्तियों अथवा जिस सम्प्रदाय के प्रयोजनार्थ या लाभार्थ न्यास की संस्थापना की गई थी, उस समुदाय के व्यक्तियों में से,

उक्त प्रकार से हित रखने वाले व्यक्तियों की सामान्य इच्छाओं के अनुसार जहां तक ऐसी इच्छाओं का विहित रीति से ठीक-ठीक पता लगाया जा सकता है, वियुक्त करेगी।

किन्तु शर्त यह है कि ऐसे लोक न्यास के सम्बन्ध में जिसका न्यासी आनुवांशिक हो तो ऐसा न्यासी तथा मठ के मामले में उसका अध्यक्ष, प्रबन्ध समिति का सभापति होगा यदि वह अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए तैयार है।

व्याख्या—इस धारा में लोक न्यास के प्रबन्ध के बारे में व्यवस्था की गई है। धारा 53 के अधीन राज्य सरकार को प्रबन्ध समिति के सभापति एवं सदस्यों का चयन करने की मनमानी शक्तियां प्रदान की गई हैं। ऐसे मामले में उक्त संकेत है जिनमें राज्य सरकार किसी वर्ग या सम्प्रदाय को न्यास सम्पत्ति के प्रबन्ध से बिल्कुल ही विनिहित कर दे। इसके लिए धारा 53 में उचित सुरक्षा प्रदान नहीं की गई है अतः धारा 52 की उपधारा 1 के खण्ड (घ) एवं (ङ) संविधान के अधिकारातीत हैं।[1]

धारा 54—समिति के गठन के पूर्व आनुवंशिक न्यासी को सूचना :

जब कभी आनुवंशिक न्यासी की प्रथा रखने वाले लोक न्यास अथवा किसी मठ के लिए धारा 53 के अधीन प्रबन्ध समिति नियुक्त की जाती है तो राज्य सरकार ऐसी समिति का गठन करने के पूर्व उस लोक न्यास के आनुवंशिक न्यासी

---

1. सूरजमल सिंघवी व. राजस्थान राज्य 1966 आर. एल. डब्ल्यु. 566 (डी बी)

को अथवा मठ के अध्यक्ष को प्रबन्ध समिति का गठन करने के अपने इरादे की सूचना देगी और ऐसे आनुवंशिक न्यासी या अध्यक्ष द्वारा प्रस्तुत आपत्तियों पर यदि कोई हों, विचार करेगी तथा उनकी सुनवाई करेगी।

धारा 55—सदस्यता विषयक निर्योग्यतायें :

कोई व्यक्ति, प्रबन्ध समिति का सदस्य नियुक्त होने अथवा बनने के लिए निर्योग्य होगा, यदि वह—

(क 21 वर्ष से कम आयु का है, अथवा

(ख) किसी आपराधिक न्यायालय द्वारा नैतिक पतन युक्त किसी अपराध का दोषी ठहराया गया है, अथवा

(ग) विकृत मस्तिष्क है तथा किसी सक्षम न्यायालय द्वारा वैसा घोषित कर दिया गया है, अथवा

(घ) अनुन्मुक्त दिवालिया है, या

(ङ) लोक न्यास के विन्यास सम्बन्धी पट्टे या किसी अन्य लेन देन में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हित रखता है, अथवा

(च) प्रबन्ध समिति का वेतन भोगी सेवक है, अथवा

(छ) दुराचरण का दोषी पाया गया है या जिस लोक न्यास के लिस प्रबन्ध समिति का गठन किया गया हो वह लोक न्यास जिस धर्म या धार्मिक विश्वास अथवा धार्मिक सम्प्रदाय का प्रतिनिधित्व करता है उस धर्म या धार्मिक विश्वास अथवा धार्मिक सस्प्रदाय का अनुयायी नहीं रहा है अथवा

(ज) अन्यथा अयोग्य है।

धारा 56—समिति के कार्यकाल की अवधि :

1. किसी प्रबन्ध समिति के सभापति तथा सदस्यों की पदावधि पांच वर्ष की होगी और वे पुनः नियुक्ति के लिए योग्य हो सकेंगे।

किन्तु शर्त यह है कि यदि किसी लोक न्यास के लिए गठित प्रबन्ध समिति के सभापति या सदस्य के रूप में किया गया व्यक्ति उस लोक न्यास का आनुवंशिक न्यासी हो तो वह सभापति या सदस्य, यथास्थिति का पद तब तक वंशानुगत रूप से धारण करेगा जब तक कि उसे राज्य सरकार द्वारा इस अधिनियम के किसी उपबन्ध के अधीन हटाया न जाए।

2. प्रबन्ध समिति का सभापति या कोई सदस्य राज्य सरकार को सम्बोधित करते हुए एवं हस्ताक्षरयुक्त अपने पद से त्यागपत्र दे सकेगा।

किन्तु शर्त यह है कि ऐसा त्याग पत्र तब तक प्रभावी नहीं होगा जब तक कि उसे राज्य सरकार द्वारा स्वीकार न कर लिया जाय।

धारा 56 एफ : बम्बई लोक न्यास अधिनियम 1950

धारा 57—सदस्यों का हटाया जाना :

यदि राज्य सरकार को यह प्रतीत हो कि इस अध्याय के अन्तर्गत गठित किसी प्रबन्ध समिति का सभापति या किसी सदस्य धारा 55 में उल्लिखित किसी निर्योग्यता से ग्रस्त हो गया है तो राज्य सरकार ऐसे सभापति या सदस्य को "कारण बताओ नोटिस" देने का अवसर प्रदान करने के पश्चात् तथा इस प्रकार बताए गए कारणों पर विचार करने के पश्चात् उसको अपने पद से हटा सकेगी तथा राज्य सरकार का ऐसा निर्णय अन्तिम होगा।

व्याख्या—जहां न्यासी के विरुद्ध की गई शिकायत में न्यास भंग के सम्बन्ध में ऐसा कोई अभिकथन नहीं किया गया है तो न्यासी को केवल इस आधार पर हटाने का अनुतोष नहीं दिया जा सकता कि वह अनैतिक चरित्र का है।[1]

धारा 58 - नए सदस्यों की नियुक्ति :

राज्य सरकार नया सभापति या सदस्य उस दशा मे नियुक्त कर सकेगी जब किसी प्रबन्ध समिति का सभापति या सदस्य—

(क) त्याग पत्र दे देता है या मर जाता है अथवा

(ख) लगातार छः माह की अवधि के लिए
आयुक्त की बिना अनुमति के भारत से बाहर रहता है अथवा

(ग) विदेश में बसने के लिए भारत छोड़ देता है अथवा

(घ) अपना कार्य करने से इन्कार कर देता है अथवा

(ङ) धारा 57 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा हटा दिया जाता है।

धारा 59—प्रबन्ध समिति की बैठकें और प्रक्रिया :

1. प्रबन्ध समिति की बैठकें ऐसे कालान्तरों पश्चात् होगी और वह अपनी शक्तियों का प्रयोग तथा अपने कर्तव्यों एवं कृत्यों का निर्वहन करते समय ऐसी प्रक्रिया का अनुसरण करेगी जो विहित की जाय, किन्तु दिन प्रतिदिन की कार्यवाहियों तथा सामान्य कार्यों का निपटारा प्रबन्ध समिति द्वारा निर्मित तथा राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित विनियमों के अनुसार किया जाएगा।

2. प्रबन्ध समिति का कोई कार्य या उसकी कोई कार्यवाही प्रबन्ध समिति के सदस्यों में से किसी सदस्य का कोई स्थान रिक्त होने या उसके गठन में कोई त्रुटि होने मात्र के कारण अवैध नहीं होगा।

व्याख्या—राजस्थान लोक न्यास नियम 1962 के नियम 37 में यह व्यवस्था की गई है कि समिति की बैठक कम से कम महीने में एक बार होगी। कोरम, विनिश्चयों का कार्यान्वयन, शक्तियों का प्रत्यायोजन (Delegation of

---

1. जोशी कान्तीलाल ब. मेहता गिरधारीलाल 1965 गुज. ला.रि 381

Powers) प्रतिदिन के कार्यों का संचालन एवं उपस्थिति आदि से सम्बन्धित विषय इस नियम में दिये गये हैं।

धारा 56 जे : बम्बई लोक न्यास अधिनियम 1950

धारा 60—उपसमितियों की नियुक्ति :

प्रबन्ध समिति, जैसा वह उचित समझे संकल्प पारित करके ऐसी उपसमितियां नियुक्त कर सकेगी तथा उनको ऐसी शक्तियां एवं कर्तव्य सौंप सकेगी जिन्हें वह संकल्प में निर्दिष्ट करे और कोई उपसमिति सामान्यत: या किन्हीं विशेष प्रयोजनों के लिए एवं ऐसी रीति से जो विनियमों द्वारा निश्चित किए जाएं किसी ऐसे व्यक्ति को अपने साथ सम्बद्ध कर सकेगी जो उसका सदस्य न हो लेकिन वह (प्रबन्ध समिति) उसकी सलाह लेना चाहती है तथा उपर्युक्त प्रकार से सम्बद्ध व्यक्ति को उक्त प्रयोजन से संगत उपसमिति के विचार-विमर्श में भाग लेने का अधिकार होगा किन्तु उसे उसकी बैठक में मत देने का अधिकार नहीं होगा।

धारा 66 के : बम्बई लोक न्यास अधिनियम 1950

धारा 61—प्रबन्ध समिति के कर्त्तव्य

1. आयुक्त के सामान्य तथा विशेष आदेशों के अधीन रहते हुए प्रबन्ध समिति का यह कर्त्तव्य होगा कि वह लोक न्यास या न्यासों जिसके या जिनके लिए उसका गठन किया गया है, के कार्य कलापों का प्रबन्ध तथा व्यवस्था करे तथा इस अधिनियम द्वारा या इस अधिनियम के अधीन अथवा उक्त लोक न्यास से सम्बन्धित तत्समय प्रभावशील किसी न्यास विलेख के अधीन उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा सौंपे गए कर्त्तव्यों एवं कृत्यों का निर्वहन इस प्रकार करे कि यह सुनिश्चित हो जाय कि उक्त न्यास का विन्यास या उसकी अन्य सम्पत्ति का संधारण, नियन्त्रण तथा व्यवस्था उचित रूप से की जाती है एवं उसकी आय उन उद्देश्यों तथा प्रयोजनों के लिए सम्यक रूपेण प्रयुक्त की जाती है जिनके लिए न्यास बनाया गया था या जिनके लिए उसका संचालन आशयित है।

2. विशेष रूप से तथा पूर्वगामी उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना प्रबन्ध समिति—

(क) ऐसा अभिलेख जिसमें न्यास के उद्‌भव, आय तथा उद्देश्य से सम्बन्धित सूचना जहां तक वह एकत्र की जा सके, लिखी हो उचित प्रकार से रखेगी।

(ख) न्यास की आय तथा व्यय का अनुमान लगाकर बजट तैयार करेगी।

(ग) प्रत्येक लोक न्यास जिसके लिए उसका गठन किया गया है, का अलग-अलग लेखा रखेगी।

(घ) यह सुनिश्चित करेगी कि ऐसे लोक न्यास की आय तथा सम्पत्ति का उपयोग उन उद्देश्यों तथा प्रयोजनों के लिए किया जाता है

जिनके लिए उस न्यास का सृजन किया गया था अथवा जिस प्रकार से उस न्यास का संचालन किया जा रहा है।

(ङ) ऐसे लोक न्यास अथवा न्यासों के समस्त कार्य-कलापों की देख-रेख, नियन्त्रण तथा प्रबन्ध करेगी तथा उनका संधारण करेगी।

(च) उस न्यास की सम्पत्तियों का निरीक्षण करेगी अथवा निरीक्षण करवाएगी।

(छ) ऐसे लोक न्यास अथवा न्यासों से संबंधित वादों तथा कार्यवाहियों को न्यायालय में संस्थित करेगी तथा उनका प्रतिवाद करेगी।

(ज) लोक न्यास अथवा न्यासों की लुप्त वस्तुओं की पुन: प्राप्ति हेतु उपाय करेगी।

(झ) ऐसे विवरण, आंकड़े, लेखे तथा अन्य सूचना भेजगी जो राज्य सरकार समय-समय पर अपेक्षा करे तथा

(ञ) उक्त लोक न्यास अथवा न्यासों के निर्माण में अथवा उससे संबंधित विन्यासों के निर्माण में अन्तर्विष्ट उद्देश्यों एवं प्रयोजनों का यथोचित ध्यान रखते हुए तथा जिस व्यक्ति या जिन व्यक्तियों ने उक्त लोक न्यास अथवा न्यासों का स्थापन अथवा सृजन किया उनकी इच्छाओं का भी सम्यक् ध्यान रखते हुए सामान्यत: ऐसे समस्त कार्य करेगी जो उक्त लोक न्यास अथवा न्यासों के उचित नियन्त्रण, संधारण तथा व्यवस्था के लिए आवश्यक हों अथवा उसके/उनके स्थायित्व एवं समृद्धि के लिए सहायक समझे जायें।

स्पष्टीकरण—किसी लोक न्यास के संधारण में निम्नलिखित कार्य सम्मिलित होंगे—

(1) जिस धर्म या धार्मिक विश्वास का यह लोक न्यास प्रतीक है उसके सिद्धान्तों के अनुसार एवं उसकी स्थापना में अथवा उससे संबंधित विन्यासों के सृजन में अन्तर्निहित उद्देश्यों एवं प्रयोजनों का यथोचित ध्यान रखते हुए तथा जिस व्यक्ति अथवा जिन व्यक्तियों ने उक्त न्यास की नींव डाली या उसके सम्बन्ध में विन्यासों का सृजन किया, उनकी इच्छाओं का भी जहां तक वे मालूम हो सकें सम्यक् ध्यान रखते हुए संचालन किया जाना;

(2) ऐसे लोक न्यास की सम्पत्तियों तथा उसके विन्यासों की दैनिक व्यवस्था;

(3) ऐसे लोक न्यास के नाम दातव्यों तथा ऋणों, यदि कोई हो, का भुगतान;

(4) धारा 65 की उपधारा (2) के अधीन निश्चित किए गए भत्तों का भुगतान।

धारा 56 एम : बम्बई लोक न्यास अधिनियम 1950

धारा 62—समिति के कर्त्तव्यों का पालन कराने की तथा उसके सम्बन्धित व्यय का समिति के कोष में से भुगतान कराने का निदेश देने की आयुक्त की शक्ति :

आयुक्त राज्य सरकार की पूर्व अनुमति से किसी ऐसे कर्तव्य का पालन कराने की व्यवस्था कर सकेगा जिसका पालन करने के लिए प्रबन्ध समिति इस अधिनियम के उपबन्धों अथवा तद्धीन बनाए गए नियमों या दिए गए आदेशों के अधीन बाध्य है तथा आयुक्त यह निदेश दे सकेगा कि ऐसे कर्त्तव्यों के पालन सम्बन्धी व्यय का भुगतान उस व्यक्ति द्वारा जिसकी अभिरक्षा में उस समय ऐसे लोक न्यास या न्यासों की कोई निधि हो, जिसके/जिनके लिए समिति का गठन किया गया है, उक्त निधि में से किया जाएगा।

व्याख्या—इस धारा में समिति द्वारा कार्यों का निर्वहण कराने के लिए आयुक्त को शक्ति प्रदान की गई है तथा वह समिति की निधि या लोक न्यास से व्ययों का भुगतान करने का निदेश दे सकता है। राज्य सरकार की इससे पूर्व अनुमति आवश्यक है।

धारा 56 क्यू : बम्बई लोक न्यास अधिनियम 1950

धारा 63—समिति का अधिक्रमण करने की शक्ति :

1. यदि राज्य सरकार की यह राय हो कि प्रवन्ध समिति, इस अधिनियम अथवा तत्समय प्रभावशील किसी अन्य विधि द्वारा या विधि के अन्तर्गत उस पर अधिरोपित कर्त्तव्यों का पालन करने में असमर्थ है या निरन्तर त्रुटि करती रही है अथवा उसने अपनी शक्तियों का सीमातिरेक या दुरुपयोग किया है तो राज्य सरकार राज-पत्र में अधिसूचना द्वारा समिति को ऐसी अवधि के लिए अधिक्रमित कर सकेगी जिसका उल्लेख अधिसूचना में किया जाए।

किन्तु शर्त यह है कि इस उपधारा के अधीन अधिसूचना जारी करने के पूर्व राज्य सरकार प्रवन्ध समिति को कारण बताने का यथोचित अवसर देगी कि उसे अधिक्रमित क्यों न कर दिया जाए तथा ऐसी समिति द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरणों एवं आपत्तियों पर यदि कोई हो, विचार करेगी।

2. प्रवन्ध समिति को अधिक्रमित करते हुए उपधारा 1 के अधीन अधिसूचना के प्रकाशित होने पर ऐसी समिति का सभापति तथा उसके समस्त सदस्य, अतिक्रमण की तारीख से अपने पद रिक्त कर देंगे एवं इस अधिनियम या तत्समय प्रभावशील किसी अन्य विधि के उपबन्धों द्वारा या उपबन्धों के अधीन, प्रवन्ध समिति द्वारा या प्रवन्ध समिति की ओर से जिन समस्त शक्तियों का प्रयोग तथा

समस्त कर्त्तव्यों का पालन किया जाना हो, उनका प्रयोग अधिक्रमण की अवधि में, ऐसे व्यक्तियों द्वारा किया जाएगा जिसके/जिनके लिए राज्य सरकार धारा 55 के उपबन्धों को ध्यान में रखते हुए निर्देश दे।

3. अधिक्रमण की अवधि जो उपधारा (1) के अन्तर्गत आदेश में विनिर्दिष्ट हो, राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना जारी करके समय-समय पर बढ़ाई जा सकेगी।

4 उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट या उपधारा (3) के अधीन बढ़ाई गई अधिक्रमण की अवधि की गणना करने में, याचिका या कार्यवाही जिसके द्वारा अधिक्रमण आदेश की वैधता को किसी न्यायालय में चुनौती दी जाय, के अभियोजन तथा निपटारे में व्यतीत अवधि सम्मिलित नहीं की जाएगी।

5. अधिक्रमण अवधि या बढ़ाई गई अधिक्रमण अवधि समाप्त होने पर या उसके पूर्व राज्य सरकार धारा 53 में प्रावहित रीति से समिति का पुनर्गठन करेगी।

धारा 56 आर : बम्बई लोक न्यास अधिनियम 1950

धारा 64—विनियम बनाने की शक्ति :

1. प्रबन्ध समिति, राज्य सरकार की अनुमति से इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के पालनार्थ ऐसे उप नियम बना सकेगी जो इस अधिनियम या तद्धीन बनाये गये नियमों से असंगत न हो।

2. पहले के उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, विशेष रूप से ऐसे विनियमों में निम्नलिखित समस्त या उनमें से किन्हीं विषयों के लिए व्यवस्था की जा सकेगी—

(1) दैनिक कार्यवाहियों तथा सामान्य काम काज का निपटारा,

(2) प्रबन्ध समिति के कर्त्तव्यों तथा कार्यों के पालनार्थ आवश्यक अधिकारियों तथा कर्मचारियों का नियोजन;

(3) उनके नियोजन सम्बन्धी अनुबन्ध तथा शर्तें, तथा

(4) वह रीति जिससे किसी व्यक्ति को जो कि समिति का सदस्य नहीं है, धारा 60 के अधीन गठित किसी उपसमिति से सम्बद्ध किया जा सकेगा।

व्याख्या—समिति द्वारा बनाए जाने वाले विनियमों का राज्य सरकार द्वारा अनुमोदन किया जाना आवश्यक है।

धारा 56 एस : बम्बई लोक न्यास अधिनियम 1950

धारा 65—आनुवंशिक न्यासियों के अधिकार :

1. इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट कोई बात ऐसे लोक न्यास जिस पर यह अध्याय लागू होता है, के आनुवंशिक न्यासी, यदि कोई हो, के अधिकारों पर निम्नलिखित के बारे में कोई प्रभाव नहीं डालेगी—

(क) ऐसे लोक न्यास की किसी इमारत में रहना या

(ख) ऐसे लोक न्यास के प्रयोजनार्थ उक्त किसी इमारत का उपयोग करना अथवा

(ग) उसको व्यक्तिगत रूप से समर्पित भेंट, नजर तथा धर्मदान लेना अथवा

(घ) लोक न्यास की आय में से उपधारा (2) के अधीन नियत भत्ता लेना अथवा

(ङ) ऐसे लोक न्यास की सेवा या पूजा अथवा उसमें किसी संस्कार के अनुष्ठान अथवा तत्सम्बन्धी किसी समारोह, जो उक्त लोकन्यास के रिवाज या प्रथा के अनुसार हो, में भाग लेना।

2. राज्य सरकार ऐसे लोक न्यास जिस पर यह अध्याय लागू होता है, के आनुवंशिक न्यासी की उक्त लोक न्यास की आय में से देय भत्ते की रकम ऐसे न्यासी की प्रतिष्ठा, लोक न्यास की सकल आय तथा अन्य विहित विवरणों पर विचार करने के पश्चात् निश्चित तथा नियत करेगी।

व्याख्या—सम्पूर्ण भारत में हिन्दु धार्मिक विन्यासों के निमित्त कई प्रकार के आनुवंशिक न्यासी कार्य कर रहे हैं। सस्थाओं के प्रकार की दृष्टि से उनका दो श्रेणियों में विभाजन किया जा सकता है—(1) मन्दिरों के आनुवंशिक न्यासी तथा (2) मठ या मठाधिपतियों के आनुवंशिक न्यासी।[1]

सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि आनुवंशिक न्यासियों के प्रबन्ध का यह अधिकार संविधान के अनुच्छेद 31 के अर्थ में सम्पत्ति का अधिकार है तथा आनुवंशिक न्यासियों को शक्तियों से किसी भी सीमा तक विधि न्यायालयों के माध्यम से ही वंचित किया जा सकता है। इसने कई संस्थाओं को भारी हानि पहुंचाई किन्तु सम्पत्ति का अधिकार अब मूल अधिकार नहीं रहा है[2]।

नाथद्वारा मन्दिर के प्रधान पुरोहित (तिलकायत) का पद आनुवंशिक है। प्रधान पुरोहित का सबसे बड़ा पुत्र अपने पिता का उत्तराधिकारी होता है इसकी नियुक्ति या चुनाव नहीं होता। वह अपनी पत्नी एवं बच्चों के साथ मन्दिर से जुड़े भवन में रहता है तथा ये पुष्टिमार्गीय सम्प्रदाय के कहलाते हैं। पुत्रियां उत्तराधिकारी नहीं बनतीं।

राजस्थान लोक न्यास नियम 1962 के नियम 38 में आनुवंशिक न्यासियों के भत्तों के बारे में व्यवस्था की गई है। राज्य सरकार को आनुवंशिक न्यासियों के भत्तों को निश्चित करने हेतु प्राधिकृत किया गया है। ये भत्ते सकल आय के 15 प्रतिशत से अधिक नहीं होंगे।

———

1. हिन्दु धार्मिक विन्यास आयोग की रिपोर्ट 1962 पृ. 199
2. 42वां संविधान संशोधन

अध्याय 11

धर्मादा

धारा 66—धर्मादा :

1. यदि किसी व्यवसाय या व्यापार की रूढ़ियाँ प्रथा के अनुसार किसी सौदे के सम्बन्ध में पक्षों में हुए करार के अनुसार उक्त सौदे से सम्बन्धित किसी पक्ष से कोई भी राशि वसूल की जाती है या किसी पुण्यार्थ या धार्मिक प्रयोजन हेतु प्रयुक्त किए जाने के अभिप्राय से किसी भी नाम से एकत्रित की जाती है तो इस प्रकार वसूल की गई या एकत्रित की गई राशि जिसे इस अधिनियम में "धर्मादा" कहा गया है, वसूल या एकत्रित करने वाले व्यक्ति में न्यासी के रूप में निहित होगी।

2. उक्त रीति से वसूल या एकत्रित की गई राशि, सम्बन्धित व्यवसाय या व्यापार से सम्बद्ध व्यक्तियों द्वारा विहित रीति से निर्वाचित सदस्यों से गठित समिति द्वारा निर्देशित रीति से उपयोग में लाई जाएगी।

3. धर्मादा वसूल या एकत्रित करने वाला प्रत्येक व्यक्ति उस वर्ष, जिनके लिए उसके लेखे सामान्यतः रखे जाते हैं, की समाप्ति से उस अवधि के भीतर जो विहित की जाय, उसके द्वारा ऐसे वर्ष के दौरान वसूल या एकत्रित किए गए धर्मादे का लेखा ऐसे प्रपत्र में जो विहित किया जाए, अधिकारिता रखने वाले सहायक आयुक्त के पास या उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट समिति के पास, जैसा कि राज्य सरकार सामान्य या विशेष आदेश करे, प्रेषित करेगा।

4. उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट समिति द्वारा इस निमित्त किए गए निवेदन पर सहायक आयुक्त को उपधारा (3) के अधीन उसको या उक्त समिति को भेजे गए लेखे की शुद्धता का सत्यापन करने के लिए ऐसी जांच जिसे वह उपयुक्त समझे करने की शक्ति होगी।

5. अध्याय 5 के उपबन्ध धर्मादा पर लागू नहीं होंगे।

व्याख्या—अधिनियम की धारा 2 की उपधारा (ii) में परिभाषित धर्मादा एक लोक न्यास है।

उपधारा (4) में अभिव्यक्त रूप से उपबन्धित है कि धर्मादा के पंजीयन की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इस पर अधिनियम के अध्याय 5 के उपबन्ध लागू नहीं होते।

इस धारा के उपवन्धों को प्रभावशील बनाने हेतु सरकार द्वारा नियम 39, 40 एवं 41 बताए गए हैं। नियम 39 समिति के सदस्यों के चुनाव के सम्बन्ध में है। नियम 40 में यह उपवन्धित है कि धर्मादा लेखा वर्ष की समाप्ति से 3 माह के भीतर प्रारूप संख्या 15 में प्रस्तुत किया जाएगा। नियम 41 धर्मादा लेखे के जांच व अंकेक्षण के बारे में है। सहायक आयुक्त धर्मादा का लेखा प्रारूप संख्या 16 के रजिस्टर में रखेगा। व्यापारियों द्वारा प्रत्येक वर्ष शुभकाम हेतु अलग रखे गए लाभों के पंजीयन की आवश्यकता नहीं होती।

धारा 54 : बम्बई लोक न्यास अधिनियम 1950

अध्याय 12

कार्य प्रणाली तथा शास्तियां

धारा 67—जांच अधिकारियों को दीवानी न्यायालय की शक्तियां :

इस अधिनियम के अन्तर्गत जांच करते समय आयुक्त अथवा सहायक आयुक्त को वैसी ही शक्तियां होंगी जो किसी वाद के विचारण में निम्नांकित मामलों में दीवानी प्रक्रिया संहिता 1908 (केन्द्रीय अधिनियम 5 सन् 1908) के अन्तर्गत दीवानी न्यायालयों में निहित होती हैं—

(क) शपथ पत्रों द्वारा तथ्यों का साक्ष्य

(ख) किसी व्यक्ति को सम्मन द्वारा बुलाना तथा उसे उपस्थित होने के लिए बाध्य करना एवं शपथ पर उसका परीक्षण करना

(ग) दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए बाध्य करना

(घ) कमीशन जारी करना ।

व्याख्या—भारतीय साक्ष्य अधिनियम के उपबन्धों के अधीन शपथ पत्रों को साक्ष्य के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता । इनका साक्ष्य के रूप में केवल दीवानी प्रक्रिया संहिता के अधीन प्रयोग किया जा सकता है जब न्यायालय पर्याप्त कारणों पर कोई आदेश देता है कि विशेष तथ्य शपथ-पत्र द्वारा सिद्ध किया जाय ।[1] जब शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाता है तो न्यायालय को यह देखना चाहिये कि वह दीवानी प्रक्रिया संहिता के आदेश 19 नियम 3 द्वारा अपेक्षित उचित रूप से लिखा गया एवं सत्यापित किया गया है । प्रत्येक शपथ पत्र स्पष्ट रूप से प्रकट करना चाहिये कि अभिसाक्षी के ज्ञान तथा विश्वास का कितना कथन है तथा विश्वास के आधार भी पर्याप्त रूप से बताए जाने चाहियें । लापरवाही से किया गया सत्यापन शपथ पत्र को खारिज कर सकता है ।[2] जब अभिसाक्षित बात निजी ज्ञान पर आधारित नहीं है तो सूचना का स्रोत स्पष्ट रूप से दिया जाना चाहिये ।

कमीशन जारी करना शब्दों का विस्तृत अर्थ है इसमें दीवानी प्रक्रिया संहिता के आदेश 26 के अधीन सभी कमीशन सम्मिलित होते हैं तथा स्थानीय अन्वेषण

---

1. खानदेश स्पीनिंग एण्ड वीविंग मिल्स व. के. जी. के. संघ ए.आई.आर. 1960 सन्या 571
2. ए.आई.आर. 1952 सन्या. 317

हेतु कमिश्नरों को नियुक्त करने की शक्ति भी सम्मिलित है। कमीशन जारी करना अधिकार का विषय नहीं होता है यह न्यायालय के विवेक का विषय है। पक्षकार के लिए यह बताना आवश्यक है कि जब तक कमीशन जारी नहीं किया जाएगा तब तक न्यायालय के समक्ष आवश्यक एवं सुसंगत तथ्यों को नहीं रखा जा सकेगा। एक पर्दानशीन महिला को न्यायालय में उपस्थित न होने से इन्कार करने का अधिकार है तथा यह कहने का अधिकार है कि यदि उसका परीक्षण किया जाना है तो उसकी साक्ष्य कमीशन पर ली जाय। एक पर्दानशीन महिला का कमीशन पर परीक्षण किया जाना चाहिये।[1]

धारा 73 : बम्बई लोक न्यास अधिनियम 1950

धारा 28 : मध्य प्रदेश लोक न्यास अधिनियम 1951

धारा 68—जांच न्यायिक कार्यवाही होना :

इस अधिनियम के अन्तर्गत समस्त जांच भारतीय दण्ड संहिता 1860 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 45 सन् 1860) की धारा 193, 219 तथा 228 के अर्थों में न्यायिक कार्यवाहियां समझी जाएंगी।

व्याख्या—सुविधा की दृष्टि से भारतीय दण्ड संहिता की उक्त तीनों धाराओं को संक्षेप में यहां दिया जा रहा है।

धारा 193—जो कोई साशय किसी न्यायिक कार्यवाही के किसी प्रक्रम में मिथ्या साक्ष्य देगा या किसी न्यायिक कार्यवाही के किसी प्रक्रम में उपयोग में लाए जाने के प्रयोजन से मिथ्या साक्ष्य गढ़ेगा वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

और जो कोई किसी अन्य मामले में साशय मिथ्या साक्ष्य देगा या गढ़ेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

धारा 219—जो कोई लोक सेवक होते हुए न्यायिक कार्यवाही के किसी प्रक्रम में कोई रिपोर्ट, आदेश, अधिमत या विनिश्चय जिसका विधि के प्रतिकूल होना वह जानता हो, भ्रष्टतापूर्वक या विद्वेषपूर्वक देगा या सुनाएगा वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दण्डित किया जाएगा।

धारा 228—जो कोई किसी लोक सेवक का उस समय जबकि ऐसा लोक सेवक न्यायिक कार्यवाही के किसी प्रक्रम में बैठा हुआ हो, साशय कोई

1. ए.आई.आर. 1942 कल. 143

अपमान करेगा या उसके कार्य में कोई विघ्न डालेगा, वह सादा कारावास से जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो एक हजार रुपये तक का हो सकेगा या दोनों से दण्डित किया जाएगा।

एक विधिक कार्यवाही वह है जिसका उद्देश्य एक दूसरे के बीच या व्यक्तियों के समूह या उसके एवं समिति के बीच निश्चित करना है अथवा न्यायालय द्वारा न्याय के प्रशासन के दौरान लिया गया कोई कदम है।[1] इसमें वे कार्यवाहियां सम्मिलित हैं जिनके दौरान शपथ पर साक्ष्य ली जाती है।[2] क्या एक कार्यवाही न्यायिक कार्यवाही है इसकी जांच यह है कि क्या उस कार्यवाही के दौरान पीठासीन अधिकारी को विधिक रूप से शपथ पर साक्ष्य लेने की शक्ति है तथा यह नहीं कि क्या उसने वास्तव में ऐसी साक्ष्य ली है।[3]

धारा 74 : बम्बई लोक न्यास अधिनियम 1950
धारा 29 : मध्य प्रदेश लोक न्यास अधिनियम 1951

धारा 69—न्यायालयों के सम्मुख होने वाली कार्यवाहियों में दीवानी प्रक्रिया संहिता का लागू होना :

दीवानी प्रक्रिया संहिता, 1908 (केन्द्रिय अधिनियम संख्या 5, 1908 के उपबन्ध जहां तक कि वे इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी भी बात से असंगत हो, को छोड़कर, इस अधिनियम के अन्तर्गत न्यायालय के सम्मुख होने वाली समस्त कार्यवाहियों पर लागू होंगे।

धारा 76 : बम्बई लोक न्यास अधिनियम 1950
धारा 30 : मध्य प्रदेश लोक न्यास अधिनियम 1951

धारा 70—शास्तियां :

1. जो कोई धारा 17 की उपधारा (1) या धारा 23 की उपधारा (1) या धारा 27 या धारा 30 या धारा 66 की उपधारा (2) तथा (3) के किसी भी उपबन्ध का उल्लंघन करेगा वह ऐसे जुर्माने से दण्डित किया जाएगा जो पांच सौ रुपये तक हो सकेगा।

2. जो कोई इस अधिनियम अथवा इसके अन्तर्गत निर्मित नियमों के उपबन्धों में से किसी भी ऐसे उपबन्ध का उल्लंघन करता है जिसके उल्लंघन हेतु कोई विशिष्ट शास्ति का उपबन्ध नहीं किया गया हो तो वह ऐसे जुर्माने से दण्डित किया जाएगा जो एक सौ रुपये तक हो सकेगा।

---

1. मोहम्मद बक्स व. उ० प्र० राज्य ए. आई. आर. 1953 इला. 739
2. सुब्रह्मम व. पुलिस कमिश्नर ए. आई. आर. 1964 मद्रा. 185
3. सूरजमल मोहता व. ए० पी० विश्वनाथ शास्त्री ए. आई. आर. 1964 स. न्या. 545

व्याख्या—इस धारा में प्रावहित शास्तियां इस प्रकार हैं :—

उल्लंघन धारा	विषय	अधिरोपित किया जाने वाला जुर्माना
(1) धारा 17 (1)	नियत समय में न्यास के पंजीयन में विफलता	500 रुपये
(2) धारा 23 (1)	न्यास में प्रभार के रिपोर्ट की विफलता	500 रुपये
(3) धारा 27	वसीयत द्वारा सृष्ट न्यास के पंजीयन में विफलता	500 रुपये
(4) धारा 30	समय के भीतर बैंक में रुपया जमा कराने में विफलता	500 रुपये
(5) धारा 66 (2)	धर्मादा हेतु एकत्रित रुपये का अनुचित प्रयोग	500 रुपये
(6) अधिनियम के अधीन कोई धारा या निर्मित नियम।		100 रुपये

यदि चेरिटी कमिश्नर ने अर्जीदार को जिला न्यायाधीश ने आवेदन करने हेतु कोई कानूनी निदेश दिया है तथा अर्जीदार इस निदेश के अनुसरण में जिला न्यायाधीश को न्यास के धन को प्रयुक्त करने हेतु निर्देश के लिए आवेदन करता है तो वह जिला न्यायाधीश के अन्तिम आदेश तक उस धन को अपने पास रख सकता है।[1]

धारा 66 : बम्बई लोक न्यास अधिनियम 1950

धारा 33 : मध्य प्रदेश लोक न्यास अधिनियम 1951

———

1. 1961 गुज. लारि 514

अध्याय 13

प्रकीर्ण

धारा 71—धनराशि की वसूली :

धारा 49 या धारा 50 के अधीन अथवा इस अधिनियम के अन्तर्गत बनाये गये किसी नियम के अधीन देय समस्त धनराशि चुकाई नहीं गई है, जो किसी विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए तथा ऐसी किसी अन्य कार्यवाही पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना जो इस अधिनियम या किसी अन्य विधि के अन्तर्गत की जा सकती है, भू-राजस्व की बकाया की तरह वसूल की जा सकेगी।

धारा 72—कार्यवाहियां, जिनमें लोक प्रयोजन को प्रभावित करने वाला प्रश्न निहित है :

1. किसी भी ऐसे वाद या विधिक कार्यवाही, जिसमें न्यायालय को यह प्रतीत हो कि उसमें लोक धार्मिक अथवा पुण्यार्थ प्रयोजन को प्रभावित करने वाला कोई प्रश्न निहित है, तो न्यायालय ऐसे प्रश्न का विनिश्चय करने के लिए तब तक कार्यवाही नहीं करेगी जब तक कि आयुक्त को सूचना नहीं दे दी जाय।

2. यदि ऐसी सूचना की प्राप्ति पर या अन्यथा आयुक्त उक्त विषय में आवेदन करे तो उसको ऐसे वाद या कार्यवाही के किसी भी चरण में पक्षकार के रूप में सम्मिलित कर लिया जायेगा।

व्याख्या—कोई न्यास लोक न्यास है अथवा नहीं इस प्रश्न का अन्तिमत: विनिश्चय देवस्थान आयुक्त को सूचना देने के बाद ही किया जाना चाहिये, यदि न्यायालय को यह प्रतीत हो कि न्यास प्रथमत: लोक न्यास है। इसका अर्थ यह हुआ कि जैसे ही प्रथम दृष्टया मामला बनता है तो न्यायालय को अग्रिम कार्यवाही करना रोक देना चाहिये तथा देवस्थान आयुक्त को सूचना देनी चाहिये। आगे की कार्यवाही तब ही की जानी चाहिये जबकि देवस्थान आयुक्त को वाद में पक्षकार बनने हेतु न्यायालय को आवेदन करने का अवसर दे दिया गया हो।[1]

धारा 73—अधिकारिता का वर्जन :

इस अधिनियम में अभिव्यक्त रूप से जहां उपबंधित है उसके सिवाय, किसी दिवानी न्यायालय को ऐसे किसी प्रश्न का निर्णय करने या उनसे सम्बन्धित कार्य-

1. मदनगोपाल व. राजा प्रतापसिंह 1964 आर. एल. डब्ल्यू, 78

वाही करने की अधिकारिता प्राप्त नहीं होगी, जिस पर इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन, इस अधिनियम के अन्तर्गत किसी अधिकारी या अधिकारी द्वारा निर्णय किया जाना या कार्यवाही की जानी हो अथवा जिसके सम्बन्ध में ऐसे अधिकारी या अधिकारी का निर्णय या आदेश अन्तिम तथा निश्चायक बना दी गई है।

व्याख्या—सामान्यतया न्यायालय एक न्यासी में रखी गई विवेकीय शक्तियों में हस्तक्षेप नहीं करेगा किन्तु न्यायालय सभी न्यासियों पर नियन्त्रण की शक्तियां रखता है। यदि एक न्यासी की प्रदत्त विवेकीय शक्तियों का उचित रूप से एवं सद्भावना पूर्वक प्रयोग नहीं किया जाता है तो ऐसी शक्ति का न्यायालय द्वारा नियन्त्रण किया जा सकता है। नियन्त्रण का यह सिद्धान्त भारतीय न्यास अधिनियम 1882 की धारा 49 में व्यक्त किया गया है जो लोक न्यास पर भी लागू होता है तथा यदि मन्दिर समिति सद्भावना पूर्वक प्रयोग करने में विफल रहती है तो न्यायालय हस्तक्षेप कर सकता है। सिविल न्यायालय इस प्रश्न में हस्तक्षेप कर सकता है कि क्या ऐसा लेन-देन दायित्व उत्पन्न करता है।[1] अधिनियम में प्रयुक्त "सिविल न्यायालयों" में राजस्व न्यायालय भी सम्मिलित है।[2]

धारा 80 : बम्बई लोक न्यास अधिनियम 1950

धारा 32 : मध्य प्रदेश लोक न्यास अधिनियम 1951

धारा 74—वादों तथा कार्यवाहियों से विमुक्ति :

इस अधिनियम के अन्तर्गत सद्भावना से की गई या वैसे अभिप्रेत किसी भी कार्य के सम्बन्ध में कोई दावा, अभियोग या अन्य कार्यवाही, राज्य सरकार या किसी अधिकारी या प्राधिकारी के विरुद्ध संस्थित नहीं किया जाएगा।

धारा 75—अधिनियम के अन्तर्गत अपराध पर विचारण :

1. कोई भी न्यायालय जो प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट से नीचे दर्जे का हो, इस अधिनियम के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध का विचारण नहीं करेगा।

2. इस अधिनियम के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध के लिए कोई भी अभियोजन सहायक आयुक्त की पूर्व अनुमति के बिना नहीं चलाया जायेगा।

व्याख्या—जब अभियोजन हेतु अनुमति ली जानी हो तो प्रत्येक मामले में संक्षिप्त तथ्य तथा उसे संस्थित करने की आवश्यकता का उल्लेख करना चाहिये। प्रत्येक वर्ग के अपराध हेतु अलग से अनुमति जारी की जानी चाहिये।

उपधारा (2) से स्पष्ट है कि सहायक आयुक्त द्वारा अनुमति तब ही दी जाती है जबकि मामला लोकन्यास के सम्बन्ध में किए अपराध से सम्बन्धित हो। चूंकि प्रस्तुत मामले में आयुक्त एवं सहायक आयुक्त के निष्कर्ष कि उक्त न्यास लोक

---

1. फर्म ठाकरदास मदनमोहन व. मु. कौशल्या देवी ए. आई. आर. 1949 ई. पी. 27; बापा लाल गोबाबाई कोठारी व कमिश्नर, गुजरात ला. ज. 1966
2. खेमदत्ता व. आडूराम 1963 आर. एल. डब्ल्यु. 122

न्यास है, खारिज कर दिए गए हैं अतः सहायक आयुक्त द्वारा इस उपधारा के अधीन प्रदत्त अनुमति का अपना मूल आधार ही समाप्त हो गया अतः ऐसी अनुमति अवैध है। राजस्थान लोक न्यास अधिनियम 1959 के उपबन्ध केवल लोक न्यास पर लागू होते हैं निजी न्यास पर लागू नहीं होते। अधिनियम मे निजी न्यास सम्मिलित नही होता। जब तक की एकलिंगजी का मन्दिर वैध एवं अन्तिमतः लोक न्यास घोषित नहीं किया जाता इसका कोई भी न्यासी अधिनियम के उपबन्धों के उल्लंघन के आरोप में अभियोजित नहीं किया जा सकता। यदि ऐसा अभियोजन कर दिया गया है तो उसे समाप्त करना पड़ेगा।[1]

धारा 82 & 83 बम्बई लोक न्यास अधिनियम 1950

धारा 76—नियम :

1. राज्य सरकार, इस अधिनियम के उपबन्धों को क्रियान्वित करने के आशय से नियम बना सकेगी।

2. विशेष रूप से तथा पूर्वगामी उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नांकित समस्त या किन्हीं भी विषयों के लिए हो सकते हैं, अर्थात्—

(क) धारा 16 की उपधारा (2) के अन्तर्गत सहायक आयुक्त द्वारा रखे जाने वाले लोक न्यास के रजिस्टर का प्रपत्र और उसके द्वारा रखे। जाने वाले रजिस्टर एवं पुस्तकें तथा उनके प्रपत्र,

(ख) धारा 17 की उपधारा (3) के अन्तर्गत दिया जाने वाला शुल्क और उपधारा (4) के अन्तर्गत आवेदन का प्रपत्र तथा उसके विवरण,

(ग) धारा 18 की उपधारा (1) के अन्तर्गत जांच करने की रीति तथा धारा 18 की उपधारा (2) के अन्तर्गत सार्वजनिक नोटिस देने की रीति,

(घ) धारा 23 की उपधारा (1) के अन्तर्गत की जाने वाली रिपोर्टों का प्रपत्र तथा, रीति

(ङ) धारा 25 के अन्तर्गत प्रविष्टियों के विवरण दर्ज करने के लिए पुस्तक का प्रपत्र,

(च) धारा 32 के अन्तर्गत रखे जाने वाले लेखों का प्रपत्र तथा उनमें दर्ज किये जाने वाले विवरण,

(छ) धारा 33 की उपधारा (2) के अन्तर्गत लेखों के परीक्षण की रीति और, उपधारा (4) के अन्तर्गत विशेष संपरीक्षण के लिए शुल्क,

(ज) धारा 35 के अन्तर्गत आय व्यय (बजट) का प्रपत्र और सहायक आयुक्त को उसे प्रस्तुत किये जाने की तारीख,

---

1. भगवतसिंह व. राजस्थान राज्य आर. एल. डब्लू. 1984 पृ 559

(झ) धारा 36 के अन्तर्गत निरीक्षण के लिए शुल्क,

(ञ) धारा 36 के अन्तर्गत प्रमाणीकृत प्रतियां देने की शर्तें और शुल्क

(ट) धारा 47 के अन्तर्गत कार्यवाहक न्यासी या प्रबन्धक द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले ब्यौरे तथा विवरण,

(ठ) धारा 49 की उपधारा (2 के अन्तर्गत जांच करने की रीति,

(ड) इस अधिनियम के किसी भी उपबन्ध के अन्तर्गत प्रस्तुत की जाने वाली अपीलों का प्रपत्र तथा उनका शुल्क, और

(ढ) कोई अन्य विषय जो इस अधिनियम के अन्तर्गत निश्चित किया जाना है या किया जा सकता है ।

3. इस धारा के अन्तर्गत नियम बनाने में, राज्य सरकार निर्देश दे सकेगी कि उसके किसी भी उपबन्ध को भंग करने पर ऐसा जुर्माना लिया जा सकता है जो दो सौ रुपये तक का हो ।

4. इस धारा के अन्तर्गत बनाये गये समस्त नियम, पूर्व प्रकाशन की शर्तों के अधीन होंगे ।

धारा 84 : बम्बई लोक न्यास अधिनियम 1950

धारा 35 : मध्य प्रदेश लोक न्यास अधिनियम 1951

धारा 77—विमुक्ति :

1. इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट कोई बात, राज्य सरकार के नियन्त्रण के अन्तर्गत काम करने वाले किसी अधिकरण द्वारा या किसी स्थानीय सत्ता द्वारा प्रशासित लोक न्यास पर लागू नहीं होगी ।

2. राज्य सरकार किसी लोक न्यास को या लोक न्यासों के किसी वर्ग को इस अधिनियम के समस्त या किन्हीं उपबन्धों से ऐसी किन्हीं शर्तों के अधीन, यदि कोई हो, जो राज्य सरकार लगाना उचित समझे, अधिसूचना द्वारा छूट दे सकती है और उक्त अधिसूचना में ऐसी छूट देने के कारण भी बतलाये जायेंगे ।

धारा 78—राजस्थान अधिनियम संख्या 13 सन् 1959 प्रभावित नहीं :

इस अधिनियम की कोई बात नाथद्वारा मंदिर अधिनियम, 1959 (राजस्थान अधिनियम संख्या 13 सन् 1959) के उपबन्धों को किसी भी तरह से प्रभावित नहीं करेगी या उन पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगी ।

धारा 79—कठिनाइयां दूर करने की शक्ति :

इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने में यदि कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो राज्य सरकार यथा अवसर अपेक्षित आदेश द्वारा ऐसे निर्देश दे सकेगी जो, उक्त उपबन्धों से असंगत न होते हुए, कठिनाई को दूर करने के प्रयोजनार्थ आवश्यक प्रतीत हों ।

धारा 88 : बम्बई लोक न्यास अधिनियम 1950

धारा 80—अधिनियम मुस्लिम वक्फों पर लागू न होना :

इस अधिनियम की कोई बात, मुस्लिम वक्फस एक्ट, 1954 (केन्द्रीय एक्ट संख्या 29 सन् 1954) द्वारा शासित एवं विनियमित मुस्लिम वक्फों पर लागू नहीं होगी।

व्याख्या—एक मुसलमान द्वारा सृजित गैर-साम्प्रदायिक प्रकृति का पुण्यार्थ विन्यास जिसके दोनों मुसलमान एवं गैर-मुसलमान हितग्राही हैं तो मुस्लिम वक्फ अधिनियम 1954 के अन्तर्गत वक्फ नहीं माना जा सकता। मोहम्मडन सामान्य विधि के अन्तर्गत स्कूल, औषधालय या मुसलमानों एवं गैर-मुसलमानों के लाभ हेतु अन्य संस्था की स्थापना करना श्रेष्ठतम कार्य होगा तथा वही संस्था वक्फ होगी।[1]

धारा 87 : बम्बई लोक न्यास अधिनियम 1950

धारा 36 (1) (c) : मध्य प्रदेश लोक न्यास अधिनियम 1951

धारा 81—निरसन :

इस अधिनियम के अध्याय 5, 6, 7, 8, 9 तथा 10 के उपबन्ध लोक न्यासों के किसी वर्ग पर लागू होने की प्रारम्भ की तारीख से (जिसे एतद्पश्चात् उक्त तारीख कहा गया है) अनुसूचि में विनिर्दिष्ट विधियों में से किसी भी विधि के उपबन्ध जो ऐसे उक्त वर्ग के किसी लोक न्यास पर लागू होते, उस पर लागू होना बन्द हो जाएंगे।

किन्तु शर्त यह है कि इस प्रकार लागू होना बन्द होने से निम्नलिखित पर किसी रूप में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा—

(क) कोई अधिकार, स्वत्व, हित, आभार या दायित्व जो उक्त तारीख से पूर्व ही अवाप्त प्रोद्भूत अथवा रूपगत हो चुका है।

(ख) ऐसे अधिकार, स्वत्व, हित, आभार या दायित्व के सम्बन्ध में कोई भी कानूनी कार्यवाही अथवा उपचार अथवा

(ग) जो कुछ उक्त तारीख से पूर्व यथाविधि किया गया अथवा सहन किया गया है।

व्याख्या—इस अधिनियम की इस धारा द्वारा निरसित अधिनियमितियां अनुसूची में दी गई हैं।

धारा 85 : बम्बई लोक न्यास अधिनियम 1950

धारा 83 : मध्य प्रदेश लोक न्यास अधिनियम 1951

---

1. ए. आई. आर. 1963 सन्या 985

अनुसूची

(देखिए धारा 81)

1. पुण्यार्थ एवं धार्मिक न्यास अधिनियम 1920 (केन्द्रीय अधिनियम 14 सन् 1920)

2. बीकानेर पुण्यार्थ विन्यास अधिनियम 1929

3. जयपुर धार्मिक विन्यास अधिनियम 1946

4. उन क्षेत्रों या उनके किसी भाग में इस अधिनियम के लागू होने के समय धार्मिक एवं पुण्यार्थ विन्यासों के सम्बन्ध में प्रवर्तित कोई अन्य विधि आज्ञा अथवा परिपत्र।

5. उपरोक्त मद (1) से (4) में उल्लिखित विधियो में से किसी भी विधि का संशोधन करने वाली कोई विधियां, आज्ञाएं या परिपत्र।

व्याख्या—अध्याय 5, 6, 7, 8, 9 तथा 10 के उपबन्ध 1 जुलाई 1962 से प्रभावशील हो गए हैं अतः उक्त तारीख से इस अनुसूची में वर्णित विभिन्न अधिनियम प्रभावहीन हो गए हैं।

धारा 82 –1952 के राजस्थान अधिनियम 6 का संशोधन :

किसी लोक न्यास के लिए धारा 53 के अन्तर्गत प्रबन्ध समिति का गठन जिस तारीख को किया जाता है उस तारीख से राजस्थान भूमि सुधार तथा जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम 1962 की दूसरी अनुसूची का खण्ड 7 उक्त लोक न्यास के सम्बन्ध में इस प्रकार प्रभावी होगा जैसे की मानो शब्द "उस व्यक्ति को जो उस समय या एतद्पश्चात निधि के अनुसार तत्समय ऐसी संस्था या पूजा के स्थान के संधारण या ऐसी सेवा के निर्वहन के कर्त्तव्य से पारित स्वीकार किया जाता है" के स्थान पर शब्द "उस प्रबन्ध समिति को देगी जो उसके लिए राजस्थान लोक न्यास अधिनियम 1959 की धारा 53 के अन्तर्गत गठित की जाय" प्रतिस्थापित हुए थे।

The Rajasthan Public Trusts Act, 1959

(Act No. 42 of 1959)

Received the assent of the President of India on the 22nd day of October, 1959).

AN ACT to regulate and to make better provision for the administration of public, religious and charitable trusts in the State of Rajasthan.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Tenth Year of the Republic of India as follows :

CHAPTER I

Preliminary

Sec. 1—*Short title, extent and commencement*—

1. This Act may be called the Rajasthan Public Trusts Act, 1959.

2. It extends to the whole of the State of Rajasthan.

3. Chapter I, II, III and IV of this Act shall come into force at once.

4. Chapters V, VI, VII. VIII, IX and X of this Act shall come into force on such date, and shall apply therefrom in relation to such class or classes of public trusts, as the State Government may, by notification in the official Gazette, specify: and for the purpose of such application the State Government may classify such public trusts in the State on the basis of the income thereof or on the basis of the value of their total assets or on the basis of other financial factors.

5. Before the publication of any notification under sub-section (4), a draft thereof shall be published in the official Gazette for the information of all persons likely to be affected thereby and a notice shall be published therewith specifying the date on or after which the draft shall be taken into consideration and before which any objections or suggestions shall be received.

6. Chapter XI of this Act shall come into force on such date as the State Government may, by special notification in the

official Gazette, specify; and the State Government may, having regard to the population of different cities and towns, specify different dates for the application of Chapter XI of this Act thereto.

7. Chapter XII and XIII of this Act shall commence to apply in relation to the provisions of each of the other Chapters of this Act on the date on which such other Chapter comes into force.

Sec. 2—Definitions

In this Act, unless the subject or context requires otherwise—

1. "Assistant Commissioner" means an Assistant Devasthan Commissioner appointed under Sec. 8 and shall include such other officer of Government as may be notified by the State Government to be the Assistant Commissioner of a specified area for the purpose of this Act.

2. "Board" means the State Advisory Board for public trusts established under Sec. 11;

3. "Charitable endowment" means all property given or endowed for the benefit of, or used as of right by, the community or any section thereof for the support or maintenance of objects of utility to the said community or section, such as rest-houses, pathshalas, schools and colleges, house for feeding the poor and institutions for the advancement of education, medical relief and public health or other objects of a like nature and includes the institution concerned;

4. "Commission" means the Devasthan Commissioner appointed under sec. 7;

5. "Committee" means a Regional Advisory Committee for public trusts established under section 13;

6. "Court" means the District Court;

7. "Hereditary trustee" means the trustee of a public trust succession to whose office devolves by hereditary right or is regulated by usage or is specified provided for by the founder;

8. "Math" means an institution for the promotion of a religion presided over by a person whose duty it is to engage himself in imparting religious instructions or rendering spiritual service to a body of disciples or who exercises or claims to exercise headship over such a body and includes places of religious worship or instruction which are appurtenant to the institution;

9. "Person having interest" or any expression signifying a person having interest in a public trust includes—

(a) in the case of a temple, a person who is entitled to attend or is in the habit of attending the performance of worship or service in the temple or who is entitled to partaking or is in the habit of partaking in the distribution of gifts thereof,

(b) in the case of math, a disciple of the math or a person of the religious persuation to which the math belongs,

(c) in the case of a society registered or deemed to be registered under the Rajasthan Societies Registration Act, 1958 (Rajasthan Act 28 of 1958) or under any other analogous law in force in any part of the State, any member of such society, and

(d) in the case of any other public trust, any beneficiary,

10. "public securities" means—

(a) securities of the Central Government or any State Government,

(b) stocks, debentures of shares in railway or other companies in public sector, the interest or dividends on which has been guaranteed by the Central or any State Government,

(c) a security expressly authorised by an order which the State Government makes in this behalf.

11. "public trust" means an express or constructive trust for either a public, religious or charitable purpose or both and includes a temple, a math, dharmada or any other religious or charitable endowment or institution and a society formed either for a religious or charitable purpose or for both;

12. "register" means a register maintained under sub-section (2) of section 16;

13. "Religious endowment" or "endowment" means all property belonging to or given or endowed for the support of a religious institution or given or endowed for the performance of any service or charity connected therewith and includes the premises of the religious institution as well as the idols, if any installed therein and any public charity associated with a festival or observance of a religious character, whether connected with a religious institution or not, but does not include gifts of property made as personal gifts to the trustee or hereditary trustee or working trustee of such institution or to any service-holder or other employee thereof;

14. "Religious institution" or "institution" means an institution for the promotion of any religion or persuation and includes a temple, math and religious establishment or any place of religious worship or religious instruction whether or not appurtenant to such institution;

15. "Specific endowment" means any property or money endowed for the performance of any specific service or charity in a religious institution;

16. "Temple" means a place, by whatever designation known, used as a place of public religious worship and dedicated

to or for the benefit of or used as of right by a community or any section thereof as a place of public religious worship;

17. "Trustee" means a person in whom either alone or in association with other persons the trust property is vested and includes a manager;

18. "Working trustee" means any person who, for the time being, either alone or in association with some other person or persons administers the trust property of any public trust and includes the manager of a public trust as well as—

(a) in the case of a math, the head of such math, and

(b) in the case of a public trust having its principal office or principal place of business outside the State of Rajasthan the person in charge of the management of the property and administration of the public trust in the State.

19. Words and expressions used but not defined in this Act and defined in the Indian Trusts Act, 1882 (Central Act No. 2 of 1882), have the meanings respectively assigned to them in the Act.

CHAPTER II

Validity of Certain Public Trusts

Sec. 3—Public trust not to be void on ground of uncertainty :

Notwithstanding any law, custom or usage, a public trust shall not be void on the ground that the persons or objects for the benefit of whom or which it is created are uncertained or uncertainable.

Explanation—A public trust created for such objects as Dharma or Punya-karya shall not be deemed to be void only on the ground that the objects for which it is created, are uncertained or uncertainable.

Sec. 4—Public trust not void on ground that it is void for non-charitable or non-religious purposes :

A public trust created for purposes, some of which are charitable or religious and some are not, shall not be deemed to be void with respect to the charitable or religious purpose on the ground that it is void with respect to the non-charitable or non-religious purpose.

Sec. 5—Public trust not void on the ground of absence of obligation :

Any disposition of property for a religious or charitable purpose shall not be deemed to be void as a public trust only on

the ground that no obligation is annexed with such disposition requiring the person in whose favour it is made to hold it for the benefit of a religious or charitable object.

Sec. 6—Public trust not void on failure of specific object or society etc. ceasing to exist :

If any public trust is created for a specific object of a charitable or religious nature or of the benefit of society or institution constituted for a charitable or religious purpose such trust shall not be deemed to be void only on the ground—

(a) that the performance of the specific object for which the trust was created has become impossible or Impracticable or

(b) that the society or institution does not exist or has ceased to exist

notwithstanding the fact that there was no intent for the appropriation of the trust property for a general charitable or religious purpose.

CHAPTER III

Appointment of Officers and Servants

Sec. 7—Devasthan Commissioner :

1. The State Government shall, by notification in the offical Gazette, appoint an officer to be called the Devasthan Gommissioner, who, in addition to other duties and functions imposed on him by or under the provisions of this Act or any other law for the time being in force, shall subject to the general and special orders of the State Government superitend the administration and carry out the provisions of this Act through the territories to which this Act extends.

2. The Commissioner shall be corporation sole by the name of the Devasthan Commissioner of the State of Rajasthan, shall as such have perpetual succession and a common seal and may sue and be sued in his corporate name.

Sec. 8 – Assistant Devasthan Commissioner :

The State Government shall likewise

(i) appoint such number of Assistant Devasthan Commissioners as it may deem necessary from time to time, and

(ii) define the local limits of the areas in which each Assistant Commissioner so appointed shall have jurisdiction, and exercise the powers conferred on him by or under this Act or any other law for the time being in force.

Sec. 9—Subordinate officers and servants :

To aid the Comissioner and Assistant Commissioners in carrying out the provisions of this Act, the State Government may appoint Inspectors and other sub-ordinate officers and servants with such disignations, and assign to them such powers, duties functions under this Act or the rules made thereunder or under other enactment for the time being in force as may be deemed necessary.

Provided that the State Government may by general or psecial order and subject to such conditions as it deems fit to impose, delegate to the Commissioner and the Assistant Commissioners the power to appoint such sub-ordinate officers and servants as may be specified in the order.

Sec. 10.—Commissioner and other officers to be servants of Government :

The Commissioner, the Assistant Cnmmissioners, the Inspectors and other subordinate officers and servants appointed under this Act shall be the servants of the State Government and shall draw their pay and allowances from the Consolidated fund of the State. The conditions of service of all such officers and servants shall be such as may be determined by the State Government.

CHAPTER IV

Establishment and Functions of Board and Committees

Sec. 11—Establishment and Composition of Advisory Board :

1. The State Government shall, by notification in the offical Gazette, establish for the territories to which this Act extends for the time being an Advisory Board to be called the Rajasthan Public Trusts Board consisting of such number of members representing each interest as may be prescribed.

2. All the members of the Board shall be appointed by the State Government by notification in the official Gazette and shall hold office, save as otherwise provided for a period of five years from the date of the publication of such notification.

3. The State Government shall appoint one from amongst the members of the Board to be its Chairman.

4. If any member of the Board is unable, by reason of death, signation, removal or otherwise to complete his full term of

office, the vacancy so caused shall be filled by the appointment of another person and the person so appointed shall fill such vacancy for the unexpired portion of the term for which the member in whose place such person is appointed would otherwise have continued in office.

5. The members of the Board including the Chairman may be paid travelling and other allowances for attending meetings of the Board and subject to the prescribed conditions and restrictions, for undertaking any journey in connection with any of the affairs of the Board, at such rates as may be fixed by the State Government.

Sec. 12—Functions of the Board :

1. The Board shall—

(a) forward its views to the State Government regarding the performance by the Commissioner of his functions under this Act,

(b) draw the attention of the State Government towards the difficulties experienced in the working of this Act and the rules made thereunder and suggest amendments thereto,

(c) consider such matters as may be referred to the Board by the state Government, and

(d) perform such other functions as may be prescribed.

2. If an Assistant Commissioner disagrees with the advice tendered by a Committee under section 14 in relation to the exercise of any of his powers under Chapters VI and VII, he shall refer the matter to the Board.

3. In a case referred to the Board under sub-section (2) the Assistant Commissioner shall act according to the decision of the Board.

4. The State Government may, after considering any views received from the Board under clause (b) of sub-section (1), take such action as it may deem necessary and in particular, may issue to the Commissioner such directions, consistent with this Act and the rules thereunder, in respect of the exercise by the Commissioner of any of his powers under this Act, as it may deem proper.

Sec. 13—Regional Advisory Committee :

1. The State Government shall, by notification in the official Gazettee, establish a Regional Advisory Committee for the area within the jurisdiction of each Assistant Commissioner, consisting of such number of members representing each interest as may be prescribed.

2. All the members of a Committee shall be appointed by the State Government by notification in the official Gazette and shall hold office, save as otherwise provided, for a period of five years from the date of the publication of such notification.

3. The State Government shall appoint one from amongst the members of a Committee to be its Chairman.

4. If any member of a Committee is unable, by reason of death, resignation, removal or otherwise, to complete his full term of office, the vacancy so caused shall be filled by the appointment of another person and the person so appointed shall fill such vacancy for the unexpired portion of the term for which the member in whose place such person is appointed would otherwise have continued in office.

5. The members of a Committee including the Chairman may be paid traveiling and other allowances for attending meetings of the Committee and subject to the prescribed conditions and restrictions, for undertaking any journey in connection with any of the affairs of the Committee, at such rates as may be fixed by the State Government.

Sec. 14—Functions of Committees :

1. Every Committe shall, in relation to the area for which it has been established, tender advice to the Assistant Commissioner of that area in respect of matters arising under Chapters VI and VII and, save as otherwise provided in sub-sections (2) and (3) of section 12, no Assistant Commissioner shall exercise powers in such matters wlthout obtaining, and otherwise than in accordance with advice.

2. Every Committee shall perform such other functions as may be prescribed.

Sec. 15—Conduct of business etc. of Board and Committees :

1. The manner in which the business of the Board or a comnittee shall be concuted, the staff required therefor and its conditions of service and the removal of members thereof shali be determined by rules made by state Government.

2. No members of the Borad or Committee shall participate in the discussion of or vote on a matter coming before the Board or such Committee, if such matter relates to a public trust representing a particular religion and such member is not a person professing that religion.

CHAPTER V

Registration of Public Trusts

Sec. 16—Officer-in-charge of registration

1. The assistant Commissioner shall be incharge of the registration of all public trusts, the principal offices, or the principal places of business of which, as declared in the application

under sub-section (1) of section 17, situate within the local limits of the area of his jurisdiction.

2. The Assistant Commissioner shall maintain a register of public trust and such other books and registers in such form as may be prescribed.

Sec. 17—Registration of public trusts :

(1) Within three months from the date of the application of this section to a public trust or from the date on which a public trust is created whichever is later, the working trustee thereof shall apply to a Assistant Commissioner having jurisdiction for the registration of such public trust.

(2) The Assistant Commissioner may, for reasons to be recorded in writing, extend the period prescribed by sub-sec (1) for the making of an application for registration by not more than two years.

(3) Each such application shall be accompanied by such fee if any, not exceeding five rupees, and to be utilised for such purpose, as may be prescribed.

(4) The application shall be in such form as may be prescribed and shall contain the following particulars, namely:—

(i) the origin (so far as known), nature and object of the public trust and the designation by which the public trust is or shall be known ;

(ii) the place where the principal office or the principal place of business of the public trust is situate:

(iii) the name and addresses of the working trustee and the manager;

(iv) the mode of succession to the office of the trustee;

(v) the list of the movable and immovoble trust property and such description and particulars as may be sufficient for the identification thereof.

(vi) the approximate value of the movable and immovable property;

(vii) the gross average annual income derived from movable and immovable property and from other source, if any, based on the actual gross aunual income during the three years immediately preceeding the date on which the application is made or of the period which has elapsed since the creation of the trust, whichever period is shorter, and, in the case of a newly created public trust the estimated gross annual income from all such sources;

(viii) the amount of the average annual expenditure in connection with such public trust estimated

on the expenditure incurred within the period to which the particulars under clause (vii) relate, and in the case of a newly created public trust, the estimated annual expenditure in connection with such public trust;

(ix) the address to which and communication to the working trustee or manager in connection with the public trust may be sent;

(x) such other particulars as may be prescribed :

Provided that the rules made may provide that in the case of any or all public rrusts it shall not be necessary to give the particulars of the trust property of such value and such kind as may be specified therein.

(5) Every application made under sub-section (1) shall be signed and verified in accordance with the manner laid down in the Code of Civil Procedure, 1908 (Central Act V of 1908) for signing and verifying plaints. It shall be accompanied by a copy of the instrument of trust (if such instrument has been executed and is in existence) and, where the trust property includes immovable property entered in a record of rights, a copy of the relevant entries relating to such property in such record of rights shall also be enclosed.

(6) No Assistant Commissioner shall proceed with any application for the registration of a public trust in respect of which an application for registration hasbeen filed previously before any other Assistant Commissioner, and the Assistant Commissioner before whom the application was filed first shall decide which Assistant Commissioner shall have jurisdiction to register the public trust.

(7) An appeal against the order of the Assistant Commissioner before whom the application was filed first, given under sub-section (6), may be filed within sixty days before the Commissioner and, subject to the decision on such appeal, the order of the Assistant Commissioner under sub-section (6) shall be final.

Sec. 18—Inquiry for Registration :

(1) On receipt of an application under sec. 17 or upon an application made by any person having interest in a public trust or on his own motion, the Assistant Commissioner shall make an inquiry in the prescribed manner for the purpose of ascertaining :

(i) whether a trust exists and whether such trust is a public trust;

(ii) whether any property is the property of such trust;

(iii) whether the whole or any substantial portion of the sudject matter of the trust is situate within his jurisdiction;

(iv) the names and andresses of the working trustee and the manager of such trust;

(v) the mode of succession to the office of the trustee of such trust;

(vi) the origin, nature and object of such trust;

(vii) the amount of gross average annual income and expenditure of such trust; and

(viii) the correctness or otherwise of any other particulars furnished under sub-section (4) of section 17.

(2) The Assistant Commissioner shall give in the prescribed manner public notice of the inquiry proposed to be made under sub-section (1) and Invite all persons having interest in the public trust under inquiry to prefer within sixty days objections, if any, in respect of such trust.

Sec. 19–Finding of Assistant Commissioner :

On completion of the inquiry provided for under section 18, the Assistant Commissioner shall record his findings with the reasons therefor as to the matters mentioned in the said section.

Sec. 20–Appeal :

Any working trustee or person having interest in a public trust or in any property found to be trust property aggrieved by a finding of the Assistant Commissioner under sec. 19 may, within two months from the date of its publication on the notice board of the Assistant Commissioner, file an appeal before the Commissioner to have such finding set aside or modified.

Sec. 21–Entries in the register

(1) The Assistant Commissioner shall cause eutries to be made in the register in accordance with the findings recorded by him under section 19 or, if an appeal has been filed under Sec. 20 in accordance with the decision of the Commissioner on such appeal, and shall cause to be published on the notice board of his office and at a conspicuous place in the city, town or village where the principal office or the principal place of business of the public trust is situate, the entires made in the register.

(2) The entries so made shall, subject to the other provisions of this Act and subject to any change recorded under any provision of the Act or a rule made thereunder, be final and conclusive.

Sec. 22—Civil suit against entires made under section 21 :

(1) Any working trustee or person having interest in a public trust or in any property found to be trust property aggrieved by any entry made under section 21 may, within six months from the date of the publication thereof on the notice board of the office

of the Assistant Commissioner under sub-section (1) of section 21, institute a suit in a civil court to have such entry cancelled or modified.

(2) In every such suit the civil court shall give notice to the State Covernment through the Assistant Commissioner and the State Government, if it so desires shall be made a party to the suit.

(3) On the final decision of the suit, the Assistant Commissioner shall, if necessary, correct the entires made in the register in accordance with such decision.

Sec. 23—Changes :

(1) Where any change occurs in any of the entries recorded in the register, the working trustee shall, within ninety days from the date of the occurrence of such change, or, where any change is desired in such entires in the interest of the administration of such public trust, the working trustee may, report in the prescribed form and manner such change or proposed change to the Assistant Commissioner.

(2) For the purpose of verifying the correctness of the entries in the register or ascertaining whether any change has occurred in any of the particulars recorded in the register, the Assistant Commissioner may hold an inquiry.

(3) If, after holding such inquiry as he may consider necessary under sub-section (2) either on receipt of a report under sub-section (1) or otherwise, the Assistant Commissioner is satisfied that a change has occurred or is necessary in any of the entries recorded in the register in regard to the particular public trust, he shall record a finding with the reasons therefor and the provisions of section 29 shall apply to such finding as they apply to a finding under section 19.

(4) The Assistant Commissioner shall cause the entries in the register to be amended in accordance with the finding recorded under sub-section (3) or, if an appeal has been filed therefrom, in accordance with the decision of the Commissioner on such appeal and the provisions of sections 21 and 22 shall apply to such amended entries as they apply to the original entries.

Sec. 24—Further inquiry by Assistant Commissioner :

If, at any time after the entries or amended entries are made in the register under section 21 or section 23, it appears to the Assistant Commissioner that any particulars relating to any public trust, which was not the subject matter of the inquiry under section 18 or sub-section (2) of section 23, as the case may be, has remained to be inquired into, the Assistant Commissioner may make further inquiry in the prescribed manner, record his finding and make or amend entries in the register in accordance with the decision arrived at, and the provisions of section

19,20,21,22 and 23 shall, so far as may be, apply to the inquiry, the recording of findings and the making or amending of the entries in the register under this section.

Sec. 25—'ntimation about trust property to be sent to all Assistant Commissioners :

(1) Where any part of the property of a public trust is situate within the local limits of the jurisdiction of more than one Assistant Commissioner, the Assistant Commissioner incharge of the registration of that trust shall forward a copy of the entries or amended entries recorded in the register in respect of that public trust to each Assistant Commissioner within whose jurisdiction any part of the trust property is situate

(2) On receipt of a copy of the entries or amended entries under sub-section (1), the Assistant Commissioner shall cause the particulars thereof to be entered in a book prescribed for the purpose.

Sec. 26—Court to forward copy of decision to Assistant Commissioner concerned :

Any court of competent jurisdiction deciding any question relating to any public trust which by or under the provisions of this Act is not expressly or impliedly barred from deciding shall cause a copy of such decision to be sent to the Assistant Commissioner having jurisdiction and the Assistant Commissioner shall cause an entry in the register to be made or amended in regard to such public trust in accordance with such decision. The amendments so made shall not be altered except in cases where such decision has been varied in appeal or revision by a court of competent jurisdiction. Subject to such alterations the amendments made shall be final and conclusive.

Sec. 27—Public trust by will :

In the case of a public trust which is created by a will, the executor of such will shall, within one month from the date on which the probate of the will is granted or within six months from the date of the testator's death, whichever is earlier, make an application for the registration of the trust in the manner provided in section 17 and the provisions of this chapter shall apply to such registration.

Sec. 28—Notice to Assistant Commissioner in certain cases :

If in any proeeeding before a Civil court or a Revenue officer, any document purporting to create a public trust is produced or the decision of any question before such court or officer is likely to effect any entry in the register. such court or officer shall give notice of such proceeding to the Assistant Commissioner having jurisdiction and shall, if the Assistant Commissioner applies in that behalf make him a party thereto.

Sec. 29—*Bar against suits by unregistered trust* :

(1) No suit to enforce a right on behalf of a public trust which is required to be registered under this Act but has not been so registered shall be heard or decided in any court.

(2) The provisions of sub-section (1) shall apply to a claim of set off or other proceedings to enforce a right on behalf of such public trust.

CHAPTER VI

Management of Trust Property

Sec. 30—Investment of Public Trust Money :

(1) Where any property belonging to public trust consists of money and such money cannot be applied immediately or at any early data to the purposes of the said public trust, the working trustee thereof shall be bound, notwithstanding a direction to the contrary contained in the instrument of trust, if any, to deposit the money in a Scheduled Bank as defined in the Reserve Bank of India Act, 1934 (Central Act 2 of 1934) or in a the Rajasthan Co-operative Societies Act of 1953 (Rajasthan Act of 1953) or to invest in public securities :

Provided that such money may be invested in the first mortgage of immovable property situated in India if the property is not lease-hold for a term of three years and the value of the property exceeds by one half the mortgage money :

Provided further that the Commissioner may, by general or special order, permit the working trustee of any public trust or class of such trusts to invest such money in any other manner.

(2) Nothing in sub-section (1) shall affect any investment or deposit already made before the commencement of this Act in accordance with a direction contained in the instrument of trust.

Provided that any interest or dividend received or accruing from such investment or deposit on or after the commencement of this Act or any sum realised on the maturity of the aid, investment or deposit shall be applied or invested in the manner prescribed in sub-section (1).

Sec. 31—*Previous sanction to be obtained for certain transfers* :

(1) Subject to the directions in the instrument of trust or any direction given under this Act or any other law by any court :

(a) no sale, exchange or gift of any immovable property or of movable property exceeding five thousand rupees in value, and

(b) no lease, for a period exceeding five years in the case of agricultural land or for a period exceeding three years in the case of non-agricultural land or a building,

belonging to a public trust shall be valid without the previous sanction of the Assistant Commissioner.

(2) An application for the sanction of the Assistant Commissioner, under sub-section (1) shall be made in the prescribed manner and form.

(3) Where, on the application duly made for sanction in respect of any transaction specified in sub-section(1), the Assistant Commissioner does not, within two months of the receipt thereof, pass final orders, it shall be presumed that he has accorded sanction in respect of that transaction, provided that the application described the transaction with sufficient accuracy.

(4) The Assistant Commissioner shall not refuse to accord sanction in respect of any transaction specified in sub-section (1) unless such transaction is, in his opinion, likely to be prejudicial to the interests of the public trust, and no order refusing to accord sanction shall be passed unless the working trustee of such public trust has had a reasonable opportunity of being heard.

CHAPTER VII

Accounts, Audit and Budget

Sec. 32—Maintenance of accounts :

The working trustee or manager of a public trust which has been registered under this Act shall keep regular accounts of all movable and immovable properties of the trust The form of such accounts and the particulars to be entered therein shall be such as may be prescribed or in so far as they are not prescribed shall be such as may be approved by the Assistant Commissioner.

Sec. 33–Balancing and auditing of accounts :

(1) The accounts kept under section 32 shall be balanced each year on the 31st day of March or on such other day as may be fixed by the Commissioner.

(2) The accounts shall be audited annually in such manner as may be prescribed, and by a person who is a Chartered Accountant within the meaning of the Chartered Accountants Act, 1949 (Central Act XXXVIII of 1949) or by a firm of which all the partners are practising in India as such chartered accountants or by such persons as may be authorised in this behalf by the State Government.

(3) Every auditor acting under sub-section (2) shall have access to the accounts and to all books, vouchers, other documents and records in the possession of, or under the control of the working trustee or the manager. Such working trustee ar manager shall provide to such auditor all facilities for such access.

(4) Notwithstanding anything contained in sub-section (2) the Assistant Commissioner may direct a special audit of the accounts of any public trust whenever in his opinion such special audit is necessary and the provisions of sub-section (2) ann (3) shall, so far as they may be applicable, apply to such special audit.

(5) The Assistant Commissioner may direct the payment of such fee as may be prescribed for such special audit and working trustee or the manager shall be liable to pay the same from the trust property.

Sec. 34–Auditor's duty to prepare balance sheet and to report irregularities :

(1) It shall be the duty of every auditor auditing the accounts of a public trust under section 33 to prepare a balance sheet and income and expenditure accounts and forward a copy of the same to the Assistant Commissioner within whose jurisdiction the public trust has been registered.

(2) The auditor shall, in his report, specify all cases of irregularities illegal or improper expenditure or failure or omission to recover moneys or other property belonging to the public trust or of loss or waste of money or other property thereof and state whether such expenditure, failure, omission, loss or waste was caused in concequence of a breach of trust or misapplication or any other misconduct on the part of the trustee or any other person.

Sec. 35–Budget :

The working trustee of every public trust, the gross annual income of which exceeds thirty-six hundred rupees, shall in each year, submit to the Assistant Commissioner, before such date and in such form as may be prescribed, budget showing the probable receipts and disbursements of the trust property during the following year.

Sec. 36–Inspection and Copies :

(1) The budget, the balance sheet, the income and expenditure accounts and the audit report, if any, of a public trust shall be open to inspection in the office of the Assistant Commissioner, by any person having interest in such public trust on payment of such fee as may be prescribed.

(2) Subject to such conditions and on payment of such fees as may be prescribed, the Assistant Commissioner shall, on an application made by any person having interest in a public trust, grant to such person a certified copy of all or any of the documents which are open to such inspection.

CHAPTER VIII

Power of Officers in Relation to Public Trusts

Sec. 37–Commissioner to be Treasurer of Charitable Endowments :

Notwithstanding anything contained in the Charitable Endowments Act, 1890 (Central Act VI of 1890), the Commissioner shall be deemed to be the Treasurer of Charitable Endowments for the State of Rajasthan appointed under the provisions of the said Act and the property vesting in the Treasurer before the date on which this Act comes into force shall be deemed to vest in the Commissioner as the Treasurer of Charitable Endowments, and the provisions of the said Act shall apply to the Commissioner as the Treasurer of Charitable Endowments appointed under the said Act.

Sec. 38–Application for directions :

(1) If the Assistant Commissioner, on the application of any person having interest in a public trust or otherwise, is satisfied after making such inquiry as he thinks necessary that—

(a) the original object of the public trust has failed

(b) the trust property is not being properly managed or administered or

(c) the direction of the Court is necessary for the administration of the public trust:

he may, after giving the working trustee an opportunity of being heard, direct such working taustee or any other trustee or person having interest in the trust to apply to the court for directions within such time not exceeding thirty days as may be specified by the Assistant Commissioner.

(2) If the working trustee or any other trustee or person having interest in the trust so directed fails to meke an application as required, or if there is no trustee of the public trust, or if. for any other person, the Assistant Commissioner considers it expedient to do so, he shall himself make an application to the court.

Sec. 39–Application to Commissioner against refusal to apply under Sec. 38

(1) Where the Assistant Commissioner rejects an application under sub-section (1) of section 38 or fails or refuses to make an application to the court himself under sub-section (2) of that section. the Commissioner may, on an application made to him within ninety days of such rejection. failure or refusal or upon the

facts otherwise coming to his knowledge and after giving the working trustee a reasonable opportunity of being heard, set aside the order of the Assistant Commissioner, if any, and require him to apply to the court himself for directions.

(2) Subject to the orders of the Commissioner under sub-section (1) all orders passed by the Assistant Commissioner under section 38 shall be final.

Sec. 40–Powers of the court on application under sec. 38 or sec. 39 :

(1) On receipt of an application made under or in pursuance of section 38 or section 39 the court shall make or cause to be made such inquiry into the case as it deems necessary and pass such orders thereon as it may consider appropriate.

(2) While exercising the powers under sub-section (1) the court shall, besides other powers, have power to make an order for—

(a) removing any trustee;

(b) appointing a new trustee;

(c) declaring what portion of the trust property or of the interest therein shall be allocated to any particular object of the trust;

(d) providing a scheme of management of the trust property;

(e) directing how the funds of a public trust whose original object has failed shall be spent, having due regard to the object for which the trust was created;

(f) issuing such other directions as the nature of the case may require.

(3) Any orber passed by the court under sub-section (2) shall be deemed to be a decree of such court and an appeal shall lie therefrom to the high Court.

Sec. 41—Application for appointment of new working trustee :

(1) If the present working trustee of a public trust—

(a) disclaims or dies,

(b) is for a continuous period of six months adsent from India without the leave of the Commissoner or an Assistant Commissioner or other officer anthorised by the State Government in this behalf or leaves India for the purpose of residing adroad,

(c) is declared an insolvent,

(d) desires to be discharged form the trust,

(e) refuses to act as a trustee,

(f) becomes unfit or physically incapable to act in the trust or accepts a position which is inconsistent with the trust or

(g) is not available to administer the trust such working trustee or any person having interest in the public trust,as the case may be, may apply to Assistant Commissioner having jurisdiction for permisson to apply to the court for the appointment of a new working trustee.

(2) The Assistant Commissioner, after making such inquiry as he considers necessary and, where the application has not been made by the working trustee himself after giving him a reasonable opportunity of being heard, direct such working trustee or any other trustee or person having interest in the new working trustee, and, where the person so directed fails to make such an application or for any other reason the Assistant Commissioner considers it expedient so to do, he shall himself make the application.

Sec. 42—Application to Commissioner against orders under section 41 :

(1) Where the Assistant Commissioner rejects an application under sub-sec. (1) of sec. 41 or fails or refuses to make an application to the court himself under sub-sec. 2 of that section the Commissioner may, on an application made to him within ninety days of such rejection, failure or refusal or upon the facts otherwise coming to his knowledge and after giving the working trustee a reasonable opportunity of being heard, set aside the order of the Assistant Commissioner, if any, and require him to apply to the court himself for the appointment of a new working trustee.

(2) Subject to the orders of the Commissioner under sub-sec. tion (1) all orders passed by the Assistant Commissioner under sec 41 shall be final.

Sec. 43-Powers of the court upon application nnder section 41 or section 42 :

(1) On receipt of an application made under or in pursuance of sec. 41 or sec. 42 the court shall make or cause to be made such inquiry as it deems necessary and may appoint such person as it thinks fit to be the new working trustee and in making such appointment the court shall have regard—

(a) to the wishes of the author of the trust

(b) to the wishes of the person, if any, empowered to appoint a new trustee

(c) to the question whether the appointment will promote or impede the execution of the trust,

(d) to the interest of the public or the section of the public who have interest in the trust, and

(e) to the custom and usage of the trust.

(2) The order of the court under sub-section (1) shall be deemed to be the decree of the court and an appeal shall lie therefrom to the High Court.

Sec. 44–Non-application of sections 92 and 93 of Central Act of 1908 :

(1) Notwithstanding anything contatned in the Code of Civil Procedure, 1908 (Central Act 5 of 1908), the provisions of sections 92 and 93 of the said Code shall not apply to public trusts.

(2) If on the date of the application of this Act to any public trust any legal proceedings in respect of such trusts are pending before any civil court of competent jurisdiction to which the Advocate General or the Collector exercising powers of the Advocate General is a party, the Devasthan Commissioner shall be deemed to be substituted in those proceedings for the Advocate General or the Collector, as the case may be, and such proceedings shall be disposed of by such court.

(3) Any reference to the Advocate General made in any instrument, scheme, order or decree of any civil court of competent jurisdiction made or passed whether before or after the said date, shall be construed as a reference to the Devasthan Commissioner.

Sec. 45–Inquiries by Assistant Commissioner :

Where in any case an inquiry is to be made by an Assistant Commissioner under this Act, he may himself make the inquiry or forward the case for inquiry and report to any Revenue Officer not below the rank of an Assistant Collector or to such other officer as may be authorised by the State Government in this behalf.

See. 46–Commissioner etc. to be public servants :

The Commissioner, the Asssistant Commissioners, the inspectors, and other subordinate officers and servants appointed under this Act shall be deemed to be public servants within the meaning of section 21 of the Indian Penal Code 1860 (Central Act XLV of 1860)

CHAPTER IX

Control Over Public Trusts

Sec. 47–Returns and Statements :

(1) The working trustee of a public trust shall furnish to the Assistant Commissioner such returns and statements as may be prescribed.

(2) The Commissioner or an Assistant Commissioner may call for from the working trustee or other trustee of, or from any person connected with, a public trust any return, statement, account or report in addition to those prescribed under sub-section (1).

S c 48-Powers of entry and inspection :

The Commissioner, every Assistant Commissioner, every Inspector and such other officeis and persons as may be authorised by the State Government in this behalf shall have power—

(a) to enter on and inspect or cause to be entered on and inspected any property belonging to a public trust,

(b) to call for or inspect any extract from any proceening of the trustee of any public trust or any book or account in the possession of or under the control of the trustee:

Provided that, in entering upon any property belonging to the public trust, the officer making the entry shall give reasonable notice to the trustee and shall have due regard to the religious practices and usage of the trust.

Sec. 49-Power to ask for explanation :

(1) If on a perusal of the report of the auditor made under sec. 34 or on inspection made under sec. 48 the Assistant Commissioner is of opinion, or is informed by the Commissioner that the Cammissioner is of opinion, that material defects exist in administration of the public trust, the Assistant Commissioner may require the working trustee to submit an explanation thereon within such period as he thinks fit.

(2) If, on the consideration of the report of the auditor and the result of the inspection, the accounts and the explanation, if any, furnished by the working trustee, the Assistant Commissioner is, after holding an inquiry in the prescribed manner and giving opportunity to the person concerned, satisfied that the trustee or any other person has been guilty of gross negligence or breach of trust, misapplication or misconduct which has resulted in loss to the public trust, he shall determine—

(a) the amount of loss caused to the public trust;

(b) whether such loss was due to any breach of trusr misapplication or misconduct on the part of any person;

(c) whether the trustee or any othet person is responsible for such loss; and

(d) the amount which the trustee or any other person is liable to pay to the public trust for such loss.

(3) The amount determined to be payable by any trustee or any other person in accordance with clause(d) of sub-section (2) (hereinafter referred to as "the amount surcharged") shall subject to any order of the court under section 50 be paid by the trustee or person surcharged, within such time as the Assistant Commissioner may fix.

Sec. 50-Application to the Court :

(1) Any person, aggrieved by the decision of the Assistant Commissioner under sec. 49 may, within ninety days from the date of the decision, apply to the court to set aside such decision.

(2) The court, after taking such evidence as it thinks fit may confirm reserve or modify the decision or remit the amount of the surcharge and make such orders as to costs as it thinks proper in the circumstances.

(3) Pending disposal of the application under sub-sec. (2) the court may, for sufficient reasons, stay the proceedings for recovery of surcharge on such conditions, if any, as it may deem proper including conditions as to security.

(4) An appeal shall lie against the decision of the court under sub-sec, (2) as if such decision were a decree from which an appeal ordinarily lies.

Sec. 51–Vacancy in the Board of Trustee :

(1) Where a public trust is unner the management of a Board of trustees, the working trustee shall when a vacancy occurs in the board, inform the Assistant Commissioner within twenty days of such vacancy and the time within and the manner in which he proposes to fill the same.

(2) If the working trustee fails to give any sucn information or to fill the vacancy within the time specified by him, the Assistant Commissioner may, by order passed in writing, fill the vacancy and any person having interest in the public trust who may be aggrieved by the order of the Assistant Commissioner may apply to the court for setting aside the order of the Assistant Commissioner within thirty days from the date of such order.

CHAPTER X

Special Provisions as Respect to Certain Public Trusts

Sec. 52–Application of Chapter :

(1) The provisions contained in this Chapter shall apply to every public trust—

(a) which vests in a State Government, or

(b) which is maintained at the expense of the State Government, or

(c) which is managed directly by the State Government, or

(d) which is under the superintendance of the Court of Wards, or

(e) of which the gross annual income is ten thousand rupees or more

(2) The State Government shall, as soon as may be after the commencement of this Chapter, publish in the official Gazette a

list of the public trusts to which this Chapter applies and may by like notification and in like manner add or vary such list.

Sec. 53–Management of public trusts to which this chapter applies :

(1) As from such date as the State Government may appoint in this behalf the management of a public trust to which this chapter applies shall notwithstanding anything contained in any provision of this Act or in any law, custom or usage, vest in a Committee of management to be constituted by the State Government in the manner hereinafter provided and the State Government may appoint different dates for different public trusts for the purpose of this section.

(2) On or before the date fixed under sub-sec. (1) in respect of a public trust, the State Government shall subject to the provision contained is sec. 54, constitute by notification in the official Gazette a Committee of management thereof under such Committee shall be deemed to be the working trustee of the said public trust and its endowment :

Provided that upon the combined request of the trustee of and persons interested in several public trusts representing the same religion or persuasion, the State Government may constitute a Committee of management for all of them, if their endowments are situated in the same city, town or locality.

(3) Every Committee of management constituted unber sub-sec. (2) shall be a body corporate having perpetual succession and a common seal, with power to acquire, hold and dispose of properey subject to such conditions and

(4) A committee of management shall consist of a Chairman and such even number of members not exceeding ten and not less than two as the State Government may determine.

(5) The Chairman and members of a committee of management shall be appointed by the State Government by notification in the official Gazette from amongst—

(a) trustee of public trusts representing the same religion or persuasion and having the same objects and

(b) person interested in such public trusts or in the endowments thereof or belonging to the denomination for the purpose of which or for the benefit of whom the trust was founded,

in accordance with the general wishes of the person so interested so far as such wishes can be ascertained in the prescribed manner;

Provided that in the case of a public trust having a hereditary trustee, such trustee, and in the case of a Math, the head thereof, shall be the Chairman of the committee of management, if he is willing to serve as such.

Sec. 54–Notice to hereditary trustee before constituting committee :

Whenever a Committee of management is appointed under

sec. 53 for a public trust having a hereditary trustee or for a Math, the State Government shall before such constitution give notice of its intention to constitute a committee of management therefor to the hereditary trustee of the public trust or to the head of the Math, as the case may be, shall consider the objection if any, made by such hereditary trustee or head and shall hear him.

Sec. 55-Disqualification for membership :

A person shall be disqualified for an appointment as, or for being a member of committee of management, if he—

(a) is less than twenty-one years of age, or

(b) has been convicted by a criminal court of any offence involving moral turpitude, or

(c) is of unsound mind and is so declared by a competent court or

(d) is an undischarged insolvent or

(e) is directly or indirectly interested in a lease or any other transaction relating to the endowment of the public trust, or

(f) is a paid servant of the committee of management, or

(g) is found to be guilty of misconduct, or

(h) ceases to profess the religion or persuasion or to belong to the religious denomination which the public trusts for which the committee is constituted represents, or

(i) is otherwise unfit.

Sec. 56-Term of office of committee :

(1) The Chairman and members of a committee of management shall hold office for a period of five years and shall be eligible for re-appointment :

Provided that if person appointed as the Chairman or a member of a committee of management constituted for a public trust is the hereditary trustee of such public trust, he shall hold the officee of the Chairman or a member, as the case may be, hereditary untill removed by the State Government under any provision of this Act.

(2) The Chairman or a member of a Committee of management may by writing under his hand addressed to the State Government resign his office as such :

Provided that such resignation shall not take effect until it has been accepted by the State Government.

Sec. 58—Appointment of new members :

The State Government may appoint a new Chairman or member when the Chairman or a member of a Committee of management —

(a) resigns or dies, or

(b) is for a continuous period of six months absent from India without leave of the Commissioner, or

(c) leaves India for the purpose of residing abroad, or

(d) refuses to act, or

(e) is removed by the State Government under sec. 57

Sec. 59—Meetings of and procedure for Committee of Management :

(1) A Committee of management shall meet at such intervals and follow such procedure in exercising its powers and discharging its duties and functions as may be prescribed, but the day-to-day proceedings and routine business shall be disposed of in accordance with regulations made by the Committee of management and approved by the State Government.

(2) No act or proceeding of a Committee of management shall be invalid by reason only of the existence of any vacancy amongst its members or any defect in the constitution thereof.

Sec. 60—Appointment of sub-committees ;

A Committee of management may by resolution appoint such sub-committees as it may think fit and may delegate to them such powers and dnties as it specifies in the resolution: and a sub-committee may associate with itself, generally or for any particular purpose, in such manner as may be determined by regulations; any person who is not a member but whose assistance or advice it may desire and the person associated as aforesaid shall have the rights to take part in the discussions of the sub-committee relevant to that purpose, but shall not have the right to vote at any meeting thereof.

Sec. 61—Duties of committee of management :

(1) Subject to the general and special orders of the Commissioner, the duty of a Committee of management shall be to manage and administer the affairs of the public trust or trusts for which it has been constituted and so to exercise the powers conferred and discharge the duties and functions imposed upon it by or under this Act or under any instrument of trust for the time being in force relating to such public trust as to ensure that the endowment or other property of that trust is properly maintained, controlled and administered, and the income thereof is duly applied to the objects and purposes for which it was created or is intended to be administered.

(2) In particular and without prejudice to the generality of the foregoing provisions a Committee of management shall—

(a) maintain the record containing information, so far as the same may be collected, relating to the origin, income and objects of trust,

(b) prepare a budget, estimating its income and expenditure,

(c) keep separate accounts for each public trust for which it has been constituted,

(d) ensure that the income and property of such public trust are applied to the objects and for the purposes for which such trust was created or is intended to be administered,

(e) superintend, control and manage all the affairs of such public trust or trusts and maintain the same,

(f) inspect or cause to be inspected the properties thereof,

(g) institute and defence any suit and proceedings in a court of law relating to such public trust or trusts,

(h) take measures for the recovery or lost properties of such public trust or trusts,

(i) supply such returns, statistics, accounts and other information with respect thereto as the State Government may from time to time require and

(j) generally to do all such acts as may be necessary for the proper control, maintenance and administration of such public t ust or trust or calculated to be conductive to the stability and well-being thereof, with due regard to the objects and purposes underlying the foundation thereof or the creation of the endowments pertaining thereto and also with due regard to the wishes of the person or persons who founded or created the public trust or trusts.

Explanation—The maintenance of a public trust shall include—

(i) the running thereof in accordance with the tenets of the religion or persuasion represented by the public trust and with due regard to the objects and purposes underlying the foundation thereof or the creation of the endowments pertaining thereto and also with due regard to the wishes so far they may be ascertained of the person or persons who founded the said trust and created the endowments pertaining thereto,

(ii) the day-to-day administration of the properties and endowments of such public trust,

(iii) the payment of dues and debts, any, outstanding against such public trust, and

(iv) the payment of allowances determined under sub-section (2) of Section 65.

Sec. 62—Power of Commissioner to require duties of Committee to be performed and to direct expenses in respect thereof to be paid from fund of Committee :

The Commissioner may, with the previous sanction of the State Government, provide for the performance of any duty which a Committee of management is bound to perform under the provisions of this Act or the rules or directions made or given

thereunder and may direct that the expenses of the performance of such duties shall be paid by the person having for the time being the custody of any fund belonging to the public trust or trusts for which the Committee has been constituted from out of such fund.

Sec. 63—Power to supersede a Committee :

(1) If the State Government is of opinion that a Committee of management is unable to perform or has persistently made default in the performance of the duties imposed on it by or under this Act or any other law for the time being in force or has exceeded or abused its powers, the State Government may by notification in the official Gazette, supersede the Committee for such period as may be specified in the notification :

Provided that before issuing a notification under the sub-section the State Government shall give a reasonable opportunity to the Committee of management to show cause why it should not supersede and shall consider the explanation and objections, if any, of such Committee.

(2) Upon the publication of a notification under sub-sec. (1) superseding a Committee of management the Chairman and all the members of such Committee shall as from the date of supersession vacate their officers, and all the powers and duties which may by or under the provisions of this Act or any other law for the time being in force be exercised or performed by or on half of the Committee of management shall, during the period of supersession be exercised by such person or persons as the State Government having regard to the provisions of section 55, may direct.

(3) The period of supersession specified in the order under sub-sec. (1) may be extended by the State Government from time to time by notification in the official Gazette.

(4) In calculating the period of supersession specified under sub-section (1) extended under sub-section (3) the period spent in the prosecution and disposal of any petition or proceeding, challenging in any court the validity of the order of supersession shall be excluded.

(5) On or before the expiration of the period or extended period of supersession, the State Govrnment shall reconstitute the Committee in manner provided in sec. 53.

Sec. 64—Power to make regulation :

(1) A Committee may, with the approval of the State Government make regulation not inconsistent with this Act or rules made thereunder for carrying out its functions under this Act.

(2) In particular and without prejudice to the generality of the foregoing provision, such regulations may provide for all or any of the following matters :

(i) the disposal of day-to-day proceedings and routine business,

(ii) tne employment of officers and staff necessary for the performance of the duties and functions of the Committee of management,

(iii) the terms and conditions of their employment, and

(iv) the manner in which any person who is not a member of the Committee may be associated with any sub-committee constituted under sec. 60

Sec. 65 – Rights of Hereditary Trustees :

(1) Nothing contained in this Act shall affect the rights of a hereditary trustee, if any, of a public trust to which this chapter applies—

(a) *to reside in any building belonging to such pudlic trust,* or

(b) to use any such building for the purpose of such public trust, or

(c) to receive bhents, nazars and offerings made personally to him, or

(d) to receive out of the income of the public trust the allowance fixed under sub-section (2) or

(e) to participate in the performance of the worship or service of such public trust or the performance of any rite therein or of any ceremony in connection therewith in accordance with the custom or practice of such public trust.

(2) The State Govt. shall determine and fix the amount of allowance payable to the hereditary trustee of a public trust to which this Chapter applies out of the income of such public trust after taking into consideration the status of such trustee, the gross income of the public trust and other prescribed particulars.

CHAPTER XI
Dharmada

Sec. 66—Dhamada :

(1) Where, according to the custom or usage of any business or trade of the agreement between the parties relating to any transaction any amount is charged to any party to the said transaction or collected under whatever name as being intended to be used for a charitable or religious purpose, i. e. amount so charged or collected (in this Act called Dharmada) shall vest in the person charging or collecting the same as a trustee.

(2) The amount charged or collected in the aforesaid manner shall be utilised in such manner as may be directed by a Committee consisting of menbers elected in the prescribed manner by persons engaged in the trade or business concerned.

(3) Every person charging or collecting Dharmada shall, within such period from the close of the year for which his accounts are ordinarily kept as may be prescribed, submit an account of Dharmada charged or collected by him dnring such year in such form as may be prescribed to the Asstt. Commissioner having jurisdiction or to the Committee referred to in sub-section (2) as the State Government may by general or special order direct.

(4) The Assistant Commissioner shall have power, upon a request made in that behalf by a Committee referred to in sub-section (2) to make such inquiry as he thinks fit to verify the correctness of the accounts submitted to him or to such Committee under sub-section (3)

(5) The provisions of Chapter V shall not apply to Dharmada.

CHAPTER XII
Procedure and Penalties

Sec. 67–Officers holding inquiries to have the power of Civil Court:

In holding inquiries under this Act the Commissioner or an Assistant Commissioner shall have the same powers as are vested in civil courts in respect of the following matters under the Code of Civil Procedure, 1908 (Central Act V of 1908) in trying a suit:

(a) proof of facts by affidavits,
(b) sommoning and enforcing the attendance of any person and examining him on oath,
(c) compelling the production of documents, and
(d) issuing of commissions.

Sec. 68—Inquiries to be judicial proceedings :

All inquiries under this Act shall be deemed to be judicial proceedings within the meaning of sections 193, 219 and 228 of the Indian Penal Code, 1860 (Central Act XLV of 1860).

Sec.69—Civil Procedure Code to apply to proceedings before courts :

The provisions of the Code of Civil Procedure, 1908 (Central Act V of 1908) shall, save in so far as they may be inconsistent with anything contained in this Act, apply to all proceedngs before the court under this Act.

Sec. 70 —Penalty :

(1) whoever contravenes any priovision of sub-section (1) of section 17 or sub-sectionss (1), (2) and (3) of section 66 shall be punished with fine which may extend to five hundred rupees.

(2) whoever contravenes any of the provisions of this Act or the rules made thereunder for the contravention of which no specific penalty has been provided shall be punished with fine which may extend to one hundred rupees.

CHAPTER XIII
Miscellaneous

Sec. 71—Recovery of sums :

All sums payable under section 49 or section 50 or under any rule made under this Act, if no paid shall, notwithstanding anything contained in any law and without preludice of any other action that may be taken under this Act or any other law be recoverable as arrears of land revenue.

Sec. 72—Proceeding involving question affecting public purpose :

(1) In any suit or legal proceeding in which it appears to the court that any question affecting a public religious or charitable purpose is involved, the court shall not proceed to determine such question until after a notice has been sent to the Commissioner.

(2) If upon receipt of such notice or otherwise the Commissioner makes any application in that behalf he shall be added as a prrty at any stage of auch suit or proceedings.

Sec. 73—Bar of jurisdiction :

Save as expressly provided in this Act, no civil court shall have jurisdiction to decide or deal with any question which is by or under this Act to be decided or dealt with any officer or authority under this Act or in respect of which the decision or order of such officer or authority has been made final and conclusive.

Sec. 74—Indemnity from suits and proceedings :

No suit, prosecution or other proceeding shall be instituted against the State Government or any officer or authority in respect of anything in good faith done or purporting to be done under this Act.

Sec. 75—Trial of offence under the Act :

(1) No court inferior to that of a Magistrate of the first class shall try an offence punishable under this Act.

(2) No prosecution for an offence punishable under this Act shall be instituted without the previous sanction of the Assistant Commissioner.

Sec. 76—Rules :

(1) The State Government may make rules for the purpose of carrying into effect the provisions of this Act.

(2) In particular and without prejudice to the generality of the foregoing provisions, such rules may be made for all or any of the following matters, namely—

(a) the form of register of public trusts and the registers and books to be maintained by the Assistant Commissioner under sub-sec. (2) of sec. 16 and their forms;

(b) the fee to be paid under sub-section (3) and the form of application and the particulars thereof under sub-sec. (4) of sec. 17;

(c) the manner of making inquiry under sub-section (1) and the manner and giving public notice under sub-sec. (2) of section 18;

(d) the form and manner of report to be made under sub-section (1) of section 23;

(e) the form of the book for entering particulars of entries under section 25;

(f) the form of, and particulars to be entered in, the account to be kept under section 32;

(g) the manner of audit of the accounts under sub-section(2) and the fee for special audit under sub-section (4) of section 33;

(h) the farm of budget and the date of its submission to the Assistant Commissioner under section 36;

(i) the fee for inspection under section 36;

(j) the conditions and fees for the grant of certified copies under section 36;

(k) the returns and statements to be furnished by the working trustee or manager under section 47;

(l) the manner of holding inquiry under sub-section (2) of section 49;

(m) the form of appeals to be presented under any provision of this Act and the fees thereof; and

(n) any other matter which is to be or be prescribed under this Act.

(3) In making rules under this section, the State Government may direct that a breach of any provision thereof shall be punishable with fine which may extend to two hundered rupees.

(4) All rules made under this section shall be subject to the condition of previous publication.

Sec. 77—Exemption :

(1) Nothing contained in this Act shall apply to a public trust administered by any agency acting under the control of the State Government or by any local authority.

(2) The State Government may exempt, by notification specifying the reasons for such exemption, any public trust or class of public trusts from all or any of he provisions of this Act, subject to such conditions, if any, as the State Government may deem fit to impose.

Sec. 78—Rajasthan Act 13 of 1959 not affected :

Nothing in this Act shall in any way affect or prejudice the provisions of the Nathdwara Temple Act, 1959 (Rajasthan Act 13 of 1959).

Sec. 79—Power to remove difficulties :

If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act the State Government may, as occasion may require, by order give such directions, not inconsistent with such provisions, which

appear to it to be necessary for the purpose of removing the difficulty.

Sec. 80—Act not to apply to Muslim Wakfs :

Nothing in this Act shall apply to Muslim Wakfs governed and regulated by the Muslim Wakfs Act, 1954 (Central Act 22 of 1954).

Sec. 81—Repeal

On the date of commencement of this application of the provisions of Chapters V, VI, VII, VIII, IX and X of this Act to any class of public trusts (herein after reffered to as the 'said date') the provisions of any of the laws specified in the Schedule which might be applicable to any public trust belonging to such class cease to apply thereto :

Provided that such cessation shall not in any way affect—

(a) any right, title, interest, obligation or liability already acquired, accrued or incurred before the said date,

(b) any legal proceeding or remedy in respect of such right,

(c) any legal proceeding or remedy in respect of such right, title, interest, obligation or liability or

(d) anything duly done or suffered before the said date.

THE SCHEDULE

(1) The Charitable and Religious Trusts Act 1920 (Central Act XIV of 1920)

(2) The Bikaner Charitable Endowments Act 1929

(3) The Jaipur Religious Endowments Act, 1946

(4) Any other law, Order or circular relating to religious and charitable endowments in force in any part of the territories to which this Act for the time being extends

(5) Any laws, orders or circulars amending any of the laws mentioned in items (1) to (4) above

Sec. 82—Amendment of Rajasthan Act 6 of 1952 :

As from the date of which a Committee of management is constituted for a public trust under section 53, clause 7 to the Second Schedule to Rajasthan Land Reforms and Resumption of Jagir Act, 1952 (Rajasthan Act 6 of 1952), shall, in relation to that public trust, have affect as if for the words 'to the person, who is or may hereafter be recognised in accordance with law as being charged for the time being with the duty of maintenance of such institution or place of worship or the performance of such service', the words, "to the Committee of management constituted for it under section 53 of the Rajasthan Public Trusts Act, 1959" were substituted.

भाग–द्वितीय

राजस्थान लोक न्यास नियम, 1962

संख्या एफ 3 (एफ) (11) रा०/क/59—राजस्थान लोक न्यास अधिनियम 1959 (राजस्थान अधिनियम सं. 42 सन् 1959) की धारा 76 की उपधारा (2) के साथ पढते हुए उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में, राज्य सरकार एतद्-द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, जिन्हें कि पहले प्रकाशित किया जा चुका है।

भाग 1

प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ—(1) ये नियम राजस्थान लोक न्यास नियम 1962 कहलायेंगे।

(2) उस तारीख को तथा से जिसको जिससे और जिस सीमा तक अधिनियम का कोई अध्याय लागू हो, इन नियमों में से ऐसे नियम जो उपरोक्त अध्याय से संबंधित हों, लागू हो जायेंगे।

2. परिभाषायें—इन नियमों में, जब तक विषय या प्रसंग द्वारा अन्यथा अपेक्षित न हो—

(क) "अधिनियम" से तात्पर्य राजस्थान लोक न्यास अधिनियम, 1959 (राजस्थान अधिनियम सं 42 सन् 1959) से है।

(ख) "बजट" से तात्पर्य किसी लोक न्यास की प्राप्तियों तथा व्ययों के अनु-मान के विवरण से है।

(ग) "बैलेन्स शीट" से तात्पर्य किसी लोक न्यास के बजट सतुलन-चित्र (बैलेन्स-शीट) से है।

(घ) "प्रबन्ध समिति" से तात्पर्य अधिनियम के अध्याय 10 के अन्तर्गत नियुक्त समिति से है।

(ङ) "प्रपत्र" से तात्पर्य इन नियमों के साथ लगे प्रपत्र से है:

(च) "फीस" से तात्पर्य इन नियमों के अन्तर्गत लगाई गई फीस से है।

(छ) "प्रदेश" से तात्पर्य उस क्षेत्र की स्थानीय सीमाओं से है जिसमें सहायक आयुक्त अधिकारिता रखता है।

(ज) "सचिव" से तात्पर्य राजस्थान लोक न्यास बोर्ड या प्रादेशिक सलाह-कार समिति के सरकार द्वारा नियुक्त सचिव से है।

(झ) 'धारा" से तात्पर्य अधिनियम की धारा से है।

(ञ) "वर्ष" से तात्पर्य, दिनांक 1 अप्रेल को प्रारम्भ और आगामी दिनांक 31 मार्च को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष से है।

भाग–2

धारा 10 के प्रावधानों को कार्यान्वित करने के लिए नियम

3. सेवा शर्तों का नियम–ऐसे समस्त अधिकारियों, निरीक्षकों, अन्य अधीनस्थ अधिकारियों तथा सेवकों की सेवा शर्तें, जो अधिनियम के अधीन नियुक्त किये जायें उस समय प्रभावशील राजस्थान सेवा नियम (R. S. R.) द्वारा नियमित एवं नियंत्रित होंगे।

भाग–3

नीचे लिखी धाराओं के प्रावधानों को कार्यान्वित करने के लिए नियम—

धारा	11 (1) तथा (5)
धारा	12 (1) (घ)
धारा	13 (1) तथा (5)
धारा	14 (2)
धारा	15 (1)

4. **सलाहकार बोर्ड का गठन** (Composition of Advisory Board)–राजस्थान लोक न्यास बोर्ड में, नीचे अक्षरे रखे, अनुसार प्रत्येक वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाले कुल 21 सदस्य होंगे –

वर्ग		सदस्य संख्या
1—हिन्दू		19
(क) जैन	4	
(ख) सिख	1	
(ग) अन्य हिन्दू	14	
2—ईसाई		1
3—पारसी		1
कुल सदस्य		21

5. **बोर्ड के कार्य** (Functions of the Board)—धारा 12 की उपधारा (1) के खंड (क), (ख) तथा (ग) में निर्दिष्ट कार्यों के अलावा, बोर्ड ऐसे मामलों में आयुक्त को सलाह देगा जो बोर्ड का दृष्टिकोण जानने के लिए आयुक्त द्वारा बोर्ड को निर्देशित किये जायें।

6. **बोर्ड के सभापति तथा सदस्यों को यात्रा भत्ता तथा अन्य भत्ते**—(Travelling and other allowances for Chairman and members of the Board)

(1) बोर्ड का कोई सदस्य या सभापति (चैयरमैन) जो बोर्ड की बैठक में उपस्थित होता है अथवा बोर्ड के काम के सम्बन्ध में सरकारी कर्त्तव्य का पालन

करने हेतु कोई यात्रा करता है, निम्नलिखित दरों पर यात्रा भत्ता ले सकेगा—

1. बस द्वारा यात्रा	12 न. पै. प्रति मील
2. रेल द्वारा यात्रा	प्रथम श्रेणी का किराया, तथा
3. दैनिक भत्ता	7) सात रुपये प्रति दिन

(2) बोर्ड की बैठकों में उपस्थित होने के लिए की गई यात्रा के अलावा, सभापति या सदस्य द्वारा, राज्य सरकार या ऐसे अन्य अधिकारी, जिसे इस निमित्त सरकार द्वारा प्राधिकृत किया जाय, की बिना अनुमति, कोई यात्रा नहीं की जायेगी।

(3) उपनियम (1) तथा (2) के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, राज्य सरकार के यात्रा भत्ता नियम, बोर्ड के चैयरमैन तथा सदस्यों पर उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार कि वे प्रथम श्रेणी के अधिकारी पर लागू होते हैं।

7. सलाहकार समिति का गठन (Composition of advisory Committees)—प्रादेशिक सलाहकार समिति में नीचे बताये गये अनुसार प्रदेश के प्रत्येक वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाले कुल 21 सदस्य होंगे—

क्रम संख्या	वर्ग		सदस्य संख्या
1—	हिन्दू		19
	(क) जैन	4	
	(ख) सिख	1	
	(ग) अन्य हिन्दू	14	
2—	इसाई		1
3—	पारसी		1
		कुल	21

8. प्रादेशिक सलाहकार समिति के सभापति तथा सदस्यों के लिए यात्रा भत्ता तथा अन्य भत्ते—(Travelling and other allowances for Chairman and members of the Regional Advisory Committees)—नियम 6 के प्रावधान प्रादेशिक सलाहकार समिति के सदस्यों तथा चैयरमैन को उसी प्रकार लागू होंगे, जिस प्रकार बोर्ड के सदस्यों तथा सभापति को लागू होते हैं, सिवाय इसके कि उस समिति के सभापति तथा सदस्यों को 5) पांच रुपये प्रति दिन दैनिक भत्ता मिलेगा।

9. प्रादेशिक सलाहकार समिति के अतिरिक्त कार्य (Additional functions of Regional Advisory Committee)—नियम 6 के उपनियम (2) के अधीन रहते हुए, प्रादेशिक सलाहकार समिति का सभापति और ऐसे सदस्य, जो उस वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हों, जिससे सम्बन्धित लोक न्यास हो, मौके पर जांच या निरीक्षण करने के लिए उक्त न्यास से सम्बन्धित किसी स्थान को जा सकेंगे।

10. बोर्ड के कार्य संचालन का तरीका, बैठकें व प्रक्रिया—

(1) बोर्ड, अपनी बैठकों का आयोजन सामान्यतया ऐसे मध्यान्तरों (Intervals) पर जैसा सभापति निदेश दे अथवा बोर्ड के कुल सदस्यों में से 2/3 सदस्यों की लिखित प्रार्थना पर, आयुक्त के मुख्यावास (Headquarter) पर करेगा; किन्तु शर्त यह है कि उचित मध्यान्तरों पर वर्ष में कम से कम दो बैठकें अवश्य होंगी।

(2) बोर्ड की प्रत्येक बैठक की तारीख, समय तथा स्थान सभापति द्वारा नियत किये जायेंगे और उनकी सूचना सदस्यों को, बोर्ड के सचिव द्वारा, उक्त रूपेण नियत की गई तारीख से कम से कम तीन सप्ताह पहले भेजी जायेगी।

(3) सचिव प्रत्येक बैठक की कार्य-सूची सभापति के आदेशों के अनुसार तैयार करेगा और उसे सदस्यों के पास बैठक प्रारम्भ होने से पहले भेज देगा।

(4) सभापति स्वयं की इच्छा से, अधिनियम तथा इसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों से संगत ऐसे किसी प्रश्न या मद पर जिसे वह उचित समझे, किसी बैठक में, बिना पूर्व सूचना के विचार विमर्श किये जाने की अनुमति दे सकेगा।

(5) कार्य सूची (Agenda) में विचार विमर्श (Discussion) के लिए सम्मिलित विषयों से सम्बन्धित सम्पूर्ण रेकार्ड तथा अन्य आवश्यक सूचना आयुक्त द्वारा, बैठक प्रारम्भ होने के पहले, बांट दी जायेगी।

(6) (क) उन मामलों में जो कि धारा 12 की उपधारा (2) के अन्तर्गत सहायक आयुक्त द्वारा बोर्ड को निदेशित किये गये हों, बोर्ड अपना निर्णय सीधे सहायक आयुक्त को प्रेषित करेगा।

(ख) अन्य मामलों में, बोर्ड अपने विचार राज्य सरकार को प्रेषित कर सकेगा जिनके बारे में राज्य सरकार ऐसी कार्यवाही कर सकेगी जो वह उचित समझे।

(7) सामान्यतः बोर्ड की बैठकों की अध्यक्षता, सभापति करेगा किन्तु जब वह उपस्थित होने में असमर्थ हो तो बैठक में उपस्थित सदस्य, अपने में से एक सदस्य को बोर्ड की बैठक की अध्यक्षता करने के लिए चुनेगा।

(8) सभापति बोर्ड की ओर से सब पत्रों, स्मरण पत्रों (Memorandum) तथा कागजों पर दस्तखत करेगा तथा दैनिक सामान्य काम निपटायेगा और ऐसे कागजों पर जो वह उचित समझे, सचिव को दस्तखत करने के लिए लिखित में साधारण या विशेष आज्ञा द्वारा प्राधिकृत करेगा।

(9) बोर्ड की बैठक के लिए, बोर्ड के कुल सदस्यों के 1/3 एक तिहाई सदस्यों का कोरम होगा। यदि कोरम पूरा न हो तो बैठक आगे की तारीख के लिए स्थगित कर दी जायेगी।

(10) यदि विवादग्रस्त मामला ऐसे प्रन्यास से सम्बन्धित हो जिससे कोई सदस्य व्यक्तिगत रूप से किसी न किसी प्रकार सम्बन्धित हो तो वह सदस्य विचार विमर्श में भाग नहीं लेगा, न अपना वोट देगा अथवा न अपने विचार प्रकट करेगा।

(11) बोर्ड का प्रत्येक निर्णय, मौजूदा सदस्यों के बहुमत द्वारा किया जायेगा और बराबर मतों की दशा में चैयरमैन को दूसरा मत देने का अधिकार होगा।

11. प्रादेशिक सलाहकार समितियों में कार्य संचालन का तरीका (Manner of conduct of business of the R. A. Committee)—

(1) प्रादेशिक सलाहकार समिति का सचिव, सभापति के आदेश के अनुसार जब कभी आवश्यक समझा जाय, समिति की बैठक, प्रदेश के सहायक आयुक्त के मुख्यावास (Headquarter) पर बुलायेगा।

बशर्ते कि उचित मध्यान्तरों पर वर्ष में कम से कम दो बैठकें अवश्य होंगी।

(2) समिति का सभापति, ऐसी बैठक की अध्यक्षता करेगा। ऐसी दशा में जब कि सभापति अनुपस्थित हो तो उपस्थित सदस्य अपने में से एक सदस्य को अध्यक्षता करने के लिए चुन लेंगे।

(3) समिति, यथोचित विचार विमर्श करने के बाद में अपनी सलाह सहायक आयुक्त को लिखित में भेजा करेगी और उसके साथ असहमति का नोट यदि कोई हो, भी भेजा जायेगा।

(4) सचिव, सदस्यों तथा सभापति को बैठक की सूचना समय के काफी पहले देगा और उक्त बैठक की कार्य सूची (Apendix) परिशिष्ट समय तथा स्थान सम्बन्धी सूचना भी, सभापति की स्वीकृति से प्रेषित करेगा।

(5) समिति की सलाह के लिए निर्देशित मामले से सम्बन्धित सब संगत (Connected) रेकार्ड तथा सूचना (information) बैठक प्रारम्भ होने से पहले सहायक आयुक्त द्वारा, समिति की डैक्स पर रखी जायेगी।

(6) कोरम समिति की बैठक के लिए, समिति के के कुल सदस्यों के एक तिहाई सदस्यों का कोरम (गणपूर्ती) होगा। यदि कोरम पूरा न हो तो बैठक किसी अगली अन्य तारीख के लिए स्थगित कर दी जावेगी। बैठक में समस्त निर्णय बैठक में उपस्थित सदस्यों के बहुमत से किये जायेंगे, और मतों की समानता की दशा में, सभापति को दूसरा मत देने का अधिकार होगा।

(7) सभापति समिति की ओर से समस्त पत्रों, स्मरण पत्रों (मैमोरेन्डम) तथा अन्य कागजातों पर दस्तखत करेगा और दैनिक सामान्य कार्यवाही, यदि कोई हो, निपटायेगा और सचिव को, ऐसे कागजातों पर जो सभापति ठीक समझे, हस्ताक्षर करने तथा उन्हें निपटाने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा।

12. बोर्ड तथा प्रादेशिक सलाहकार समितियों के सदस्यों की अयोग्यतायें (Disqualification for members of the Board and the Regional Advisory Committees)—एक व्यक्ति बोर्ड या समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त करने के लिए या सदस्य होने के लिए अयोग्य होगा, यदि वह—

(क) इक्कीस वर्ष से कम उम्र का है, अथवा

(ख) किसी आपराधिक (Criminal) न्यायालय (Court) द्वारा ऐसे अपराध का दोषी ठहराया गया है जिसमें नैतिक पतन शामिल हो, अथवा

(ग) विकृत (unsound) मस्तिष्क का है और किसी सक्षम न्यायालय द्वारा वैसा घोषित कर दिया जाये, या

(घ) अनुनयुक्त दिवालिया हो, अथवा

(ङ) दुराचरण का दोषी पाया गया हो अथवा

(च) जिस धर्म या धार्मिक विश्वास का वह समिति में प्रतिनिधित्व करता है उससे विनर (ceases to profess) हो गया है, अथवा

(छ) निरक्षर है अथवा

(ज) अन्यथा अयोग्य है (otherwise unfit)

13. बोर्ड या समिति के सभापति एवं सदस्यों को हटाया जाना (Removal of Chairman and members of the Board or the Committee)—अगर राज्य सरकार को ऐसा प्रतीत हो की बोर्ड अथवा समिति का सभापति अथवा कोई सदस्य, नियम 12 में वर्णित किसी अयोग्यता का शिकार हो गया है, अथवा उसने अधिनियम अथवा उसके अधीन नियमों के किन्हीं प्रावधानों का उल्लघंन किया है अथवा काम करने से मना करता है या काम करने के अयोग्य है अथवा बोर्ड अथवा समिति, जो भी हो, की लगातार तीनों बैठकों में बिना पर्याप्त कारण उपस्थित नहीं हुआ है, तो राज्य सरकार उक्त सभापति अथवा सदस्य को, कारण बताने का अवसर (Opportunity of showing cause) देने के पश्चात और इस प्रकार बताये गये किसी कारण पर विचार करने के पश्चात उसे उसके पद से हटा सकेगी और राज्य सरकार का इस ओर निर्णय अन्तिम होगा।

14. बोर्ड या समिति के सभापति तथा सदस्यों द्वारा त्यागपत्र (Resignation of the Chairman and members of the Board or Committee)—बोर्ड अथवा समिति का सभापति या कोई सदस्य, अपने हाथ से लिख कर और राज्य सरकार को सम्बोधित करके, अपने पद से त्याग पत्र दे सकेगा।

बशर्ते कि ऐसा सभापति अथवा सदस्य तब तक अपना पद धारण करता रहेगा, जब तक कि उसके उत्तराधिकारी की नियुक्ति सरकारी राज पत्र में विज्ञप्त न की जाये।

15. बोर्ड या प्रादेशिक सलाहकार समिति के लिए कर्मचारी वर्ग—(Staff for the Board and the Regional Advisory Committee)—"राजस्थान लोक न्यास बोर्ड" के लिए

(1) (क) बोर्ड के लिए एक सचिव की व्यवस्था की जावेगी, जो कि राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जायेगा।

(ख) आयुक्त अपने विभाग में से ऐसे अन्य कर्मचारी, जिन्हें बोर्ड, अविनियम के अन्तर्गत अपने कार्यों के कुशल सम्पादन के लिए आवश्यक समझे, बोर्ड के अधिकार में रखेगा।

(ग) उक्त कर्मचारियों पर, यात्रा भत्ता दैनिक भत्ते पर होने वाला व्यय और बोर्ड का अन्य आवर्तक तथा अनावर्तक (recurring and non-recurring) व्यय आयुक्त के कार्यालय के बजट शीर्षक "बोर्ड व्यय" में से दिया जायेगा।

(2) राज्य सरकार द्वारा प्रादेशिक सलाहकार समिति के लिए एक सचिव की और ऐसे अन्य अधीनस्थ कर्मचारी वर्ग तथा चतुर्थ श्रेणी के सेवकों की व्यवस्था की जायेगी, जो राज्य सरकार द्वारा प्रादेशिक सलाहकार समिति के लिए आज्ञा द्वारा नियत किये जायें और उनके लिए उसी प्रयोजन हेतु पृथक बजट की व्यवस्था की जायेगी।

भाग 4

नीचे लिखी धाराओं के प्रावधानों को कार्यान्वित करने के लिए नियम

धारा–16 (2)
धारा–17 (3) तथा 17 (4)
धारा–18 (1) तथा 18 (2)
धारा–23 (1) तथा 23 (2)
धारा–24
धारा–25 (2)

16. सहायक आयुक्तों द्वारा रजिस्टर तथा पुस्तकों का रखा जाना (Maintenance of Registers and Books by Assistant Commissioners)–लोक न्यासों के रजिस्ट्रेशन के सम्बन्ध में सहायक आयुक्त निम्नलिखित रजिस्टर तथा पुस्तकें रखेंगे जो कि प्रत्येक के सामने लिखे प्रपत्रों (Proformas) में होंगी—

सं.	नाम रजिस्टर	प्रपत्र संख्या
1.	रजिस्टर लोक न्यास	1
2.	रजिस्टर आयुक्त से प्राप्त विनिश्चय	2
3.	रजिस्टर न्यायालय निर्णय जो सहायक आयुक्त को भेजे गये	3
4.	परिवर्तनों का रजिस्टर	4
5.	रजिस्टर बाबत अचल सम्पत्ति जो अन्य प्रदेश में पंजीकृत लोक न्यास के प्रदेश में स्थित है	5

17. रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन (Application for Registration)—

1. किसी लोक न्यास के पंजीकरण हेतु आवेदन में ऐसी तफसीलों के अलावा जो धारा 17 की उपधारा (4) के खंड (1) से (9) में उल्लिखित हैं, निम्नलिखित विवरण सहित समाविष्ट होगी—

(1) आय के अन्य साधन,

(2) न्यास सम्पत्ति पर भारों (encumbrances) की यदि कोई हो, तफसील,

(3) न्यास सम्पत्ति तथा न्यास संलेख (Instrument of Trust) (यदि ऐसा संलेख निष्पादित किया गया हो तथा मौजूद हो) से सम्बन्धित स्वत्व (Title) की तफसील और ऐसे न्यासियों के नाम जिनके अधिपत्य में वे हों,

(4) न्यास सम्बन्धी योजना, यदि कोई हो, की तफसील।

2. आवेदन पत्र प्रपत्र संख्या 6 में होगा।

18. पंजीकरण के लिए शुल्क—(Registration fee)—आवेदन के साथ दी जाने वाली शुल्क नगद होगी और उसकी राशि निम्नलिखित होगी— रुपये

	रुपये
1. जब किसी लोकन्यास की सम्पत्ति का मूल्य 1000) रु. से अधिक न हो	1) रुपया
2. जब किसी लोकन्यास की सम्पत्ति का मूल्य 1000) रु. से अधिक हो किन्तु 3000) रु. से अधिक न हो	2) रुपया
3. जब किसी लोक न्यास की सम्पत्ति का मूल्य 3000) रु. से अधिक किन्तु 5000) रु. से अधिक न हो	3) रुपया
4. जब सार्वजनिक लोक न्यास की सम्पत्ति का मूल्य 5000) रु. से अधिक हो	5) रुपया

शुल्क राज्य की समेकित निधि (Consolidated Fund) में जमा कराई जायेगी।

नोट—ऐसे कोष में सहायक आयुक्त जमा करायेगा। प्रार्थी तो निर्धारित रकम रोकड़ में सहायक आयुक्त को आवेदन के साथ दे देगा।

19. रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणीकरण (Certification of Registration)—जब किसी लोकन्यास का नाम लोकन्यासों के रजिस्टर में लिख दिया जाय तो न्यासी को रजिस्ट्रेशन के प्रतीक स्वरूप निम्नलिखित प्रपत्र में एक प्रमाण पत्र निर्गमित (issue) जारी कर दिया जायेगा। ऐसे प्रमाण पत्र पर रजिस्ट्रेशन के इन्चार्ज सहायक आयुक्त द्वारा दस्तखत किये जावेंगे और उस पर कार्यालय की सील मुहर लगाई जायेगी।

प्रमाण पत्र का प्रपत्र

एतद्द्वारा यह प्रमाणित किया जाता है कि नीचे वर्णित लोक न्यास राजस्थान लोक न्यास अधिनियम, 1959 (1959 का 42) के अधीन सहायक देवस्थान

आयुक्त..................के कार्यालय में आज के दिन रजिस्ट्रीकृत कर लिया गया है।

लोकन्यास का नाम

लोकन्यास के रजिस्टर में संख्या

प्रमाण पत्र..................को जारी किया गया। मेरे दस्तखतों से आज दिनांक..............मास..............सन् 196..........को दिया गया।

सील   हस्ताक्षर..............

                                                     दिनांक..............

नोट—प्रत्येक न्यासी अथवा कार्यवाहक न्यासी अथवा प्रबन्धक को चाहिए कि आवेदन पत्र देने के बाद यह देखे कि उनको उपर्युक्त नमूने का रजिस्ट्रेशन का प्रमाण पत्र प्राप्त हो गया है या नहीं। अगर प्राप्त हो गया हो तो उसे संरक्षित रखे। नहीं मिलने की दशा में सहायक आयुक्त के कार्यालय से दर्याफ्त करना चाहिए।

लोक न्यास के रजिस्ट्रेशन हेतु जांच का तरीका (Manner of enquiry for Registration of Public Trust)—

1. धारा 17 के अधीन कोई आवेदन पत्र प्राप्त होने पर या किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा आवेदन किये जाने पर जिसका किसी लोक न्यास में हित हो अथवा स्वयं अपने प्रस्ताव पर सहायक कमिश्नर—

(क) जांच की सार्वजनिक सूचना (नोटिस) देकर आपत्तियां प्रस्तुत किए जाने के लिए एक तारीख निश्चित करेगा और उक्त लोक न्यास में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों को ऐसे प्रन्यास के बारे में जिनकी जांच की जा रही हो, 60 दिन के भीतर आपत्तियां, यदि कोई हों, प्रस्तुत करने के लिए आमन्त्रित करेगा।

(ख) यदि लोक न्यास में हित रखने वाले किसी व्यक्ति द्वारा आपत्तियां उठाई जाय तो वह ऐसी आपत्तियों के लिए नियत की गई तारीख को उन्हें लेगा और उसी तारीख को या किन्हीं आगे की तारीखों को वादपद कायम (frame issues) करेगा और आवेदक द्वारा एवं ऐसे व्यक्तियों द्वारा जिन्होंने आपत्तियां उठाई हो प्रस्तुत की जाने वाली आवश्यक शहादत लेगा।

(ग) उन्हें उनकी साक्ष्य को खंडित करने का और अवसर देने के पश्चात ऐसी जांच, जो वह आवश्यक समझे, करेगा,

(घ) यदि निर्धारित अवधि के भीतर कोई आपत्तियां नहीं उठाई जाय तो एक तरफा (ex-parte) जांच करेगा, तथा

(ङ) जांच पूरी हो जाने पर जांच के अन्तर्गत आये मामलों के बारे में अपना निष्कर्ष कारणों सहित रेकार्ड करेगा।

2. उपस्थिति (Appearance)—किसी जांच में कोई पत्र, स्वयं माप अपने मान्य एजेन्ट के मारफत या ऐसे किसी वकील के जरिये जिसे उसने अपनी ओर से कार्य करने हेतु कानूनानुसार नियुक्त किया हो, उपस्थित हो सकेगा।

बशर्ते कि यदि सहायक आयुक्त ऐसा निदेशन दे तो सम्बन्धित पक्ष को स्वयं भी उपस्थित होना पड़ेगा।

3. सम्मन तामील किये जाने का तरीका (Mode of serving smmons):

(क) किसी जांच अन्य कार्यवाहियों में किसी व्यक्ति को चाहे वह कोई पक्ष का या गवाह हो, की उपस्थिति के लिए सम्मन डाक के जरिये अथवा किसी आदेशिका निर्वाहक (Process server) के मारफत तामील किया जावेगा।

(ख) सम्मन द्वारा बुलाये गये व्यक्ति पर सम्मन नियमानुसार तामील किया गया समझा जायेगा।

1. यदि सम्मन रजिस्टर्ड डाक से भेजा गया हो और उसकी रसीद (acknowledgement) अथवा इन्कारी (refusal) प्राप्त हो गई हो, अथवा

2. यदि सम्मन सम्बन्धित व्यक्तियों द्वारा सम्मन लेने से इन्कार किया जाने पर दो गवाहों की उपस्थिति में मकान अथवा बस्ती के किसी प्रमुख स्थान पर चिपका दिया जाय, अथवा

3. यदि वह किसी ऐसे समाचार पत्र में जिसका उस बस्ती में परिचलन (circulation) हों, प्रकाशित कर दिया जाय।

(ग) अधिनियम के अन्तर्गत किसी जांच या अन्य कार्यवाहियों में किसी भी पक्ष के कहने पर किसी गवाह की उपस्थिति के लिए सम्मन तब तक जारी नहीं किया जायेगा जब तक कि ऐसा पक्ष, आयुक्त या सहायक आयुक्त जो भी हो, के पास ऐसी धनराशि जमा नहीं करादे जो आयुक्त अथवा सहायक आयुक्त की राय में ऐसे गवाहों को उनके यात्रा सम्बन्धी खर्चा एवं अन्य भत्ता जो देय हो, देने के लिए पर्याप्त हो।

4. दस्तावेजों की वापसी (Return of Documents)—

(क) कोई भी व्यक्ति जो किसी ऐसे दस्तावेज के वापिस लेने का इच्छुक हो जो कि जांच के समय उसने पेश किया हो, उक्त दस्तावेज की वापसी का हकदार होगा, बशर्ते कि ऐसा दस्तावेज परिबद्ध (impounded) न कर लिया गया हो, यदि कार्यवाही ऐसी हो जिसमें दी गई आज्ञा पर किसी न्यायालय में दावा करके कोई आपत्ति न उठाई जा सके या दावा दायर किया जाने की अवधि दावा दायर किये बिना ही समाप्त हो गई हो या यदि दावा दायर कर दिया हो तो उसका निपटारा हो गया हो।

बशर्ते कि कोई दस्तावेज इस नियम द्वारा निर्धारित अवधि से पहले किसी भी समय वापिस लौटाया जा सकेगा यदि उसके लिए आवेदन करने वाला व्यक्ति सहायक आयुक्त अथवा कमिश्नर, जो भी कोई हो, को एक प्रमाणित प्रतिलिपि मूल दस्तावेज के वदले में पेश किये जाने के लिए दे दे और यह वचन दे कि यदि आवश्यकता पड़ी तो वह मूल दस्तावेज प्रस्तुत कर देगा।

(ख) दस्तावेज की वापसी के लिए दिये गये आवेदन में दस्तावेज की तारीख मय व्यौरा, जिस कार्यवाही में उक्त दस्तावेज प्रस्तुत किया गया हो उसकी संख्या व तारीख जिसको पेश किया गया हो, दर्ज की जायेगी और (Ex.) एक्जिविट चिन्ह जो उस पर हो, वताये जावेंगे और उसे लेने वाले व्यक्ति द्वारा एक रसीद दी जायेगी।

5. गवाहों को भत्ता— (Allowances to witnesses):

(क) इस अधिनियम के अन्तर्गत किसी भी जांच अथवा अन्य कार्यवाहियों के सिलसिले में बुलाये गये गवाहों को दिये जाने वाले भत्ते उनकी हैसियत (status) तथा परिस्थितियों के अनुसार कम या ज्यादा होंगे। ऐसे गवाहों को दी जाने वाली राशि निश्चित करने में आयुक्त तथा सहायक आयुक्त, जो भी कोई हो, अपने विवेक (discretion) का प्रयोग करेंगे।

(ख) स्थानीय गवाहों को केवल सवारी भत्ता (Conveyance allowance) जो 1) रु. से अधिक तथा 50 नये पैसे से कम नहीं होगा, दिया जा सकेगा।

(ग) वाहर के गवाहों को उचित रूप में, ऐसी रकम दी जा सकेगी जो यात्रा के सम्बन्ध में व दूसरे आवश्यक मुद्दों पर वस्तुत: खर्च की गई हो।

21. प्रस्थापित जांच के लिए सार्वजनिक नोटिस का तरीका—(Manner of Public notice for proposed enquiry) :

1. सहायक आयुक्त, ऐसी जांच, जिसकी धारा 18 की उपधारा (1) के अधीन किया जाना प्रस्थापित हो, एक सार्वजनिक नोटिस प्रपत्र 7 में निम्नलिखित को देगा—

(क) जांच के सम्बन्ध में पक्षकार

(ख) न्यास के न्यासी

2. ऐसे नोटिस की एक प्रति सहायक आयुक्त के कार्यालय में नोटिस बोर्ड पर तथा उस वस्ती में, जहां सम्बन्धित न्यास सम्पत्ति स्थित हो किसी प्रमुख स्थान पर चिपकाई जाकर प्रकाशित की जायेगी। नोटिस का ऐसा प्रकाशन उन व्यक्तियों के लिए जो न्यास सम्पत्ति में कोई हित रखते हों पर्याप्त सूचना समझी जावेगी।

3. ऐसी स्थिति में जहां न्यास सम्पत्ति किसी शहर में या एक से अधिक जिलों में स्थित हो नोटिस की एक प्रतिलिपि किसी ऐसे समाचार पत्र में जिसका कि उस बस्ती में परिचालन (Circulation) हो तथा राजस्थान राजपत्र में भी प्रकाशित की जायेगी।

22. प्रपत्र तथा तरीका जिसमें कार्यवाहक न्यासी परिवर्तनों की रिपोर्ट देगा—(Form and manner in which working trustee is to report changes)—

(क) कार्यवाहक न्यासी इन्द्राजों में हुए परिवर्तन अथवा प्रस्थापित परिवर्तन सम्बन्धी रिपोर्ट सहायक आयुक्त को निर्धारित अवधि के भीतर देगा।

(ख) सहायक आयुक्त, आवश्यक जांच यदि कोई हो, के पश्चात रजिस्टर (प्रपत्र संख्या 4) में रिकार्ड किये गये निष्कर्ष के अनुसार इन्द्राजों में संशोधन करवायेगा।

23. सहायक आयुक्त द्वारा आगे जांच (Further enquiry by Assistant Commissioner)—जैसा कि धारा 24 में प्रावधान किया गया है, यदि सहायक आयुक्त को ऐसा प्रतीत हो कि किसी लोक न्यास से सम्बन्धित किसी "तफसील" (Particular) की, जो धारा 18 अथवा धारा 23 की उपधारा (2) के अन्तर्गत जांच की विषय वस्तु (Subject matter) नहीं थी, जांच की जानी है तो वह उसी तरीके से जो धारा 18 की उपधारा (1) के अन्तर्गत प्रथम जांच की जाने संबंधी नियमों में प्रावधान किया हुआ है, आगे जांच कर सकेगा और अपने निष्कर्ष (findings) रिकार्ड कर सकेगा तथा लिए गये विनिश्चय के अनुसार रजिस्टर में प्रविष्ठियां कर सकेगा अथवा इन्हें संशोधित कर सकेगा।

24. धारा 25 की उपधारा (2) के अधीन प्रविष्टि पुस्तक (Book of entries under sub-section 2 of section 25)–वह पुस्तक जिसमें प्रविष्टियों अथवा संशोधित प्रविष्टियों की तफसील (Particulars) को लिखा जाना धारा 25 की उपधारा (2) के अधीन आवश्यक है, प्रपत्र संख्या 5 में रखी जायेगी।

भाग 5

धारा 31 (2) के प्रावधानों को प्रभावी करने हेतु नियम

25. न्यास सम्पत्तियों के कतिपय हस्तांतरणों हेतु पूर्व स्वीकृति के लिए आवेदन (Application for previous sanction for cartain transfers of trust properties)—

1. धारा 31 की उपधारा (2) के अधीन स्वीकृति के लिए दिये जाने वाले प्रत्येक आवेदन पत्र में निम्नलिखित मदों के बारे में सूचना का समावेश होगा।

(1) अन्तरण के कारण,

(2) प्रस्तावित अन्तरण किस प्रकार लोक न्यास के हित में है,

(3) पट्टे की दशा में पिछले पट्टों की, यदि कोई हो, अवधि

(4) क्या न्यास संलेख (Instrument of trust) में ऐसी अचल सम्पत्ति के अन्तरण सम्बन्धी कोई निर्देश दिये गये हैं।

2. ऐसा आवेदन प्रपत्र संख्या 9 में होगा।

भाग 6

निम्नलिखित धाराओं के प्रावधानों को प्रभावी करने के लिए नियम—

धारा—32;

धारा—33 की उपधारा (2), 3 तथा (5);

धारा—35 तथा;

धारा—36;

26. लेखे रखा जाना (Maintenance of Accounts)—ऐसे किसी लोक न्यास का कार्यवाहक न्यासी अथवा प्रबन्धक जो अधि-नियम के अन्तर्गत पंजीकृत कर दिया गया है, प्रपत्र संख्या 10 तथा 11 में नियमित लेखे रखेगा जिनमें समस्त चल तथा अचल सम्पत्तियों के विवरण रखे जायेंगे।

27. लेखे के वार्षिक अंकेक्षण की रीति (Manner of Annual audit of accounts)—न्यासी लेखे का आर्डर प्रतिवर्ष आडीटर से करवायेगा, जो अंकेक्षण किये हुए लेखे सम्बन्धी रिपोर्ट, विराम धारा 34 की उपधारा (2) द्वारा चाही गई सूचना के अतिरिक्त निम्नलिखित विवरण भी देगा, तैयार करेगा—

(क) आया हिसाव-किताव (Accounts) नियमित रूप से तथा अधिनियम एवं इसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों के प्रावधानों के अनुसरण में रखे जाते हैं;

(ख) आया आमदें तथा चुकारा (Receipts and disbursements) हिसाव किताव में उपयुक्त व सही रीति से बताये गये हैं;

(ग) आया अंकेक्षण की तारीख को प्रबन्धक अथवा कार्यवाहक न्यासी के संरक्षण (Custody) में जो नकद यथा वाउचर थे उनका लेखे के साथ ठीक मिलान हो रहा था;

(घ) आया अंकेक्षक द्वारा चाही गई सभी पुस्तकें, विलेख, वाउचर या अन्य दस्तावेज या अभिलेख उसके समक्ष प्रस्तुत किये गये थे;

(ङ) आया कि लोक न्यास उक्त सम्पत्ति की वस्तु सूची प्रबन्धक अथवा कार्यवाहक न्यासी द्वारा प्रमाणित हुई दशा में रखी गई है;

(च) आया प्रबन्धक अथवा कार्यवाहक न्यासी अथवा कोई अन्य व्यक्ति जिसकी उपस्थिति के लिए अंकेक्षक द्वारा मांग की गई हो, उनके समक्ष उपस्थित हुआ, तथा मांगी गई आवश्यक सूचना उसने प्रस्तुत की;

(छ) आया न्यास की कोई सम्पत्ति अथवा अन्य निधियां प्रन्यास के उद्देश्य या प्रयोजन से भिन्न उद्देश्य या प्रयोजन के लिए काम में लाई गईं;

(ज) ऐसी रकमें जो एक वर्ष से अधिक समय से बकाया निकल रही थीं तथा वे रकमें जो वट्टा खाते लिखी गई यदि कोई हो;

(झ) आया मरम्मत अथवा निर्माण के ऐसे कार्यों के लिए जिनमें 1000) रुपये से अधिक का खर्च हो, टेन्डर मांगे गये हों;

(ञ) आया 100) रुपये से अधिक कीमत की चीजों को खरीदने के लिए कीमत-दरें (कोटेशन) आमंत्रित की गई थी;

(ट) आया लोक न्यास की कोई रकम अधिनियम के प्रावधानों के प्रतिकूल विनियोजित (invest) की गई है;

(ठ) अधिनियम के प्रावधानों के प्रतिकूल अचल सम्पत्ति के इधर उधर करने (अन्यक्रमण) (Alienation) का मामला यदि कोई हो, अंकेक्षक के ध्यान में आये हों;

(ड) कोई विशेष मामला, जिसको सहायक आयुक्त के ध्यान में लाना आडीटर उचित अथवा आवश्यक समझे।,

28. अंकेक्षण का समय तथा अंकेक्षण रिपोर्ट पेश किया जाना (Time for audit and submission of audit report)—

1. न्यासी लेखा-सन्तुलन की तारीख से 6 माह के भीतर लेखे आडिट करवायेगा।

2. सहायक आयुक्तों के कार्यालय में धारा 34 के अधीन प्राप्त अंकेक्षण प्रतिवेदनों (Audit reports) का एक रजिस्टर रखा जायेगा जो प्रपत्र संख्या 12 में रखा जायेगा।

29. अंकेक्षण के प्रयोजनार्थ शक्ति (Power of audit)—अंकेक्षण के प्रयोजनार्थ, सहायक आयुक्त स्वयं अपनी इच्छा से अथवा अंकेक्षण (Auditor) के निवेदन पर—

1. किसी न्यासी को आडीटर (अंकेक्षक) के समक्ष ऐसी पुर्नविलेख, लेखा वाउचर अथवा अन्य दस्तावेज अथवा अभिलेख (records) प्रस्तुत करने के लिए कह सकेगा, जो उपयुक्त रीति से अभिरक्षण किये जाने के लिए आवश्यक हों;

2. ऐसे किसी न्यासी अथवा व्यक्ति को, जिसके अभिरक्षक (Custody) अथवा नियंत्रण में अथवा उत्तरदायित्व के अधीन उक्त कोई पुस्तक विलेख, लेखा, वाउचर अथवा अन्य दस्तावेज या अभिलेख हो, अंकेक्षण के सम्मुख व्यक्तिगत रूप में उपस्थित होने के लिए कह सकेगा;

3. किसी न्यासी सें या उक्त किसी न्यक्ति से ऐसी सूचना जो उपरोक्त प्रयोजन के लिए आवश्यक हों, अंकेक्षक देने को कह सकेगा;

4. ऐसे किसी न्यासी अथवा व्यक्ति से, जिसके समारक्षण या नियन्त्रण अथवा उत्तरदायित्व के अधीन प्रन्यास की कोई चल सम्पत्ति हो, अंकेक्षण के निरीक्षण हेतु उस सम्पत्ति को प्रस्तुत करने तथा उससे सम्बन्धित ऐसी सूचना जो उसके लिए जरूरी हो, देने के लिए कह सकेगा।

30. विशिष्ट अंकेक्षण के लिए शुल्क : (Fee for special audit)—

1. धारा 33 की उपधारा (5) के अन्तर्गत विशेष अंकेक्षण (Special audit) के लिए (Fee) सहायक आयुक्त द्वारा प्रत्येक मामले की परिस्थितियों के अनुसार तय की जायेगी :

बशर्ते कि किसी भी दशा में इस प्रकार दिया जाने वाला शुल्क लोक न्यास की सकल वार्षिक आय के $2\frac{1}{2}\%$ ढाई प्रतिशत से अधिक नहीं होगा या 25) रु० से कम नहीं होगा।

2. धारा 33 की उपधारा (4) के अधीन किसी विशेष अंकेक्षण का निर्देशन देने से पहले, सहायक अंकेक्षक प्रबन्धक या सम्बन्धित कार्यवाहक न्यासी से या उस व्यक्ति से जिसने विशेष अंकेक्षण के लिए सहायक कमिश्नर को आवेदन किया हो ऐसी रकमें जमा कराने के लिए कह सकेगा, जो सहायक आयुक्त की राय में विशेष अंकेक्षण के व्यय की पूर्ति के लिए पर्याप्त हो।

3. यदि उक्त शुल्क किसी प्रबन्धक अथवा कार्यवाहक न्यासी द्वारा दिया जाना हो, तो वह प्रन्यास के कोष में से दिया जावेगा।

31. बजट (Budget)—प्रत्येक लोक न्यास जिसकी सकल वार्षिक आय 3,600) रुपयों से अधिक हो, प्रति वर्ष दिसम्बर से पहले प्रपत्र 13 व 14 में एक बजट तैयार करके प्रस्तुत करेगा जिसमें आगामी वित्तीय वर्ष में न्यास की होने वाली अनुमानित कमियां तथा व्यय दिखाये गये हों।

32. निरीक्षण तथा प्रतिलिपियां : (Inspection and copies)—

1. (क) किसी लोक न्यास में हित स्वतः प्राप्त कोई व्यक्ति सहायक आयुक्त को, ऐसे दस्तावेज, जिसके निरीक्षण की अनुमति धारा 36 के अधीन हो, की पहिचान के लिए, आवश्यक सूचना का वर्णन करते हुए, आवेदन कर सकेगा, और निरीक्षण किये जाने वाले प्रत्येक दस्तवेज के लिए एक रुपया प्रतिदिन की दर से शुल्क भुगतान करने पर उसे किसी भी उक्त दस्तावेज का निरीक्षण करने की इजाजत दी जावेगी।

   (ख) ऐसा निरीक्षण केवल कार्यालय समय में ही किये जाने की अनुमति दी जायेगी और ऐसी देख-रेख के अधीन होगा जिसके लिए सहायक आयुक्त प्रत्येक मामले में निर्देशन करे।

2. (क) ऐसे दस्तावेजों, जिनके निरीक्षण की इजाजत नहीं है, की प्रमाणित प्रतियों के लिए शुल्क, प्रत्येक 100 शब्द या उनके किसी भाग के लिए चार आने होगा।

(ख) स्टाम्प पेपर पर आवेदक द्वारा दिया जायेगा ।

(ग) साधारणतया प्रतियां एक सप्ताह के अन्दर दी जायेगी ।

6. आवश्यक मामलों में, प्रतियां दुगुना शुल्क (Double fees) के चुकाने पर 24 घंटे के भीतर दे दी जायेगी यदि विषय इतना लम्बा न हो कि उसमें अधिक समय लगे ।

भाग-7

नीचे लिखी धाराओं को प्रभावी करने के लिए नियमः—

धारा—41 की उपधारा (1) और

धारा 49 की उपधारा (2)

7. नक्शे और विवरण (Rteurns and statements)—लोक न्यास का कार्यवाहक न्यासी, सहायक आयुक्त को निम्नलिखित नक्शे और विवरण प्रत्येक के आगे बतलाई गई तारीख को प्रस्तुत करेगा:—

क्रम संख्या	विषय	अवधि (Term)	भेजने की तारीख
1.	वार्षिक नियोजन का विवरण (Statement of investment)	वार्षिक	प्रत्येक वर्ष 1 अप्रेल को
2.	उधार ऋणों तथा अग्रिमों की वसूली का विवरण (Statement of recovery of loans, debts and advances etc.)	छमाही	प्रति छ माह 15 अक्टूबर और 15 अप्रेल ।
3.	सम्पत्तियों के किराये से होने वाली आमदनी का विवरण (statement of income from rent and properties)	छमाही	ये विवरण उन प्रन्यासों द्वारा प्रस्तुत किये जायेंगे प्रस्तुत किये जासेंगे जिनकी कुल वार्षिक आय 3,600) से अधिक होती है ।
3.	न्यासी को की गई भेटों का विवरण	छमाही	
3.	लोक न्यास की आमदनी और खर्च का विवरण	वार्षिक	
6.	देयों और ऋणों के भुगतान का विवरण	वार्षिक	

34. धारा 49 (2) के अधीन जांच की रीति—यदि सहायक आयुक्त को यह मालूम हो कि धारा 49 के अधीन जांच के लिए प्रत्यक्षत: (Prima-facie) कोई मामला है तो वह—

(क) जांच से लिए तारीख निश्चित करेगा और न्यासी अथवा किसी भी

संबंधित अन्य व्यक्ति पर, निश्चित तारीख पर, निश्चित तारीख को उपस्थित होने के लिए, एक नोटिस तामील करवायेगा।

(ख) ऐसी सुनवाई के लिए निश्चित तारीख पर या किसी भी ऐसी आगे की तय की गई (Subsequent) तारीख को जिस दिन के लिए कि सुनवाई (hearing) स्थगित की जाय, उनको, अपना मामला प्रस्तुत करने और साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर देगा तथा ऐसी और जांच करेगा जिसे वह आवश्यक समझे, और

(ग) जांच पूर्ण हो जाने पर, धारा 49 की उपधारा (2) के अन्तर्गत अपने द्वारा निकाले गये निष्कर्ष (findings) एवं उसके कारणों को रेकार्ड करेगा।

भाग 8

निम्नलिखित धाराओं के प्रावधानों को कार्यान्वित करने के लिए नियम—

धारा—53 (3) एवं 53 (5)

धारा—65

35. प्रवन्ध समिति द्वारा सम्पत्ति की प्राप्ति, तथा व्यवस्थापन के सम्बन्ध में शर्तें और प्रतिवन्ध—(Conditions and restrictions in respect of acquistion and disposal of property by committee of management)—न्यास विलेख मे समाविष्ट निर्देशों के, या न्यायालय द्वारा दिये गये किसी निर्देश के अथवा अधिनियम या किसी अन्य कानून के किन्हीं प्रावधानों के, अधीन रहते हुए, प्रवन्ध समिति—

(क) देवस्थान आयुक्त की अनुमति के विना किसी ऐसी अचल सम्पत्ति जो मूल्य में 2000) दो हजार रुपयों से अधिक हो; गिरवी नहीं रखेगी,

(ख) किसी ऐसी अचल सम्पत्ति जिसका मूल्य 2000) दो हजार रुपयों से अधिक हो, का सार्वजनिक नीलाम (Public auction) के अलावा वेचान (dispose off) अथवा निपटारा नहीं करेगी, अथवा

(ग) देवस्थान आयुक्त की स्वीकृति के विना ऐसी किसी अचल सम्पत्ति, जिसका मूल्य 2000) दो हजार रुपयों से अधिक हो को अवाप्त (acquire) नहीं करेगी;

वशर्ते कि ऐसे लोक न्यास—

(i) जो सरकार में निहित है, या

(ii) जिनकी देखभाल (maintenance) सरकार के खर्चे पर की जाती हो, या

(iii) जिसका प्रवन्ध सीधा राज्य सरकार द्वारा होता है, या

(iv) जो कोर्ट आफ वार्डस के सरक्षण में है, के लिए गठित प्रबन्ध समिति-उपयुक्त विषयों के सम्बन्ध में केवल ऐसी ही शक्ति का प्रयोग करेगी जो राज्य सरकार, आज्ञा द्वारा प्रदान करे।

36. हित रखने वाले व्यक्तियों की इच्छायें मालूम करने की रीति (manner of ascertaining the wishes of persons interested) :

(1) धारा 53 की उपधारा (5) के अन्तर्गत हित रखने वाले व्यक्तियों की इच्छायें मालूम करने के लिए, राज्य सरकार, सहायक आयुक्त को, प्रबन्ध समिति के गठन के लिए, सुझाव मांगते हुए ऐसी रीति से, जिसे वह उपयुक्त समझे, एक सार्वजनिक नोटिस जारी करने का निर्देश देगी।

(2) सहायक आयुक्त इस प्रकार प्राप्त हुए सुझावों को, अपनी टिप्पणियों सहित, आयुक्त देवस्थान की मारफत, राज्य सरकार को प्रेषित करेगा।

37. प्रबन्ध समिति की बैठक तथा उसके लिए कार्य प्रणाली (meeting of and procedure for Committee of management) :

(1) न्यास के विषयों पर विचार विमर्श करने के लिए एक मास में कम से कम एक बार प्रबन्ध समिति की बैठक होगी।

(2) बैठक के प्रयोजन के लिए, सदस्यों की कुल संख्या का 1/3 एक तिहाई कोरम माना जायेगा। यदि कोरम पूरा नहीं होता है तो बैठक आगामी तारीख के लिए स्थगित कर दी जायेगी।

(3) प्रबन्ध समिति के निर्णय लिखित में रेकार्ड किये जायेंगे और उन पर सभापति के दस्तखत होंगे तथा ऐसे निर्णय समिति के अभिलेख (Record) होंगे। समिति अपने निर्णयों को कार्यान्वित कराने के लिए समस्त उपाय काम में लायेगी।

(4) प्रबन्ध समिति, सभापति को अथवा किसी अन्य सदस्य को, लिखित रूप में, अपनी समस्त शक्तियां या उनमें से किसी भी शक्ति को न्यास के दैनिक कार्य संचालन के लिए तथा उसे सुविधापूर्ण बनाने के लिए सौंप सकती है।

(5) सभापति प्रबन्ध समिति की ओर से समस्त पत्रों तथा ज्ञापनों पर हस्ताक्षर करने और दैनिक कार्य का संचालन करने के लिए अधिकृत होगा।

(6) प्रबन्ध समिति का सभापति सदस्यों को, बैठक के समय, तारीख और स्थान के सम्बन्ध में, कार्य सूची सहित, यदि कोई हो, अग्रिम सूचना देगा। प्रबन्ध समिति के सभापति या सदस्यों के लिए वर्ष में होने

वाली बैठकों में से कम से कम 50% (पचास प्रतिशत) बैठकों मे भाग लेना अनिवार्य होगा।

38. **आनुवंशिक न्यासियों को भत्ता (Allowances to hereditary trustees)**—लोकन्यास के किसी आनुवंशिक न्यासी को दी जाने वाली भत्ते की रकम निर्धारित तथा निश्चित करते समय, राज्य सरकार, न्यास के दायित्वों और अन्य व्ययों, उसकी शुद्ध आय, एवं ऐसे न्यासी द्वारा गत वर्षों में प्राप्त भत्तों की रकम को भी ध्यान में रखेगी।

बशर्ते कि ऐसे कोई भी भत्ते की देय राशि न्यासी की कुल आय के 15 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

भाग 9

धारा 66 के प्रावधानों को कार्यान्वित करने के लिए नियम

39. **धारा 66 (2) के अधीन समिति के सदस्यों का चुनाव**—धारा 66 की उपधारा (2) के अधीन समिति का गठन करने के प्रयोजनार्थ भिन्न भिन्न कस्बों में सम्बन्धित वाणिज्य या व्यवसाय में लगे हुए व्यक्तियों को जो धर्मादा वसूल या संग्रहीत कर रहे हैं. कम से कम 15 दिन का सार्वजनिक नोटिस देकर उस क्षेत्र के सहायक आयुक्त द्वारा बुलाया जायेगा और ऐसे व्यक्ति, सहायक आयुक्त की उपस्थिति में पांच वर्ष की अवधि के लिए समिति के सदस्य का चुनाव हाथ खड़े करके करेंगे। इस प्रकार निर्वाचित सदस्य, तुरन्त, सहायक आयुक्त की उपस्थिति में, सदस्यों में से किसी एक सदस्य को, हाथ खड़े करके समिति का सभापति चुन लेंगे।

40. **धर्मादा का लेखा विवरण**—धर्मादा वसूल अथवा संग्रहीत करने वाला व्यक्ति अपने वार्षिक हिसाबों के बन्द किये जाने से तीन मास के भीतर, प्रपत्र संख्या 15 में धर्मादा का हिसाब प्रस्तुत करेगा।

41. **जांच तथा अंकेक्षण**—आयुक्त, धारा 66 की उपधारा (4) के अधीन धर्मादा के हिसाब के सही होने का सत्यापन करने के प्रयोजनार्थ धर्मादा वसूल अथवा संग्रहीत करने वाले व्यक्ति के हिसाबों की पुस्तकें मंगवा कर जांच कर सकता है और यदि वह आवश्यक समझे तो किसी भी ऐसे व्यक्ति द्वारा जिसे वह इस विषय में नियुक्त करे, उनका अंकेक्षण करवा सकता है और ऐसे अंकेक्षण का खर्चा, ऐसे हिसाब में से दिये जाने के लिए निर्देश दे सकता है।

प्रपत्र सं. 16 में, सहायक आयुक्त द्वारा, उसके क्षेत्र में धर्मादे का एक रजिस्टर, रखा जायेगा।

भाग 10

धारा 76 (2) (ढ) के अधीन नियम

42. **अपीलों के प्रपत्र तथा फीस का निर्धारण**—

(1) अधिनियम के प्रावधानों के अधीन प्रत्येक अपील, अपीलान्ट या उसके वकील द्वारा दस्तखत शुदा ज्ञापन (Menorandum) के रूप

में प्रस्तुत की जायेगी। ज्ञापन में, जिन निश्चयों (findings) अथवा आज्ञाओं (orders) की अपील की गई है उस पर की जाने वाली आपत्तियों के आधार, संक्षिप्त रूप में और पृथक पृथक शीर्षकों के अधीन, बिना किसी युक्ति अथवा कथन के, बतलाये जायेंगे और ऐसे आधारों को क्रमिक रूप से संख्या-बद्ध किया जायेगा।

(2) ऐसी अपील जिसके लिए निर्धारित अवधि के भीतर अपीलेंट प्राधिकारी को या तो रजिस्टर्ड डाक द्वारा भेजी जायेगी या व्यक्तिगत रूप से या वकील द्वारा प्रस्तुत की जायेगी और उसके साथ—

(क) निष्कर्ष (findings) अथवा आज्ञा, जिसकी अपील की गई है की एक प्रमाणित प्रतिलिपि,

(ख) अपील के ज्ञापन (memorandum) की उतनी प्रतिलिपियां, जितनी कि उन पक्षकारों पर तामील किये जाने के लिए आवश्यक हो, जिनके कि अधिकारों या हितों पर ऐसी किसी भी आज्ञा का जो ऐसी अपील में दी जायेगी, प्रभाव पड़े, नत्थी की जायेगी।

(3) अपीलान्ट, अपीलेट अधिकारी के कार्यालय में, चार आना प्रति उत्तरवादी (respondent) की दर से समस्त उत्तरवादियों पर नोटिस तामील किये जाने का, खर्चा जमा करायेगा।

(4) अपील पर दो रुपये का कोर्ट फीस स्टाम्प लगाया जायेगा।

प्रपत्र संख्या—1

देखिये नियम–16

रजिस्टर..............लोक न्यास

क्रम संख्या	न्यास का नाम	न्यासी तथा प्रवंधकों के नाम उनके पते सहित	न्यासी तथा प्रवंधक के पद पर उत्तराधिकार का तरीका
1	2	3	4

न्यास के उद्देश्य	न्यास सृजन सम्बन्धी दस्तावेजों के विवरण	न्यास की उत्पति (origin) अथवा सृजन के सम्बन्ध में दस्तावेजों को छोड़कर, अन्य विवरण
5	6	7

चल सम्पत्ति

चल सम्पत्ति (नकद सम्बन्धी प्रविष्टियां, यदि नकद प्रन्यास के मूलधन (capital) का भाग हो, तो की जानी चाहिये।)	सम्पत्ति का अनुमानित मूल्य	गांव, जहां स्थित है
8	9	10

अचल सम्पत्ति

धारणाधिकार (Tenure)	सर्वे नम्बर या नगर सर्वे अथवा म्युनिसिपल नम्बर	क्षेत्रफल	निर्धारित कर	स्तम्भ 12 में उल्लिखित प्रत्येक सम्पत्ति का अनुमानित मूल्य
11	12	13	14	15

वार्षिक औसत आय

स्तम्भ 8 तथा 12 में वर्णित सम्पत्ति से वार्षिक औसत सकल आय	अन्य साधनों से प्राप्त वार्षिक औसत सकल आय	स्तम्भ 16 तथा 17 का योग
16	17	18

वार्षिक औसत व्यय

न्यासी या प्रवन्धकों को देय पारिश्रमिक	कर्मचारी वर्ग तथा सेवकरण	धार्मिक कार्यों पर
19	20	21

वार्षिक औसत व्यय			
पुण्यार्थ कार्यों पर	विविध कार्यों पर	स्तम्भ 19 से 23 तक का योग	न्यास संपत्ति पर प्रभारों (encumbrances) के विवरण
22	23	24	25

न्यास संपत्ति से संवद्ध स्वत्व विलेखों (Ttitle deeds) के विवरण तथा उन न्यासियों के नाम जिनके कब्जे में वे हों	न्यास के सम्बन्ध ये योजना यदि कोई हो, के ब्यौरे	अभ्युक्ति
26	27	28

प्रपत्र संख्या 2

(देखिये नियम 16)

देवस्थान आयुक्त से प्राप्त निर्णयों का रजिस्टर

क्रम संख्या	लोक न्यास का नाम तथा रजिस्टर्ड नम्बर	कार्यालय का नाम	निर्णय की तारीख	देवस्थान आयुक्त का निर्णय प्राप्ति की तारीख
1	2	3	4	5

प्रपत्र संख्या 3

(देखिये नियम 17)

रजिस्टर—न्यायालय निर्णय जिनकी सूचना सहायक आयुक्त को दी गई।

क्रम संख्या	लोक न्यास का नाम	न्यायालय का नाम	तारीख निर्णय	तारीख जब सहायक आयुक्त, देवस्थान के कार्यालय में प्राप्त हुआ
1	2	3	4	5

निणंय का रूप संक्षेप में	सहायक आयुक्त द्वारा कार्यवाही की आज्ञा	सम्बन्धित क्लर्क की रिपोर्ट तामील	क्लर्क के हस्ताक्षर	अभ्युक्ति
6	7	8	9	10

प्रपत्र संख्या 4

[देखिये नियम 16 तथा 22 (ख)]

परिवर्तनों का रजिस्टर

क्रम संख्या	लोक न्यास का रजिस्टर्ड नम्बर तथा नाम	न्यासी के प्रतिवेदन की तारीख (यदि परिवर्तन प्रतिवेदन के अलावा अन्य आधार पर किये गये हों तो "कुछ नहीं" लिखिये)
1	2	3

लोक न्यास रजिस्टर में वांछित परिवर्तनों का रूप	आज्ञा का सारांश, उसकी तारीख तथा सहायक आयुक्त के हस्ताक्षर	अभ्युक्ति
4	5	6

प्रपत्र संख्या 5

(देखिये नियम 16 तथा 24)

किसी ऐसे लोक न्यास जिसका रजिस्ट्रीकरण दूसरे प्रदेश मे हुआ हो, के प्रदेशाधिकार में स्थित अचल सम्पत्ति के सम्बन्ध में प्रविष्टियां या संशोधित प्रविष्टियां दर्ज करने के लिये पुस्तक

क्रम संख्या	तारीख	लोक न्यास का नाम	न्यासियों तथा प्रबन्धकों के नाम, उनके पते सहित	रजिस्ट्रीकरण कार्यालय
1	2	3	4	5

इस प्रदेश में स्थित सम्पत्ति के पूरे ब्यौरे जैसे वे प्रेपण कार्यालय के इस रजिस्टर में अभिलिखित हैं	उस कार्यालय का नाम जिसने सूचना दी हो, मय तारीख तथा प्रेषण संख्या	अभ्युक्ति
6	7	8

प्रपत्र संख्या 6

[देखिये नियम 17 (2)]

सहायक आयुक्त,
देवस्थान,
...............प्रदेश।
....

.....................लोक न्यास के सम्बन्ध में।

मैं....... ....जो उपर्युक्त लोक न्यास का कार्यवाहक न्यासी एतद्द्वारा हूं राजस्थान लोक न्यास अधिनियम, 1959 की धारा 17 के अन्तर्गत उक्त न्यास के रजिस्ट्रीकरण के लिये आवेदन करता हूं।

2. मैं निम्नलिखित आवश्यक विवरण प्रस्तुत करता हूं—

(1) न्यास की उत्पत्ति (जहां तक ज्ञात हो), उसका रूप तथा उसके उद्देश्य और नाम जिससे उक्त न्यास पुकारा जाता है अथवा पुकारा जायेगा।

(2) उक्त लोक न्यास का मुख्य कार्यालय अथवा व्यापार करने का मुख्य स्थान..........................स्थित है।

(3) कार्यवाहक न्यासी तथा प्रवन्धक के नाम तथा पते।

(4) न्यासी पद पर उत्तराधिकार का तरीका।

(5) चल संपत्ति के व्यौरे जिसमें उस संपत्ति के प्रत्येक वर्ग का अनुमानित मूल्य भी दिया हुआ हो।

नोट:—(ऐसी संपत्ति के वर्गों के स्थूल विवरण देकर प्रविष्टियां करनी चाहिये जैसे, फर्नीचर, पुस्तकें इत्यादि न कि प्रत्येक वर्ग के लिए पृथक 2 रूप से। नकद सम्बन्धी प्रविष्टि, केवल, तब ही की जानी चाहियें जब कि उक्त नकद, प्रन्यास के मूलधन का अंग हो, दस्तावेजों की दशा में प्रत्येक प्रतिभूति, स्टाक (Stock) शेयर (Share) तथा डिवेन्चर (Debenture) के, नम्बर सहित, विवरण दीजिये)।

(6) अचल संपत्ति का व्यौरा जिसमें वह गांव या कस्बा जहां वह स्थित है, म्युनिसिपल या सर्वे खसरा नम्बर, क्षेत्रफल, निर्धारित कर (Assessment) धारणाधिकार जिसके आधार पर धारित है का वर्णन भी बताये हुए हों। (अधिकार-अभिलेख, नगर सर्वे-अभिलेख या म्युनिसिपल अभिलेख में संपत्तियों के संबंध में प्रविष्टियां, जो प्राप्त हो, की प्रमाणित प्रतिलिपियां साथ लगाइये)।

1 2

3 4

(ख) प्रत्येक अचल संपत्ति का अनुमानित मूल्य,

1 2

3 4

(7) आय के अन्य श्रोत।

(8) औसत वार्षिक सकल आय (चल व अचल संपत्तियों तथा अन्य श्रोतों से)

नोट:—यह उस तारीख से जिसको कि आवेदन पत्र दिया जाय से तुरन्त पूर्ववर्ती तीन वर्ष की अवधि अथवा उक्त प्रन्यास के सृजन के उपरान्त व्यतीत अवधि जो भी अवधि कम हो, के दौरान में हुई वास्तविक सकल आय पर तथा किसी नव-सृजित लोक न्यास की दशा में, समस्त श्रोतों से प्राप्त अनुमानित वार्षिक सकल आय पर, आधारित होनी चाहिये।

(6) औसत वार्षिक व्यय–जिसका अनुमान ऐसे व्यय पर जो उस अवधि के भीतर जिसका संवंध खण्ड (8) के अन्तर्गत दिये गये विवरणों से है, किया गया हो तथा किसी नव-सृजित लोक न्यास की दशा में अनुमानित वार्षिक व्यय पर लगाया जाय)।

(क) न्यासी तथा प्रवन्धक के पारिश्रमिक पर।

(ख) कर्मचारी वर्ग तथा सेवकों पर।
(ग) धार्मिक उद्देश्यों पर।
(घ) पुण्यार्थ उद्देश्यों पर।
(ङ) विविध वादों पर।

(10) प्रभारों के विवरण, यदि प्रन्यास की संपत्ति पर कोई प्रभार हो।

(11) न्यास की संपत्ति के सम्बन्ध में स्वत्व-विलेखों (Title Deeds) तथा प्रन्यास संलेख (Instrument of trust) (यदि ऐसा संलेख निष्पादित किया गया है तथा विद्यमान है) के विवरण तथा उस न्यासी का नाम जिसके कब्जे में वे हों।

(12) प्रबन्धक या कार्यवाहक न्यासी का पता जहां पत्रादि भेजे जायेंगे।

(13) अभ्युक्तियां, यदि कोई हों।

....शुल्क साथ प्रस्तुत किया जाता है।

स्थान................ ....

दिनांक....... .. ..

कार्यवाहक न्यासी या प्रबन्धकों के
हस्ताक्षर।

प्रपत्र संख्या 7

(देखिये नियम 21)

कार्यालय-सहायक आयुक्त, देवस्थान

राजस्थान लोक न्यास अधिनियम, 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस।
समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को,

(नाम, वर्णन तथा निवास स्थान)

चूंकि.... ....
....ने राजस्थान लोक न्यास अधिनियम, 1959 की धारा 17...............के अन्तर्गत........ ....
...................न्यास के सम्बन्ध में जांच किये जाने के लिए आवेदन-पत्र दिया है।

अतएव धारा 18 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त न्यास, जिसकी जांच की जा रही है, में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिये, यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे, इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त न्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हों, प्रस्तुत करें।

और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां प्रस्तुत नहीं की गई तो उक्त आवेदन-पत्र निर्धारित रीति से निर्णीत किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।

आज दिनांक.................196.... को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय की मोहर के अधीन जारी किया जावेगा।

सहायक देवस्थान आयुक्त
....

प्रपत्र संख्या 8

(देखिये नियम 22)

सेवा में,

सहायक आयुक्त, देवस्थान।

लोक न्यासों के रजिस्टर में अभिलिखित किये जाने वाले परिवर्तनों अथवा प्रस्थापित परिवर्तनों का प्रतिवेदन।

रजिस्ट्रेशन नम्बर तथा लोक न्यास का नाम.... ....

परिवर्तनों का रूप	परिवर्तनों का कारण	अभ्युक्ति, यदि कोई हो,
1	2	3

दिनांक........................ ....

कार्यवाहक न्यासी अथवा प्रबन्धक के हस्ताक्षर तथा पता

प्रपत्र संख्या 9

[देखिये नियम 25 (2)]

....सम्पत्तियों के कतिपय अन्तरणों की अनुमति के लिये आवेदन

सेवा में,

सहायक देवस्थान आयुक्त।

रजिस्ट्रेशन नम्बर............ ....लोक न्यास का नाम........ ....

क्रम संख्या	हस्तान्तरित की जाने वाली सम्पत्ति का विवरण	
	चल सम्पत्ति	अचल सम्पत्ति
	सम्पत्ति का नाम। अनुमानित मूल्य औसत वार्षिक आय (किराया या व्याज, यदि कोई हो)	सम्पत्ति का नाम/सर्वे नम्बर या नगर सर्वे (O S.) या म्युनिसिपल नम्बर, क्षेत्रफल निर्धारित कर/अनुमानित मूल्य/औसत वार्षिक आय
1	2	3

अन्तरण का रूप	अन्तरण के कारण	कार्यवाहक न्यासी अथवा प्रबन्धकों के नाम, पते सहित
विक्रय/विनिमय (Exchange) उपहार/पट्टा		
4	5	6

अन्तरण से हुई वास्तविक अथवा अनुमानित आय	अभ्युक्ति
7	8

स्थान...............

दिनांक..............

कार्यवाहक न्यासी या प्रबन्धक के हस्ताक्षर तथा पते

प्रपत्र संख्या 10

(देखिये नियम 26)

.........को समाप्त होने वाले वर्ष का आय विवरण ।

लोक न्यास का नाम तथा उसकी रजिस्ट्रीकृत सं........

अचल सम्पत्ति से आय

सम्पत्ति के ब्यौरे	पूर्व वर्ष के अन्त में आय की बकाया	चालू वर्ष के लिए निश्चित किए गए किराए की मांग	वर्ष में वसूल की गई राशि	शेष मय उस वर्ष के ब्यौरे के जिसके कि संबंध में यह बकाया है
1	2	3	4	5

अन्य सम्पत्ति, प्रतिभूतियां (यदि कोई हो) को शामिल करते हुए, से आय

सपत्ति का विवरण	पूर्व वर्ष के अन्त में आय की बकाया	चालू वर्ष में वसूल की जाने वाली राशि	वर्ष में वसूल की गई राशि	शेष बकाया
6	7	8	9	10

कुल वसूली तथा बकाया

वर्ष में वसूल की गई कुल राशि	शेष रही कुल बकाया	अभ्युक्ति
11	12	13

प्रपत्र संख्या 11

(देखिये नियम 26)

....को समाप्त होने वाले वर्ष के व्यय का विवरण

लोक न्यास का नाम तथा उसकी पंजीयन सं.............

कर निर्धारण, उप-कर तथा अन्य सरकारी मतालबे	नगरपालिका कर एवं अन्य कर	सम्पत्ति कर सधारण तथा आवश्यक सुधार पर, मरम्मत को शामिल करते हुए, किये गये व्यय
1	2	3

प्रबन्धकों तथा/या न्यासी को परिश्रमिक	सेवकों के वेतन तथा भत्ते	धार्मिक उद्देश्यों पर	पुण्यार्थक उद्देश्यों पर
4	5	6	7

विविध व्यय (अंशदान शामिल करते हुए)	कुल व्यय	कुल आय	अवशेष	अभ्युक्ति
8	9	10	11	12

प्रपत्र संख्या 12

[देखिये नियम 28 (2)]

अंकेक्षण रिपोर्ट (Audit report) का रजिस्टर :

कार्यालय सहायक देवस्थान आयुक्त

लोक न्यास का नाम तथा उसकी रजिस्ट्रीकृत सं.............

जिसके लिए अंकेक्षण हो रहा है	अंकेक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने की तारीख	अंकेक्षक का नाम	अभ्युक्ति
1	2	3	4

प्रपत्र संख्या 13

(देखिये नियम 31)

की वर्ष.........की आय तथा व्यय का आय-व्ययक अनुमान

			आय
.........के लेखे	वर्ष.........के आय व्ययक अनुमान	वर्ष.........के संशोधित अनुमान	आय का शीर्षक
1	2	3	4
			1 ....मिलन या अंशदान 2 अन्य आय-- (क) नियोजन तथा अग्रिमों पर ब्याज (ख) दस्तावेज दिये जाने की फीस तथा अन्य क्षुद्र मद् वर्ष के अन्त में घाटा योग.........

		व्यय	वर्ष
वर्ष....के आय-व्ययक अनुमान	वर्ष....के आय व्ययक अनुमान	व्यय का शीर्षक	वर्ष....के संशोधित अनुमान
5	6	7	8
		1. पूर्व वर्ष का घाटा 2. (1) न्यासों तथा अन्य व्यक्तियों को वेतन एवं भत्ते । (2) कर्मचारी वर्ग का वेतन । (3) यात्रा तथा अन्य भत्ते । (4) आकस्मिक व्यय ।	

(5) अनुरक्षण व्यय ।
(6) ऋणों पर ब्याज ।
(7) मरम्मत ।
(8) अन्य व्यय ।

योग	
वर्ष आय-अनुमान	वर्ष····के लेखे
9	10

प्रपत्र संख्या 14

(देखिये नियम 31)

········की प्राप्ति तथा भुगतान का आय-व्ययक अनुमान

	वर्ष····का आय-व्ययक अनुमान	वर्ष····का संशोधित अनुमान	प्राप्तियां
1	2	3	4
			पूर्व वर्ष····के बाकी (1) आय···· (2) ऋण···· योग

वर्ष····का आय-व्ययक अनुमान	संशोधित अनुमान	भुगतानों का शीर्षक
5	6	7
		(1) व्यय *(2) ऋणों का भुगतान वर्ष के अन्त में रोकड़-बाकी योग

वर्ष····के आय-व्ययक अनुमान	वर्ष के लेखे
9	10

*आय में से व्यय निकालकर अतिरिक्त बची राशि में से या जब ऐसी अतिरिक्त राशि न रहे तो ऋणों इत्यादि के अवशेष में से ।

वकील की फीस, यात्रा भत्ते तथा वेतन के अग्रिम शामिल हैं।

प्रपत्र संख्या 15

(देखिये नियम 40)

धर्मादा के रूप में वसूल या संग्रहीत की गई या धन-राशियों के हिसाबों का विवरण

धर्मादे के रूप में ग्रहीत धनराशि केस नाम से भरी जानी है।	ऐसे व्यक्तियों के नाम तथा पते जिनमें संग्रहीत धनराशियां न्यासी के रूप में निहित हैं।	अनुमानतः वह अवधि जिससे धर्मादा अस्तित्व में समझा जाता है।	वे उद्देश्य जिनके लिए संग्रहण किया जाता है।
1	2	3	4

ग्रहण की तथा उसके आधार सम्बन्ध में व्यौरे।	वर्ष जिसके कि अनुसार हिसाब रखे जाते हैं।	वर्ष जिसके कि हिसाब पेश किये जायें।	प्रारम्भिक शेष	वर्ष····में संग्रहण।
5	6	7	8	9

स्तम्भ 8 व 9 का योग।	वर्ष····में किये जाने वाले संवितरणों के व्यौरे।	कुल संवितरण	अवशेष जो आगे हिसाब में ले जाया गया।	अभ्युक्ति
10	11	12	13	14

धर्मादा वसूल या संग्रह करने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर।

प्रपत्र संख्या 16

(देखिये नियम 41)

धर्मादे का रजिस्टर : कार्यालय सहायक देवस्थान आयुक्त··················

क्रम संख्या	नाम, जिससे सग्रहीत धर्मादे की राशि पुकारी जाती है।	अनुमानतः वह अवधि जिससे धर्मादा अस्तित्व में समझा जाता है।	ऐसे व्यक्ति का नाम तथा पता जिसमें संग्रहीत धनराशि न्यासी के रूप में निहित हैं।	संग्रहण की दर व रीति के सम्बन्ध में व्यौरे।
1	2	3	4	5

वह उद्देश्य जिसके लिए संग्रहण किया गया।	वर्ष जिसके अनुसार हिसाब रखे जाते हैं।	ऐसे वर्ष में संग्रहण जिसके कि लिए हिसाबों का प्रथम विवरण पेश किया गया है।	अन्य
6	7	8	9

PART TWO

Rules, Forms & Notifications

The Rajasthan Public Trust Rules, 1962[1]

PART I

Preliminary

Rule 1. *Short title, extent and commencement*—(1) These rules may be called the Rajasthan Public Trust Rules, 1962.

(2) On and from the date on and from which and to the extent to which any chapter of the Act commences to apply such of these rules as relate to such chapter shall commence to apply.

Rule 2 *Definitions*—In these rules, unless the subject or context otherwise requires—

(a) 'Act' means the Rajasthan Public Trust Act, 1959 (Rajasthan Act No. 42 of 1959)

(b) 'Budget' means a statement of the estimate of receipts and expenditure of a public trust

(c) 'balance sheet' means the budget balance sheet of a public trust

(d) 'Committee of management' means a Committee appointed under Chapter X of the Act

(e) 'Form' means a form appended to these rules

(f) 'Fee' means a fee levied under these rules

(g) 'region' means the local limits of the area in which the Assistant Commissioner has jurisdiction

(h) 'Secretary' means a secretary of the Rajasthan Public Trust Board or of the Regional Advisory Committee appointed by the Government as such

(i) 'section' means a section of the Act

(j) 'year' means the Financial year beginning on the first day of April and ending on the 31st March following

---

1. Vide notification No. F. 3 (f) (II) Rev/A/59 dated 7th June 1962 published in Rajasthan Gazette Part IV C dated June 11, 1962 at page 121

PART II

(Rule to give effect to the Provisions of section 10)

Rule 3 Regulation of service conditions—The conditions of service of all the officers, Inspectors, other sub-ordinate officers and servants who are appointed under the Act shall be regulated and governed by the Rajasthan Service Rules for the time being in force.

PART III

[Rules to give effect to the provisions of Section 11 (1) and (5); Section 12 (1) d Section 14 (1) and (5); Section 14 (2) and Section 15 (1)]

Rule 4. Composition of the Advisory Board—The Rajasthan Public Trust Board shall consist of 21 members representing each interest as shown below :

Interests		Members
(1) Hindus		19
(a) Jains	4	
(b) Sikhs	1	
(c) Other Hindus	14	
(2) Christians		1
(3) Zoroastrians		1
		21

Rule 5. Functions of the Board—In addition to the functions prescribed in clauses (a), (b) and (c) of sub-section 12, the Board shall tender advice to the Commissioner on such matters as are referred to by him for eleciting the views of the Board.

Rule 6. Travelling and other allowances for Chairman and members of the Board—(1) A member or the Chairman of the Board who attends a meetings or performs any journey on offical duty in eonnection with the affairs of the Board may draw travelling allowance at the followings rates :

(i) Journey by Bus	12 n. p. per mile
(ii) Journey by Rail	First Class fare
(iii) Daily Allowance	@ 7/- per day

(2) Except the journey undertaken for attending meetings of the Board no journey shall be undertaken by the Chairman or any member without the premission of the State Government or such other officer as is authorised by the Government in this behalf.

(3) Subject to the provisions of sub-rules (1) and (2) the travelling allowance rules of the State Government shall apply to the members and the Chairman of the Board as they apply to an officer of Class I.

Rule 7. Composition of Advisory Committee—A Regional Advisory Committee shall consist of 21 members representing each interest in the region as shown below :

(1) Hindus		19
(a) Jains	4	
(b) Sikhs	1	
(c) Other Hindus	14	
(2) Christians		1
(3) Zoroastrians		1
		21

Rule 8. Travelling and other allowances for the Chairman and members of the Regional Advisory Committee- Provisions of rule 6 shall apply to the members and the Chairman of a Regional Advisory Committee as they apply to the Chairman and members of the Board except that the Chairman and members of such Committee shall draw daily allowance of Rs. 5/- per day.

Rule 9. Additional Functions of Regional Advisory Committee—Subject to sub-rule (2) of rule 6 the Chairman and such members of a Regional Advisory Committee as represent the interest to which a public trust pertains may visit any place connected with such trust for purpose of any spot inquiry or inspection.

Rule 10. Manner of conduct of business of the Board-Meetings and Procedure—(i) The Board shall ordinarily held its meetings at the head quarters of the Commissioner at such intervals as the Chairman directs or upon the written request of at least 2/3rd of the whole number of its members :

Provided that there shall be held atleast two meetings in a year at reasonable intervals.

(ii) The date, time and place of each meeting of the Board shall be fixed by the Chairman and shall be communicated by the Secretary of the Board to the members atleast three weeks before the date so fixed.

(iii) For every meeting the Secretary shall prepare an agenda under the instructions of the Chairman and circulate it to members before the commencement of the meeting.

(iv) The Chairman may, at his discretion allow any question or discuss any item consistent with the Act and Rules made thereunder which he deems proper at the meeting without prior notice.

(v) (a) In the cases which have been referred by the Assistant Commissioner to the Board under sub-section (2) of section 12, the Board shall directly communicate its decision to him.

(b) In other matters, the Board may communicate its views to the State Government which may take action as it deems proper.

(vi) Ordinarily the Chairman shall preside over the meetings of the Board but when he is unable to attend, the members of the Board present shall elect one from amongst themselves to preside over such meetings of the Board.

(vii) The Chairman shall sign all letters, memoranda and communications on behalf of the Board and dispose of day to day routine work and by a general or special order authorise in writing the Secretary to sign such communications as he deems proper.

(viii) For the purpose of a meeting of the Board one third of the whole number of its members shall constitute the quorum. If there is no quorum the meeting shall be postponed to some other date.

(ix) A member shall not take part in discussion and give his vote or express his views if the dispute relates to the Trust in which he is personally concerned in one way or other.

(x) Every decision of the Board shall be taken by a majority of the members persent and in case of equality of votes, the Chairman shall have a second vote.

Rule 11. Manner of conduct of business of the Regional Advisory Committee-Meetings and Procedure—(i) The Secretary of the Regional Advisory Committee shall under the instructions of the Chairman call its meeting whenever deemed necessary, at the headquarters of the Assistant Commissioner of the region :

Provided that there shall be held at least two meetings in a year as reasonable intervals .

(ii) The Chairman of the Committee shall preside over such meetings. In case the Chairman is absent, the members present may elect one from amongst themselves to preside over the meeting.

(iii) The Committee shall, after due consideration and discussions communicate its advice to the Assistant Commissioner in writing together with the dissenting note, if any.

(iv) The Secretary shall inform the members and the Chairman for the meeting well in advance, and also forward the agenda, date, time and place for such meeting with the approval of the Chairman.

(v) All relevant record and information connected shall be placed with the matter under reference for advice to the Commissioner at the table of the commencement of the meeting.

(vi) One-third of the whole number of the members of the Committee shall constitute quorum for a meeting. If there is no quorum the meeting shall be postponed to some other date. All decissions shall be taken by the majority of the members present and in case of equality of votes, the Chairman shall have a second vote.

(vii) The Chairman shall sign all letters, memoranda and communications on behalf of the Committee and dispose of day to day routine work if any and may authorises the Secretary in writing to sign and dispose of such papers as he deems proper.

Rule 12. Disqualifications for members of the Board and the Regional Advisory Committees—A person shall be disqualified for appointments as or for being a member of the Board or Committee, if he—

(a) is less than twenty-one years of age, or

(b) is convicted by a criminal court of any offence involving moral turpitude, or

(c) is of unsound mind and is so declared by a competent Court, or

(d) is an undischarged insolvent, or

(e) is found guilty of misconduct, or

(f) ceases to profess the religion or presuasion which he represents at the Board or Committee, or

(g) is illiterate, or

(h) is otherwise unfit.

Rule 13. Removal of Chairman and members of the Board or the Committee—If it appears to the State Government that the *Chairman or a member of the Board or Committee has incurred* any of the disqualifications specified in rule 12 or has contravened any provision of the Act or rules, thereunder or refuses to act or is incapable of acting or failed without sufficient execuse to attend three consecutive meetings of the Board or Committees as the case may be, the State Government may after giving such Chairman or member an opportunity of showing cause and after consideration of any cause so shown, remove him from his office and the decision of the State Government shall be final.

Rule 14. Resignation of the Chairman and members of the Board or Committee—The Chairman or any other member of the Board or Committee may resign his office by writing under his hand addressed to the State Government :

Provided that such Chairman or members shall continue to hold office until the anpointment of his successor is notified in the Official Gazettee,

Rule 15 Staff for the Board and the Regional Advisory Committee for Board—(1) (a) The Board shall be provided with a Secretary who shall be appointed by the State Government.

(b) The Commissioner shall place such other staff at the disposal of the Board from his Department as if considered necessary by the Board for the efficient performance of its functions under the Act.

(c) The expenditure incurred on such staff, T.A. and D.A. and non-recurring expenditure of the Board shall be met out of the Commissioner's office under the Head "Board Expenditure."

(2) The Regional Advisory Committee shall be provided by the State Government with a Secretary and such other subordinate and Class IV servants as the Government may by order fix for Regional Advisory Committees and they will be provided with a separate budget for the purpose.

PART IV

[Rules to give effect to the provisions of Sections-17 (3) and (4); 16 (2); 18 (1) and (2); 23 (1) and (2); 24 and 25 (2).]

Rule 16. Maintenance of Registers and Books by Assistant Commissioners—In connection with the registration of public trusts, Assistant Commissioners shall maintain the following registers and books in the forms shown against each—

1. Register of Public Trust	Form 1
2 Register of decisons received form the Commissioner	Form 2
3. Register of decisions of Courts communicated to the Assistant Commissioner	Form 3
4. Register of Change	Form 4
5. Books relating to immovable property situate in the region belonging to public trusts registered in an other region	Form 5

Rule 17. Application for registrarion—(1) The application for registration of public trust in addition, to the particulars specified in clause (1) (ix) of sub-section 17 shall contain the following particulars, namely—

(i) other sources of income

(ii) particulars of encumbrances, if any, on Trust property

(iii) particulars of title pertaining to the Trust property and instrument of trust if such instrument has been executed and is in existence and the names of the Trustees in possession thereof

(iv) particulars of scheme, if any, relating to Trust.

(2) The application shall be in Form 6.

Rule 18. Regisiration fee : The fee to accompany the application shall be in cash and of the following amount—

(1) When the value of property of a public trust does not exceed Rs. 1000/- Rs. 1/-

(2) When the value of the property of a public trust exceeds Rs. 1000/-but does not exceds Rs. 3000/- Rs.2/-

(3) When the value of the property of the public trust exceeds Rs. 3000/-but does not exceed Rs 5000/- Rs. 3/-

(4) When the value of the property of the public trust exceeds Rs. 5000/- Rs. 5/-

The fee shall be credited to the Consolidated Fund of the State.

Rule 19. Certificate of Registration—When a public trust is enrolled in the register of public trusts, a certificate in the following form shall be issued to the Trustee in token of registration. Such certificate shall be issued to the Trustee in token of registration and shall bear the office seal.

FORM OF CERTIFICATE

It is hereby certified that the Public Trust described below has, this day.... ...., been duly registered under the Rajasthan Public Trust Act 1959 (42 of 1959) at the office of the Assistant Devasthan Commissioner.. ... ...
Name of the public trust ... ...
Number in the register of Pubic Trusts.................. ....
Certificate issued to.. ... .
Given under my hand this..
day of 196
Date........... .... Signature....... . ...

SEAL

Rule 20. Manner of inquiry for registration of Public Trust—(1) On receipt of an application under section 17 or upon an application made by any person having interest in a Public Trust, or on his own motion, the Assistant Commissoner shall—

(a) fix a date for submitting objections by giving a public notice of the inquiry and invite all persons having interest in the Public Trust under inquiry to prefer within 60 days, objections, if any, in respect of such Trust;

(b) On the date fixed for such objections if objections are preferred from any person having interest in the Pubic Trust, receive them and on that date or on any subsequent dates he may frame issues and take the necessary evidence produced by the applicant and persons who have preferred objections;

(c) after giving them further opportunity to rebut their evidence, make any further inquiry as he may deem necessary;

(d) in case no objections are preferred within the prescribed period, hold the inquiry *ex parte*; and

(e) on completion of the inquiry, record his finding with reasons thereof to the matters under inquiry.

(2) Appearance – In an inquiry a party may appear in person or by his recongnised agent or by a legal practitioner duly appointed to act on his behalf.

Provided that any such appearance shall, if the Assistant Commissioner so directs, be made by the party in person.

(3) **Mode of serving summons**—(a) Summons for attendance of any person whether a party or witness at an inquiry or other proceedings shall be served through post or a process server.

(b) The summons shall be deemed to have been duly served on the persons summoned—

(i) if it is sent by registered post and an achnowledgement or refusal thereof has been received, or

(ii) if it is affixed at a conspicuous place in the house or locality in the presence of two witnesses on the refusal of acceptance by the concerned person, or

(iii) if it is published in a newspaper having circulation in the locality.

(c) No summons for the attendance of any witness shall be issued at the instance of a party to an inquiry or other proceedings under the Act, unless the party first deposits with the Commissioner or Assistant Commissioner, as the case may be, such sum as in his opinion is sufficient to defray the cost of travelling and other allowances payable to such witnesses.

(4) **Return of Documents**—(a) Any person desirous of receiving back any document produced by him at the inquiry shall unless the document has been impounded, be entitled to receive back the same if the proceeding is one in which the order made is not liable to be questioned by a suit in a court or if the time for filing the suit has elapsed without the suit having been filed or when a suit having been filed has been disposed of :

Provided that a document may be returned at any time earlier than that prercribed by this rule if the person applyng therefor delivers to the Assistant Commissioner or Commissioner, as the case may be, a certified copy to be substituted for the original and undertakes to produce the original, if required.

(b) An application for the return of document shall give the date and description of the document, the number of the proceeding in which and the date on which it was produced and the exhibit mark it bears, and on the return of a document, a receipt shall be given by the person receiving it.

(5) **Allowance to witnesses** (a) Allowances payabe to witnesses summoned for any inquiry or other proceedings under the Act shall vary according to the status and circnmstances. The Commissioner and Assistant Commissioner as the case may be, shall use their own discretion in fixing up the amount of payment to such witnesses.

(b) The local witnesses may be paid conveyance allowance only which shall not exceed Re. 1/- and shall not be lower than 50 np.

(e) Outside witnesses may be paid reasonable amount of actual travelling and diet expenses.

Rule 21. Manner of Public notice for proposed inquiry:— (1) The Assistant Commissioner shall give a public notice of the inquiry proposed to be made under sub-section (1) of section 18 in Form 7 to :

(a) the parties to the inquiry :

(b) the Trustee of the Trust.

(2) A copy of such notice shall be published by affixture on the notice board of the office of the Assistant Commissioner and in the locality on a conspicuous place, where the trust property in question is situate. Such publication be deemed to be sufficient intimation to persons having any interest in the trust property.

(3) Where the trust property is situated in a city or in more than one district, a copy of the notice shall also be published in a news paper having circulation in the locality or in the Rajasthan Gazette.

Rule 22. Form and manner in which working trustee is to report changes-(a) The working trustee shall within the prescribed period report the occured change or proposed change of entries to the Assistant Commirsioner in Form 8.

(b) The Assistant Commissioner shall, after necessary inquiry if any, shall cause the entries to be amended in accordance with the finding recorded in the register in Form No. 4.

Rule 23. Further inquiry by Assistant Commissioner—If as provided in section 24, it appears to the Assistant Commissioner that a particular relating to any public trust which was not the subject-matter of the inquiry under section 13 or sub-section (2) of Section 23 has remained to be enquired into, he may conduct, further inquiry in the same manner as provided for in the rules for making first inquiry under sub-section (1) of section 18 and record his findings and make or amend entries in the register in accordance with the decision arrived at.

Rule 24. Book of entries under sub-section (2) of section 25— The Book in which the particulars of the entries or amended

entries are required to be entered under sub-section (2) of section 26 shall be kept in Form 5.

PART V

[Rules to give effect to the provisions of section 31 (2)]

Rule 25—Application for previons sanction for certain transfer of trust properties—(1) Every application for sanction under sub-section (2) of section 31 shall contain information on the following points—

(i) reasons for transfer

(ii) how is the proposed transfer in the interest of the public trust.

(iii) in the case of lease, the term of past leases, if any

(iv) whether instrument of trust contains any direction as to the transfer of such immovable property.

(2) Such application shall be in Form 9.

PART VI

[Rules to give effect to the provisions of Section 32; 33 (2) (3) and (5); 35 and 36]

Rule 26. Maintenance of accounts—The working trustee or manager of a public trust which has been registered under the Act shall maintain regular accounts in Forms 10 and 11 in which the particulars of all the movable and immovable properties shall be entered.

Rule 27. Manner of annual audit of accounts - The trustee shall get the accounts audited annually by the auditor, who shall prepare a report relating to the accounts audited which shall in addition to information required by sub-section (2) of section 34 also contain the following particulars—

(a) whether accounts are maintained regularly and in accordance with provisions of the Act and the Rules made thereunder.

(b) whether receipt and disbursements are properly and correctly shown in the accounts.

(c) whether the cash balance and vouchers in the custody of the manager or working trustee on the date of the audit were in agreement with the accounts.

(d) whether all books, deeds, accounts, vouchers or other documents or record required by auditor were produced before him;

(e) whether in inventory certified by the manager or working trustee, of the movables of the public trust has been maintained;

(f) whether the manner or working trustee or any other person required by the auditor to appear before him, did so and furnished the necessary information required by him;

(g) whether any property or funds of the trust were applied for any object or purpose other than the object or purpose of the trust;

(h) the amount of outstanding for more than one year and the amounts written off, if any;

(i) whether tenders were invited for repairs or construction involving expenditure exceeding Rs. 1000/-;

(j) whether quotations were invited for the purchases of articles exceeding Rs. 100/-;

(k) whether any money of the public trust has been invested contrary to the provisions of Act;

(l) alienations, if any, of the immovable praperty contrary to the provisions of the Act which have come to the notice of the auditor;

(m) any special matter which the auditor may think fit or necessary to bring to the notice of the Assistant Commissioner.

Rule 28. Time for audit and submission of the audit report—(1) The trustee shall get the accounts audited within six months of the date of balancing the accounts.

(2) In the office of the Assistant Commissioner, there shall be maintained a register of the audit reports received under section 31 in Form 12.

Rule 29. Power for audit—For the purpose of audit, the Assistant Commissioner may, whether of his own motion, or at the request of the auditor—

(1) require any trustee or produce before the auditor of any book, deed, account, voucher, or other document or record necessary for the proper conduct of audit.

(2) require any trustee or any person having the custody or control of, or accountable for, any such book, deed, account, voucher or other document or record to appear in person before the auditor.

(3) require any trustee or any such person to give the auditor such information as may be necessary for the aforesaid purpose;

(4) require any trustee or any such person having the custody or control, or accountable for, any movable property belonging to the trust to produce such property for the auditor and such information as may be necessary regarding the same.

Rule 30. Fee for special audit—(1) The fee for special audit under sub-section (5) of section 33 shall be fixed by the Assistant Commissioner according to the circumstances of each :

Provided that in no case shall such fee exceed two and half per cent of the gross annual income of the public trust or be less than Rs. 25/-.

(2) Before a special audit is directed under sub-section (5) of section 33 the Assistant Commissioner may require the manager or working trustee concerned or the person moving the Assistant Commissioner for such special audit to deposit such amount as would in the opinion of Assistant Commissioner be sufficient to meet the cost thereof.

(3) If such fee is required to be paid by a manager or working trustee, it shall be paid from the funds of the trust.

Rule 31. Budget—The working trustee of every public trust, the gross annual income of which exceeds thirty six hundred rupees shall prepare and submit before the 31st December, in each year, a budget in forms 13 and 14 showing the estimated receipts and expenditure of the trust during the next financial year.

Rule 32. Inspection and copies—(1) (a) Any person having interest in a public trust may apply to the Assistant Commissioner specifying such information as may be necessary for identifying the document which is open to inspection under section 36 and shall be allowed to inspect any such document on payment of a fee at the rate of one rupee per hour for each document to be inspected.

(b) Such ihspection shall be allowed during the office hours only subject to such supervision as the Assistant Commissioner may in each case direct.

(2) (a) The fee for supply of the certified copies of the document which are open to inspection shall be four annas for every 100 words or fraction thereof.

(b) Stamp paper will be supplied by the applicant,

(c) Ordinarily the copies shall be given within a week,

(d) In urgent cases, the copies may be given within 24 hours on payment of double fees, provided the matter may not be lengthy as to cover more time.

PART VII

[Rules to give effect to the provisions of Section-47 [1]; 49 [2]]

Rule 33. Returns and Statements—The working trusttee of a public trust shall furnish to the Assistant Commissioner the following returns and statements on the dates mehtioned against each-

1.	Statement of yearly investment	Yearly	Ist April each year
2.	Statement of recovery of loans debits and advances etc.	Six Monthly	15th Oct. and 15th April each year
3.	Statement of income from rent of properties	Yearly	The Statements shall be submitted by those trust whose gross annual income exceeds Rs. 600/-
4.	Statement of Bheis to trust	Six Monthly	
5.	Statement of income and expenditure of the public trust	Yearly	
6.	Statement of payment of dues and debts	Yearly	

Rule 34. Manner of holding under section 49 (2)—If the Assistant Commissioner finds that there is a prima facie case for an inquiry under section 49, he shall—

(a) fix a date for the inquiry and cause a notice to be served on the trustee or any other person concerned to appear on the date fixed;

(b) on the date fixed for each hearing or any subsequent date to which the hearing may be adjourned. allow them an opportunity to represent their case and to adduce evidence and make further inquiry as he may deem necessary; and

(c) on completion of the inquiry, record his findings and the reasons thereof, under sub-section [2] of section 19.

———

PART VIII

[Rules to give effect to the provisions of Sections 53(3); 8(5); 65]

Rule 35—Conditions nnd restrictions in respect of acquisitions and disposal of property by Committee of Management—Subject to the directions in the instrument of the trust or any direction given by the court or any provisions of the Act or any other law, the Committee of management shall not—

(a) mortgage any immovable property exceeding Rs. 2000/- in value, without the permission of the Devasthan Commissioner;

(b) dispose of any immovable property exceeding Rs. 2000/- in value otherwise than by public auction; or

(c) acquire any immovable property exceeding Rs. 2000/- in value, without the sanction of the Devasthan Commissioner.

Provided that the Committee of management for such public trust which vests in the Government or which is maintained at the expenses of the Government or which is managed directly by the State Government or which is under the superintendence of the Court of Wards shall exercise only such powers with respect to the above matter which the State Government may, by order, delegate.

Rule 36. Manner of ascertaining the wishes of persons interested—(1) For the purpose of ascertaining the wishes under sub-section (5) of section 53, of the persons interested, the State Government shall direct the Assistant Commissioner to issue a public notice in such manner as he may think proper for inviting suggestions for the constitution of the Committee of management.

(2) The Assistant Commissioner, shall forward the suggestions so received along with his comments, to tne State Government through the Commissioner.

Rule 37. Meeting of and procedure for Committee of management : (i) A Committee of management shall meet at least once in a month to discuss the affairs of the trust.

(ii) For the purpose of a meeting, one third of the whole number of members shall consititute quorm. If there is no quorum the meeting shall be postponed to the next date.

(iii) The decision of the Committee of management shall be recorded in writing with signatures of the Chairman appended thereto and such decisions shall form the Committee. The Committee shall take all measures to implement their decisions.

(iv) The Committee of management may in writing, delegate all or any of their powers to the Chairman or any other member for conducting and facilitating the day to day work of the trust.

(v) The Chairman shall be authorised to sign all letters and memoranda on behalf of the Committee of management and carry out day to day business.

(vi) The Chairman of the Committee of management shall in advance inform the members about time, date and place for meeting alongwith the agenda, if any. It shall be incumbent upon the Chairman or the members of the Committee of management to attend atleast 50% of the meetings in a year.

Rule 38. Allowance to hereditary trustees : While determining and fixing the amount of allowance payable to any hereditary trustee of a public trust, the State Government shall also take in to consideration the liabilities and other expenses of the trust, the net income thereof and the allowances received by such trustee in the past :

Provided that no such allowance shall exceed 15 per cent of the gross income.

PART IX

[Rules to give effect to the provisions of section 66]

Rule 39. Election of member of a committee under section 66 (2) : For the purpose of constituting a committee, under sub-section (2) of section 66, the persons engaged in trade or business concerned in different towns charging or collecting Dharmada shall be called by the Assistant Commissioner of the region by giving a public notice of atleast fifteen days, and such persons shall in the presence of the Assistant Commissioner elect the members of the committee by show of hands for a period of five years. The members so elected shall forthwith in the presence of the Assistant Commissioner elect by show of hands one of the members as a Chairman of the committee.

Rule 40. Statement of Dharmada-Account : The person charging or collecting Dharmada shall within 3 months from the close of his yearly accounts, submit the account of Dharmada in Form 15.

Rule 41. Inquiry and audit : The Assistant Commissioner may for the purpose of verifying the correctness of the account of Dharmada under sub-section (4) of section 66, hold inquiry by calling the books of accounts of persons charging or collecting Dharmada and if he thinks necessary have them audited by any person whom he may appoint in this behalf and direct the expenses of such audit to be paid out of such account.

A register of Dharmada in his region shall be maintained by the Assitant Commissioner in Form 16.

PART X

[Rules under Section 76 (2) (m)]

Rule 42. Prescription of the form of appeals and the fees : (1) Every appeal under the provisions of the Act shall be preferred into form of memorandum signed by the appellant or his pleader, The memorandum shall set forth concisely and under distinct heads the grounds of objections to the finding or order appealed from without any argument or narration and such grounds shall be numbered consecutively.

(2) Such appeal shall be sent to the appellate authority either by registered post, or presented in person, or by a pleader within the period preseribed for such appeal and shall be accompainted with—

(a) a certified copy of the finding or order appealed from;

(b) as many copies of memoranda of appepl as are required for service upon parties whose rights or interest will be affected by any order that may be passed in such appeal.

(3) The appellant shall dedosit into the office of the appellate authority the cost of serving notice on all respondents at the rate of annas four per respondent.

(4) The appeal shall be stamped with the court fee of Rs. 2/-

अधिसूचनाएं

1. संख्या एफ. 3 (एफ.) (II) रा/क/59–राजस्थान लोक न्यास अधिनियम 1959 (राजस्थान अधिनियम सं. 49, सन् 1959) की धारा । की उपधारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार एतद्द्वारा निदेश देती है कि उक्त अधिनियम के अध्याय 5, 6, 7, 8 और 9 के उपबन्ध दिनांक 1 जुलाई, 1962 से प्रभाव में आएंगे और वे उसी तारीख से राजस्थान राज्य में सर्वत्र ऐसे समस्त लोक न्यासों पर लागू होंगे जिनकी सभी स्रोतों से होने वाली सकल वार्षिक आय 3000 रु. से कम नहीं है या जिनकी आस्तियों का कुल मूल्यांकन 30000 रु. से कम नहीं है। इस आशय की प्रारूप–अधिसूचना जैसा कि उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा 5 द्वारा अपेक्षित है जो राजस्थान राजपत्र असाधारण भाग 3 (ख) दिनांक 21 मई, 1962 में प्रकाशित हो चुकी है।

2. संख्या एफ 3 (एफ) (11) रा/क/59–राजस्थान लोक न्यास अधिनियम 1959 (राजस्थान अधिनियम सं 49 सन् 1959) की धारा 1 की उपधारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा निदेश देती है कि उक्त अधिनियम के अध्याय 10 के उपबन्ध दिनांक 1 जुलाई 1962 से प्रभाव में आएंगे। इस आशय की प्रारूप–अधिसूचना जैसा कि उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा 5 द्वारा अपेक्षित है राजस्थान राज–पत्र असाधारण भाग 3 (ख) दिनांक 21 मई, 1962 में प्रकाशित हो चुकी है।

3. संख्या एफ. 17 (23) रा/ग्र. I/79–राजस्थान लोक न्यास अधिनियम, 1959 (सं.49 सन् 1959) की धारा 1 की उपधारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिसूचना संख्या एफ 3 (एफ) (II) रा/क/59 दिनांक 28–6-1962 के आंशिक रूपान्तरण में राज्य सरकार एतद्द्वारा निदेश देती है कि उक्त अधिनियम के अध्याय 8 एवं 9 दिनांक 1 सितम्बर 1982 से प्रभाव में आएंगे और वे उसी तारीख से राजस्थान राज्य में सर्वत्र समस्त लोक न्यासों पर लागू होंगे चाहे ऐसे लोक न्यासों की आय या आस्तियों का मूल्य कुछ भी हो। इस आशय की प्रारूप अधिसूचना जैसा कि उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा 5 द्वारा अपेक्षित है जो राजस्थान राज–पत्र भाग 3 (ख) दिनांक 13 मई, 1982 में प्रकाशित हो चुकी है।

4. क्रमांक एफ 17 (15) राज/ग्रुप-1/76—राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 (राजस्थान अधिनियम 49 सन् 1959) की धारा 11 के साथ पठित राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास नियम 1962 के नियम 4 के द्वारा प्रदत्त

शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा एतद्द्वारा निम्नांकित को राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास मण्डल का सदस्य नियुक्त करती है:

हिन्दु (अन्य)

1. श्री पुरूषोत्तम मंत्री देवस्थान मंत्री
2. श्री वदन सिंह जाटव ग्राम दहगोवा तहसील बयाना
3. श्री परमानन्द शर्मा, जयपुर पृथ्वीराज मार्ग, जयपुर
4. श्री सज्जनलाल मित्तल, कोटा पुरानी धानमण्डी चौगान, कोटा
5. श्री उमाशंकर गौड़, बी-178 मंगल मार्ग, बापूनगर, जयपुर
6. श्री जीवराज सिंह हरासर हाऊस बीकानेर
7. श्री महन्त मुरली मनोहर शरणजी स्थल आश्रम, सूरजपोल, उदयपुर
8. श्री वैद्य नित्यानन्द जोशी, धनवन्तरी औषधालय मच्छर चौक, नागौर
9. महन्त स्वामी सोमेश्वरानन्द भारती धुनीनाथ जी पंच मंदिर, बीकानेर
10. महन्त प्रकाश चन्द्र माधो विहारी जी का मंदिर (उदयपुर) जयपुर
11. श्री उपशासन सचिव, राजस्व, छोटेलाल जैन
12. श्री भवानी सिंह आयुक्त, देवस्थान विभाग, उदयपुर
13. श्री एम.एल. गुप्ता, महाराजा उम्मेद मिल, पाली
14. श्री जोरावर सिंह सांदू ग्राम मिरगेसर जिला पाली

हिन्दु (जैन)

15. श्री जयकुमार जैन एडवोकेट 2191 दीवान शिवजीलाल का रास्ता, जयपुर
16. श्री हरकचन्द सेठी गोधे के घड़े की नसिया, अजमेर
17. श्री सुल्तान मल जैन, एडवोकेट कल्याणपुरा मार्ग, बाड़मेर
18. श्री सम्पतराय सिंघवी एडवोकेट, जोधपुर

हिन्दु सिक्ख

19. श्री जैमल सिंह कालरा 58 गुरू नानक सिक्ख कोलोनी, उदयपुर

ईसाई

20. श्री रेवेरेण्ड इ.सी. इन्टोनी पादरी चर्च, कोटा

पारसी

21. श्रीमती गुलनार नोशिर माफतिया आलू विला, अलवर गेट, मेयो कालेज रोड़, अजमेर

श्री पुरूषोतम मंत्री, देवस्थान मंत्री, इस बोर्ड के अध्यक्ष होंगे तथा पी. सी. हरिहार उपशासन सचिव, राजस्व सचिव होंगे।

क्रमांक 11 तथा 12 पर उल्लेखित सदस्यों की नियुक्ति उनके पद के कारण है और वे अपना वर्तमान पद धारण न करने पर या पांच वर्ष की कालावधि की समाप्ति पर जो भी पहिले हो, सदस्य नहीं रहेंगे।

5. क्रमांक एफ 11 (3) राज/3/81—राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 (अधिनियम 49 सन् 1959) की धारा 13 की उपधारा (1) व (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार सहायक आयुक्त, देवस्थान, उदयपुर के अधिकार क्षेत्र के लिये, राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास नियम 7 के

अनुसार, उनके नाम के सामने अंकित वर्ग का प्रतिनिधित्व करने के लिये, निम्नांकित सदस्यों की सलाहकार समिति गठित करती है:—

क्रम सं.	नाम सदस्य	वर्ग
1.	श्री महन्त मुरली मनोहर शरण	हिन्दु
2.	श्री अक्षय सिंह देवपुरा	,,
3.	श्री मथुरादास पंचोली	,,
4.	श्री राधाकृष्ण पारख	,,
5.	श्री चन्द्रशेखर शास्त्री	,,
6.	श्री रामानन्द तीर्थ	,,
7.	श्री परवत सिंह	,,
8.	श्री वंशीलाल शाह	,,
9.	श्री बिहारी लाल कोठारी	,,
10.	श्री पदम सिंह राठौर	,,
11.	श्री उदयलाल रोत	,,
12.	श्री केसूलाल रेगर	,, एस.टी.
13.	श्री कर्नल वख्तार सिंह	,,
14.	श्री वंशीलाल यादव	,,
15.	श्री हीरालाल नाहर	,, जैन
16.	श्री मोतीलाल भिण्डी	,,
17.	श्री चतर सिंह गोरवाड़ा	,,
18.	श्री रतनलाल गांधी	,,
19.	श्री मनोहर सिंह	,, (सिख)
20.	श्री वी. एक्स. परेरा	ईसाई
21.	श्री एफ. वी. इलाविया	पारसी

नोट:-श्री महन्त मुरली मनोहर शरणजी, सदस्य, क्षेत्रीय सलाहकार समिति, उदयपुर डिवीजन, उक्त समिति के सभापति (चेयरमेन) नियुक्त किए गए हैं।

(अधिसूचना क्रमांक एफ. 11/3/राज. 3/81 दिनांक 18.10.82)

---

6. No.F.11(5)/Rev/3/80. In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and (2) of section 13 of the Rajasthan Public Trust Act 1959 (Rajasthan Act No. 42 of 1959) read with rule 7 of the Rajasthan Public Trust Rules, 1960, the State Government hereby constitute the Regional advisory committee for the area within the jurisdiction of the Asstt. Commissioner, Jaipur consisting of the following members, respresenting the interest of region mentioned against each nemely :

S. No.	Name of Members	Interest of Region
1.	Shri Subhas Joshi	Hindu
2.	Shri Sunder Shyam Bhatia	Hindu
3.	Shri Devisingh Mandawa	Hindu

4.	Shri Radhey Shyam Kabra	Hindu
5.	Shri Ram Sahai Meena	Hindu
6.	Shri Kanhaia Lal	Hindu
7.	Shri Mahesh Kumar	Hindu
8.	Shri Pradhuman Kumar Goswami	Hindu
9.	Shri Bhagwati Prasad Goyanka	Hindu
10.	Shri Jagnnath Jaju	Hindu
11.	Swami Shanti Prakash ji	Hindu
12.	Shri Jagdish Chandra Sharma	Hindu
13.	Shri Satyanarain Modani	Hindu
14.	Shri Umrav Singh Chajeth	Hindu
15.	Shri Sanwarmal More	Hindu
16.	Shri Sushil Kumar Vaid	Hindu (Jain)
17.	Shri Kapoor Chand Patni	Hindu (Jain)
18.	Shri Meera Chand ji	Hindu (Jain)
19.	Shri Rajrupji Tak	Hindu (Jain)
20.	Shri Gurucharan Singh	Hindu (Sikh)
21.	Shri A. M. David	Esai

Shri Subhas Joshi member, Regional Advisory Committee has been appointed as Chairman of the Committee vide notification No. 11 (5) Rev./3/80 dated 5th Jan. 1985.

7. क्रमांक प. 17 (2) राज. 1/74—राजस्थान प्रन्यास अधिनियम 1959 (अधिनियम 49 सन् 1959) की धारा 13 की उप धारा (1) सहपठित धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, राज्य सरकार, सहायक आयुक्त देवस्थान जोधपुर के अधिकार क्षेत्र के लिये, राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास नियम 7 के अनुसार उनके नाम के सामने अंकित वर्ग का प्रतिनिधित्व करने के लिये निम्नांकित सदस्यों की सलाहकार समिति गठित करती है :—

क्र. सं.	नाम सदस्य	वर्ग
1.	श्री चतरनाथ	हिन्दु (अन्य) ट्रस्टी बाबा मवासीनाथ धमार्थ ट्रस्ट हरद्वारीगढ़ (गंगानगर)
2.	श्री कुन्दनलाल शर्मा	,,
3.	श्री दयाराम चौधरी	,,
4.	श्री गोपालदास	,,
5.	श्री बनवारीलाल चचाण	,,
6.	श्री रामनारायण वर्मा	,,
7.	श्री डा. शिवप्रसाद	,,
8.	श्री हरिभाउ सुथार	,,
9.	श्री रतनलाल चौधरी	,,
10.	श्री मूलचन्द पारीक	,,

11. श्रीमती रत्नाबाई दम्मानी ,,
12. श्री द्वारका प्रसाद जोशी ,,
13. श्री सहीराम विश्नोई ,,
14. श्रीमती कान्ता खतूरिया ,,
15. श्री अगरचन्द्र नाहटा ,, (जैन)
16. श्री जवरमल जैन ,,
17. श्री गोविन्द सिंह मेहता ,,
18. श्री फूलचन्द जैन ,,
19. श्री सरदार सिंह ,, (सिख)
20. श्री बनजामिन ईसाई
21. श्री फारूक पारसी

8. क्रमांक: प 11(6) राज/3/82–राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 (अधिनियम 49 सन् 1959) की उपधारा (1) व (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, राज्य सरकार सहायक आयुक्त भरतपुर के अधिकार क्षेत्र के लिये, राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास नियम 7 के अनुसार उनके नाम के सामने अंकित वर्ग का प्रतिनिधित्व करने के लिये निम्नांकित सदस्यों की सलाहकार समिति गठित करती है :

क्रम संख्या नाम सदस्य	वर्ग
1. डॉ. श्री रामचन्द्र तिवाड़ी, कृष्ण कालोनी भरतपुर।	हिन्दु
2. श्री हरिचरण लाल, नई मण्डी, भरतपुर	,,
3. श्री केदारनाथ गुप्ता, डीग	,,
4. श्री भीमसिंह, नमक कटरा, भरतपुर	,, (अ.जा.)
5. श्री धर्म गोपाल चतुर्वेदी, गोपालगढ़, भरतपुर	,,
6. श्री जयकिशन गुप्ता, अशोक वाटिका, अलवर	,,
7. श्री गोपालदास भार्गव, अलवर	,,
8. श्री शंभूदयाल, अलवर	,,
9. श्री गोपाल लाल गर्ग, केडलगंज, अलवर	,,
10. श्री महन्त भगवानदास राजगढ़, अलवर	,,
11. श्री महन्त रूपनारायण राजगढ़, अलवर	,,
12. श्री दुर्गादत्त शास्त्री, बजरिया, धोलपुर	,,
13. श्री विष्णु दत्त शास्त्री, बजरिया, धोलपुर	,,
14. श्री राजेन्द्र शर्मा, भरतपुर	,,
15. श्री गोपेश हैडमास्टर, कोतवाली, भरतपुर	,,

16. श्री ओमप्रकाश वड़ाया, अर्जुन निवास, भरतपुर हिन्दु (जैन)
17. श्री बोहरे भगवानदास, पुराना लक्ष्मण जी, भरतपुर ,, (जैन)
18. श्री पूरणमल मेहता, छाजूसिंह की गली, अलवर ,, (जैन)
19. श्री ज्ञान चन्द जैन भीकमसदयद, अलवर ,, (जैन)
20. श्री फहतसिंह मकण्ड़ बी–नारायण, भरतपुर ,,
21. श्री पीटर पेक्स भमतीपुरा, धोलपुर ,, (ईसाई)

9. [क्रमांक एफ. 21 (97) राज./1/97 दि. 24-4-82]

प्रेषित :—

आयुक्त
देवस्थान विभाग,
राजस्थान, उदयपुर ।

विषय :–मंदिरों की खातेदारी भूमि के सम्बन्ध में ।

महोदय,

मंदिरों की कृषि भूमि जिसे पुजारियों अथवा व्यवस्थापकों ने अवैध रूप से बेचान एवं हस्तान्तरण कर दिया व जो अन्य व्यक्तियों के कब्जे में है, ऐसी भूमि को प्रचलित वर्तमान बाजार दर पर जो जिलाधीश द्वारा प्रमाणित की जायेगी, निम्नलिखित व्यक्तियों को बेचान किये जाने तथा प्राप्त राशि को सम्बन्धित मन्दिर के कोष में जमा करने की स्वीकृति एतद्द्वारा प्रदान की जाती है —

(क) जिन्होंने ऐसी भूमि पुजारियों से दिनांक 1–1–78 से पूर्व नियमित एवं कानूनी विक्रय पत्र द्वारा खरीद की है और वह अब तक ऐसी भूमि पर काबिज हैं, अथवा

(ख) जो 31–12–1969 से पूर्व राजस्व रेकार्ड में उप कृषक दर्ज थे तथा तब से सम्बन्धित भूमि पर काबिज चले आ रहे हैं ।

जो अवैध काबिज व्यक्ति या तो उपरोक्त श्रेणियों में नहीं आते, अथवा जारी किये गये नोटिस की मियाद के अन्दर निर्धारित राशि नहीं जमा करते, उन्हें बेदखल करने की कार्यवाही तुरन्त नियमानुसार की जाये ।

यह स्वीकृति वित्त (व्यय–2) विभाग की सहमति आई.डी. नं. 3438 दिनांक 6–8–81 से प्राप्त कर प्रसारित की जाती है ।

इसके अन्तर्गत पूर्व में पुजारियों एवं व्यवस्थापकों द्वारा अवैध रूप से बेचान एवं हस्तान्तरित की गई मन्दिरों की कृषि भूमि का वर्तमान बाजार मूल्य पर राशि वसूल करने की कार्यवाही चालू है तथा इसे सम्बन्ध में उदयपुर (2) चित्तोड़ (2) डूंगरपुर, पाली (1) झूंझनू (2) एवं बांसवाड़ा (1) जिले के 16 मामलों में राशि की वसूली भी की जा चुकी है ।

भाग-तृतीय

देवस्थान विभाग, राजस्थान : एक सिंहावलोकन

पृष्ठभूमि एवं परिचय :

राजस्थान की भूतपूर्व देशी रियासतों के शासकों ने उनके शासनकाल में अपनी रियासतों में और राजस्थान के बाहर विभिन्न तीर्थ स्थलों पर उनके आराध्य देवी-देवताओं के मन्दिर बनवाये तथा इन धार्मिक संस्थाओं को स्व-अर्जित संस्थाओं के रूप में खड़ा करने की दृष्टि से इनके साथ आवासगृह, दुकानें तथा कृषि भूमि आदि आय के स्रोत बनाए एवं इन संस्थाओं को राज्यकोष से नकद अनुदान भी स्वीकृत किये गए।

राजस्थान व इसके बाहर बने ऐतिहासिक महत्व एवं शिल्पकला, चित्रकला के अद्वितीय नमूने ये धार्मिक स्थान मध्यकाल से ही धार्मिक, नैतिक, सामाजिक, आध्यात्मिक तथा शैक्षणिक प्रवृत्तियों के केन्द्र रहे हैं। इनके माध्यम से ज्योतिष. आयुर्वेद, कर्मकाण्ड, धर्मशास्त्र, संगीत, शिल्प, चित्रकला, लोकगीत भजन, नृत्यादि का संरक्षण, प्रसार एवं प्रशिक्षण होता रहा है एवं अनेक धर्मज्ञ विद्वानों, निराश्रितों विद्यार्थियों, साधु-सन्तों को सहयोग, प्रोत्साहन व संरक्षण मिलता रहा है। समय के अनुरूप सामाजिक परिवर्तनों व अर्थाभाव के उपरान्त भी ये मन्दिर व संस्थाएं धार्मिक तथा सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। प्राचीन स्थापत्यकला, चित्रकला एवं शिल्पकला के ये अनूठे भण्डर अर्वाचीन भारत की अमूल्य निधि हैं।

राजस्थान के देवस्थान विभाग के वर्तमान स्वरूप का गठन भूतपूर्व राजपूताना राज्य की विभिन्न छोटी-बड़ी 22 रियास्तों के विलीनीकरण से सन् 1949 में बने वृहत् राजस्थान राज्य के साथ हुआ। एकीकरण से पूर्व लगभग प्रत्येक इकाई में धार्मिक एवं पुण्यार्थ स्थानों, धर्मार्थ एवं परमार्थ कार्यों की देखरेख एवं व्यवस्था हेतु देवस्थान, धर्मसभा, पटदर्शन, परमार्थ, चेरीटी, पुण्यार्थ, सद्-सदावर्त, धर्मपुरा आदि कई नामों से विभाग संचालित थे। एकीकरण के पश्चात् सभी सम्बन्धित विभागों को मिलाकर वर्तमान देवस्थान विभाग की स्थापना की गई।

प्रशासनिक व्यवस्था :

राजस्थान के शासन सचिव, वन पर्यावरण एवं देवस्थान, राज्य स्तर पर देवस्थान विभाग के शासन सचिव हैं।

विभागीय स्तर पर देवस्थान आयुक्त विभागाध्यक्ष हैं जिनको प्रथम श्रेणी के विभागाध्यक्ष के अधिकार प्राप्त हैं। विभाग का मुख्यालय उदयपुर में है। विभागाध्यक्ष को सहयोग देने हेतु निम्न प्रशासनिक अधिकारी नियुक्त हैं—

1. उपायुक्त, देवस्थान विभाग, जयपुर
2. विशेषाधिकारी, देवस्थान मुख्यालय, उदयपुर
3. सहायक आयुक्त, देवस्थान मुख्यालय, उदयपुर

उपरोक्त प्रशासनिक अधिकारियों के अलावा लेखाधिकारी, सहायक लेखाधिकारी, सहायक अभियन्ता, विधिक सलाहकार (अंशकालीन) नियुक्त हैं।

प्रशासनिक दृष्टि से सम्पूर्ण राजस्थान क्षेत्र एवं राज्य के बाहर स्थित राजकीय मन्दिरों को क्षेत्रीय सहायक आयुक्त, देवस्थान के प्रशासकीय नियन्त्रण में निम्न प्रकार विभक्त किया गया है—

सहायक आयुक्त का मुख्यालय		कार्यक्षेत्र
1. सहायक आयुक्त, देवस्थान विभाग,	जयपुर	जि. जयपुर, अजमेर एवं सीकर
2. ,,	भरतपुर	जि. भरतपुर, अलवर, धोलपुर, एवं उत्तर प्रदेश राज्य
3. ,,	जोधपुर	जि. जोधपुर, पाली, बाड़मेर, जालोर, जैसलमेर एवं सिरोही
4. ,,	बीकानेर	जि. बीकानेर, चुरू, श्री गंगानगर, झुंझुनु व नागोर
5. ,,	उदयपुर	जि. उदयपुर, चित्तोड़गढ, भिलवाडा, डूंगरपुर व बांसवाड़ा
6. ,,	कोटा	जि. कोटा, झालावाड़, टोंक व सवाईमाधोपुर
7. ,,	मुख्यावास	उत्तर प्रदेश राज्य के अतिरिक्त राजस्थान राज्य के बाहर स्थित राज्य के मन्दिर व संस्थान

राजस्थान लोक न्यास अधिनियम 1959 के अधीन क्षेत्रीय सहायक आयुक्त पदेन पंजीयन एवं निरीक्षण अधिकारी हैं तथा आयुक्त पदेन अपील अधिकारी, कोषाध्यक्ष एवं नियन्त्रक अधिकारी हैं।

निर्माण एवं मूल्यांकन में सहयोग देने हेतु मुख्यालय पर नियुक्त सहायक अभियन्ता सम्पदा के सर्वेक्षण, सुरक्षा, निर्माण, मूल्यांकन, नक्शे बनाने संधारण आदि के कार्यों की व्यवस्था करते हैं।

आयुक्त एवं सहायक आयुक्तों को सहयोग देने हेतु विभाग में निरीक्षकों के पद सृजित हैं जो जिला स्तर एवं मुख्यावास पर विभागीय कार्यों का सम्पादन करने के साथ-साथ विभिन्न न्यायालयों में चल रहे विवादों की भी पैरवी करते हैं।

विभागीय कार्य कलाप[1]

देवस्थान विभाग द्वारा निम्नांकित कार्य सम्पादित किए जाते हैं:—

1. राजकीय प्रत्यक्ष प्रभार, राजकीय आत्म निर्भर, राजकीय सुपुर्दगी श्रेणी कोर्ट आफ वार्डस के मन्दिरों एवं अन्य धार्मिक संस्थानों उनकी सम्पदाओं का प्रबन्ध एवं नियन्त्रण तथा सेवा पूजा व्यवस्था एवं अन्य लोक न्यासों का नियन्त्रण।

2. मन्दिरों धार्मिक एवं पुण्यार्थ संस्थाओं आदि का आवर्तक अनावर्तक तथा सहायतार्थ नकद अनुदान राशि का भुगतान एवं तत्सम्बन्धी नियन्त्रण।

3. विधवाओं, असहाय, निराश्रित, दीन-दुःखी, वृद्ध, निर्बल, व्यक्तियों को पुण्यार्थ निर्वाह वृत्ति आवर्तक निश्चित शर्तों पर निश्चित अवधि के लिए अथवा परमावश्यक आकस्मिक सहायतार्थ अनावर्तक वृत्ति की स्वीकृति एवं भुगतान तथा तत्सम्बन्धी नियन्त्रण एवं पेन्शन पेमेन्ट आर्डर जारी करना।

4. मन्दिरों एवं धार्मिक स्थानों पुण्यार्थ संस्थाओं आदि को माफी व जागीर पुनर्गठन किए जाने के फलस्वरूप जागीर विभाग द्वारा निश्चित की गई शाश्वत वार्षिकी की प्रति वर्ष स्वीकृति देकर राजस्व अधिकारियों द्वारा निश्चित किश्तों में भुगतान तथा तत्सम्बन्धी निर्णय।

5. राजकीय प्रमुख धार्मिक ऐतिहासिक स्थानों पर यात्रियों की सुविधा के लिए धर्मशालाओं तथा विश्रान्तिगृहों का निर्माण उनके संधारण व संचालन की व्यवस्था।

6. मन्दिरों व धार्मिक स्थानों के वंश परम्परानुगत नियुक्त महन्तों, पुजारियों, मठाधीशों आदि के उत्तराधिकारी नियुक्त करना व तत्सम्बन्धी कार्यवाही।

7. भूतपूर्व राजाओं तथा जागीरदारों द्वारा मन्दिरों व धार्मिक स्थानों के पुजारियों को दिये जाने के लिए निर्धारित की गई नकद अनुदान राशि की मांग के औचित्य की जांच व स्वीकृति के सम्बन्ध में कार्यवाही।

8. राजकीय मन्दिरों, धार्मिक एवं पुण्यार्थ संस्थानों के भवन जो राज्य सरकार में निहित हैं, उनके निर्माण, सर्वेक्षण, मूल्यांकन, किराया निर्धारण, मरम्मत आदि कराना तथा सुरक्षा की व्यवस्था करना और उनकी आय के स्रोत बढ़ाना।

9. राजकीय मन्दिरों के बहुमूल्य जेवरात तथा अन्य वस्तुओं का मूल्यांकन एवं सत्यापन करना।

10. राजकीय आत्म निर्भर मन्दिरों की निधियों से दिए गए पुराने ऋणों की वसूली करना।

11. राजकीय मन्दिर एवं संस्थानों की चल-अचल सम्पत्ति एवं हितों की रक्षा की व्यवस्था करना, दावे दायर करना या जवाब देही करना आदि।

---

1. साभार देवस्थान विभाग का प्रगति एवं प्रशासनिक प्रतिवेदन वर्ष 1984-85

12. राजकीय मन्दिर एवं धार्मिक पुण्यार्थ संस्थाओं की अनुपयोगी वस्तुओं तथा सम्पदाओं का विक्रय करना।

13. राजकीय मन्दिरों की सम्पदाओं के किराये व अन्य विभागीय बकाया राशियों की वसूली करना।

14. राजकीय आत्म-निर्भर मन्दिरों आदि की पूंजी का विनियोजन एवं उचित उपयोग करना।

15. राजस्थान लोक न्यास अधिनियम 1959 व उसके अधीन बनाए गए नियमों के प्रावधानों को लागू करना।

16. विभाग द्वारा नियन्त्रित मन्दिरों, धर्म स्थानों एवं पुण्यार्थ संस्थाओं का समय-समय पर निरीक्षण करना।

17. राजकीय मन्दिरों, धर्मस्थानों, धमार्थ व पुण्यार्थ संस्थाओं के विकास की योजना बनाना एवं क्रियान्वित करना तथा राजकीय मन्दिरों में धार्मिक व सांस्कृतिक प्रवृत्तियों का संचालन करना एवं उनके ऐतिहासिक, धार्मिक अभिलेखों का संकलन करना एवं प्रकाशन करना।

18. मन्दिरों, धर्मस्थानों, धमार्थ एवं पुण्यार्थ संस्थाओं से सम्बन्धित शिकायतों का निराकरण करना।

19. राजकीय मन्दिरों, धर्मस्थानों, धमार्थ व पुण्यार्थ संस्थाओं की सम्पदाओं के अतिक्रमणों को बेदखल करना।

20. राजकीय मन्दिरों, धर्मस्थानों, धर्मार्थ व पुण्यार्थ संस्थाओं की सम्पदाओं को नियमानुसार किराये पर देना।

21. राजकीय मन्दिरों, धर्मस्थानों, धर्मार्थ एवं पुण्यार्थ संस्थाओं की श्रेणी निर्धारित करना।

22. अन्य जनहित के कार्य जैसे अकाल क्षेत्र में पीडितों को वस्त्रों की सहायता, सन्त, महन्त एवं महाधीशों का सम्मेलन बुलाना, मन्दिरों तक पहुंचने के रास्ते का निर्माण, व्यक्तियों को तात्कालिक सहायता आदि।

देवस्थान विभाग द्वारा प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष प्रबन्धित एवं नियन्त्रित मन्दिरों एवं पुण्यार्थ संस्थाओं को निम्न श्रेणियों में विभाजित किया गया है :[1]

1. राजकीय प्रत्यक्ष प्रभार श्रेणी के मन्दिर एवं संस्थान—ऐसे राजकीय मन्दिर एवं संस्थान जिनका व्यय राजस्थान सरकार के राज्य कोष से किया जाता है तथा जिनकी आय भी राज्य कोष में जमा होती है एवं जो विभाग के सीधे प्रबन्ध एवं नियन्त्रण में है। इस प्रकार के मन्दिरों एवं संस्थानों की संख्या 390 है जिनमें 24 राज्य के बाहर स्थित मन्दिर एवं संस्थान भी सम्मिलित हैं।[2]

---

1. साभार देवस्थान विभाग प्रगति विवरण 1982-83
2. साभार देवस्थान विभाग प्रगति विवरण 1984-85

2. राजकीय आत्म निर्भर श्रेणी के मन्दिर एवं संस्थान—ऐसे में राजकीय मन्दिर एवं संस्थान जिनका व्यय उन्हीं मन्दिरों अथवा संस्थानों की आय से ही किया जाता है तथा उनकी आय भी उन्हीं मन्दिरों एवं संस्थानों की निधि में जमा होती है तथा जो विभाग के सीधे प्रबन्ध एवं नियन्त्रण में है। इनकी संख्या 206 है जिनमें 17 राज्य के बाहर स्थित मन्दिर एवं संस्थान भी सम्मिलित हैं।[1]

3. राजकीय सुपुर्दगी श्रेणी के मन्दिर–ऐसे राजकीय मन्दिर जिनके न्यासी के अधिकार राज्य सरकार में निहित है तथा जो व्यवस्था एवं सेवा पूजा हेतु किसी व्यक्ति विशेष या संस्था को कुछ निश्चित शर्तों पर सुपुर्द किये हुए हैं। ऐसे मन्दिरों की संख्या 403 है जिनमें राज्य के बाहर स्थित 38 मन्दिर भी सम्मिलित हैं।[2]

4. कोर्ट आफ वार्डस के मन्दिर—ऐसे सुपुर्दगी श्रेणी के मन्दिर व संस्थान जिनके महन्त अथवा प्रबन्धक के देहावसान पर अथवा किसी अन्य कारण से राजकीय प्रबन्ध में अस्थाई रूप से लिए गए हों।

विभाग द्वारा परोक्ष रूप से नियन्त्रित लोक न्यास, सहायता एवं शाश्वत वार्षिकी प्राप्त मन्दिर एवं संस्थान—[3]

(क) अनुदान से लाभान्वित मन्दिर व संस्थान—10316

(ख) शाश्वत वार्षिकी से लाभान्वित मन्दिर—54586

(ग) राजस्थान लोक न्यास अधिनियम 1959—2123
के अधीन पंजीकृत न्यास[4]

नोट– 1. देवस्थान विभाग द्वारा प्रबन्धित एवं नियन्त्रित राजकीय मन्दिर राज्य के बाहर मथुरा, वृन्दावन, गोवर्धन, कुसुम सरोवर, राधाकुण्ड, बरसाना, सोंरो, हरिद्वार, भुवाली (नैनीताल), उत्तर काशी, गंगोत्री, धरोला, बनारस, दिल्ली, द्वारका औरंगाबाद, अमरावती आदि विभिन्न स्थानों पर स्थित हैं।

2. अनुदान से लाभान्वित मन्दिर व संस्थान में अपंजीयत मन्दिर व संस्थान भी सम्मिलित हैं जिनको भूतपूर्व रियासतों से सेवा-पूजा हेतु अनुदान दिया जाता था। राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत इस दायित्व के अधीन नाथ द्वारा मन्दिर सहित सभी ऐसे मन्दिरों को अनुदान दिया जाता है। 1 अप्रेल 1985 से इसमें वृद्धि की जाकर न्यूनतम 30 रु. कर दी गई है।

देवस्थान विभाग द्वारा प्रबन्धित व नियन्त्रित राजकीय मन्दिरों एवं संस्थाओं की सम्पदा—

देवस्थान विभाग द्वारा प्रबन्धित व नियन्त्रित राजकीय मन्दिरों की किराये पर देने योग्य कुल 2151 सम्पदायें हैं। इनका किराया निर्धारण, मूल्यांकन तथा

1. वही
2. वही
3. वही
4. प्रस्तुती 86 देवस्थान विभाग

परिवर्तन हेतु तख्मीने बनाने, नक्शा तैयार करने तथा देख भाल करने का कार्य तकनीकी स्टाफ, कनिष्ठ अभियन्ता एवं सहायक अभियन्ता द्वारा किया जाता है जो विभाग में कार्य करते हैं।

इन मन्दिरों के आभूषणों एवं बहुमूल्य वस्तुओं के भौतिक सत्यापन तथा पुनर्मूल्यांकन हेतु निम्नानुसार एक समिति का गठन किया गया है–[1]

1. विशेषाधिकारी, देवस्थान	अध्यक्ष
2. लेखाधिकारी	सदस्य
3. सम्बन्धित सहायक आयुक्त, देवस्थान	,,
4. स्वर्णकार अथवा जौहरी (मनोनीत)	,,
5. प्रभारी अधिकारी/प्रबन्धक (सम्बन्धित मन्दिर)	,,
6. निरीक्षक, देवस्थान (सम्बन्धित क्षेत्र का)	,,
7. पुजारी (सम्बन्धित मन्दिर)	

देवस्थान विभाग द्वारा प्रबन्धित एवं नियन्त्रित धर्मशालाएं एवं विश्राम गृह–

1. मन्दिर श्री चन्द्रविहारी जी, माणक चौक, जयपुर
2. ,, ,, राधामाधवजी, वृन्दावन (उ.प्र.)
3. ,, ,, कुशल बिहारी जी, वरसाना जि. मथुरा (उ.प्र.)
4. ,, ,, मदनमोहन जी, मथुरा (उ.प्र.)
5. ,, ,, गंगाजी, हरिद्वार (उ.प्र.)
6. ,, ,, डूंगरेश्वर जी, वाराणसी (उ.प्र.)
7. मन्दिर श्री लक्ष्मण जी बाजार वाले, भरतपुर
8. ,, ,, राजरतन बिहारी जी, बीकानेर
9. जसवन्त सराय, जोधपुर
10. फतेह मेमोरियल सराय, उदयपुर
11. देवस्थान विश्रान्ति गृह, उदयपुर

धार्मिक मेले––निम्नलिखित राजकीय आत्म निर्भर मन्दिरों में प्रति वर्ष मेलों की व्यवस्था देवस्थान विभाग द्वारा की जाती है तथा इनसे होने वाली आय सम्बन्धित मन्दिरों के कोष में जमा की जाती है–

1. मन्दिर श्री गोगाजी, गोगामेडी, जि. श्री गंगानगर
2. ,, ,, कैलादेवी जी, झीलकावाड़ा, भरतपुर
3. ,, ,, माताजी मावलियान, आमेर, जयपुर
4. ,, ,, ऋषभदेवजी, धुलेव, उदयपुर
5. ,, ,, चारभुजाजी गढबोर, उदयपुर

---

1. वही

अधिसूचनाएं
(1)

10. राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 (अधिनियम 42 सन् 1959) की धारा 13 की उपधारा (1) व (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, राज्य सरकार सहायक आयुक्त भरतपुर के अधिकार क्षेत्र के लिये, राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास नियम 7 के अनुसार उनके नाम के सामने अंकित वर्ग का प्रतिनिधित्व करने के लिये निम्नांकित सदस्यों की सलाहकार समिति गठित करती है :

क्रम संख्या	नाम सदस्य	वर्ग
1.	डॉ. श्री रामचन्द्र तिवाड़ी, कृष्ण कालोनी भरतपुर।	हिन्दु
2.	श्री हरिचरण लाल, नई मण्डी, भरतपुर	,,
3.	श्री केदारनाथ गुप्ता, डीग	,,
4.	श्री भीमसिंह, नमक कटरा, भरतपुर	,, (अ.जा.)
5.	श्री धर्म गोपाल चतुर्वेदी, गोपालगढ़, भरतपुर	,,
6.	श्री जयकिशन गुप्ता, अशोक वाटिका, अलवर	,,
7.	श्री गोपालदास भार्गव, अलवर	,,
8.	श्री शंभूदयाल, अलवर	,,
9.	श्री गोपाल लाल गर्ग, केडलगंज, अलवर	,,
10.	श्री महन्त भगवानदास, राजगढ़, अलवर	,,
11.	श्री महन्त रूपनारायण. राजगढ़, अलवर	,,
12.	श्री दुर्गादत्त शास्त्री, बजरिया, धोलपुर	,,
13.	श्री विष्णु दत्त शास्त्री, बजरिया, धोलपुर	,,
14.	श्री राजेन्द्र शर्मा, भरतपुर	,,
15.	श्री गोपेश हैडमास्टर, कोतवाली, भरतपुर	,,
16.	श्री ओमप्रकाश वढ़या, अर्जुन निवास, भरतपुर	,, (जैन)
17.	श्री बाहरे भगवानदास, पुराना लक्ष्मणजी, भरतपुर	,, (जैन)
18.	श्री पूरणमल मेहता, छाजूसिंह की गली, अलवर	,, (जैन)
19.	श्री ज्ञानचन्द जैन, भीकमसदयद, अलवर	,, (जैन)
20.	श्री फतहसिंह मक्कड, बी-नाराण, भरतपुर	,, (सिक्ख)
21.	श्री पीटर पेवस, भगतीपुरा, धोलपुर	,, (ईसाई)

[राजस्व (ग्रुप-7) क्रमांक: प.11(6) राज/3/82 दिनांक 29-3-86]

(2)

11. मंदिरों की खातेदारी भूमि के सम्बन्ध में

मन्दिरों की कृषि भूमि जिसे पुजारियों अथवा व्यवस्थापकों ने अवैध रूप से बेचान एवं हस्तान्तरण कर दिया व जो अन्य व्यक्तियों के कब्जे में है, ऐसी भूमि

को प्रचलित वर्तमान बाजार दर पर जो जिलाधीश द्वारा प्रमाणित की जायेगी, निम्नलिखित व्यक्तियों को बेचान किये जाने, तथा प्राप्त राशि को सम्बन्धित मंदिर के कोष में जमा करने की स्वीकृति एतद्द्वारा प्रदान की जाती हैं :

(क) जिन्होंने ऐसी भूमि पुजारियों से दिनांक 1–1–78 से पूर्व नियमित कानूनी विक्रय पत्र द्वारा खरीद की है और वह अब तक ऐसी भूमि पर काबिज है, अन्यथा

(ख) जो 31–12–1969 से पूर्व राजस्व रेकार्ड में उप कृषक दर्ज थे तथा तब से सम्बन्वित भूमि पर काबिज चले आ रहे हैं।

जो अवैध काबिज व्यक्ति या तो उपरोक्त श्रेणियों में नहीं आते, अथवा जारी किये गये नोटिस की मियाद के अन्दर निर्धारित राशि नहीं जमा करते, उन्हें बेदखल करने की कार्यवाही तुरन्त नियमानुसार की जाये।

यह स्वीकृति वित्त (व्यय-2) विभाग जी सहमति आई. डी. नं. 3438 दिनांक 6–8–81 से प्राप्त कर प्रसारित की जाती है।

[राजस्व (ग्रुप-3) क्रमांक : एफ 21 (97) राज/1/79 दिनांक 24–4–82]

12. इस विभाग के परिपत्र क्रमांक 21 (97) राजस्व/1/79 दिनांक 24-4-82 के अनुसरण में लेख है कि उक्त परिपत्र के अंतर्गत आने वाले मामलों में निम्नानुसार कार्यवाही की जावे—

1. पुजारी द्वारा मूर्ति के नाम भूमि का किया गया हस्तान्तरण वैधानिक मान्यता नहीं रखता क्योंकि खातेदारी अधिकार मूर्ति के नाम है, तथा पुजारी उसमें कुछ नहीं है, चाहे यह हस्तान्तरण रजिस्टर्ड विक्रय से क्यों नहीं किये गये हों। रजिस्टर्ड विक्रय से वैधानिक मान्यता नहीं मिल जाती। यदि ऐसी हस्तान्तरित भूमि के परिपत्र क्रमांक 21(97) राजस्व/1/97 दिनांक 24–4–82 की निर्धारित शर्तों के अन्तर्गत आते हैं तथा उन्हें गैर खातेदारी अधिकार मिल गये हैं, तो उनसे भूमि की प्रचलित बाजार कीमत लेकर, खातेदारी अधिकार प्रदान कर दिये जावें। ऐसे मामलों में राजस्व मण्डल में की गई निगरानियां वापिस ले ली जावें। अन्य मामलों में नियमानुसार बेदखली की कार्यवाही प्रारम्भ की जावे एवं यथावत रखी जावे।

2. जहां तक परिपत्र दिनांक 24–4–82 के अनुसार खातेदारी अधिकार में ली गई भूमि के रूपान्तरण करने तथा उन पर भवन निर्माण का प्रश्न है, यह आप काल्पनिक है। पुजारियों द्वारा अवैधानिक भूमि के विक्रय, राज्य सरकार द्वारा मूर्ति के ट्रस्टी की हैसियत में, भूमि बेचान कर खातेदारी अधिकार प्रदान करने के विरुद्ध न्यायालयों में प्रस्तुत अपीलों के निपटारे तक भूमि रूपान्तरण का निर्णय स्थगित किया जा सकता है।

[राजस्व (ग्रुप–3), क्रमांक : एफ 21(97) राजस्व/3/79 दिनांक 28–9–1983]

2. विभिन्न मन्दिरों में प्राप्त नकद भेंटों तथा अन्य चढ़ावों के लेखांकन एवं व्यवस्थापन सम्बन्धी प्रक्रिया

[राज्य सरकार द्वारा पत्र सं. 1565 एफ 1 (एफ) (8) देव/री आर./57/दिनांक 3-11-58 द्वारा अनुमोदित]

1. परिभाषायें:—

भेंट या चढ़ावे नीचे लिखे दो प्रकार के होते हैं-

1. नकद
2. वस्तु रूप में

(क) नकद भेंट वह है जो भक्तों और दर्शनार्थियों या यात्रियों द्वारा सिक्कों में या नोटों में देवता को अर्पित की जाती है।

(ख) वस्तु रूप में भेंटें वे हैं जो भक्तों या दर्शनार्थियों या यात्रियों द्वारा या तो आभूषणों, रत्नाभूषणों, अन्य मूल्यवान वस्तुओं अथवा पोशाकों, बर्तनों, साज सज्जा अथवा भोगराग और सेवा पूजा के लिये खाद्य पदार्थ के रूप में देवता को अर्पित की जाती हैं।

2. मंदिरों का वर्गीकरण :—

मंदिरों के निम्नांकित वर्ग ऐसे हैं जिनमें प्राप्त हुई भेंटों का तथा उनके व्यवस्थापन का उचित लेखा रखने के लिये देवस्थान विभाग उत्तरदायी है-

1. सीधे प्रभार के अधीन मन्दिर
2. स्वावलम्बी अथवा निधियुक्त मन्दिर
3. कोर्ट ग्राफ वार्डस या ठिकानों के मन्दिर।

3. भेंट पेटियां और प्रक्रिया :—

(क) ऊपर पैरा 2 में उल्लिखित वर्गों के बड़े-बड़े मंदिरों में लकड़ी या लोहे की पेटिया रख दी गई हैं।

(ख) भक्तों, दर्शनार्थियों या यात्रियों के पथ प्रदर्शनार्थ या तो भेंट पेटियों पर अथवा मंदिर में किसी प्रमुख स्थान पर हिदायतें लगा दी गई हैं कि वे लोग नकद भेंटे, इस प्रयोजनार्थ रखी गई पेटियों में डालेंगे और उनके द्वारा वस्तु रूप में अर्पित की गई ऐसी भेंटों, जैसे रत्नाभूषणों, आभूषणों, वस्त्रों और बर्तनों इत्यादि के लिये मंदिर के पुजारी या कामदार या निगरान या कारिंदा या प्रबन्धक, जैसी भी स्थिति हो, से नियमित रसीद प्राप्त करेंगे।

(ग) वर्ग संख्या 1 के मंदिरों में रखी गई पेटियों पर सील निरीक्षक, देवस्थान द्वारा उनके अपने अपने मुख्यालयों में लगाई जायेगी, और उनकी चाबी उनके द्वारा रखी जावेगी। मुख्यालयों के अतिरिक्त

अन्य स्थानों में रखी गई पेटियों की चाबियां मंदिर के ज्येष्ठ व्यक्ति द्वारा अथवा देवस्थान विभाग के प्रतिनिधि यदि वहां कोई हो, द्वारा रखी जायेगी।

ऊपर पैरा 2 में उल्लिखित वर्ग संख्या 2 और 3 के मन्दिरों में रखी गई पेटियों पर सीलें या तो निरीक्षक, देवस्थान या प्रबन्धक या भण्डार अधिकारी या समिति के अध्यक्ष, जैसी भी स्थिति हो, द्वारा लगाई जायेगी और उनकी चाबियां निरीक्षक के पास उसके मुख्यालय पर या सम्बन्धित मन्दिर के प्रबन्धक या भण्डार अधिकारी या समिति के अध्यक्ष के पास रखी जायेंगी।

(घ) वर्ग (1) के मंदिरों के सम्बन्ध में पेटियां सम्बन्धित मंदिर के मुखिया या पुजारी की उपस्थिति में निरीक्षक, देवस्थान द्वारा नियमित रूप से खोली जायेगी।

(ङ.) ऊपर उल्लिखित वर्ग (2) और (3) के मन्दिरों के सम्बन्ध में पेटियां निरीक्षक द्वारा, यदि वह वहां रहता हो. अन्यथा प्रबन्धक या भण्डार अधिकारी या समिति के अध्यक्ष, जैसी भी स्थिति हो द्वारा समिति के सदस्य की उपस्थिति में, जहां कोई समिति हो, तथा पुजारी की उपस्थिति में या देवस्थान विभाग के प्रतिनिधि की उपस्थिति में, यदि वह वहां उपलब्ध हो, अन्यथा उस स्थान के दो प्रमुख व्यक्तियों या राजस्व विभाग के किसी प्रतिनिधि, जो पटवारी के पद से नीचे का न हो, यदि वह वहां रहता हो, की उपस्थिति में, खोली जायेगी।

4. लेखांकन तथा व्यवस्थापन :—

(क) पेटियों में पाई गई उस नकद भेटों की, निरीक्षक, देवस्थान या प्रबन्धक या भण्डार अधिकारी या समिति के अध्यक्ष, जैसी भी स्थिति हो, द्वारा सावधानी से गणना की जावेगी और उनको संलग्न प्रोफार्मा सं. 1 में (मन्दिर वार) तुरन्त दर्ज किया जायगा और तारीख सहित हस्ताक्षर किये जायेंगे।

(ख) रेजगी में प्राप्त हुई भेंट, वर्ग संख्या 1 के मन्दिरों की दशा में, निरीक्षक द्वारा सेवागीरों को बांट दी जायेगी, सिवाय जब कि सेवागीरों को स्वीकृत वेतन श्रेणी में नियुक्ति किया गया हो और उनको राजस्थान सेवा नियमों के अन्तर्गत सभी सेवा लाभ पाने वाले नियमित सरकारी कर्मचारियों के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया हो। पूर्ण रुपयों या नोटों में प्राप्त हुई भेंटों को तथा रेजगी के अतिरिक्त शेष को यदि कोई हो, आगे ले जाया जायेगा

ग्रौर विभाग की नियमित रोकड़ पुस्तिका (जी. ए. 48) में लेखबद्ध किया जायेगा, तथा उसको उसी दिन ग्रथवा ग्रगले दूसरे दिन, एक चालान के जरिये शीर्षक 35 विविध देवस्थान धर्मपुरा के खाते में जमा कराने के लिए कोषागार को भेज दिया जायेगा। ऐसी नकदी प्राप्त हुई ग्रौर कोषागार को भेजी गई भेंटों का एक मासिक विवरण संलग्न प्रोफार्मा 2 में, निरीक्षक द्वारा ग्रगले मास की 10 तारीख तक, सम्बन्धित सहायक ग्रायुक्त को भेज दिया जायगा, जो एक वार्षिक समकित विवरण (मंदिर वार) प्रति वर्ष 20 ग्रप्रेल तक ग्रायुक्त, देवस्थान को प्रस्तुत करेगा।

(ग) वर्ग 2 ग्रौर 3 के मन्दिरों के सम्बन्ध में प्राप्त हुई नकद भेंट ग्रागे ले जाई जायेगी ग्रौर सम्बन्धित मन्दिर अथवा निधि की रोकड़ पुस्तक में दर्शायी जायेगी ग्रौर शीर्ष "भेंट" के ग्रधीन रोकड़ के लेखे में जमा की जायेगी, सिवाय जबकि सरकार द्वारा रूप से ग्रन्यथा ग्राज्ञा दे दी गई हो, का जमा कराई गई नकद के सम्बन्ध में भेंटें एक मासिक विवरण संलग्न प्रोफार्मा 2 मे (मंदिर वार या निधि वार) तैयार किया जायगा ग्रौर कामदार या प्रबन्धक या निगरान या भण्डार ग्रधिकारी द्वारा सम्बन्धित सहायक ग्रायुक्त को ग्रगले मास की 10 तारीख को प्रस्तुत किया जायेगा।

(घ) वस्तु रूप में प्राप्त हुई भेंटों जैसे रत्नाभूषणों, ग्राभूषणों, वस्त्रों. पोशाकों ग्रौर वर्तनों इत्यादि के लिये मंदिर के पुजारी या कामदार या प्रबन्धक या भण्डार ग्रधिकारी का निगरान या कारिंदे द्वारा एक नियमित रसीद संलग्न प्रोफार्मा संख्या 3 में (जो कार्बन विधि से तैयार की जायेगी) जारी की जायेगी ग्रौर भक्त या दर्शनार्थी या यात्री को दे दी जायेगी।

(ङ) ग्राभूषणों, रत्नाभूषणों तथा ग्रन्य मूल्यवान वस्तुग्रों के रूप में प्राप्त हुई भेंटों, उचित तोल ग्रौर सत्यापन के पश्चात् इन्वेन्टरी रजिस्टर (प्रोफार्मा संलग्न है) में तुरन्त दर्ज की जायगी। वर्तनों, पोशाकों तथा अन्य वस्तुग्रों के रूप में प्राप्त हुई भेंटों, डेड स्टाक के स्टाक रजिस्टर, जिसका प्रोफार्मा संलग्न है, में दर्ज की जायेगी।

(च) भोग के रूप में प्राप्त हुई भेंटें मंदिर की पूर्व प्रथा के ग्रनुसार पुजारियों या ग्रन्य सेवागिरों द्वारा उपयोग में लाई जायेगी।

5. नियंत्रण—

देवस्थान का निरीक्षक तथा अन्य अधिकारी अपने निरीक्षण दौरे के दौरान में यह देखेंगे कि मंदिर में प्राप्त हुई भेंट के लिये उचित प्रबन्ध है और ऐसी सब भेंटों का एक नियमित लेखा, निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार रखा जाता है।

---

3. देवस्थान विभाग सम्बन्धी मंदिरों के जेवर, सोना, चान्दी, तथा जवाहरात एवं सोना चान्दी के वर्तनों की सुरक्षा नियम 1970

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ—

ये नियम देवास्थान विभाग सम्बन्धी मंदिरों के सोने चान्दी के आभूषण एवं अन्य वस्तुए तथा जवाहरात सुरक्षा नियम, 1970 कहलायेंगे। ये नियम गजट नोटिफिकेशन के बाद तत्काल लागू होंगे।

2. परिभाषाएं—

(क) आयुक्त से तात्पर्य आयुक्त, देवस्थान से है।

(ख) सहायक आयुक्त से तात्पर्य समस्त उप जिलाधीश, जिला कार्यालय अथवा अन्य अधिकारी जिसे राज्य सरकार द्वारा सहायक आयुक्त देवस्थान की शक्तियां प्रदान की गई हो से, है।

(ग) निरीक्षक से तात्पर्य निरीक्षक अथवा सहायक निरीक्षक, देवस्थान से है।

(घ) पुजारी अथवा मुखिया से तात्पर्य मंदिर की सेवा पूजा करने वाले प्रमुख सेवागीर से हैं।

(ङ) मेनेजर अथवा ऑफिसर इन्चार्ज से तात्पर्य उस अधिकारी से है जिसकी देख रेख में सम्बन्धित मंदिर की व्यवस्था देवस्थान विभाग द्वारा सौंपी गई है।

(च) कोषागार से तात्पर्य राजकीय कोषागार या उप कोषागार से है।

(छ) वर्ष से तात्पर्य वित्तीय वर्ष से हैं।

3. देवस्थान विभाग सम्बन्धी मंदिरों के जेवर सोने चान्दी व जवाहरात के आभूषण, वर्तन एवं अन्य बहुमूल्य सेवा सम्बन्धी उपकरण की सुरक्षा की निम्न व्यवस्था होगी—

1. देवस्थान विभाग द्वारा नियंत्रित डायरेक्ट चार्ज, आत्म निर्भर एवं कोर्ट आफ वार्डस श्रेणी के मंदिरों में सोने, चान्दी व जवाहारात के आभूषण, वर्तन एवं अन्य बहुमूल्य वस्तुओं जो कि प्रति दिन सेवा पूजा में काम नें आते हों, ये पुजारी, मुखिया अथवा मुख्य सेवक के चार्ज में रहेंगे और उनकी सुरक्षा का उत्तरदायित्व उन्हीं का होगा।

2. सोने, चान्दी व जवाहरात के आभूषण, वर्तन एवं अन्य बहुमूल्य वस्तुएं जिनकी आवश्यकता वर्ष में दो बार या इससे अधिक पड़ती हो पुजारी अथवा मुखिया एवं मैनेजर, आफिसर इन्चार्ज अथवा निरीक्षक दोनों के डबल लोक में रखे जावेंगे। सुरक्षा का उत्तरदायित्व चावियां रखने वाले व्यक्तियों का समान रूप से होगा।

3. सोने, चान्दी व जवाहरात के आभूषण, वर्तन एवं अन्य बहुमूल्य वस्तुएं, जो कि वर्ष में दो बार से कम काम में आते हों अथवा कभी भी काम में नहीं आते हो, किसी नजदीकी कोषालय या उप-कोषालय में सुरक्षा की दृष्टि से रखा जाना आवश्यक होगा। प्रत्येक मंदिर के लिये अलग-अलग पेटिया रखी जावेंगी जिन पर सहायक आयुक्त अथवा निरीक्षक एवं मैनेजर अथवा मुखिया अथवा पुजारी का डबल लोक होगा।

4. सुपुर्दगी श्रेणी के मंदिरों में सोने, चान्दी व जवाहरात के आभूषण, वर्तन एवं अन्य बहुमूल्य आभूषण, वस्तुएं जिनकी कोई आवश्यकता सेवा पूजा के लिये नहीं हो, किसी नजदीकी कोषालय, उप-कोषालय में सुपुर्दगी एवं सहायक आयुक्त अथवा निरीक्षक, देवस्थान के डबल लोक में रखे जावेंगे।

5. सीधे चार्ज के पुजारी, मुखिया एवं मैनेजर आदि से सिक्योरिटी राजस्थान वित्तीय एवं लेखा नियम के नियम 419 के अनुसार ली जावेगी तथा

6. आत्म निर्भर एवं कोर्ट आफ वार्डस श्रेणी के मंदिरों के कर्मचारियों की सिक्योरिटी आत्म निर्भर कर्मचारी सेवा नियम के नियम 23 के अनुसार ली जावेगी।

4. जिन कर्मचारियों अथवा सेवकों से जमानत ली जावेगी उनको राज्यादेशानुसार विशेष भत्ता दिया जावेगा जो राज्य कोष अथवा सम्बन्धित मंदिर की आय से भुगतान किया जावेगा

———